लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १९, अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation
14-5-92
Fumigated
3.12.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . . . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . . . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश . . . १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बाढ़ की स्थिति . . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . . . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुर:स्थापित . . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन . . . १६३

दैनिक संक्षेपिका . . . १६४—८०

विषय	पृष्ठ
अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . .	१८१—२०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . .	२०४—३८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ से ३४३	२३८—३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . .	३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . .	३३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३१—३४
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौंसठवां प्रतिवेदन	३३४
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३४—७९
दैनिक संक्षेपिका	३८०—९१
अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . .	३९३—४१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . .	४१३—७३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ .	४७३—५५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५५९—६५
चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . .	५६५
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	५६५
विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति .	५६६
तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि	५६६
समितियों के लिये निर्वाचन	५६६—६७
(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।	
(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . ५९४–६१३
खंड २ से २४ . ६१०–११
पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१९
दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८
अंक ४—गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५
आयकर विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५
विधेयक पुरःस्थापित—
(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६
(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८
खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९
पारित करने का प्रस्ताव ७५९
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७
खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९
नमक उपकर (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७
खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७
पारित करने का प्रस्ताव ७७७
प्रसूति लाभ विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची | पृष्ठ

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा . ७८५–९४

दैनिक संक्षेपिका ७९५–८०४

अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१ . ८०५–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ . ८३३–५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ . ८५१–९३६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता . ९३७–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९३९–४२

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही सारांश . ९४२

सिख गुरुद्वारा विधेयक— ९४२

राय . . . . .

विशेषाधिकार समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन . . ९४२–४३

सभा का कार्य ९४३

ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य . ९४३–४४

तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . . ९४४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ९४५

दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . . ९४५

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ९४५–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चासीवां प्रतिवेदन ९७८

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ९७९–८६

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प . ९८६–९८

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ९९८

दैनिक संक्षेपिका ९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . . १०३८—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३—६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१—८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१
अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ से ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९२—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . .	१४९५—१५०२
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०२—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१६—२६
अंक ६— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३६
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३६—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६९—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, ६ अगस्त, १९६१

१८ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कांगों में भारतीय सैनिक टुकड़ियां

+

†*१६०. { **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांगों में भारतीय सैनिक टुकड़ियों की तैनाती के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) कांगों में हमारी सेनाओं की तैनाती इस पर निर्भर रहती है कि संयुक्त राष्ट्र की सैनिक-कमान को आवश्यकता कितनी है । बदलती हुई परिस्थितियों और संयुक्त राष्ट्र सैनिक कमान के निर्णयों के अनुसार, हमारे सैनिकों की तैनाती के स्थान बदलते रहते हैं । वैसे एक मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि हमने कांगों में जितने सैनिक भेजे हैं उनका अधिकांश कटंगा और लियोपोल्डविल प्रान्तों में तैनात हैं । हमारी 'अस्पताल-यूनिट' की एक टुकड़ी इक्वेटेयर में और 'कम्पोजिट यूनिट' की एक टुकड़ी कसाई में तैनात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

887 (Ai) LSD.—1.

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या हाल में हमारी कोई टुकड़ी कटंगा में तैनात की गई है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैंने अभी-अभी बताया कि परिस्थितियां बदलने के साथ-साथ उनकी तैनाती के स्थान बदलते रहते हैं।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** : कांगों में हमारे कितने जवान हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : लगभग एक ब्रिगेड है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : भारत सरकार ने कांगो में अपने सैनिक भेजने से पहले एक शर्त रखी थी कि उन सभी को एक यूनिट की भांति एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाये, उनको अलग-अलग दलों में बिखराया न जाये। क्या इस शर्त का सख्ती से पालन हो रहा है और क्या कांगो में अधिक भारतीय सैनिक भेजने के बाद भी यह शर्त बरकरार रहेगी, क्योंकि समाचार है कि ट्यूनिशियाई सेना के वापस जाते ही हम और अधिक सैनिक वहां भेजेंगे ?

†**सरदार मजीठिया** : उस शर्त का पालन पूरी सख्ती के साथ किया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि यह शर्त आगे भी बरकरार रहेगी।

†**श्री प्र० गं० देव** : हमारी सेना पर अभी तक कितना व्यय हुआ है ?

†**सरदार मजीठिया** : उनका सामान्य वेतन और समुद्रपार जाने के कारण मिलने वाले कुछ भत्ते।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने देश की सीमाओं पर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए विदेशों में कहीं भी भारतीय सैनिक न भेजने का निर्णय किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक सुझाव है, प्रश्न नहीं।

†**श्री त्यागी** : कांगो की ओर से और अधिक सैनिकों की मांग आई है। इसीलिये मैं पूछ रहा हूं कि क्या सरकार ने अधिक सेना न भेजने का निर्णय कर लिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह मानकर चल रहे हैं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिये अपर्याप्त है। इससे कई और प्रश्न उत्पन्न होंगे।

†**श्री त्यागी** : यह प्रश्न तो एक देश विशेष में तैनात भारतीय सेना से ही सम्बंधित है। वहां से और अधिक सेना की मांग की गई है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने देश की सीमाओं पर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या कांगों में और अधिक सैनिक भेजने के बाद, हमारे देश में बची सेना सीमाओं की सुरक्षा के लिये पर्याप्त होगी ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त सेनायें हैं। जो भी हो, मैंने पहले भी बताया था कि करार के अनुसार हम संयुक्त राष्ट्र सैनिक कमान के लिये और अधिक सैनिक भेज सकते हैं और उसका व्यय हमें संयुक्त राष्ट्र से मिल जायेगा।

†**श्री त्यागी** : क्या संयुक्त राष्ट्र कमान ने इस देश से और अधिक सेना की मांग की है, और हमारी सरकार ने उस मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया** : ऐसा अनुरोध किया गया था । अभी वह विचाराधीन है ।

†**श्री रंगा** : क्या भारतीय सैनिकों को कांगो में रखने की कोई अवधि निर्धारित की गई है ? या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है कि ऐसी एक अवधि निर्धारित कर दी जाये जिससे हमारे सैनिक भारत लौट सकें ?

†**सरदार मजीठिया** : ऐसी कोई अवधि नहीं हो सकती । हमने यही कहा है कि परिस्थिति ठीक होते ही हमारी सेनायें वापस कर दी जायें । संयुक्त राष्ट्र इससे सहमत हो गया है । हमारी सेनायें वहां अनिश्चित काल तक तो नहीं रहेंगी । खैर, सैनिकों की तबदीली तो होती ही रहती है ।

कोयले की ढुलाई

+

†*१६१. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेकराम नेगी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मन्दी के दिनों में कोयले के खानों से विभिन्न खपत केन्द्रों को पहुंचाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १५ मई, १९६१ से अब तक कितनी मात्रा भेजी गई है ;

(ग) क्या खानों के स्टाक में कोई विशेष कमी हुई है ; और

(घ) जनता द्वारा खपत के लिये कितनी मात्रा का लदान किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) रेलवे का मन्दी का समय सामान्यतया जुलाई से शुरू होता है । रेलवे ने इस वर्ष जुलाई से बंगाल/बिहार क्षेत्रों में प्रति दिन २०० माल-डिब्बों की अतिरिक्त परिवहन-क्षमता जुटाने का वचन दिया है । इसके फलस्वरूप काफी अधिक मात्रा में कोयला-खानों से कोयला ढोया जा सकेगा ।

(ख) बंगाल/बिहार क्षेत्रों से मई और जून १९६१ के महीनों में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये कुल मिलाकर २७८,५४८ माल-डिब्बे कोयला भेजा गया था, जब कि १९६० के इन्हीं महीनों में २४९,८२६ माल-डिब्बे कोयला भेजा गया था ।

(ग) जी, नहीं । परन्तु आशा है कि जुलाई से अधिक माल-डिब्बे सुलभ होने पर, तटीय-नौवहन द्वारा कोयला भेजने की योजना के कारण और सड़क-परिवहन द्वारा कोयले की अधिक ढुलाई के फलस्वरूप, कुछ समय बाद खानों के पास जमा कोयले के स्टॉक काफी घट जायेंगे ।

(घ) रेलवेज़, 'बन्कर्स' और निर्यात के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर मई १९६१ में ९०,८९८ माल-डिब्बे और जून १९६१ में ८२,५५९ माल-डिब्बे (अस्थायी) कोयला भेजा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : जहाजों द्वारा कोयला भेजने की योजना कहां तक सफल रही और उनके द्वारा कितना कोयला भेजा गया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जून में तो कोयले की काफी मात्रा भेजी गई थी, परन्तु जुलाई में कुछ ढिलाई आ गई। जहाजों द्वारा भेजे गये कोयले की मात्रा के आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। इसके बारे में यदि पृथक् प्रश्न पूछा जाये तो मैं सूचना दे सकूंगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : रेलवे और तटीय नौवहन को प्रतिटन कितनी-कितनी दर पर अदायगी की जा रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : दोनों में अन्तर है। सभा को मालूम ही है कि जहाजों द्वारा कोयला भेजने में ज्यादा खर्च पड़ता है। लेकिन इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है कि जहाजों द्वारा कोयला भेजने से जो अतिरिक्त व्यय होगा, उसकी पूर्ति उस संचित राशि में से की जायेगी जो कोयले पर अतिरिक्त उपकर लगाने से प्राप्त होती है।

†**श्री त्रिदिबकुमार चौधरी** : क्या यह सच है कि कोयले के यातायात और माल-डिब्बों के बंटवारे का प्रबन्ध एक ऐसे ढंग से किया गया है कि मुगलसराय और अन्य औद्योगिक केन्द्रों को कोयला ले जाने वाले माल-डिब्बों की संख्या में २०० की कमी आगई है और उसके फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल के सभी जिलों में कोयले का अकाल पड़ गया है ? सरकार परिस्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि मुगलसराय और उसके बाद के केन्द्रों को जो अतिरिक्त माल-डिब्बे भेजे जाते थे, अब उनके स्थान पर उतने ही नये माल-डिब्बे नहीं चलाये गये हैं, इसलिये उनकी सुलभता बढ़ी नहीं है। इसके फलस्वरूप कलकत्ता की ओर होने वाले कोयले के यातायात को कुछ कठिनाई हो गई है। मुझे मालूम है। एक सप्ताह पहले जब मैं कलकत्ता में था तब मुझे यह बताया गया था। और, मैंने एक सामान्य निदेश जारी कर दिया है कि जब भी कभी माल-डिब्बों की कमी पड़े, तो सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को यदि हो सके तो समान रूप से उसे सहन करना चाहिये, जिससे किसी एक ही क्षेत्र को सारा कष्ट सहन न करना पड़े।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि दक्षिण रेलवे के ओलाक्कोट डिवीजन में कुछ मालगाड़ियों को भेजने का कार्यक्रम कोयले की कमी के कारण रद्द करना पड़ा था। वह कमी कैसे पड़ी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे उसकी कोई सूचना नहीं। इसके बारे में रेलवे ज्यादा सही सूचना दे सकती है। वही ठीक-ठीक बता सकती है कि कार्यक्रम रद्द किया गया था, या नहीं, और उसका क्या कारण था।

†**श्री महन्ती** : यह देखते हुए, कि अत्यावश्यक उपभोक्ताओं को कोयला न मिल पाने की शिकायतें दिन-दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या माननीय मन्त्री पूर्वी भारत में कोयले के यातायात के राज्यवार आंकड़े अलग-अलग बता सकेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : आंकड़े बताये जा सकते है, पर उनका संग्रह करने में कुछ समय लगेगा। यदि इसके लिये पृथक् पृथक् प्रश्न पूछा जाये, तो मैं सूचना देने की भरसक चेष्टा करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु वह अतारांकित प्रश्न होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस सिलसिले में एक उच्चशक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति की बैठकों का क्या परिणाम निकला, माल-डिब्बों की कमी और भावी कार्यक्रम पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पता नहीं माननीय सदस्य किस समिति का उल्लेख कर रहे हैं। हम इस मामले पर लगातार विचार करते रहे हैं, और इस सम्बन्ध में इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय, रेलवे मन्त्रालय और परिवहन मन्त्रालय में पूरा पूरा सहकार्य रहा है। परिवहन मन्त्रालय इसलिये कि अब नौवहन और सड़कों द्वारा भी कोयले का यातायात होता है। यह सहकार्य नित्य-प्रति की चीज़ है। कलकत्ता में ही कोयले के यातायात का अधिकांश कार्यक्रम तैयार होता है और वहीं से नियन्त्रण किया जाता है, इसलिये कलकत्ता में कोयला नियन्त्रक कार्यालय के अधिकारी नित्य ही रेलवे मन्त्रालय के अधिकारियों से मिलते रहते हैं और दोनों मिल कर अधिक से अधिक सुलभता हासिल करने की चेष्टा करते हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यह जो कोल शार्टेज चल रही है यह कब तक दूर हो सकेगी।

सरदार स्वर्ण सिंह : पिछले साल के मुकाबले में इस साल देश में कोयले की ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल हुई हैं। अब यह कहना कि सारी की सारी कितनी जरूरत है वह कब तक पूरी हो सकेगी, जरा मुश्किल है। मैं मानता हूं कि जितनी जरूरत है वह सारी अभी पूरी नहीं हो सकती है लेकिन ज्यों ज्यों कोयले के वास्ते ज्यादा गाड़ियां मिल सकेंगी और ट्रान्सपोर्ट की एवेलैबिलिटी बढ़ेगी, कोयले की पोजीशन इम्प्रूव होगी। यह बतलाना तो बड़ा कठिन है कि कोयले की जितनी जरूरत है वह कब तक पूरी हो सकेगी लेकिन कोशिश इस बात की की जा रही है कि उसको पूरा किया जाय।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले और सॉफ्ट कोक की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है; यदि हां, तो ट्रेन-परिवहन के गतिरोध के कारण मुगलसराय के बाद उत्तर प्रदेश तक सड़क परिवहन द्वारा कोयले भेजने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सही है कि मुगलसराय के बाढ़ के क्षेत्रों---उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में--कोयले की कमी, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, अधिक महसूस होती है। मैं बता चुका हूं कि जुलाई महीने में मुगलसराय के बाद के स्टेशनों को जाने वाले माल-डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई है। जुलाई में उत्तर प्रदेश को काफी कोयला भेजा गया था। जून के अन्तिम सप्ताह के बारे में तो ऐसी शिकायत हो सकती है, पर जुलाई में तो स्थिति काफी सुधर गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री को मेरा एक सुझाव है। कोयले की स्थिति के सम्बन्ध में बार-बार प्रश्न आते रहते हैं। कई माननीय सदस्यों को उसमें दिलचस्पी है। इसलिये माननीय सदस्यों को मेरी सलाह है कि वे अपने अनुपूरक प्रश्न सूचना कार्यालय में दे दिया करें, मैं उनको माननीय मन्त्री के पास भिजवा दूंगा। माननीय मन्त्री यदि सम्भव हो तो रेलवे मन्त्री के परामर्श से, कोयले की स्थिति सुधरने तक हर सत्र में कोयले की स्थिति के बारे में एक मिला जुला वक्तव्य दे दिया करें। इस से पता चल जायेगा कि उद्योगों को अपना उत्पादन किस सीमा तक रखना है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु ये प्रश्न तो तब भी आयेंगे ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : वह तो अनिवार्य है, लेकिन इनमें काफी कमी हो जायेगी ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इसका सम्बन्ध केवल इसी मन्त्रालय से नहीं, रेलवे मन्त्रालय से भी है । इसलिये वे प्रश्न दोनों ही मन्त्रालयों के पास भेजे जाने चाहियें जिससे कि एक मिला जुला पूरा विवरण मिल सके ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : उसमें अलग-अलग सभी आंकड़े दिये जाने चाहियें ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं । यह सही है कि इसका सम्बन्ध दोनों मन्त्रालयों से है, लेकिन मैं बता दूं कि कोयले के यातायात के बारे में जो भी आंकड़े यहां दिये जाते हैं उनका अनुमोदन पहले ही दोनों मन्त्रालयों से करा लिया जाता है । इसलिये ऐसी कोई आशंका नहीं रहनी चाहिये कि मन्त्रालयों में सह-कार्य की कमी है ।

†श्री रंगा : क्या यह बुरी बात नहीं कि दोनों मन्त्रालयों एक-दूसरे पर दोषारोपण करें ?

†अध्यक्ष महोदय : दोनों मन्त्रालय संयुक्त रूप से वक्तव्य देंगे ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : वक्तव्य सरकार की ओर से होगा । वक्तव्य मैं दूं या रेलवे मन्त्री, उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । यह तो आन्तरिक सुविधा की बात होगी कि वक्तव्य कौन दे ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : परिवहन मन्त्रालय भी इससे सम्बन्धित है । वह भी २० लाख टन कोयले का यातायात जहाजों द्वारा करता है । जहाजों की कमी यदि हो, तो परिवहन मन्त्रालय बतायेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य सरकार की ओर से दिया जायेगा, जिसमें परिवहन मन्त्रालय भी सम्मिलित है ।

दिल्ली में दो इंजीनियरिंग कालेज

+

†*१६२. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेडा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निकट भविष्य में दो इंजीनियरिंग कालेज बनाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो, प्रस्ताव का स्वरूप क्या है और वे कालेज कहां-कहां स्थापित होंगे ;

(ग) उनमें कितने विद्यार्थियों के लिये स्थान होगा और उन पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) विद्यार्थियों के दाखले की नीति क्या होगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). इस वर्ष हौज़ खास में एक कालेज स्थापित किया जा चुका है, लेकिन योजना यह है कि १६६२-६३ के शिक्षा वर्ष से 'दिल्ली पोलीटेकनिक' में डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये नये दाखिले बन्द कर दिये जायें । यह नया 'इंजीनियरिंग और टेकनोलॉजी का कालेज' भी उन्हीं विषयों के डिग्री-पाठ्यक्रमों को शुरू करेगा जो अभी 'दिल्ली पोलीटेकनिक' में पढ़ाये जा रहे हैं, पर इस नये कालेज में उससे कहीं अधिक

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थी दाखिल किये जा सकेंगे । आगे चल कर इस नये कालेज में कुछ चुने हुए विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे ।

(ग) नये कालेज में पहले डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये उसकी वार्षिक दाखिले की क्षमता २५० विद्यार्थियों की होगी । उसमें होने वाला अनुमित व्यय इस प्रकार होगा :

	लाख रुपये
अनावर्ती व्यय	३६५.२७
अन्त्य आवर्ती व्यय	३४.५३

(घ) दाखिले अखिल भारतीय आधार पर किये जायेंगे, जिनमें कुछ स्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रहेंगे ।

†**श्री राधा रमण** : क्या यह सच है कि अपेक्षित न्यूनतम अर्हतायें वाले कई विद्यार्थियों को दिल्ली के कालेजों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों को सरकार की क्या सलाह है कि वे इंजीनियरिंग की शिक्षा कैसे प्राप्त करें ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस प्रश्न के दो पहलू हैं । संसार में हर जगह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों की संख्या उनके लिये कालेजों में सुलभ स्थानों से कहीं अधिक है । हमने सुविधाओं का भी काफी विस्तार किया है । डिग्री स्तर पर गत वर्ष १४,००० विद्यार्थी दाखिल किये गये थे, जब कि १९४७ तक प्रति वर्ष ३,००० से भी कम विद्यार्थी दाखिल किये जाते थे । लेकिन हम इसी रफ्तार से तो विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि तब बड़े-बड़े उच्च अर्हता प्राप्त इंजीनियर भी बेरोजगार घूमने लगेंगे । हमें यह भी देखना पड़ता है कि अगले पांच वर्ष में हमें कितने इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी । इसी दृष्टि से हम सर्वोत्तम सुलभ उम्मीदवारों को ही दाखिला देते हैं । और जिनको दाखिला नहीं मिल पाता, उन विद्यार्थियों को विज्ञान और कला के पाठ्यक्रम लेने चाहियें । यह भी जरूरी है कि उतने ही अच्छे विद्यार्थियों को अन्य विषय भी दिलाये जायें, नहीं तो विभिन्न देशों में क्षेत्रों में राष्ट्रीय जीवन का स्तर बहुत गिर जायेगा ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार इसके आंकड़े देगी कि दिल्ली के कालेजों में दाखिला चाहने वाले कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको माननीय मंत्री द्वारा बताये गये कारणों से दाखिला नहीं मिल पाता ; और क्या ऐसे विद्यार्थियों को दूसरे पाठ्यक्रम लेने की सलाह वैज्ञानिक या नियमित आधार पर देने की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी, हां । हमने वास्तव में ऐसे कई विद्यार्थियों को पोलीटेकनिकों में जाने की सलाह दी है, क्योंकि पोलीटेकनिकों का काफी विस्तार हुआ है और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है । पोलीटेकनिकों में दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों का स्तर कुछ गिरा भी है । कई विद्यार्थियों को पोलीटेकनिकों में जाने पर उपयोगी प्रशिक्षण और रोजगार मिल सकता है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकताओं का कोई हिसाब लगाकर देखा गया है, और वह आवश्यकता किस सीमा तक पूरी हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी, हां ; हिसाब लगा कर देखा गया है । अभी परसों ही तृतीय योजना संसद् में पेश की गई थी । एक मोटे तौर पर अनुमान है कि तृतीय योजना की समाप्ति तक इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये प्रति वर्ष लगभग २०,००० विद्यार्थियों के दाखिले होने चाहियें ।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री के कथनानुसार इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इन कालेजों में अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को भी स्थान दिया जाये । क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिये केवल यही एक स्थान क्यों चुना गया ? वे चूंकि बड़े गरीब हैं, इसलिये सभी कालेजों में उनके लिये स्थान सुरक्षित क्यों नहीं किया जाता ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : पता नहीं माननीय सदस्य ने यह नतीजा कैसे निकाल लिया कि अन्य कालेजों में उनके लिये सुरक्षण नहीं होता । मुझसे केवल दिल्ली के बारे में पूछा गया था, इसलिये मैंने वैसा ही उसका उत्तर दिया था । उससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि अन्य स्थानों में सुरक्षण नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह सच है कि दक्षिण भारत के केन्द्रों से दाखिले के लिये आने वाले विद्यार्थियों की विशेष परीक्षायें ली जाती हैं और पहले के उनके नम्बरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम सभी अखिल भारतीय प्रतिष्ठानों में दाखिले के लिये परीक्षा लेते हैं, उम्मीदवार चाहे दक्षिण भारत से आया हो, या उत्तर भारत, या पूर्वी या पश्चिमी भारत से । हम दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में भी अगले वर्ष से ऐसी प्रवेश-परीक्षायें रखना चाहते हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस नये दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में दक्षिण भारत से दाखिले के लिये आने वाले सभी विद्यार्थियों की विशेष रूप से परीक्षा ली जाती है, फिर चाहे वे अन्य विद्यार्थियों से कितने ही अधिक योग्य और उच्च-अर्हता प्राप्त हों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाता, आप जानते हैं कि किया भी नहीं जा सकता । यदि भेद-भाव किया जायेगा तो तुरन्त कोई न कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायलय में मामला पहुंचा देगा । माननीय सदस्य शायद अर्हताओं के अन्तर के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे । दक्षिण भारत के एक दो विश्व विद्यालयों में रसायन और भौतिक विज्ञान के लिये पृथक पाठ्यक्रम नहीं हैं, दोनों का मिला जुला पाठ्यक्रम है । इसलिये उन विश्व विद्यालयों के विद्यार्थियों की अर्हता पृथक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समान तो नहीं मानी जा सकती ।

†**श्री तिरुमल राव** : इसी के सम्बन्ध में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने सभी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम को भारत भर में मान्यता दे दी है ? सरकार ने उत्तर भारत से आने वाले विद्यार्थियों के लिये वारंगल कालेज में कुछ स्थान विशेष रूप से सुरक्षित रखे हैं । क्या विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्र को प्रवेश के लिये उचित अर्हता के रूप में मान्यता दी गई है, और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्धित दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में यह विभेद क्यों किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम एक राज्य के विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों में जाकर अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। प्रादेशिक कालेजों में उस राज्य के विद्यार्थियों के लिये केवल ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये जाते हैं। और शेष ५० प्रतिशत में से ३० प्रतिशत आस-पड़ोस के राज्यों और २० प्रतिशत अखिल भारतीय आधार पर दाख़िले के लिये सुरक्षित किये जाते हैं। इसमें विभेद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रमों के लिये विभिन्न विश्व-विद्यालयों की पाठ-चर्चाओं की तुलना की जाती है। विश्वविद्यालय स्वयं तय करते हैं कि कौन सी डिग्री किसके बराबर है, और इस मामले में हम उनके निर्णय को ही मानकर चलते हैं।

†**श्री कालिका सिंह** : तृतीय योजना में १७ अतिरिक्त इंजीनियरिंग कालेजों की व्यवस्था रखी गई है। परन्तु दाख़िला चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि इलाहाबाद के नये इंजीनियरिंग कालेज में दाख़िले के लिये १३,००० प्रार्थना पत्र आये थे, जिनमें से केवल २०० लिये जा सके। क्या ये १७ नये कालेज इंजीनियरिंग के सभी उम्मीदवारों को अंटा सकेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। हमारा उद्देश्य है कि प्रति वर्ष २०,००० इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को दाख़िला मिले। हम एक लाख के लिये व्यवस्था नहीं कर सकते। मांग तो इसकी होगी, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि तब उनके लिये रोजगार नहीं जुटाया जा सकेगा। और फिर हमारे पास इतने विद्यार्थियों के लिये प्राध्यापक तथा उपकरण भी नहीं हैं। आप जानते ही हैं कि इंजीनियरिंग कालेजों पर कितना अधिक खर्च होता है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या प्रवेश-परीक्षा केवल दिल्ली में होगी, या देश भर में कई स्थानों पर ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अखिल भारतीय प्रतिष्ठानों की प्रवेश परीक्षायें कई केन्द्रों में होती हैं। उनकी ठीक-ठीक संख्या मुझे याद नहीं। गत वर्ष शायद तीस चालीस से भी अधिक थे। जहां भी उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त होती है, केन्द्र बना दिया जाता है। दिल्ली के सम्बन्ध में हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। इसका निर्णय शासी निकाय करेगा। और, वह शायद अखिल भारतीय प्रतिष्ठानों द्वारा की जाने वाली उनकी अपनी प्रवेश-परीक्षाओं का लाभ उठायेगा।

†**श्री सूपकार** : 'दिल्ली पोलीटेनिक' से इंजीनियरिंग की 'डिग्री कक्षा' हटाने का क्या कोई विशेष कारण है ; और क्या नये इंजीनियरिंग कालेज के सभी २५० स्थान भर चुके हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : 'दिल्ली पोलीटेकनिक' से डिग्री कक्षा का स्थानांतरण अखिल भारतीय परिषद् की इस सामान्य सिफारिश के अनुसार किया गया है कि एक ही कालेज में डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही पाठ्यक्रम रहने से दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये अब सभी नयी संस्थाओं में उनको पृथक किया जा रहा है। लेकिन हमने दिल्ली के इस नये कालेज में दाखिलों की संख्या बढ़ा दी है। कुल २५० विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे। अभी इसी वर्ष १५० दाख़िले किये जाने हैं, जिनमें से १४२ अब तक स्थान भर चुके हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : दाखिलों की मांग बढ़ने के कारण, क्या अब दिल्ली में एक और नया कालेज खोलने का विचार है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं बता चुका हूं कि इसी कालेज में दाख़िलों की संख्या दूनी कर दी जायेगी। इसलिये अभी दिल्ली में एक और इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वेंकटा सुब्बैया : देश में तकनीकी और पोलीटेकनिक (बहुधन्धी) संस्थाओं की कमी को देखते हुए, क्या सरकार तकनीकी संस्थायें खोलने वाली निजी संस्थाओं को ऋणों और अनुदानों के रूप में कोई आर्थिक सहायता, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों की ऐसी निजी संस्थाओं को, देने का विचार कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या निजी उपक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता है ?

†श्री हुमायून् कबिर : हमने सभी के लिये दरवाजे खुले रखने की नीति अपनाई थी। हमने उसी के अनुसार द्वितीय योजना काल में अनेक संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। और अब तृतीय योजना-काल में भी, बहुत थोड़े रूपभेद के साथ, यही नीति जारी रहेगी।

†श्री तंगामणि : माननीय मंत्री ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों ने रसायन और भौतिक विज्ञान के पृथक विषय लिये बिना, मिले-जुले पाठ्यक्रमों के साथ परीक्षायें पास की हैं, उनको एकदम अनर्हित कर दिया जायेगा। क्या यह सच नहीं है कि मद्रास और अन्नामलाई विश्वविद्यालयों के विश्व विद्यालय-पूर्व पाठ्यक्रमों में भौतिक विज्ञान भी एक विषय है और उसे पास करके विद्यार्थी इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पा सकता है ? क्या यह सच नहीं है कि उनको दिल्ली के इस कालेज विशेष में दाखिले के लिये बिल्कुल मना कर दिया जाता है ?

†श्री हुमायून् कबिर : माननीय सदस्य ने शायद अपने माननीय मित्र का प्रश्न नहीं समझा। उनको बिल्कुल मना नहीं किया जाता। उनको प्रवेश पाने के लिये एक विशेष परीक्षा में बैठना पड़ता है।

योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

+

†*१६३. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कालिका सिंह :
श्री आचार : }

क्या शिक्षा मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) आशा है कि इस योजना पर शीघ्र ही अन्तिम निश्चय कर लिया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : इस प्रश्न का उत्तर कई महीने पहिले दिया गया था क्या योग्य छात्रों के मूल्यांकन करने का आधार निश्चित करने के संबंध में कुछ प्रगति की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे विचार से कदाचित इस मास के अंत में ही इस योजना की घोषणा हो जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह छात्रवृत्तियां क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जायेंगी या अखिल भारतीय आधार पर, यदि भारतीय आधार पर दी जायेंगी तो उनका वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं आशा करता हूं कि योजना कुछ ही सप्ताहों के अन्तर्गत सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री आचार** : यह इस शिक्षा वर्ष से लागू होगी या अगले शिक्षा वर्ष से ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमारी इच्छा है कि यह इसी शिक्षा वर्ष से लागू हो जाये ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या इस कार्य के लिये कोई राशि पृथक रखी गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना को बनाने का काम किसके सुपुर्द किया गया था और यदि कोई समिति थी तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समय कोई सलाहकार संस्था इस योजना की देखरेख नहीं कर रही है । इस योजना पर विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा की जा रही है । आशा है मैं यह महीना समाप्त होने के पूर्व इस योजना की घोषणा करने में समर्थ होऊंगा ?

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मन्द बुद्धि विद्यार्थियों को रोटी और मक्खन देने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य इन्हें अपने देखरेख में रखें ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यदि किसी विलक्षण विद्यार्थी के अभिभावक १००० रु० से अधिक अर्जन करते हों तो क्या ऐसे विद्यार्थी को भी छात्रवृत्ति दी जायेगी विलक्षण बुद्धि का क्या तात्पर्य है ?

†**डा० का०ला० श्रीमाली** : अभी योजना पर अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है । ये प्रश्न तभी उत्पते हो सकते हैं जब योजना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडिया आफिस लायब्रेरी

+

श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० गं० देब :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

---

†मूल अंग्रेजी में

†१८४. श्री हेम बरुआ :
श्री पांगरकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री जीनचन्द्रन :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आचार :
श्री खुशवक्त राय :
श्री आसर :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगंधि :
श्री वोडयार :
डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री न० म० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रामजी वर्मा :
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का प्रश्न किस स्थिति में है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): बातचीत अब भी चल रही है। तीनों सरकारों के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक बातचीत का विवरण अभी नहीं बताया जा सकता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या ब्रिटेन की सरकार ने यह सुझाव दिया है कि लायब्रेरी के निपटारे का कार्य प्रीवी काउन्सिल की न्यायिक समिति की मध्यस्थता को सौंप दिया जाये, क्या सरकार यह सुझाव स्वीकार करना चाहती है ?

श्री हुमायून् कबिर : इस स्तर पर बातचीत को प्रगट करना उचित नहीं है। अतः माननीय सदस्य को उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री हेम बरुआ : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक बातचीत का प्रश्न है, समाचारपत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में प्रकाशित हुआ है, कि तीनों सरकारें इस मामले के

†मूल अंग्रेजी में

विधि संबंधी पहलू को राष्ट्रमंडल के तीन न्यायिकों को सुपुर्द करने को तैयार हो गयी हैं और भारत इससे सहमत हो गया है। समाचारपत्रों में यह भी आया था कि किताबों तथा अन्य वस्तुओं की छोटी फिल्में बनाने में बहुत व्यय होगा। यह एक औचित्य प्रश्न है, मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि मंत्री महोदय यह कहते हैं कि वार्त्ता का रूप प्रगट नहीं किया जा सकता है तथापि मेरा कहना है कि वह समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। अर्थात वह समाचारपत्रों को प्रगट किया जा चुका है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं केवल यही कह सकता हूं कि समाचारपत्रों के संवाददाता बहुत बुद्धिमान होते हैं और वे कई प्रकार की कल्पनायें करते हैं और सुझाव देते रहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के औचित्य प्रश्न इससे पूर्व भी उठाये जा चुके हैं। इसके पूर्व प्रधान मंत्री भी ऐसा कह चुके हैं। कई मामलों में जब कि प्रतिरक्षा मंत्री ने यह दावा किया कि ठेके की शर्तें इत्यादि राष्ट्र हित में प्रकट नहीं की जा सकती हैं वे अंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हो चुकी थीं। उस समय उन्होंने यह कहा था कि जिन बातों को भगवान भी नहीं जानता है पत्रकार उन्हें जानते हैं। वे कई प्रकार की अटकलें लगाते हैं कभी तो उनका उद्देश्य यह होता है कि उत्तरदायी व्यक्ति या तो इसका प्रतिवदा करेगा या इस संबंध में वक्तव्य देगा। जब इस बात का निश्चय किया जा चुका है कि अमुक वस्तु गोपनीय रखी जायेगी तो उस संबंध में पत्रकारों की अटकलों का लाभ सभा पटल में अधिकृत जानकारी प्राप्त करने के लिये नहीं उठाया जाना चाहिये। सदस्यों को तब तक संतोष करना चाहिये जब तक कि सभा में उस संबंध में अधिकृत घोषणा न की जाये। वस्तुतः यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : यद्यपि मैं उस संवाद पर विश्वास नहीं करता हूं तथापि इस प्रकार का संवाद समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

†**श्री तंगामणि** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने इंगलेंड प्रवास में इस विषय पर राष्ट्र मंडल के सचिव से वार्ता की थी? और क्या इस विषय में कोई कालावधि निश्चय की गयी है कि कब तक यह मामला निपटा दिया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस विषय पर तब तक चर्चा चलती रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई कालावधि निश्चित नहीं की जा सकती है।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या भारत और पाकिस्तान के बीच इंडिया आफिस लायब्रेरी के विभाजन के सम्बन्ध में पूरा समझौता किया जा चुका है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस प्रैस नोट की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि पाकिस्तान के मंत्री से चर्चा के तत्काल पश्चात् जारी किया गया था। मुझे इस सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ कहना नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह जानना चाहती हूं कि कब तक यह चर्चा प्रकाशित कर दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी यह कह चुके हैं कि वह निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि यह बातचीत कब तक समाप्त होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूरत में तेल

†*१६५. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **इस्पात, खान** और **इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत से लगभग १५ मील दूर महमदपुर गांव में तेल के लिए छिद्रण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह छिद्रण किसकी सहायता से प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) छिद्रण का क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली के लिये लेफ्टीनेंट गवर्ननर

+

†*१६६. **महाराज कुमार विजय आनन्द :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिए लेफ्टीनेन्ट गवर्नर नियुक्त किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो लेफ्टीनेन्ट गवर्नर की नियुक्ति कब की जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**महाराज कुमार विजय आनन्द :** क्या सरकार यह जानती है कि दिल्ली की जनता लेफ्टीनेंट गवर्नर रखने को इच्छुक है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है। अगला प्रश्न।

रूरकेला बस्ती

†*१६७. **श्री गोरे** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के दक्षिण में स्थित बस्ती के लिए जल संभरण, प्रकाश, जल निस्सारण आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई थी उन्हें प्रतिकर के रूप में वैकल्पिक भूमि दी गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) रूरकेला की पुरानी बस्ती को सुविधायें देने का दायित्व मुख्यतः उड़ीसा की सरकार का है। तथापि हिन्दुस्तान स्टील इस बात

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए सहमत हो गया है कि जैसे ही राज्य सरकार की वितरण प्रणाली तैयार हो जायेगी वह पुरानी बस्ती तथा औद्योगिक बस्ती को १० लाख गैलन पानी प्रतिदिन देगा। वस्तुतः १९५७ के मध्य से उन्हें ५०,००० गैलन पानी प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। नागरिक बस्ती के लिये बिजली हीराकुड से दी जाती है।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का दायित्व पूर्णतः राज्य सरकार का है। प्रतिकर सामान्यतः नकद दिया जाता है। तथापि उड़ीसा की सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को बंजर जमीनें दी हैं जिनको कृषि के लिए विकसित किया जा सकता है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या उन सभी व्यक्तियों को जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उन्हें वैकल्पित भूमि दे दी गयी है।

†**श्री गोरे :** क्या राज्य सरकार ने रूरकेला में म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में कोई जवाब भेजा है या कोई निश्चय किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** राज्य सरकार हिन्दुस्तान स्टील तथा केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क बनाये हुए हैं। पहिले यह तय किया गया था कि इस्पात बस्ती तथा पुराने नगर के लिए एक संयुक्त नागरिक निकाय बने। मेरे विचार से अब सब से अन्तिम प्रस्ताव यह है कि पुराने तथा नये इस्पात नगर के लिये दो पृथक नागरिक निकाय बनाये जायें।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील के अधिकारी यह चाहते थे कि रूरकेला की नयी बस्ती के लिये एक पृथक नगर निकाय बने तथापि उड़ीसा की राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति की ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यदि उड़ीसा की सरकार सहमत हो तो इस पर निर्णय किया जा सकता है। नागरिक निकायों का निर्माण राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या उड़ीसा की सरकार ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय बता चुके हैं कि बिना राज्य सरकार की अनुमति से कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार ने इस बात की संभावना पर भी विचार किया है कि यदि वहां एक के स्थान पर दो म्यूनिसिपल परिषदें हो जायेंगी तो व्यवस्था सम्बन्धी तथा अन्य सभी प्रकार के विविध व्यय दुगुने हो जायेंगे। वस्तुतः दोनों बस्तियां एक ही नगर के दो भाग हैं एक नया है और दूसरा पुराना है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अन्तिम निश्चय करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

†**श्री गोरे :** यदि राज्य सरकार इन प्रस्तावों पर सहमत नहीं हो और निर्णय करने में बहुत विलम्ब करे तो उन एक लाख व्यक्तियों का क्या होगा जो वहां रह रहे हैं। नगर बिना किसी प्रकार की सुविधाओं के बढ़ता ही जा रहा है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कोई नागरिक निकाय हो या नहीं सुविधाओं की व्यवस्था होती ही रहती है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इसका एक संतोषजनक हल निकल आयेगा तथा बहुत शीघ्र ही वहां एक या दो नागरिक निकायों की स्थापना हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा है कि नागरिक सुविधायें जुटाने का दायित्व राज्य सरकार का है। इस बात को देखते हुए कि इस्पात बस्ती तथा रूरकेला बस्ती की नोटिफाइड एरिया समिति के बीच संघर्ष चल रहा है फलस्वरूप वहां एक प्रकार का द्वैध शासन कायम है, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समस्या का निपटारा कब तक किया जायेगा क्योंकि लगभग एक लाख की आबादी बिना किसी प्रकार की नागरिक सुविधाओं के वहां रह रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि रूरकेला की पुरानी बस्ती में बिजली दी जा रही है। मैंने भी पुरानी बस्ती देखी है मेरे विचार से वह बस्ती समृद्धि के युग से गुजर रही है। मैं यह बता ही चुका हूं कि हम रूरकेला की पुरानी बस्ती को पानी भी दे रहे हैं। वहां किस प्रकार का नागरिक निकाय होगा इसका निश्चय उड़ीसा की सरकार द्वारा किया जायेगा। मेरे विचार से वे इसका शीघ्र निर्णय करेंगे।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या विस्थापित व्यक्तियों के लिये एक टैक्नीकल स्कूल खोलने की योजना क्रियान्वित की जा चुकी है, यदि नहीं तो वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार से माननीय सदस्य उस योजना का ज़िक्र कर रहे हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी है ?

†**श्री मुहम्मद इलियास** : मैं हिन्दुस्तान स्टील द्वारा आरम्भ की गयी योजना के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा जहां तक विचार है उड़ीसा की सरकार एक प्रशिक्षण स्कूल खोलना चाहती थी न कि हिन्दुस्तान स्टील।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : रूरकेला नगर की आबादी क्या है ? क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे उन दोनों बस्तियों की अर्थात् पुरानी बस्ती और इस्पात बस्ती की जनसंख्या ज्ञात नहीं है। इस्पात बस्ती की आबादी घट रही है क्योंकि निर्माण सम्बन्धी अधिकांश कार्य समाप्त हो गया है। जहां तक कार्य प्रवर्तन क्षेत्र का सम्बन्ध है मेरे विचार से विभिन्न वर्गों के काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आवास मिल गया है। इस्पात बस्ती में हम वर्ग सम्बन्धी भेदभाव कायम नहीं रखना चाहते हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : रूरकेला के विस्थापित व्यक्ति माननीय मंत्री से मिले थे और उन्होंने यह अभ्यावेदन भेजा है कि उन्हें पूरी तरह से नहीं बसाया गया है। क्या माननीय सदस्यों ने उनकी कठिनाइयों पर विचार किया है और यदि हां तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वे मुझ से कई बार मिले हैं और उनके प्रतिनिधि भी इस प्रकार के आवेदन पत्र भेजते रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम १ करोड़ से अधिक रुपये प्रतिकर के रूप में दे चुके हैं जिसके अन्तर्गत भूमि मकान, वृक्ष तथा जो भी वहां था उससे १५ प्रतिशत अधिक कीमत उसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा की सरकार उनको मकान बनाने के लिये सहायता धन या बजर जमीन को कृष्यकरण के योग्य बनाके के लिये कई लाख रुपये दे चुकी है।

†मूल अंग्रेजी में

जब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था तो अधिकांश विस्थापित व्यक्ति निर्माण फर्मों में काम पर लगना चाहते थे क्योंकि वहां मजूरी काफी अच्छी थी। वे उस समय यह नहीं समझ सके कि यह काम अस्थायी है। इसलिये निर्माण कार्य में कमी होने पर बहुत से लोग बेरोजगार हो गये अतः यह उनके अपने कार्य का नतीजा था मैं नहीं जानता कि इससे अधिक और क्या किया जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश के लिये इस्पात संयंत्र

+

†*१६८. { श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात खान और ईंधन** मन्त्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आन्ध्र प्रदेश में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). आंध्र प्रदेश के कच्चे माल को गलाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय खनिज प्रयोगशाला जमशेदपुर में जांच की जा रही है। पहिले परिणामों से यह आशा की जाती है कि प्रति वर्ष एक लाख टन कच्चे लोहे के उत्पादन करने वाले संयंत्र की स्थापना करना सम्भव होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक लाख टन क्षमता वाले कच्चे लोहे के उत्पादन के संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में गैर सरकारी फर्मों से आये हुए आवेदनों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि कुछ ही महीनों के भीतर इन आवेदनों पर निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री हेडा** : अब तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार से तीन या चार आवेदन प्राप्त हुए हैं मैं उनकी सही संख्या नहीं बता सकता हूं।

†**श्री हेडा** : क्या कोई ऐसी भी योजना थी कि आन्ध्र प्रदेश सरकार स्वयं ही एक इस्पात संयंत्र खोले, यदि हां तो उस योजना के सम्बन्ध में क्या हुआ है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार को अधिक जानकारी होगी। मेरे विचार से उनकी योजना प्रकाशित हो चुकी है। यह योजना स्वभावतः ही जनता की सम्पत्ति है।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध लौह अयस्क वास्तव में किस किस्म का है कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुछ सर्वेक्षण किया गया है तथापि मैं नहीं कह सकता हूं कि वह पूर्ण रूपेण किया गया है। तथापि जो कुछ भी जानकारी हुई है उससे यह नतीजा निकला है कि वहां इस आकार के संयंत्र की स्थापना हो सकती है।

†**श्री रंगा** : यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार अपना उपक्रम स्थापित करेगी तो इन गैर सरकारी फर्मों के लिये अपने संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई गुंजायश नहीं रहेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह एक निराधार बात है । यह बात आन्ध्र प्रदेश सरकार के संसाधनों पर निर्भर है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार वहां अपना संयंत्र स्थापित करे तो क्या गैर-सरकारी फर्म के संयंत्र स्थापन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह आवश्यक नहीं है । जब ऐसी स्थिति आयेगी तो इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

+

†*१६६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री स० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा ह अहमद :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १६ मई, १९६१ को अंकलेश्वर के सातवें तेल के कुएं में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच समाप्त कर ली है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा):** (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जिन्होंने इस मामले की जांच की कहा है कि यह बात निश्चित हो चुकी है कि यह भभक अप्रत्याशित थी, क्योंकि यह एक बहुत छिछली बालू के तह से पैदा हुई थी जिसमें बहुत दबाव पर गैस की उपस्थिति की आशंका नहीं की गयी थी, क्योंकि ऐसी गैसें निकट के दो कुओं में नहीं मिली । गैस वाली बालू वीक्षाकार तथा बहुत सीमित क्षेत्र में स्थित थी । क्षेत्र की उत्पादक बालू पर इस भभक से कोई प्रभाव नहीं हुआ । कर्मचारियों ने इन दुर्घटनाओं से उपकरणों को बचाने की बहुत कोशिश की । इस बात की कार्यवाही की गयी है कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र में खोदे जाने वाले कुओं में कम गहराई पर भी ऐसे अधिक दबाव वाली बालू के लिये तैयार रहा जाये । कोई कर्मचारी आहत नहीं हुआ ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** नवीनतम स्थिति क्या है ? क्या जो क्षति हुई थी उसकी मरम्मत कर ली गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के०दे० मालवीय) :** दुर्घटना समाप्त हो चुकी है । सभी वस्तुओं की मरम्मत की जा चुकी है । उपकरणों को बचाने का यथासम्भव प्रयत्न कर लिया गया है । इस दुर्घटना से ७ या ८ लाख की मशीनों का नुकसान हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इससे भभक के कारणों की टैक्नीकल तथा अन्य कारणों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की गयी थी ? यदि हां तो उसकी राय क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । यह जांच उन विशेषज्ञों द्वारा की गयी जो हमें उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि यह दुर्घटना अपरिहार्य थी । कम गहराई पर बालू की तहों से गैस अचानक ही भभक उठती है । अतः यह दुर्घटना अपरिहार्य थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिवेदन से यह ज्ञात नहीं होता कि थोड़ी सी अधिक सावधानी बरतने से यह दुर्घटना होने की गुंजाइश नहीं थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने भी यही कहा है । कदाचित ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है क्योंकि कोई नहीं जानता है कि किस गहराई या दबाव पर गैस या तेल आ जायेगा । तथापि यह दुर्घटना गम्भीर नहीं थी इससे मुख्य कूप को कोई हानि नहीं पहुंची ।

साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध

+

†*१७०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बजपेयी :
श्री कोडियान :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ;
श्री पुन्नूस :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मे० क० कुमारिन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ना० रा० मुनिस्वामी :
श्री सरजू पांडेय :
श्री खुशवक्त राय :
श्री हेम राज :
श्री बारियर :
श्री नागी रेड्डी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है। इस प्रश्न पर राज्य के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में अग्रेतर विचार किया जायेगा।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि सरकार को साम्प्रदायिक दल की परिभाषा करनी होगी। क्या इस संबन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कहा गया था। इस सम्बन्ध में अभी हाल मुख्य मन्त्री मिल रहे हैं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या साम्प्रदायिक दल के परिभाषा के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: इस सम्बन्ध में कोई परिभाषा नहीं की गयी है न ही कोई निर्णय किया गया है। पहिला प्रश्न यह है कि क्या ऐसी विधियां बनाना वांछनीय होगा। हमने इस समस्या पर काफी विचार किया और जून १ और २ को हुई पिछली बैठक में विस्तार से चर्चा हुई थी। सामान्य भावना यह थी कि अभी इस सम्बन्ध में कोई विधि नहीं बनायी जाये। तथापि यह सुझाव दिया गया था कि व्यक्तियों को साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने से रोकने के लिये या विभिन्न सम्प्रदायों के बीच तनाव पैदा करने से रोकने के लिये विधि को संशोधत किया जाये या उचित कार्यवाही की जाये। अतः हमने यह निश्चय किया है कि दण्ड संहिता की धारा १५३ क में संशोधन किया जाये। हम यह विधेयक शीघ्र ही पुरस्थापित करने वाले हैं।

†**श्री विभूति मिश्र** : जो विभिन्न धर्म के लोग धर्म के नाम पर पार्टियां बनाते हैं उन को तो कम्युनल कहा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग विभिन्न जातियों के नाम से पार्टियां बनाकर चुनावों में काम करते हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है ? शास्त्री जी जो बिल ला रहे हैं उसमें इसका समावेश है या नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक जाति पांत की बात है, वह भी एक जरूरी मसला है, लेकिन यह सवाल खास तौर पर साम्प्रदायिक पार्टियों के बारे में है। लेकिन यह जो लोग जाति पांत का प्रचार करते हैं और उसके आधार पर चुनावों में फायदा उठाना चाहते हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करे इस पर विचार हो रहा है, और सम्भव है कि उस सम्बन्ध में भी कोई बिल पार्लियामेंट के सामने आवे। गवर्नमेंट चाहती है कि चाहे धर्म के नाम पर चाहे जाति के नाम पर इलेक्शन्स में गलत फायदा न उठाया जाये। साथ ही साथ इससे लोगों में जो एक बदगुमानी पैदा होती है और कम्युनिटीज को तकलीफ पहुंचती है उसको भी रोकने का विचार है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अपने देश में जो इस प्रकार के राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वरूप को विशुद्ध राष्ट्रीय होने की घोषणा करते हैं, और मुस्लिम लीग जैसे साम्प्रदायिक दलों के साथ संगठन करके साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं, इस विधेयक में उन दलों के लिए भी कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह कहना बड़ा कठिन है। प्रकाशवीर जी का ध्यान जिन संस्थाओं की तरफ है उनमें कमियां, खामियां और गलतियां हों, लेकिन उनको उन दूसरी संस्थाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो अपने को राष्ट्रीय कहती हैं, लेकिन उनके द्वारा साम्प्रदायिकता का प्रचार होता है, और ऐसे झगड़े भी होते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान एक खास एरिया या सारे देश को पहुंचता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा था ।

श्री वाजपेयी : इस प्रश्न के जो उत्तर दिये गये हैं, उनमें डिप्टी मिनिस्टर महोदया के उत्तर में और गृह मंत्री जी के उत्तर में विरोध है । डिप्टी मिनिस्टर ने कहा कि कम्युनल पार्टीज़ पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आगे विचार करेगा, जब कि गृह मंत्री जी कहते हैं कि जो मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें ऐसा अनुभव किया गया कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है । और उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जो साम्प्रदायिकता को उत्तेजन देते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं । उन्हें उपमंत्री तथा मंत्री महोदय के वक्तव्यों के बीच विरोधाभास ज्ञात होता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं । अगर माननीय सदस्य मेरे जवाब को देखेंगे तो उसमें कोई विरोध की बात नहीं है । जहां तक कम्युनल संस्थाओं को गैरकानूनी करार देने की बात है, हम यह नहीं कहते कि हमारा आखिरी फैसला है कि हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसे मौके आ सकते हैं, और कम्युनल संस्थाओं की कार्रवाइयां ऐसी हो सकती हैं जिससे कि हमें ऐसा करना पड़े । आज भी अभी प्रधान मंत्री जी के सामने ही एक संस्था के बारे में चर्चा आयी और उनको उसकी कार्रवाइयों का पता चला । उन्होंने स्वयं मुझ से कहा कि ऐसी संस्थाओं को किस तरह से चलने दिया जा सकता है । लेकिन कानून बनाते वक्त इन तमाम बातों पर विचार करना होता है । उसकी कांस्टीट्यूशनल आसपैक्ट और दूसरी बातों को देखना होता है । इसीलिए मैं ने कहा था कि जो पिछली मीटिंग हुई उसमें विचार जब हुआ तो यह तै पाया कि अभी केवल व्यक्तियों के खिलाफ हम कार्रवाई करें और इस मामले को इस वक्त न करें । अभी उस पर कोई फैसला न लें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा

†*१७१. { **श्री चुनी लाल :**
　　　　 श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा का निर्माण किये जाने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली) :** इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पैट्रोलियम का आयात

†*१७२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविंद घोषाल :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री मुरारका :
श्री हेम बरुआ :
श्री साधन गुप्त : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के गैरसरकारी तेल समवायों को देश में पैट्रोलियम के आयात के लिये आंशिक भुगतान रुपयों में स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

†*१७३. { **श्री म० क० कुमारन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेश के पैरा ९ के अनुसरण में अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं के लिये भर्ती के लिए की जाने वाली परीक्षाओं में कुछ समय बाद हिन्दी को एक एच्छिक माध्यम बनाने के प्रश्न के सम्बन्ध में जो संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन था, कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) इससे सम्बन्धित निर्णय के किस तारीख से क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं में ऐच्छिक माध्यम के रूप में हिन्दी को लागू करने के बारे में निर्णय राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है। अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि यह निर्णय किस तिथि से क्रियान्वित किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से सुई गैस की खरीद

†*१७४. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री गोरे :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
पं० द्वा० ना० तिवारी :
श्री कोडियान :
श्री पांगरकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दामानी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से सुई गैस प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उसकी शर्तें तथा निबन्धन और भारत द्वारा भुगतान की दर क्या होगी; और

(ग) पहले छै महीनों में भारत को लगभग कितनी मात्रा उपलब्ध की जायेगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ग). मेजर जनरल हयाउद्दीन के नेतृत्व में पाकिस्तानी शिष्टमंडल ने अप्रैल, १९६१ के अन्त में भारत का दौरा किया और समन्वेषी बातें कीं । पाकिस्तानी शिष्टमण्डल ने संभरण के साधन, डिलीवरी सम्बन्धी बातें, गैस का दबाव, साफ करने वाले संयंत्र की स्थापना, संभरण की मात्रा, मूल्य, तिथि और अवधि के बारे में और जानकारी देने का वचन दिया । यह जानकारी अभी पाकिस्तान से प्रतीक्षित है ।

यांत्रिक पुर्जों की खरीद

†*१७५. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो कनाडा के एक सार्थ जिसने सैनिक यांत्रिक परिवहन मोटर गाड़ियों के लिए पूर्जों का संभरण किया था के साथ किये गये सौदे की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इनमें से कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और कौन अस्वीकार कर दी गई हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति द्वारा की गयी सिफारिशों और विचारों पर सरकार विस्तार से जांच कर रही है । क्योंकि समिति लोक लेखा समिति की सिफारिश पर स्थापित की गयी थी, रिपोर्ट की एक प्रति और रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र लोक लेखा समिति को भेज दी जावेगी । रिपोर्ट की प्रतियां उचित प्रक्रियानुसार सभा पटल पर भी रख दी जावेंगी ।

एशिया में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिये युनेस्को योजना

†*१७६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने के लिये यूनेस्को द्वारा तैयार की गई योजना उस क्षेत्र के अनेक देशों में लागू की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन से हैं; और

(ग) उस योजना के क्रियान्वयन में भारत का भाग किस प्रकार का होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

एशियाई देशों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिये यूनेस्को द्वारा ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गयी है । इस ध्येय को प्राप्त करने में प्रमुख प्रयत्न सम्बन्धित देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय योजनाओं के आधार पर किया जायेगा ।

तथापि, एशिया में एक सी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का ध्येय प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यवाही करने सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने का आधार देने के उद्देश्य से यूनेस्को ने एक योजना तैयार की थी । इसमें सदस्य राज्यों की सरकारों पर यह उद्देश्य प्राप्ति का उत्तरदायित्व डाला गया था और यूनेस्को से प्रमुख प्रादेशिक कार्यवाहियों को पुरस्कृत करने और विपार्शिवक, बहुपार्शिवक और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये एशियाई सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहायता देने के लिये कहा गया ताकि वे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें । इस कार्यक्रम का समेकन यूनेस्को द्वारा प्रादेशिक आधार पर किया जाना था ।

यूनेस्को प्रादेशिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम ये हैं : अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, भारत, इण्डोनेशिया, ईराक, कोरिया, लाओस, मलाया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, थाई देश और वियतनाम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने के लिये आयोग

*१७७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सुबिमन घोष :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिये एक आयोग नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) आरम्भ में इस आयोग को कौन-कौन से काम सौंपे जायेंगे ;

(ग) क्या आयोग के सदस्यों को शीघ्र कार्य करने के लिये एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना होगा; और

(घ) आयोग में कितने सदस्य हैं और आयोग के सभापति एवं सचिव कौन नियुक्त हुए हैं ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ! राजभाषा (विधायी) आयोग की नियुक्ति जिस संकल्प के द्वारा हुई है उसकी प्रतियां सदन के पटल पर ७ अगस्त, १९६१ को रख दी गयी हैं ।

(ख) आयोग को सौंपे गए कृत्य निम्नलिखित हैं :—

(१) यथासम्भव सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए एक प्रामाणिक विधि शब्दावलि तैयार करना और उसे प्रकाशित करना है;

(२) सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों के प्राधिकृत हिन्दी मूल पाठ तैयार करना;

(३) किसी केन्द्रीय अधिनियम या ऐसे किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिन्दी मूल पाठ तैयार करना;

(४) केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों के राज्यों की अपनी राजभाषाओं में अनुवाद और किसी भी राज्य में पारित अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों, के, उस सूरत में जिसमें कि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों के मूल पाठ हिन्दी से भिन्न भाषा में हैं, हिन्दी में अनुवाद कराने का प्रबन्ध करना; और

(५) अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जाएं ।

(ग) और (घ). आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, १५ सदस्य और एक सदस्य सचिव हैं । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पन्द्रह में से पांच सदस्यों से मिल कर आयोग का कार्यकारी दल बना है और वे सभी पूर्णकालिक सदस्य हैं । उनका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है । अन्य दस सदस्यों की

†मूल अंग्रेजी में

सेवाएं अंशकालिक होंगी और उनके अपने साधारण निवास स्थान ही उनके अपने अपने मुख्य कार्यालय होंगे । इन अंशकालिक सदस्यों को आयोग की बैठकों में उपस्थित होना पड़ेगा ।

आसाम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री सी० पी० सिन्हा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं । श्री बालकृष्ण सदस्य सचिव नियुक्त हुए हैं । इससे पूर्व ये विधि मन्त्रालय में विधि अनुवाद के निदेशक थे ।

चीनियों द्वारा वायु क्षेत्र का अतिक्रमण

***१७८.** **श्री भक्त दर्शन :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १७ मार्च, १९६१ को चीनी वायुयानों ने भारतीय वायु क्षेत्र का किस स्थान पर किस समय अतिक्रमण किया था ;

(ख) क्या उस घटना के बाद इस प्रकार की कुछ और भी घटनायें इस बीच हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके स्थान व समय आदि का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १७ मार्च, १९६१ के दिन, एक विमान के, आसकोट, जोशीमठ और बद्रीनाथ के ऊपर, सवा दस बजे और ११ बजे के दर्मियान, उड़ते देखे जाने की सूचना मिलली थी ।

(ख) विमानों की उड़ानों की ऐसी सूचनाएं १७-३-१९६१ के पश्चात् भी, स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं ।

(ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

१७–३–१९६१ के पश्चात् भारतीय अन्तरिक्ष उल्लंघन की निम्नलिखित रिपोर्टें प्राप्त हुई है :—

१. २९-५-१९६१ को रात को लगभग पौने दस बजे एक विमान काले पानी (८०५५ पूर्व ३०१५ उत्तर) के ऊपर उड़ता चला गया ।

२. ३०-५-१९६१ को रात को लगभग पौने नौ बजे कालेपानी (८०५५ पूर्व ३०१५ उत्तर) के ऊपर एक विमान उड़ता चला गया ।

३. २-६-१९६१ को रात को कोई साढ़े नौ बजे एक विमान गुंजी (८०५० पूर्व ३०१२ उत्तर) के ऊपर उड़ता चला गया।

४. ३-६-१९६१ को कोई ६ बजे एक विमान गुंजी (८०५० पूर्व ३०१२ उत्तर) के ऊपर उड़ता चला गया।

आसाम में मुसलमानों की जनसंख्या

†*१७६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री सूपकार :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मो० ब० ठाकुर :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री क० भे० मालवीय :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में मुसलमानों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या है ;

(ख) यह वृद्धि पाकिस्तान से अनधिकृत प्रव्रजन के कारण कहां तक है; और

(ग) आसाम से ऐसे लोगों को निकालने और भावी अनधिकृत प्रव्रजन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). वर्ष १९६१ की जनगणना के आंकड़ों को धर्म के अनुसार तालिकाबद्ध नहीं किया गया है परन्तु यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है। ये आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही निश्चित रूप से यह कहा जा सकेगा कि क्या आसाम की मुस्लिम जनसंख्या में कोई अधिक वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं। इतने समय में, पाकिस्तान से अनधिकृत

†मूल अंग्रेजी में

रूप से प्रवेश को रोकने के लिये सीमा पर निगरानी कड़ी करने के लिये आवश्यक पग उठाये गये हैं। आसाम में अवैध रूप से रहते पाये गये पाकिस्तानियों के विरुद्ध उचित विधि के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

तेल की खराब पाइप-लाइन

†*१८०. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री नागी रेड्डी :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री अर्जुन सिंह [illegible]रिया :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा गोहाटी तेल शोधन कारखाने के लिए सम्भरण किए गए पाइपों में से २५ से ५० प्रतिशत तक को निर्दिष्ट स्तर का न होने के कारण नामंजूर कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं। संयंत्र में जांच अभिकरण द्वारा पाइपों की जांच की जाती है और उन्हें पास किया जाता है। नामंजूरिया, जो हर महीने भिन्न-भिन्न होती हैं, कोई असामान्य बात नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि ये पाइप निर्दिष्ट स्तर के नहीं हैं। जो पाइप परीक्षण में ठीक नहीं उतरते, उन्हें अन्य वाणिज्यिक कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

निवेली परियोजना

†*१८१. श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेली में खनन कार्य पूरे पैमाने पर कब किया जायेगा ;

(ख) लिग्नाइट की प्रति टन अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) वर्ष के अन्त में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लिगनाइट का पूरे पैमाने पर खनन मार्च, १९६४ तक आरम्भ होने की आशा है जबकि समेकित लिगनाइट परियोजना को सभी लिगनाइट खपाने वाले यूनिट अर्थात् तापीय विद्युत् केन्द्र, उर्वरक संयंत्र और कोयले के चूरे से ईंटें बनाने और प्रांगारण[1] संयंत्र अपना पूरा उत्पादन करने लगेंगे।

(ख) वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार कारखाने पर १० रुपये प्रति टन।

(ग) इस वर्ष के अन्त में लिगनाइट का सम्भावित उत्पादन लगभग २५,००० टन प्रति मास होगा। यह मात्रा इस वर्ष के अन्त तक चालू होने वाले तापीय विद्युत केन्द्र के प्रथम यूनिट के लिये अपेक्षित।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†*१८२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई के कोक भट्टी संयंत्र में ११ मई, १९६१ को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई कर्मचारी हताहत हुए ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मर गये तथा कितने घायल हुए ;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गयी है ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने बताया है कि ११ मई, १९६१ को भिलाई इस्पात परियोजना के कोक भट्टी संयंत्र में एक छोटी सी दुर्घटना हो गयी थी। इस दुर्घटना में केवल एक श्रमिक घायल हुआ। यह दुर्घटना ढिबरी कसने में श्रमिक की सावधानी बरतने में कमी के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप उसके हाथ से रेंच फिसल गया और उसके बायें हाथ के अंगूठे पर लगा जिससे उसको अंगूठे में चोट लगी और नाखून फट गया।

परियोजना में सभी निर्माण-कार्यों और अन्य कामों का सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, बिजली इंस्पेक्टर और क्रेन इंजीनियर निरीक्षण करते रहते हैं। श्रमिकों को सुरक्षा के सामान दिये गये हैं। सुरक्षा संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और यदि कोई गलत काम या असुरक्षित प्रक्रिया हो तो वह बताता है और परियोजना के सुरक्षा स्तर में सुधार का सुझाव देता है। पोस्टरों को लगाने, सुरक्षा फिल्में दिखाने, सुरक्षा संबंधी लघु वार्ता प्रसारित करने के लिये व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रमिकों को सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी बढ़े।

कोयले की ढुलाई

†*१८३. **श्री हेमराज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम रेलवे बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये खाली माल-डिब्बों का उपयोग नहीं कर सका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Briquetting and Carbonisation.

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास बोर्ड और रेलवे बोर्ड के कार्यों के समन्वय के लिए अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). ऐसे अवसर आये हैं जब कि राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद रेलवे द्वारा इनको दिये गये सभी खाली वैगनों का उपयोग नहीं कर सकी । ऐसी स्थिति निगम के नियंत्रण से बाहर कारणों से पैदा होती है । उस मामले के लिये ऐसी ही स्थिति केवल निगम की कोयला खानों में ही नहीं बल्कि अन्य कोयला खदानों में भी उत्पन्न हो सकती है । खाली वैगनों के इस्तेमाल न होने के कारण, यंत्रीकृत तरीकों के अस्थायी रूप से फेल हो जाना, बिजली फेल हो जाना और बाज दफ़ा चालकों के खाली वैगनों के साथ समय पर न पहुंचना है । तथापि, रेलवे द्वारा दिये गये सभी वैगनों का इस्तेमाल कर लिया जाता है । अब वैगनों का आवंटन पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार होता है, जिससे अधिक संख्या में आवंटन कोयला नियंत्रक द्वारा निगम की कोयला खानों समेत सभी कोयला खानों के लिये किया जाता है और नित्य प्रति का आवंटन स्वयं रेलवे द्वारा किया जाता है । इस प्रकार भारी संख्या में आवंटन करने वाले प्राधिकार और रेलवे में निकट सम्पर्क है । राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् और रेलवे के प्रतिनिधियों की समय समय पर समन्वय बैठकें भी होती हैं जिनमें आवंटन, संभरण और बाकी बचे हुए वैगनों आदि के बारे में बातचीत की जाती है ।

मेकांग परियोजना

†*१८४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दो वरिष्ठ इंजीनियरों को भारत की मेकांग परियोजना में सहभागिता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिए भेजा है ;

(ख) क्या उन्होंने सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

टोनले सार बांध अन्य बातों के साथ साथ बहुत लाभदायक परियोजना होगी, मछली का उत्पादन बढ़ायेगी, शुष्क मौसम में पानी के स्तर में थोड़ी वृद्धि करके ग्रेट लेक का अस्तित्व बनाये रखेगी और बिचले डेल्टा में बाढ़ में १ से १ $^1/_2$ मीटर तक की कमी करेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

२. बांध की स्थापना के लिए दो स्थान हैं जिनके लिये अन्तिम निर्णय करने से पूर्व जांच और आर्थिक अध्ययन करने पड़ेंगे ।

३. इस बांध का डिजाइन जिसमें "फिशर लैडर और शिपलॉक" भी होंगे इस प्रकार बनाया जायेगा ताकि इसमें उचित रूप से ग्रहणशीलता सुनिश्चित हो सके ।

४. डिज़ाइन और प्राक्कलन नई दिल्ली में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा तैयार किये जा सकते हैं ।

५. उपयुक्त निर्माण सामग्री का चुनाव करने और उनके इंजीनियरिंग महत्व को निर्धारित करने के लिये परीक्षण करने के लिये कम्बोडिया में एक भूमि तथा कन्क्रीट प्रयोगशाला स्थापित करना आवश्यक होगा ।

६. कुछ कम्बोडियाई और वियतनामी इंजीनियरों को भारत में प्रशिक्षण सुविधायें दी जाती हैं ।

दिल्ली में भूमि

†*१८५. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा 'फ्रीज' की गई ३४,००० एकड़ भूमि में से, पहले कदम के रूप में, लगभग ८००० एकड़ भूमि अक्तूबर, १९६१ तक 'रिलीज' कर देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी अल्प आय वर्ग की सहकारी समितियों और गृह-निर्माण सोसाइटियों को और किन शर्तों पर आवंटित की जायेगी ;

(ग) इन सोसाइटियों को जो भूमि पट्टे पर दी जायेगी उसके लिये उन्हें कितनी किश्तों में भुगतान करना होगा और ये किश्तें कब देय होंगी ; और

(घ) कुल ३४,००० एकड़ क्षेत्र को 'रिलीज' करने में कितना समय लगेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (घ). अक्तूबर, १९६१ के अन्त तक २००० प्लाट देने का प्रस्ताव है । अर्जन करने के लिये अधिसूचित ३४००० एकड़ भूमि में से पहले ८००० एकड़ भूमि अर्जित की जावेगी

†मूल अंग्रेजी में

और उसका विकास किया जायेगा। इस भूमि के अर्जन, विकास और निपटारे के बारे में योजना का ब्योरा २३ मार्च, १९६१ को श्री प्र० गं० देव के नियम १९७ के अधीन सूचना के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। बाकी भूमि के, जिसे भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ४ के अधीन अधिसूचित किया गया है, अर्जन और विकास के लिये अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रथमतः विकसित की जाने वाली ८००० एकड़ भूमि में से, लगभग ८५० एकड़ भवन-निर्माण सहकारी समितियों और औद्योगिक सहकारी समितियों को आवंटित की जावेगी। लगभग सभी सहकारी भवन-निर्माण समितियों में निम्न आय-वर्ग के लोग हैं और इसलिये इस समय यह कहना कठिन है कि ऐसे व्यक्तियों को कितनी भूमि आवंटित की जावेगी। सहकारी भवन-निर्माण समितियों को आवंटित अविकसित भूमि का जो मूल्य लिया जायेगा वह अर्जन की वास्तविक लागत होगी तथा भूमि की कीमत में उपयुक्त आधार पर थोड़ा सा अतिरिक्त शुल्क शामिल होगा ताकि थोड़ी लागत के मकान बनाने में सहायता देने, अन्य बातों पर व्यय करने और ऐसी ही परियोजनाओं पर भविष्य में धन लगाने के लिये निधि की व्यवस्था की जा सके।

(ग) जिन समितियों को भूमि आवंटित की जावेगी उनसे भूमि का मूल्य एक मुश्त चुकाने को कहा जायेगा और किश्तों में नहीं।

गेहूं पर ऋण

†*१८६. { श्री हेडा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक ने गेहूं पर ऋण देने से सम्बन्धित उपबन्धों को कब खत्म किया था ;

(ख) देर से कार्यवाही किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या किन्हीं अन्य वस्तुओं, विशेषकर चीनी और चावल के सम्बन्ध में भी ऐसी कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) भारत के रक्षित बैंक ने १५ मई, १९६१ से गेहूं पर बैंक ऋण देने के सभी विनियमित उपबन्ध समाप्त कर दिये।

(ख) क्योंकि वर्ष १९६०–६१ के लिये गेहूं के उत्पादन के अन्तिम आंकड़े केवल, अप्रैल, १९६१ में प्राप्त हुए थे, कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(ग) २१–४–१९६१ से चीनी पर बैंक ऋण देने के सभी प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया। अन्य वस्तुओं पर बैंक ऋण देने के बारे में विनियमित उपबन्धों में भावी संशोधन करने के बारे में इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

†*१८७. **श्री कोडियान** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय पोषित प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कितना व्यय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) इस कालिज के लिये स्थायी रूप से चुनी गयी लगभग २८० एकड़ भूमि में अपनी इमारत बन जाने तक कोजिकोडे में सरकारी पालीटेक्निक में इस वर्ष आरम्भ किये जाने की आशा है ।

(ख) अभी तक केन्द्रीय सरकार ने कोई व्यय नहीं किया है । राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का व्योरा प्रतीक्षित है ।

सेना का एक ट्रक गिर जाने से मौतें

*१८८. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बद्रीनाथ के रास्ते में जोशीमठ और कर्णप्रयाग के बीच में १८ मई, १९६१ को जो भारतीय सेना का मोटर ट्रक अलकनन्दा नदी में गिर पड़ा था, उसमें कितने सैनिकों और एन० सी० ओ० की मौत हुई ;

(ख) क्या उन्हें पेंशन के अलावा और भी कुछ मुआवजा दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का बद्रीनाथ में हवाई अड्डा बनाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जोशीमठ से लौटते हुए एक सैनिक ट्रक १७ (न कि १८) मई, १९६१ के दिन रुद्रप्रयाग के समीप सड़क से २५० गज़ दूर एक नाले में (नदी में नहीं) गिर गया था । सिपाही, ड्राइवर, जो ट्रक में अकेला था उसमें मारा गया ।

(ख) सम्बद्ध नियमों के अनुसार, कर्तव्य-पालन करते हुए मरने वाले सैनिक के परिवार की क्षतिपूर्ति, विशेष पारिवारिक पेंशन, और यदि बच्चे भी हों तो बच्चों को भत्ते की सूरत में की जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

इल्युशिन विमान

†*१८९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस से मंगाये गये समस्त इल्युशिन विमान भारत पहुंच गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें हमारे भारतीय कर्मचारी चला रहे हैं;

(ग) क्या और विमान प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं। करार के अधीन सम्भरण **का केवल** एक भाग ही प्राप्त हुआ है।

(ख) अभी तक प्राप्त विमान भारतीय वायु बल के सैनिकों द्वारा चलाये जाते हैं।

(ग) जी हां। क्रम के करार के अधीन बाकी सम्भरण।

(घ) शीघ्र ही इनके प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

तरल सोना

†*१९०. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जनता को तरल सोने के **सम्बन्ध में** देश में की जाने वाली खोज के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये अपने बड़ौदा स्थित कार्यालय **में संग्रहालय**—एवं—सूचना केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्रियान्वित कब तक होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). प्रस्थापना **विचाराधीन** है।

महिलाओं के लिये पालीटेक्निक

†*१९१. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ पालीटेक्निक केवल **महिलाओं** के लिए स्थापित किए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पालीटेक्निक होंगे;

(ग) ये संस्थायें किन किन राज्यों में स्थापित की जायेंगी; और

(घ) योजना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से **(ग)**. यह प्रस्थापना है कि देश में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, **महाराष्ट्र**, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों में २४ पालीटेक्निक **स्थापित** किये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) लड़कियों के लिये पालीटेक्निकों की आदर्श योजना की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

भारत को जापान से ऋण और अनुदान

†*१९२. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १० मई, १९६१ के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अमरीका की विदेश सम्बन्ध समिति के सभापति सीनेटर जे० विलियम फुलब्राइट ने राज्य विभाग को यह सुझाव दिया है कि जापान को संयुक्त राज्य अमरीका के ऋण की अदायगी भारत को ऋण अथवा अनुदान देकर करनी चाहिए;

(ख) क्या सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट से इसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुरातत्व विभाग का शताब्दि समारोह

†*१९३. { **श्री सुब्बया अम्बलम् :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग के शताब्दि समारोह में भाग लने के लिए विदेशों से आमन्त्रित किए गए व्यक्तियों की सूची के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां

(ख) सूचियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

मुख्य राज्य निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन

†*१९४. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :
श्री दामानी : }

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६१ में नैनीताल में आयोजित मुख्य राज्य निर्वाचक पदाधिकारी सम्मेलन ने क्या क्या निर्णय किये; और

(ख) क्या आगामी सामान्य निर्वाचनों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों का एक सम्मेलन २८ और २९ अप्रैल और १ मई, १९६१ को नैनीताल में हुआ था। इसमें कोई निर्णय नहीं किये गये और न ही करने का विचार था। केवल निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और आगामी सामान्य निर्वाचन कराने सम्बन्धी मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

(ख) सम्भवतः निर्देश आगामी सामान्य चुनावों की तिथि के बारे में है। सारी बातें देखते हुए इस समय आगामी सामान्य निर्वाचनों के लिये अन्तिम रूप से कार्यक्रम निश्चित करना सम्भव नहीं है। तथापि, इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, निर्वाचन आयोग अस्थायी रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि, हिमाचल प्रदेश और कुलू सब-डिवीजन के बर्फ वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां कि मतदान के अप्रैल, १९६२ में होने की सम्भावना है, इस कार्य के लिये फरवरी, १९६२ का अन्तिम सप्ताह सबसे सुविधाजनक समय होगा।

कालेजों में प्रवेश चाहने वाले दिल्ली के स्कूलों के छात्र

*१९५. { **श्री बलराज मधोक** :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री वाजपेयी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में दिल्ली में कुल कितने छात्र हायर सेकेण्डरी तथा मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए;

(ख) उनमें से कितनों ने कालेजों में दाखले के लिये आवेदन-पत्र दिया और कितनों को दाखला मिला; और

(ग) जिन्हें दाखला नहीं मिला उनके लिये क्या कोई वैकल्पिक प्रबन्ध है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) उच्च माध्यमिक ५,७७४। हाई स्कूल १,३५७।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दो नए कालेज खोल कर और विद्यमान कालेजों की क्षमता बढ़ा कर १,३०८ और विद्यार्थियों को दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। १ जनवरी, १९६२ से दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है।

विदेश जाने वाले भारतीय छात्र

†*१९६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मन्त्रालय के पास उन छात्रों के मामलों की जांच का कोई तरीका है जो सरकार की अनुमति के बिना अमरीकी कालेजों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से छात्रवृत्तियां, वृत्तिकायें तथा अन्य वित्तीय सुविधायें प्राप्त कर विदेश गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक भारतीय छात्रों को ब्रिटिश शिक्षा संस्थाओं से भी ऐसी सुविधायें मिलती हैं;

(ग) क्या छात्रवृत्ति लेकर रूस में इसी तरह के विश्वविद्यालयों में जाने वाले छात्रों के मामलों की जांच के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में चीनी

†*१६७. **श्री आसर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री बै० च० मलिक :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री जांगड़े :
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन चीनियों को भारत छोड़ने के लिए आदेश दिया गया था उनमें से कितने चीनियों ने भारत छोड़ दिया है;

(ख) जो चीनी भारत से नहीं गये हैं क्या उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इन चीनियों की मदद से कलकत्ते में राष्ट्र विरोधी कार्यवाही बढ़ गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तीस ।

(ख) उन पर विदेशी अधिनियम, १९४६ के अधीन मुकद्मा चलाया जाता है और जहां आवश्यक समझा जाता है उन्हें निर्वासित कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). कड़ी निगरानी रखी जा रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं आवश्यक होता है, उचित प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं ।

पिछड़े वर्ग

†*१९८. **श्री आचार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के मुख्य मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए कसौटी व्यक्तियों के आर्थिक पिछड़ेपन की होनी चाहिये, न कि समुदाय या जाति की;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वैसी सुविधायें देने के लिये उपर्युक्त कसौटी स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सिद्धान्त चालू शैक्षणिक वर्ष से वास्तव में कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से यह सिफारिश कर रही है कि पिछड़े वर्गों के सदस्यों को सुविधायें देने के लिये वे जाति की निस्बत आर्थिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दें ।

(ग) क्योंकि स्कूलों और कालिजों के सत्र आरम्भ हो चुके हैं, चालू शिक्षा वर्ष में यह सिद्धान्त लागू करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

भारत में चीनी राष्ट्रजन

†*१९९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने चीनी हैं जो भारतीय नागरिक होने का दावा करते हैं;

(ख) क्या उनके द्वारा किसी विध्वंसक कार्यवाही किये जाने का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १ जुलाई, १९६१ को भारत में रजिस्टर्ड चीनी राष्ट्रजनों की संख्या १२,४८६ थी । संविधान के अनुच्छेद ५ के अधीन भारतीय नागरिक बनने वालों की संख्या का पता नहीं है और यह जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र करनी पड़ेगी । नागरिकता अधिनियम, १९५५ के उपबन्धों के अधीन जिन चीनी राष्ट्रजनों ने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है, उनकी संख्या १४२ है जिनमें से केवल १५ राष्ट्रीयकरण द्वारा और ५ पंजीयन द्वारा भारतीय नागरिक स्वीकार किये गये हैं । बाद वाली चीनी महिलायें हैं जो भारतीय नागरिकों से विवाहित हैं ।

(ख) और (ग). कुछ चीनी नागरिकों का भारत-विरोधी कार्यवाहियों के बारे में पता चला है । उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए विदेशी अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जा रही है और जहां कहीं आवश्यक समझा गया उन्हें निर्वासित करने की भी कार्यवाही की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अपराध

†*२००. श्री त्यागी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री आसर :
श्री हेम राज :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच साल में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितनी हत्याओं, हत्या के प्रयत्नों, आत्म हत्याओं, डकैतियों और सेंध लगाने के मामलों की सूचना दी गयी थी;

(ख) क्या अपराध बढ़ रहे हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये, परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है । वह रात दिन पैदल, साइकिलों पर और गाड़ियों पर गश्त लगा रही है । पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है और आवश्यक खबरों को तत्काल कार्यवाही के लिये बेतार द्वारा चलती गाड़ियों को बता दिया जाता है ।

लौह अयस्क

†*२०१. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने प्रति वर्ष ६ लाख टन लौह अयस्क हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दिये जाने के लिए २० साल का एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो यह करार करने के क्या कारण हैं, जब कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सप्लाई का अपना निजी जरिया है; और

(ग) किस काम पर यह लौह अयस्क मुहैया किया जायगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

निवेली परियोजना

†*२०२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बड़ी संख्या में जिन किसानों को निवेली परियोजना के निर्माण के लिए अपनी अपनी जमीनों और घरों से बेदखल कर दिया गया है उन्हें दूसरी जमीन या क्षति-पूर्ति नहीं दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं और कितनों को अभी क्षति पूर्ति देना बाकी है; और

(ग) क्षतिपूर्ति और/अथवा खेती के लिए दूसरी जमीन देने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, नहीं । सब को कानून के अनुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति दी गयी है । निगम द्वारा स्थापित पुनर्वास बस्तियों में बसने वालों को कृषि कार्यों के लिए निःशुल्क भूमि दी गयी है । उन्हें मकान बनाने के लिये भी पुनर्वास बस्तियों में निःशुल्क भूमि दी गयी है । इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधायें जैसे नये स्थान तक पहुंचने के लिए निःशुल्क परिवहन, भी दी गयी हैं ।

(ग) सामान्यतः उसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जहां पर अर्जित भूमि अथवा मकानों के स्वामित्व के बारे में विवाद है, केवल वहीं पर विलम्ब अनिवार्य है क्योंकि दावेदार के बारे में न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित होता है ।

आसनसोल में सेना पदाधिकारी द्वारा आत्महत्या

†*२०३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के कैप्टन की रैंक के एक डाक्टर ने आसनसोल में जून, १९६१ में आत्महत्या की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपनी पत्नी तथा १० साल के बच्चे को भी गोली से मार दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गयी है; और

(घ) इस दुखद घटना के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) कैप्टेन की रैंक के एक सेना डाक्टर ने, जिन्होंने अपना सेवा-काल समाप्त कर लिया था और छुट्टी पर थे, ६ जून, १९६१ को अपने जन्म स्थान आसनसोल में आत्महत्या कर ली थी ।

(ख) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस मामले में सिविल पुलिस जांच कर रही है ।

(घ) कारणों का अभी पता नहीं चला है ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

†*२०४. { **श्री अगाडी :**
श्री सुगन्धि :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती, को चलाने के लिए इस बीच एक कम्पनी बनाई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूंजी विनियोजन के तौर पर कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) यह समझा जाता है कि इस कार्य के लिए ३० जून, १९६१ को एक कम्पनी रजिस्टर्ड हुई थी ।

(ख) और (ग). यह आशा की जाती है कि मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के विस्तार के लिये, जिसके लिये तृतीय योजना में उपबन्ध किया गया है, वित्तीय सहायता अंशतः सम मूल्यों के शेयरों और अंशतः कम्पनी को ऋण के रूप में होगी । नयी कम्पनी के पूंजी ढांचे, इसकी आस्तियों के मूल्यांकन और समान मूल्य के शेयरों और ऋण में अनुपात के बारे में जानकारी मांगी गयी है । इसके प्राप्त होने पर, सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसको किस हद तक सहायता दी जाये ।

विदेशियों की राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियां

†*२०५. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९६१ और जुलाई, १९६१ के बीच कितने विदेशी लोग अवांछनीय गतिविधियों में लगे हुए पाये गये;

(ख) वे किन-किन देशों के थे; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात तेल शोधक कारखाना

†*२०९. श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रिफाइनरीज के जनरल मैनेजर ने अपनी हाल की मास्को यात्रा में गुजरात तेल शोधक कारखाना परियोजना के सम्बन्ध में अपनी प्रारम्भिक बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और देने, मशीनों और उपकरणों के सम्भरण और तेल शोधक कारखाने के चालू करने के लिये कार्यक्रम के बारे में थी।

(ग) क्योंकि वार्ता समन्वेषी रूप से हुई थी, विचार किये गये कार्यक्रम के बारे में निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया और सम्बन्धित रूसी संस्था के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा।

सहकारी अनुसन्धान सन्था

†*२०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ढलाई, सीमेण्ट और मोटर गाड़ी उद्योगों के लिये सहकारी अनुसन्धान सन्था बनाने के विषय में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : पंजाब और दक्षिण भारत में ढलाई उद्योग अनुसन्धान संस्था बनाने पर विचार कर रहे हैं। नियम और विनियम बनाये जा रहे हैं।

सीमेण्ट उद्योग के बारे में उद्योग की ओर से और बातें प्रतीक्षित हैं।

मोटरगाड़ी उद्योग ने सिद्धान्तः अनुसन्धान संस्था बनाने का फैसला कर लिया है। उद्योग को उचित योजना और कार्यक्रम के बारे में परामर्श देने के लिये एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

पेट्रोलियम सूचना विभाग

†*२०८. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में पैट्रोलियम सूचना विभाग स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड और इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड की कार्यवाहियों के लिये एक सूचना विभाग स्थापित किया गया है जिसमें दो पदाधिकारी रखे गये हैं जिनके पद-नाम (१) प्रचार विभाग के मुख्य अधिकारी और (२) सांख्यिकी विभाग के मुख्य अधिकारी हैं। कार्य बढ़ने पर इस संस्था का विस्तार किया जायेगा। इस विभाग में उपरोक्त तीनों संस्थायें समान रूप से, एक प्रशासन बोर्ड द्वारा, धन लगा रही हैं और उसका कार्य चला रही हैं, जिसमें तीनों संस्थाओं का एक एक सदस्य है।

२. यह विभाग तीनों संस्थाओं के तेल और तेल उत्पादों के समन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन और विपणण और इन क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी जानकारी रखेगा और निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(१) तेल और सम्बद्ध विषयों पर एक पुस्तकालय और पढ़ने का कमरा बनाना।

(२) पत्रिकाओं आदि को प्रकाशित करना।

(३) एक शो-रूम की व्यवस्था करना अथवा तस्वीरों, चार्टों, नमूनों आदि का प्रदर्शन करना जिसमें तीनों संस्थाओं की गतिविधियां बतायी गयी हों।

(४) वार्ताओं, फिल्मों की प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था करना।

(५) तेल सम्बन्धी सांख्यिकी का संग्रह, संधारण और उसका प्रचार करना।

(६) तेल सम्बन्धी और अन्य मामलों पर तीनों संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में फिल्म बनाना।

(७) समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा प्रचार।

(८) उपरोक्त कार्यवाहियां भारत में अन्य शहरों में बढ़ाना।

३. इस समय विभाग का सदर मुकाम दिल्ली में होगा। यह विभाग, सम्बन्धित प्रदेशों में जहां पर सरकारी क्षेत्र में तेल सम्बन्धी कार्यवाहियां की जाती हैं, गुजराती, असमी और हिन्दी में समाचारपत्र प्रकाशित करने की व्यवस्था भी करेगा।

शिक्षित बेरोजगारों को सहायता

*२०९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार ने अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अभ्यंश दिया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन राज्यों ने अब तक अपने-अपने अभ्यंश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) उत्तर प्रदेश को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों के लिये सहायता की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना मंगाई गई है । प्राप्त होने पर यह सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लापता नक्शे

†*२१०.
श्री प्र चं० बरुआ :
श्री हेमराज :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
डा० सामन्त सिंहार :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री रामजी वर्मा :
श्री कालिका सिंह :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ गोपनीय नक्शे लापता पाये गये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच पड़ताल की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के नक्शों के स्टाक की जांच की जारी है । इस कार्य के अंतिम प्रतिवेदन में कुछ समय लगेगा क्योंकि उस के लिए उन अधिकारियों के उत्तरों की प्रतीक्षा करनी होगी जिनको नक्शे जारी किए गए हैं । जब तक स्टाक जांच समिति का कार्य समाप्त न हो जाये तब तक यह नहीं बताया जा सकता कि कोई गोपनीय नक्शे लापता है या नहीं ।

निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†*२११. **डा० अचमम्बा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि संघ के कुछ राज्य पर्याप्त धन और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिकता शिक्षा की योजना उचित तथा प्रभावोत्पादक ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सकते ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कई राज्यों में अनिवार्य नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की **योजनाओं** के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विधियों का आवण्टन इस विचार के आधार पर किया गया है कि वास्तव में क्या प्रगति की जा सकती है—विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में जहां सर्वाधिक आवश्यकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य में ६ से ११ तक की आयु के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में वित्तीय कठिनाई को बाधक नहीं होने दिया जाना चाहिये। अधिक मांग की पूर्ति करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है।

गुजरात में कोयले की कमी

†*२१२. **श्री क० उ० परमार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उद्योगों के लिए कोयले की भारी कमी के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) सरकार को गुजरात में कुछ उद्योगों के लिए समय समय पर होने वाले कोयले की कमी की खबरें मिली हैं।

(ख) उस राज्य को कोयले का संभरण यथासंभव बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(१) बंगाल/बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयला भेजने के लिए रेल परिवहन क्षमता गत जुलाई से लगभग २०० माल डिब्बे प्रतिदिन बढ़ा दी गई है।

(२) गुजरात को कोयला भेजने के लिए रेल के अतिरिक्त रेल एवं समुद्र मार्ग को भी अपनाने की योजना बनाई गई है। भाड़े में जो अतिरिक्त व्यय होगा उस से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार राज-सहायता देगी।

(३) आपात मामलों में पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से विशेष आवण्टन किये जाते हैं और दूरस्थ क्षेत्रों से अधिमान्य आवण्टन किये जाते हैं।

(४) जहां संभव हो वहां ब्लाक रेकों में माल भेजने का प्रबन्ध किया जाता है जैसे कि साफ्ट कोक के मामले में।

(५) तीसरी योजना में मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ताकि गुजरात जैसे निकटवर्ती राज्यों को इन क्षेत्रों से कोयला मिल सके और बंगाल/बिहार के दूरस्थ क्षेत्रों से माल की ढुलाई न करनी पड़े।

†मूल अंग्रेजी में

नीलकंठ अभियान

†*२१३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दल नीलकंठ शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पर्वतारोहियों के साहसपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें किसी प्रकार पुरस्कृत किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) श्री ओ० पी० शर्मा और दो शेरपा चोटी पर पहुंचे थे । श्री शर्मा को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ५०० रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है । सनवार स्कूल ने, जिस में श्री शर्मा अध्यापक हैं, उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धियां मंजूर की हैं । दोनों शेरपाओं को एक-एक उच्च स्थान में काम आने वाली कलाई घड़ी भेंट की गई है ।

अभियान दल के प्रत्येक सदस्य को एक एक मानपत्र (मोमेन्टो) भेंट करने का प्रस्ताव भी फाउण्डेशन के विचाराधीन है ।

बंगाल के मुख्य मंत्री का भाषा सूत्र

†*२१४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री हेम बरुआ :
श्री दलजीत सिंह :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी०सी० राय के "भाषाई समस्याओं के हाल के लिए तीन बातों वाला सूत्र" की प्रति प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का सरकार का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)** : (क) और (ख). सरकार ने इस विषय पर डा० विधान चन्द्र राय द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य देखा है । १० से १२ अगस्त को होने वाले मुख्य मंत्री सम्मेलन में अन्य बातों के साथ इस समस्या पर भी विचार किया जायेगा ।

दिल्ली में पत्र व्यवहार पाठ्य-क्रम

†*२१५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम चालू करने की कोई योजना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह संभवत: कब तक कार्यान्वित होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १ जनवरी, १९६२ से ।

उड़ीसा में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

†*२१६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ की बाढ़ में उड़ीसा में बाढ़ पीडितों को तुरन्त सहायता देने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गयी ; और

(ग) उड़ीसा के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सेना ने क्या क्या काम किया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पेन्शन नियम

†*२१७. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर सरलीकृत पेन्शन नियम भारत सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों पर भी लागू किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वे १ जुलाई, १९५९ से लागू नहीं किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) सरलीकृत पेन्शन नियम औद्योगिक श्रमिकों पर तत्संबंधी आदेश अर्थात् वित्त मंत्रालय के १८ नवम्बर, १९६० के ज्ञापन संख्या एफ० १७(५)–ई० वी० (ए०)/६० के जारी होने की तारीख से लागू किया गया है क्योंकि उसे भूतलक्षी प्रभाव दे कर लागू करने से उन कर्मचारियों के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न होतीं जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं । ऐसे व्यक्तियों को, यदि वे अंशदायी भविष्य निधि नियमों के बदले, जो उन पर अन्यथा लागू होते थे, सरलीकृत पेन्शन नियमों द्वारा अनुशासित होना चुन लेते, अपने अंशदायी भविष्य निधि लेखाओं में सरकारी अंशदान का ब्याज सहित पुनर्भुगतान करना पड़ता ।

१९६२ में आम चुनाव की तिथियां

*२१८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने अगले आम चुनाव के लिए तिथियों का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने आगामी आम चुनाव के कार्यक्रम के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है। किन्तु सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग अस्थायी रूप से इस नतीजे पर पहुंचा है कि हिमाचल प्रदेश और कुल्लू सब डिवीजन वाले बर्फीले क्षेत्रों को छोड़ कर, जहां कि मतदान अप्रैल, १९६२ में किसी समय सम्भव होगा, अन्य सभी जगह, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सब से सुविधाजनक समय फरवरी, १९६२ का अंतिम सप्ताह होगा।

दिल्ली स्कूल में अध्यापिकायें

†*२१९. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के एक स्कूल में अध्यापिकाओं की नियुक्ति के बारे में १९ जुलाई, १९६१ को दिल्ली के स्टेट्समैन में प्रकाशित एक पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन शिकायतों के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ;

(घ) क्या इस स्कूल को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). दिल्ली के शिक्षा संचालक से शिकायत के बारे में जांच करने के लिए कहा गया है।

(घ) हां, श्रीमान्।

(ङ) अनुदान सहायतार्थ अनुदान नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है और उसकी राशि प्रति वर्ष भिन्न होती है।

ब्रिटिश बैंक दर

†*२२०. { **श्री मो० ब० ठाकुर** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में बैंक दर २ प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जैसी की २४ जुलाई, १९६१ को ब्रिटेन के वित्त मंत्री (चान्सलर आफ एक्स्चेकर) ने घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उससे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ब्रिटेन से जो ऋण लिया जायेगा उसके ब्याज पर क्या असर पड़ेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) ब्रिटिश वित्त मंत्री ने २५ जुलाई, १९६१ को ब्रिटेन में बैंक की दर २६ जुलाई, १९६१ से ५ प्रतिशत से बढ़ा कर ७ प्रतिशत कर देने की घोषणा की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब तक बैंक की दर कम नहीं की जायेगी तब तक भारत को ब्रिटेन से तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्राप्त होने वाले ऋणों पर देय ब्याज की दरों में कुछ वृद्धि हो सकती है ।

विश्व बाल समारोह, मास्को

†*२२१. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ जुलाई, १९६१ को मास्को में आयोजित विश्व बाल समारोह में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) इस समारोह में भारत की ओर से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और किसने उस प्रतिनिधि मंडल का चुनाव किया और प्रतिनिधियों को चुनने का क्या आधार रखा गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि केवल दिल्ली से ही प्रतिनिधि चुने गये थे और दूसरे राज्यों के कोई प्रतिनिधि नहीं थे ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (घ). हमें इस समारोह के संबंध में उसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है ।

बिलेट की कमी

*२२२. { **श्री बें० च० मलिक** :
श्री० प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जीनचन्द्रन :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिलेट की कमी ने महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की पुनर्वेलन (रि-रोलिंग) मिलों के उत्पादन पर प्रभाव डालता है ;

(ख) अनुमानतः उत्पादन की कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इन रि-रोलिंग मिलों में आवश्यक बिलेट की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). समेकित इस्पात के कारखानों से बिलेटों के संभरण मई और जून, १९६१ में प्रभावित हुए थे । यह अंशतः उपलब्ध इस्पात की अधिक मात्रा का रेल की पटरियों जैसे अत्यावश्यक उत्पादों

†मूल अंग्रेजी में

में लगा देने और अंशतः रोलिंग मिलों में समय समय पर की जाने वाली मरम्मतों के कारण हुआ । अब संभरण बढ़ गया है ।

परन्तु मैं यह कहूंगा कि बिलेटों का संभरण उतना अधिक नहीं होगा जितना कि वर्ष १९६० में हुआ था । चूंकि समेकित इस्पात कारखानों के लिए बिक्री के लिए बिलेटों का उत्पादन करना असुविधाजनक और आर्थिक दृष्टि से कम लाभकारी है इसलिए दूसरी योजना में यह उपबन्ध किया गया था कि योजना के अन्त में समेकित इस्पात कारखाने पुनर्वेलन उद्योग को प्रतिवर्ष ६३०,००० टन बिलेट उपलब्ध करायेंगे । वर्ष १९६० बिलेटों की उपलब्धता की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा । इसका मुख्य कारण यह था कि दुर्गापुर तथा भिलाई में समेकित इस्पात के कारखानों के फिनिशिंग मिलों में नियमित उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ था । फिनिशिंग मिलों के चालू हो जाने से समेकित इस्पात कारखानों में ही अधिकाधिक बिलेट काम में आने लगे हैं और अब यह संभव नहीं है कि पुनर्वेलन उद्योग को समेकित इस्पात कारखानों से उससे अधिक मात्रा मिल सकेगी जितनी मात्रा का मूलतः आयोजन किया गया था—लगभग ५०,००० से ६०,००० टन बिलेट प्रति माह ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, तीसरी योजना में इस्पात उद्योग के विकास के कार्यक्रम में यह योजना बनाई गई है कि समेकित इस्पात के कारखाने विस्तार के पश्चात, प्रति वर्ष लगभग ३५०,००० टन अतिरिक्त बिलेटों का संभरण करेंगे । इसमें से लगभग १५०,००० टन पुनर्वलन मिलों को दिये जायेंगे जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं जहां उनकी कमी है । शेष भाग को वर्तमान पुनर्वेलन मिलों का संभरण बढ़ाने के काम में लाया जायेगा ।

दिल्ली में भिखारी

†*२२३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री क० भे० मालवीय : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से दिल्ली में बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम लागू हुआ है तब से अब तक कितने भिखारी गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) उन्हें किस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) ८९० ।

(ख) दिल्ली के दरिद्रालय में निम्नलिखित में प्रशिक्षण दिया जा रहा है :

(१) कृषि और बागवानी ।

(२) बुनाई और सिलाई ।

(३) छपाई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) लान्ड्री ।

(५) राजगिरी ।

(६) तन्दूरी और खाना बनाना ।

अंकलेश्वर तेल

†*२२४. { **महाराज कुमार विजय आनन्द :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों को शोधन के लिये अंकलेश्वर के तेल का संभरण करने में कुछ देर होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) नहीं श्रीमान्, जहां तक अभी हमारा विचार है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सैनिकों के लिये आवास व्यवस्था

†*२२५. **श्री गोरे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि हिमालाय सीमांत की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिये अच्छे आवास की व्यवस्था करने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) वहां रहने वाले सैनिकों में से कितने प्रतिशत सैनिकों को प्रति वर्ष छुट्टी दी जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों के लिये उपयुक्त शेल्टरों की व्यवस्था की गई है। पिछले क्षेत्रों में टेंटों में रहने की व्यवस्था की गई है जिनके बदले में स्थायी क्वार्टर बनाये जा रहे हैं।

(ख) प्रतिरक्षा कार्मचारियों को नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जाती है जो छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारियों की विवेक शक्ति पर निर्भर है। इस संबंध में कोई प्रतिशत नहीं निर्धारित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्री चैक

†*२२६. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नारायण कुट्टी मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में १३ मई, १९६१ को बिजली के सामान के प्रमुख व्यापारी के यहां से लगभग २०,००० डालर के यात्री चैंक पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मामले की जांच हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १२ मई, १९६१ को नई दिल्ली में रेडियो और बिजली के सामान का व्यापार करने वाली एक फर्म से ४११५.०० अमरीकी डालर के यात्री चैक बरामद किए गए थे।

(ख) और (ग). उस मामले का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा २३ (१) के अन्तर्गत प्रख्यापन निदेशक द्वारा न्यायनिर्णय किया गया था और यात्री चैक जब्त कर लिए गए हैं। फर्म पर ५,००० रुपये जुर्माना भी किया गया है।

फ्लीट-एयर आर्म बेस

†*२२७. श्री नारायण कुट्टि मेनन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान
श्री पुन्नूस :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेवी के फ्लीट-एयर आर्म बेस बनाने के लिये क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : भारतीय नौसेना के "फ्लीट रिक्वायरमेंट यूनिट" की स्थिति के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय आर्थिक और भारतीय सांख्यिकीय सेवायें

†*२२८. श्री आचार :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री बलराज मधोक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ फरवरी १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय आर्थिक और भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं की स्थापना करने के बारे में तब से अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : दोनों सेवाओं के नियमों के प्रारूप प्रायः अंतिम रूप से तैयार हो चुके हैं केवल उन नियमों के हाल में प्रस्तावित एक संशोधन संघ लोक सेवा आयोग को उसकी सहमति के लिये निर्दिष्ट किया गया है। उन नियमों के प्रख्यापन के संबंध में सरकार की मंजूरी आयोग का उत्तर प्राप्त हो जाने पर दी जायेगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक की सहायता

†*२२९. श्री चुनी लाल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री कोडियान :

क्या **वित्त** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण देने संबंधी वार्ता में तब से लेकर अब तक कितनी प्रगति हुई है।

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : पिछले प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित पांच परि-योजनाओं में से दो के संबंध में अन्तिम निर्णय हो गया है। वे कलकत्ता पत्तन और गैर सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग के विकास से संबंधित हैं। तत्संबंधी करारों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जायेंगे अन्य परियोजनायें अभी विचाराधीन हैं।

महिलाओं के लिये दिल्ली में पोलीटेक्निक

†*२३०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में महिलाओं के लिये दिल्ली में एक पोली-टेक्निक खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन की योजना में मूलतः महिलाओं के लिये एक पोलीटेक्निक की स्थापना सम्मिलित नहीं थी। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि एक ऐसा पोलीटेक्निक स्थापित किया जाये और यह मामला विचाराधीन है।

अन्तरिक्ष अनुसन्धान

†*२३१. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में किस प्रकार का अन्तरिक्ष अनुसंधान हो रहा है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६**] ।

प्रविधिक विषयों की सस्ती पाठ्य पुस्तकें

†*२३२. **श्री हेम बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री कोडियान :
श्री सूपकार :
श्री चुनी लाल :
श्री क० भें० मालवीय :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ फरवरी १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रविधिक विषयों की पाठ्य पुस्तकों के सस्ते दर पर उत्पादन एवं उनके वितरण करने सम्बन्धी योजना पर सविस्तार विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). पथप्रदर्शक लाइनों के सम्बन्ध में सहमति हो गई है और संचालन संबंधी ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय खनन परामर्श बोर्ड

†*२३३. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खनन परामर्श बोर्ड की नवीं बैठक में, जो मई १९६१ में बम्बई में हुई थी, किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था ;

(ख) क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये तथा क्या क्या सिफारिशें की गयीं ; और

(ग) उन सिफारिशों के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७**]

बोकारो इस्पात कारखाना

†*२३४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० क० कुमारन :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में किसी देश ने सहायता का कुछ आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी हाल की जापान यात्रा में इस संबंध में कुछ चर्चा की थी ;

(ग) क्या जापान से इस्पात के उत्पादन संबंधी अन्य किसी प्रकार के सहयोग के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ आश्वासन मिला है, यदि हां, तो वह क्या है ; और

(घ) क्या अन्य भी किन्हीं देशों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये इस्पात के उत्पादन सम्बन्धी कुछ आश्वासन दिये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) और (घ). जापान तथा अन्य किसी देश से इस्पात के उत्पादन संबंधी सहयोग के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिला है; फिर भी सोवियत संघ, फीड्ल रिपब्लिक, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों ने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के विस्तार के लिए उधार की शक्ल में वित्तीय सहायता देने के लिए आश्वासन दिये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मुस्लिम सम्मेलन

†*२३५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :
श्री हेम राज :
श्री झूलन सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जो मुस्लिम सम्मेलन हुआ था उस में देश के नेताओं तथा विधायकों ने जो विचार प्रकट किये हैं उनके तथा उस सम्मेलन के बारे में सरकार ने क्या विचार किया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)** : (क) और (ख). सरकार ने अभी तक नई दिल्ली में हुए भारतीय मुसलमानों के सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प देखे हैं। ऐसे सम्मेलनों की अन्तर्ग्रस्तताओं पर विचार किया जा रहा है।

पलाई सेंट्रल बैंक

†*२३६. **श्री कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेंट्रल बैंक के कुल कितने कर्मचारियों को दूसरे बकों में स्थान मिला है

(ख) अब तक कुल कितने व्यक्तियों को दूसरी जगह काम नहीं मिला है ; और

(ग) सरकारी परिसमापक के अधीन कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार पलाई सेंट्रल बैंक के १६५ कर्मचारियों को भारत के राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों में वैकल्पिक नियुक्तियां दी गई हैं ?

(ख) सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

(ग) १५५, जिसमें से ८५ पहले पलाई सेंट्रल बैंक में लगे हुये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की पाइपलाइन

†*२३७. { **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**
श्रीमती मफीदा ग्रहमद :

क्या **इस्पात, खान ग्रौर ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ग्रायल कम्पनी तथा बर्मा तेल कम्पनी के बीच नूनमती से सिलीगुड़ी तक पाइपलाइन निर्माण के बारे में हाल में कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई ; ग्रौर

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान ग्रौर तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इंडियन ग्रायल कम्पनी तथा बर्मा तेल कम्पनी के बीच नूनमती से सिलीगुड़ी तक उत्पाद तेल की लाइन के निर्माण के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है । इस समय सरकार ऐसी पाइपलाइन के निर्माण की वांछनीयता के संबंध में विचार कर रही है ।

(ख) ग्रौर (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

ग्रार्थिक विकास संस्था, दिल्ली

†*२३८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की ग्रार्थिक विकास संस्था को यूनेस्को द्वारा ग्रार्थिक ग्रौर राजनैतिक प्रयोजनार्थ दी जाने वाली सहायता के परिणामों की जांच करने का काम दिया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस काम के ग्रध्ययन तथा उसके बारे में प्रतिवेदन देने में कितना समय लगेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) यूनेस्को ने दिसम्बर, १९६० में ग्रार्थिक विकास संस्था के साथ विदेशी सहायता कार्यक्रमों के चयन ग्रौर प्रभाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का ग्रध्ययन करने के लिये एक करार किया था ।

(ख) उसके बारे में ग्रध्ययन ग्रौर प्रतिवेदन १५ दिसम्बर, १९६१ तक पूरा किया जाना है ।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

†*२३९. { **श्री कोडियान :**
श्री मुरारका :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान ग्रौर ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों के विस्तार के बारे में सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन मिले हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन प्रतिवेदनों को स्वीकार कर लया है ; ग्रौर

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या इन प्रतिवेदनों में जो विकास कार्यक्रम सुझाया गया है सरकार उसको क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). रूरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं तथा उनकी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा जांच की जा रही है । दुर्गापुर के विस्तार के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अभी तैयार किया जा रहा है ।

(ग) अग्रेतर कदम प्रतिवेदनों की जांच समाप्त होते ही उठाये जायेंगे परन्तु प्रारम्भिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

सी० ओ० डी० दिल्ली कैंट

†*२४०. **श्री० स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० ओ० डी० दिल्ली कैंट के सामान की हानि के बारे में जो न्यायिक जांच समिति बनाई गई थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्णय क्या हैं ;

(ग) कितने सामान की क्षति हुई ; और

(घ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें कम पाये गये सामान का मूल्य, जांच न्यायालय द्वारा की गई जांच की वर्तमान स्थिति और जहां जांच पूरी हो गई है उसकी उपपत्तियां और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का संकेत किया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८**]

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग

२४१. **श्री भक्त दर्शन** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रशासन में हिन्दी को राज-काज की भाषा के रूप में प्रयोग करने के बारे में जो निश्चय किये गये थे, उन्हें कार्यान्वित करने में अब तक कहां तक सफलता मिली है ; और

(ख) उस निर्णय व कार्यक्रम को शीघ्र लागू करने के उद्देश्य से कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर) : (क) और (ख). विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९**]

बोन में भारतीय प्रशिक्षार्थी

†*२४२. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन जून १९६१ में पश्चिमी जर्मनी में शिक्षा पाने वाले प्रशिक्षार्थियों से मिलने के लिये बोन (पश्चिमी जर्मनी) गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस भेंट का उद्देश्य क्या था ; **और**

(ग) अब तक पश्चिमी जर्मनी के कुल कितने भारतीय प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया है, और कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील के चेयरमैन जून, १९६१ में जर्मनी गये थे परन्तु भारतीय प्रशिक्षार्थियों से मिलने नहीं वरन् रूरकेला के इस्पात कारखानों के संचालन के लिये और केन्द्रीय डिजाइन संगठन के लिये अभ्यर्थियों का प्रवरण करने के लिये ।

(ग) अभी तक १२४ इंजीनियरों और ७ आपरेटिवों[1] ने पश्चिम जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । इस समय कोई प्रशिक्षण नहीं ले रहा है ।

कोरबा कोयला खदान क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप

†*२४३. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा कोयला खदान क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना करने के बारे में तब से अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब तक बन जायेगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें असैनिक निर्माण कार्य की लागत में १६ प्रतिशत बचत की गई है, सरकार को प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है । इसके बारे में शीघ्र निर्णय किये जाने की आशा है ।

(ख) इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि वर्कशाप की स्थापना कब हो सकेगी क्योंकि यह उस क्षेत्र की नई खनन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर है जो स्वयं अभी विचाराधीन हैं ।

टैक्कनीकल संस्थाओं में प्रवेश

†*२४४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री नेक राम नेगी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या अखिल भारतीय स्तर की चालू भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये सरकार का कोई प्रवेश परीक्षा चालू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस वर्तमान सत्र में चालू हो गई है ; और

(ग) यह परीक्षा कौन लेता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Operatives.

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** (क) और (ख). खड़गपुर, बम्बई, मद्रास और कानपुर स्थित चारों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं ने इस वर्ष संस्थाओं में प्रवेश के लिये एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी।

(ग) यह परीक्षा बारी बारी से चारों संस्थाओं द्वारा संचालित की जायेगी। इस वर्ष यह परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर ने संचालित की थी।

भारत में ब्रिटेन का विनियोजन

†*२४५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८४७ से लेकर अब तक लाभ के रूप में कितना धन ब्रिटेन को गया है ;

(ख) पैट्रोल, बागान, निर्माण उद्योग से अलग अलग कितना कितना लाभ हुआ है ;

(ग) इस लाभ में से कितना धन फिर से भारत में लगाया गया है और मुख्यतः किन उद्योगों में ; और

(घ) लन्दन तथा भारत में पंजीकृत ब्रिटिश समवायों ने कुल कितना लाभ उठाया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(क) १९५६ के पूर्व की सूचना उपलब्ध नहीं है। १९५६ से १९५९ तक ब्रिटेनवासियों को उनके भारत में ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित समवायों के कारण ८६.१ करोड़ रुपये वितरित किये गये थे। बाद की अवधि के बारे में सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(ख) १९५६—५९ में पेट्रोलियम, बागानों और निर्माण उद्योगों में ब्रिटेन के विनियोजनों को वितरित किये गये लाभ निम्न प्रकार हैं :

	करोड़ रुपये
पेट्रोलियम . .	१८.८
बागान . . .	२६.९
निर्माण . .	२१.८

(ग) निर्दिष्टतः पुर्नविनियोजनों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस अवधि में लाभ में से ३८.६ करोड़ रुपये रख लिये गये, मुख्यतः पेट्रोलियम और निर्माण उद्योगों में।

(घ) ब्रिटेनवासियों ने १९५६—५९ में भारत में स्थित ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित समवायों में लाभ के रूप में १२४.७ करोड़ रुपये कमाये।

†मूल अंग्रेजी में

कोजीकोड में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज

†२४६. **श्री प्र० क० गोपालन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल के कोजीकोड नामक नगर में इस चालू वर्ष से एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने विद्यार्थी प्रवेश लेंगे और क्या पढ़ाई होगी ;

(ग) इस पर कितना आवर्ती एवं अनावर्ती धन व्यय होगा ; और

(घ) इस कालिज के लिये कितना केन्द्रीय अनुदान दिया गया है ।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सिविल, मेकेनीकल और इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रमों में १२५ विद्यार्थियों के प्रविष्ठ किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) आदर्श योजना के अनुसार एक प्रादेशिक कालेज की अनुमानित लागत इस प्रकार है : ५१ लाख रुपये भवनों और उपकरण के लिये और १९ लाख रुपये आवर्तक । इस कालेज के विस्तृत प्राक्कलन अभी तैयार किये जाने हैं ।

(घ) केन्द्रीय सरकार कालेज की स्थापना का समस्त अनावर्तक व्यय और पांच वर्षों तक ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय भी वहन करेगी । केन्द्रीय सरकार हास्टेलों और स्टाफ क्वार्टरों का समस्त व्यय भी देगी, अंशतः ऋणों के रूप में और अंशतः अनुदानों के रूप मे ।

इस्पात संयंत्र

†*२४७. **श्री बहादुर सिंह** :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में यह मध्यम आकार के इस्पात संयत्र की स्थापना करने के लिये किसी देश को कोई आर्डर दिया गया है ; और

(ख) इस नये संयंत्रों की स्थापना के बाद से देश में अनुमानतः कुल कितना इस्पात उत्पादन बढ़ जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तीसरी योजना में भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के इस्पात कारखानों के विस्तार के अतिरिक्त बोकारो में एक नए इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर में एक धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थापना की योजना है। मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का विस्तार, जिसका कार्य प्रारंभ किया गया है, भी तीसरी योजना में पूरा किया जायेगा ।

रद्दी लोहे से लगभग २००,००० टन बिलेट बनाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत् भट्टियों के स्थापित किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त लगभग २००,००० टन धातुमिश्रित इस्पात उन संयंत्रों में बनेगा जो गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं।

बुनियादी स्कूलों के लिये पूरक पाठ्य सामग्री का निर्माण

*२४८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी स्कूलों के लिये पूरक पाठ्य सामग्री के निर्माण की योजना के अन्तर्गत देश भर के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत २३ प्रस्तावों में से कितनी पुस्तकें स्वीकार और प्रकाशित की गईं; और

(ख) जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं उनके क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खमरिया आयुध कारखाना

†*२४६. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमरिया आयुध कारखाने में जून, १६६१ के अंतिम सप्ताह में कोई दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को एवं किस प्रकार की चोटें आईं; और

(ग) क्या कोई मृत्यु भी हुई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान्, २७ जून, १६६१ को एक दुर्घटना हुई थी ।

(ख) दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्थ दो श्रमिकों के शरीर अनेक भागों में जल गए ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुपर सोनिक विमान

†*२५०. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री खाडिलकर :
श्री सूपकार :
श्री मं० रं० कृष्णन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दिनेश सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० बंगलौर ने सुपरसोनिक एच० एफ० २४ एयर क्राफ्ट फाइटर बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विमान पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ग) इसमें कितने प्रतिशत भाग भारत के बने हैं ;

(घ) प्रति वर्ष इस प्रकार के विमान कितने बनाये जायेंगे ;

(ङ) क्या यह संभव है कि इस प्रकार के विमान भारत में बने सभी भागों से तैयार हो सकते हैं ; और

(च) यदि हां, तो कब तक बनने लगेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) उस फैक्टरी ने एच० एफ०—२४ विमान का प्रथम प्रोटोटाइप तैयार किया है ।

(ख) व्यय प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ग) मूल्य के लगभग ५० प्रतिशत ।

(घ) यह जानकारी प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ङ) और (च). उसमें यथासंभव भारतीय सामग्री और भारत में निर्मित पुर्जों का उपयोग किया जायेगा । इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न जारी है । परन्तु इस सम्बन्ध में कार्यक्रम बताना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैम्पटी में राष्ट्रीय सेनाछात्र शिविर

†*२५१. { श्री आसर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६१ मे कैम्पटी में राष्ट्रीय सेना छात्र पदाधिकारियों का एक शिविर लगा था ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात के एक प्रोफेसर यंगतानी की मृत्यु अत्यधिक काम के कारण हो गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने छाती के दर्द की शिकायत की थी और उन्होंने क्रास कन्टरी दौड़ में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी लेकिन उन्हें इसके लिये विवश किया गया और दौड़ में ही वे बेहोश हो गये ;

(घ) क्या यह सच है कि बेहोशी की हालत उन्हें मे तुरंत चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की कोई जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (छ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

भारत का पौंड पावना

†*२५२. { श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पौंड पावने जुलाई, १९६१ के प्रथम सप्ताह में निम्नतम स्तर पर आ गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) २८ जुलाई, १९६१ को भारत के रक्षित बैंक के विदेशी पावने निम्नतम स्तर पर आ गये थे जो ९८.०४ करोड़ रुपये था । ७ जुलाई, १९६१ को ये पावने १०९.५५ करोड़ रुपये के बराबर थे ।

(ख) सरकार इस मामले पर निरन्तर ध्यान दे रही है और निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ;

(१) निर्यात आन्दोलन को और बढ़ाना ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) आयातों का न्यूनतम आवश्यकता तक प्रतिबन्धित कर देना ।

(३) मित्रदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से विदेशी सहायता की बातचीत ।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से विदेशी मुद्राओं की खरीद जिससे विदेशी पावने बढ़कर ४ अगस्त, १९६१ को १५२.६७ करोड़ रुपये हो गए ।

तेल प्रतिष्ठानों का पुनर्गठन

†*२५३. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात्, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में तेल प्रतिष्ठानों के समेकन एवं पुनर्गठन का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह एकीकरण, पुनर्गठन और समेकन किस प्रकार का होगा ;

(ग) क्या इस कार्यवाही से अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

† **खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सम्बन्धित राज्य उपक्रमों को तेल के साथ समेकित करने के लिये इस समय कोई विशिष्ट योजना अथवा प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

†*२५४. { **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्ता :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री म० कं० कुमारन :
श्री हेम बरुआ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात्, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में अमरीका को शामिल करने की **व्यवहार्यता पर** विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अमरीका से बातचीत की है अथवा उस देश की **ओर से** ऐसा कोई प्रस्ताव आया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). बोकारो में चौथे इस्पात संयंत्र के बारे में अमरीका ने रुचि दिखाई है और उनके सहयोग के प्रश्न पर उनके साथ बात-चीत की गई है। तथापि, अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बर्मा आयल कम्पनी के साथ हुए समझौते के पश्चात् आसाम में खुदाई

†*२५५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देब :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी के साथ हुए समझौते के पश्चात् पूर्वोत्तर आसाम में तेल खोज के लिये अग्रेतर खुदाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लुधियाना के निकट विमान दुर्घटना

†*२५६. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ में लुधियाना के लोहगढ़ गांव के निकट एक भारतीय सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया ;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) इस जांच का क्या नतीजा निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) अभी जांच न्यायालय ने अपनी कार्यवाही समाप्त नहीं की है।

मदन मोहन मालवीय शताब्दी समारोह

†*२५७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय शताब्दी समारोह को उपयुक्त तरीके से मनाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय नेताओं और अन्य प्रमुख व्यक्तियों की जन्म शताब्दी आदि समारोह का इस कार्य के लिये जनता द्वारा विशेष रूप से

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापित की गई समितियों द्वारा आयोजन किया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय की शताब्दी मनाने के लिये स्थापित की गई किसी समिति ने अभी सरकार से पहुंच नहीं की है।

बड़ोदा तेल शोधक कारखाना

†*२५८. श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित बड़ौदा तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में गुजरात सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्र मंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन

†*२५९. श्री तंगामणि :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन इस वर्ष भी होगा ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ;

(ग) क्या सरकार वित्त मंत्री के नेतृत्व में वहां कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या वहां यूरोपीय सामान्य बाजार का प्रश्न भी उठाया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(खज) अकरा (घाना) में १२ और १४ सितम्बर, १९६१ के बीच ।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि सम्मेलन की कार्यावलि से सभी राष्ट्रमण्डलीय सरकारों का सम्बन्ध है और केवल भारत सरकार का ही नहीं, निरूढ़ि के अनुसार, सदस्य-सरकारें उसका ब्यौरा अकेले नहीं बतातीं।

जोधपुर के निकट जिप्सम की खानें

†*२६०. **श्री राम जी वर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर के निकट कारास में जिप्सम की कई खानें वर्षा से बेकार हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारी बेकार हो गये हैं ; और

(ग) क्या उन्हें कुछ प्रतिकर दिया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**. (क) जोधपुर के निकट कारास में जिप्सम की खानों का कार्यकरण सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज लिमिटेड द्वारा किया जाता है । २८–६–६१ को भारी वर्षा से खानों में पानी भर गया और दो दिन तक कार्य रुका रहा । इसके बाद अंशतः काम चालू किया गया और आशा की जाती है कि पूरी क्षमता ३१–१०–६१ तक आरम्भ हो जायेगी । इस समय प्रति दिन ३५० से ४०० टन तक खनन किया जाता है जब कि पूरी क्षमता १००० टन प्रति दिन है ।

(ख) और (ग). कुल ३०० श्रमिकों में से केवल १० को छोड़ा गया। ये १० श्रमिक अस्थायी थे जिन्होंने एक वर्ष से भी कम तक कार्य किया था, ठेकेदार ने बताया था कि इनको क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत सर्वेक्षण कार्यालय के सम्बन्ध में जांच समिति

†*२६१. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारत सर्वेक्षण कार्यालय के कार्य की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या उस पर कार्य समाप्त करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की गयी है ; और

(घ) सरकार ने यह समिति किस उद्देश्य से नियुक्त की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, अभी नहीं । परन्तु वर्ष १९५९–६० की प्राक्कलन समिति की ८१वीं रिपोर्ट के अनुसरण में सरकार ने समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। समिति के निदेश पद आदि समेत ब्यौरों को अन्तिम रूप देने तक अधिसूचना जारी नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) संसद् की प्राक्कलन समिति ने समिति की नियुक्ति की सिफारिश की थी और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्मा ग्रायल कम्पनी के साथ तेल की खोज के सम्बन्ध में समझौता

†*२६२. {
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री नाथपाई :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० च० बरुग्रा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ग्रजित सिंह सरहदी :
श्री बाजपेयी :
श्री नारायण कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री जीनचन्द्रन :
श्रीमती मफीदा ग्रहमद :
श्री ब्रि० दास गुप्त :
श्री ग्ररविन्द घोषाल :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ग्राचार :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री मुरारका :
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेक राम नेगी :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय ग्रानन्द :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हेम बरुग्रा :
}

क्या **इस्पात, खान ग्रौर ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रायल इंडिया लिमिटेड को ग्रासाम में लगभग १८०० वर्गमील के ग्रतिरिक्त क्षेत्र में तेल की खोज का लाइसेंस मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन शर्तों का विस्तृत्व विवरण क्या है जिनके ग्राधार पर लाइसेंस मंजूर किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि बर्मा ग्रायल कम्पनी के साथ भी एक समझौता किया गया है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). बर्मा आयल शेल कम्पनी के साथ वार्ता के फलस्वरूप, २७ जुलाई, १९६१ को एक अनुपूरक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जो आयल इंडिया लिमिटेड के करार में संशोधन कर के रखा था। मुख्य संशोधन में थे: (१) सम मूल्य के शेयरों के सरकार द्वारा धारण में ३३१/३ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक की वृद्धि, (२) वर्तमान आयल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में १८८६ वर्ग मील की वृद्धि ; (३) सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के बीच लाभ का बराबर वितरण ; (४) प्रबन्ध और नियंत्रण में समता ; (५) बर्मा आयल कम्पनी द्वारा पता लगाये गये किसी भी तेल के लिये विदेशी मुद्रा का उपबन्ध जिसमें सरकार रुपया लगायेगी ; और (६) कच्चे तेल के लिये एक नया मूल्य फार्मूला । आयल इण्डिया लिमिटेड को, आवेदन करने पर, १८८६ वर्ग मील के अतिरिक्त क्षेत्र में समन्वेषण लाइसेंस दिया जायेगा ।

सैनिक प्रशिक्षण स्कूल

†*२६३. **श्री गोरे** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री आचार :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुगन्धि :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के दौरान अभी तक कुल कितने सैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं और वे कहां कहां स्थिति हैं ;

(ख) उक्त स्कूलों में कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) संभवतः यह निर्देश सैनिक स्कूलों के बारे में है । वर्ष १९६१ में अब तक महाराष्ट्र राज्य में सतारा में, गुजरात राज्य में जामनगर में और पंजाब राज्य में कुंजपुरा और कपूरथला में चार सैनिक स्कूल खोले गये हैं।

राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ में शीघ्र ही एक और स्कूल खोला जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी इन चारों स्कूलों में प्रवेश पूरा नहीं है। नवीनतम आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

सातारा सैनिक स्कूल . .	१२८
जामनगर सैनिक स्कूल . .	७०
कुंजपुरा सैनिक स्कूल	१७४
कपूरथला सैनिक स्कूल .	१६८

इस्पात के लिये संगठन

†*२६४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से इस बात पर विचार कर लिया है कि इस्पात के लिये किस प्रकार के संगठन की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ?

भारत में तेल उद्योग

†*२६५. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री आचार :
श्री ब० च० मलिक : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इटली के बीच भारत में तेल उद्योग के विकास के सम्बन्ध में हुई वार्ता समाप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पश्चिम जर्मनी का विनियोजन

†*२६६. { श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पूंजी के विनियोजन के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी के साथ हुई बातचीत में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

धातु मिश्रित इस्पात

†*२६७. { श्री चुनी लाल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी पक्षों द्वारा धातु मिश्रित इस्पात के निर्माण के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने औजार, धातु मिश्रित और विशेष प्रकार के इस्पात के निर्माण के लिये २४६,६०० टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता के लिये चौदह गैर-सरकारी पक्षों को लाइसेंस देने का अनुदान किया है ।

खम्भात क्षेत्र में तेल का निर्धारण

†*२६८. { श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात क्षेत्र में उपलब्ध तेल के निर्धारण में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कुल कितने कुएं खोदे गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भूभौतिकीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कैम्बे प्रदेश में कई ढांचों का पता लगाया गया है। इन ढांचों में से तीन में अर्थात् लुनेज, अंकलेश्वर और कलोल में परीक्षणात्मक छिद्रण किये गये हैं। इन सभी तीनों क्षेत्रों में तेल पाया गया है। इन ढांचों पर अन्य कुओं का छिद्रण जारी रहेगा और फिर इन क्षेत्रों में परीक्षण के तौर पर उत्पादन किया जायेगा। परीक्षणात्मक उत्पादन के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही उपलब्ध तेल का मूल्यांकन किया जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि अंकलेश्वर क्षेत्र में अगले वर्ष के आरम्भ में परीक्षणात्मक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

(ख) लुनेज में १७ कुएं; अंकलेश्वर में १३ और कलोल में एक।

टैंकों का निर्माण

†*२६९. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दिनेश सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन को गये हुए प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटेन को एक शिष्टमण्डल जा चुका है और वह निर्माताओं और यदि आवश्यक हुआ तो सरकारों के साथ बाकी मामलों पर वार्ता करने के लिये पश्चिम जर्मनी भी जायेगा। पूर्व रिपोर्ट के बाद से, दिल्ली में सम्बन्धित पक्षों के साथ और बातचीत भी हुई हैं और नयी बातों पर विचार किया गया है।

आसाम में हुये दंगों पर जांच आयोग

†*२७०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सरजू पांडेय :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने उन दो जांच आयोग के प्रतिवेदन और उपपत्तियों पर विचार कर लिया है जो आसाम के दंगों के कारणों और उनकी व्यापकता के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये नियुक्त किये गये थे;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त जांच आयोगों की उपपत्तियों को किस सीमा तक स्वीकार किया है;

(ग) क्या ४ जून, १६६० की गोहाटी में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में हुई न्यायिक जांच का प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है क्योंकि वहां सरकार उसकी उपपत्तियों से सहमत नहीं है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रुख है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों ने हमें बताया है कि उन्होंने गोरेश्वर में दंगों के बारे में सभी उपपत्तियां स्वीकार कर ली हैं।

गोहाटी के बारे में (१) दंगों के कारण और स्वरूप, (२) क्या स्थानीय अधिकारियों द्वारा पर्याप्त उपाय किये गये, और (३) मामले से सम्बन्धित कोई परिस्थितियों के बारे में उपपत्तियां स्वीकार की गयी हैं। गोली चलाने की परिस्थितियों और क्या गोलीवर्षा उचित थी, इस बारे में आयोग की उपपत्तियों को राज्य सरकार ने नोट कर लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेजीमेंटों के नाम रखना

***२७१. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की रेजीमेंटों के नाम अब भी जातियों के नाम पर रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल विशेष जातियों के सैनिक ही विशेष रेजीमेंटों में रखे जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). कुछ रेजिमेण्टें अभी परम्परागत पुराने नामों को अपनाए हुए हैं, जैसे सिख, जाट, डोगरा।

(ग) उपरोक्त में से कई रेजिमेंटों के लिए अब भी जाति विशेष से रंगरूट भरती किए जाते हैं। कुछ दूसरियों में, यद्यपि रेजिमेण्टों के नाम जातियों विशेष पर रखे गये हैं, दूसरी जातियों से भी रंगरूट भरती किए जाते हैं। उदाहरणतः राजपूत रेजिमेंट में राजपूतों के अलावा गुर्जर, ब्राह्मण, और बंगाली भी भरती किए जाते हैं।

इन सभी रेजिमेण्टों में अधिकारियों के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है, वह भारत के किसी भी भाग से आ सकते हैं।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

†***२७२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक राज्य से कितने व्यक्ति भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में चुने गये तथा इनको विभिन्न राज्यों में किस प्रकार आवंटित किया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चुने हुए उमीदवारों को विभिन्न राज्यों की पदाली में रखने का क्या मापदण्ड है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुने गये अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या० टी० ३०३०/६१]**

(ख) सरकार की नीति यह है कि इन दोनों सेवाओं की प्रत्येक राज्य पदाली में, जहां तक व्यवहार्य हो, कम से कम ५० प्रतिशत अभ्यर्थी राज्य से बाहर से रखे जायें। आवंटन करते समय योग्यता सूची में अभ्यर्थियों के रैंक और राज्यों के लिये उनके द्वारा बतायी गयी प्राथमिकता को सामान्यतः ध्यान में रखा जाता है।

पर्वतीय राज्य की मांग

†*२७३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री न० म० देव :
श्री मे० क० कुमारन :
पं० द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेमराज :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों के नेता ने एक पृथक पर्वतीय राज्य सम्बन्धी अपनी मांग पर चर्चा करने के लिये नई दिल्ली की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पर्वतीय राज्य को स्काटलेंड जैसी स्वायत्तता देने का प्रस्ताव किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १७ और १८ मई, १९६१ को सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन का एक शिष्टमण्डल दिल्ली में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से मिला।

(ख) ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की स्काटिश समिति की तरह की व्यवस्था पर विचार किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सर्व दलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन में इन व्यवस्थाओं पर सहमति नहीं हुई; तथापि, खासी पर्वतीय जिला कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित आसाम पर्वतीय व्यक्ति सम्मेलन में इनकी स्वीकृति के बारे में इच्छा व्यक्त की गयी।

इस्पात संयंत्रों के लिये टेक्नीकल कर्मचारी

†*२७४. { **श्री कोडियान :**
श्री हेम बरुआ :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिये टेक्नीकल कर्मचारियों की सही-सही आवश्यकता का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या वर्तमान टेक्नीकल सुविधायें तीसरी योजना के दौरान टेक्नीकल कर्मचारियों की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना की ठीक आवश्यकता का पता नहीं लगाया गया है। तथापि, यह अनुमान लगाया जाता है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में धातुमिश्रित और विशेष प्रकार के इस्पात संयंत्र और केन्द्रीय डिजाइन संगठन के विकास के लिये १६२६ इंजीनियरों, २०७५ आपरेटिवों और १४४०० कुशल श्रमिकों की आवयकता होगी।

(ग) राउरकेला और भिलाई में प्रशिक्षण संस्थाओं में और दुर्गापुर में स्थापित की जाने वाली संस्था द्वारा, हिन्दुस्तान स्टील को आशा है कि विस्तार कार्य के लिये अधिक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें होंगी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

देहरादून की पैट्रोलियम संस्था

†*२७५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में स्थापित होने वाली पैट्रोलियम संस्था के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*२७६. श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री खुशवक्त राय :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० सामन्तसिंहार :
श्री सूपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० गं० देव :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र की ब्लूमिंग और स्लबिंग मिल एक दुर्घटना के कारण खराब हो गयी थी;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरम्मत में तथा काम के बन्द होने के कारण पृथक्-पृथक रूप से कितनी हानि हुई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]

अशोधित तेल की खपत

†*२७७. श्री अगाड़ी :
श्री रामपुरे :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल सलाहार समिति के प्राक्कलनों के आधार पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में अशोधित तेल की अनुमानित खपत कितनी होगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: तेल परामर्शदाता समिति द्वारा कच्चे तेल की खपत का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। परन्तु उस समिति द्वारा प्राक्कलित उत्पादन मांग के आधार पर यह संभावना है कि वर्ष १९६६ तक कच्चे तेल की खपत लगभग १५० लाख टन प्रति वर्ष हो जायेगी।

विश्वविद्यालय पंजीयन एकक, दिल्ली

†*२७८. { **श्री प्र० गं० देब :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय पंजीयन एकक दिल्ली में कितने विद्यार्थी पंजीबद्ध हुए हैं; और

(ख) उनकी शिक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २०७६।

(ख) दो नये कालिज खोल कर और वर्तमान कालिजों की क्षमता बढ़ा कर १३०८ अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की गयी है। यह भी प्रस्थापना है कि १ जनवरी, १९६२ से दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन डाक द्वारा पाठ्यक्रम चालू किया जाये।

उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

†*२७९. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यक :

(क) जुलाई १९६१ के दूसरे सप्ताह मे श्रीनगर मे हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में किस विषयों पर चर्चा हुई तथा उसका विस्तृत विवरण क्या है; और

(ख) वहां क्या क्या निश्चय किये गये है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) परिषद् की बैठक की कार्यावलि में सम्मिलित मदों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ख) विचार की गयी बातों पर परिषद् के निर्णयों के बारे में कार्यवाही की प्रतियां, इनको अन्तिम रूप दिये जाते ही, संसद् पुस्तकालय में रख दी जावेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

एयर इंडिया इन्टरनेशनल से विमानों की खरीद

†*२८०. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल से फालतू विमानों की खरीद करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां । एयर इंडिया इंटरनेशनल से सुपर कांस्टलेशन की खरीद के लिये, जो उनकी आवश्यकता से फालतू है, बातचीत करने का प्रस्ताव है ।

(ख) वायु बल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ।

पोलीटेक्नीक में प्रवेश

†*२८१. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलीटेक्नीक संस्थाओं में प्रवेश की रूपरेखा के सम्बन्ध में देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सर्वेक्षण से कौन से व्यापक तथ्यों का पता चला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ में पोलीटेक्नीकों में दाखिल हुए विद्यार्थियों की योग्यता का सर्वेक्षण किया गया और पता लगा कि सभी तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया गया और कुछ विद्यार्थी पर्याप्त योग्यता के नहीं हैं ।

जम्मू के निकट ऐतिहासिक नगर

†*२८२. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में जम्मू के निकट किसी ऐतिहासिक नगर का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अनुसन्धान करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

सैनिक ट्रक दुर्घटना

†*२८३. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जुलाई, १९६१ को एक सैनिक ट्रक देहरादून से ७ मील दूर एक खाई में ४० फुट नीचे गिर पड़ा ;

(ख) इस दुर्घटना से कुल कितनी हानि हुई और कितने सैनिक मारे गये ; और

(ग) सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को प्रतिकर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रति रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) जांच न्यायालय द्वारा उपपत्तियां दिये जाने के बाद ही कुल वित्तीय हानि का पता चलेगा । तथापि, एक तीन टन की गाड़ी, १९ राइफलों और १ स्टेनगन को क्षति पहुंची और पांच सैनिक मारे गये ।

(ग) यदि मृत्यु ड्यूटी पर होती है तो विशेष परिवार पेन्शन के रूप मे क्षतिपूर्ति दी जाती है । जांच न्यायालय की उपपत्तियां प्राप्त होने के बाद इस पेंशन के दिये जाने के बारे में कार्यवाही की जावेगी । इतने समय में बाकी जांच इनाम[1] मंजूर करने के लिये कार्यवाही की गयी है ।

विश्वविद्यालयों द्वारा पुरातत्वीय खुदायी

†*२८४. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस, कलकत्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को पुरातत्वीय खुदाई के लिये दिये गये अनुदान का उपयोग कर लिया गया है ; और

(ख) सरकार उक्त अनुदान देते समय किन किन बातों पर विचार करती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) स्थान पुरातत्वीय महत्व का होना चाहिये और इसकी खुदाई के लिये केन्द्रीय पुरातत्वीय मंत्रणा बोर्ड की स्थायी समिति की पूर्व अनुमति होनी चाहिये ।

(२) विश्वविद्यालय मे पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति और उपकरण होने चाहियें ।

(३) विश्वविद्यालय को अपने बजट में से खुदाई कार्य पर कुल व्यय का ५० प्रतिशत खर्च करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pending Enquiry Awards

शाहजहांपुर (उ० प्र०) के निकट तेल

*२८५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा गंगा की घाटी में की गई तेल की खोज के व्यापक भूभौतिकीय तरीकों से उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के निकट तेल वाले एक बड़े भूक्षेत्र का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ; और

(ग) इन स्रोतों से तेल की खोज के लिये सरकार द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). गंगा की घाटी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्यों से बरेली की ओर शाहजहांपुर से लगभग १४ मील पर स्थित कटरागारा क्षेत्र में एक छोटे साइज के ढांचे की उपस्थिति के चिह्न प्रतीत हुए हैं। इसके बारे में और भूकम्पीय कार्य द्वारा पुष्टि की जावेगी। यह पता नहीं है कि इस क्षेत्र में गहराई में तेल वाले तत्व हैं या नहीं। रामगंगा नदी के दूसरी ओर उसी प्रदेश में स्थित बदायूं-दातागंझमोरा क्षेत्र में कटरागारा ढांचे के तरह के ढांचे का पता लगा है। इस क्षेत्र में तत्वों और ढांचे के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये बदायूं के निकट उझानी ढांचे में एक एक ढांचा कुएं का छिद्रण किया गया है और एक अन्य का छिद्रण किया जा रहा है। इस ढांचे में गहरे कुओं के छिद्रण की तैयारी भी प्रगति पर है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत आई० ए० एस० पदाधिकारी

†३४४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को राज्य सरकारों से यह जानकारी प्राप्त हो गई है कि उन्हें तीसरी योजना अवधि में भारतीय प्रशासन सेवा के कितने पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारतीय प्रशासन सेवा के कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता राज्य सरकारों को तीसरी योजना के अन्तर्गत होगी इस सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों ने भारत सरकार को उस समय लिखा था जब कि सितम्बर, १९५९ में त्रिवार्षिक पुनर्विलोकन किया गया था। अन्य राज्य सरकारों ने उस समय अपनी आवश्यकता का अनुमान बताने में असमर्थता प्रकट की थी, क्योंकि तीसरी योजना उस समय दूर की बात थी। अब भारत सरकार ने स्वयं ही यह मामला राज्य सरकारों के विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) त्रिवार्षिक पुनर्विलोकन पुनरीक्षण के पूर्व भारतीय प्रशासन सेवा कर्मचारियों की संख्या १८६२ थी। यह राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी आवश्यकताओं के आधार पर थी । अब यह संख्या बढ़ा कर २०९६ कर दी गई है ।

आयल इंडिया लिमिटेड

†३४५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा २५ करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना विस्तार से क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसर्ज सिंगरेनी कोलियरीज़

†३४६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुन्नी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में 'मैसर्ज सिंगरेनी कोलियरीज़' को विदेशी मुद्रा देने के मामले में सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है ।

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा का आवंटन ६ मास के बाद होता है। चालू अर्द्ध वर्ष अप्रैल से सितम्बर १९६१ के लिए सिंगरेनी कोलियरीज़ लिमिटेड के लिये ५५.५० लाख की विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

†३४७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंकलेश्वर क्षेत्र में "हाइड्रौलिक जैक" के फेल हो जाने के कारण बर्मे में दरार होने और काम बन्द होने की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि यह दुर्घटना मशीन के फेल हो जाने के कारण हुई, चालकों की उपेक्षा अथवा मशीन को गलत ढंग से चलाने की कोई बात नहीं है। समिति की राय में बर्मे की मरम्मत सम्भव है, परन्तु "हाइड्रौलिक जैक" की मरम्मत तो समुचित ढंग से किसी कारखाने में ही संभव है।

द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की प्रथम श्रेणी में पदोन्नति

†३४८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४१ के उत्तर में सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह योजना किस स्तर पर है जिसके द्वारा परीक्षा लेकर द्वितीय तथा तृतीय श्रणी के कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नति प्राप्त करने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो जाता है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : भारतीय प्रशासन सेवा में मुकाबले की परीक्षा द्वारा भर्ती करने के लिये केवल भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को ही अवसर प्राप्त होता है। इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है। अब इस दिशा में विशेष ढंग की भर्ती से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसे देखते हुए इस योजना का विस्तार अन्य केन्द्रीय सेवाओं में भी किया जायेगा।

७०० लिटर 'बकट व्हील एक्सकेवेटर'

†३४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७०० लिटर बकट व्हील एक्सकेवेटर (खुदायी करने वाले यन्त्र) को परीक्षण के लिये चलाना आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य कैसा रहा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, मशीन को परीक्षण के लिये ७ अप्रैल, १९६१ को मंगवाया गया था ;

(ख) ६ तथा ११ अप्रैल, १९६१ को दो बार परीक्षण किया गया था। दोनों परीक्षणों के परिणाम स्वरूप उसने क्रमश: प्रति घंटा २, ६३७ और २, ५५७ घन गज की खुदाई की। वैसे उसके लिए २४०० घन गज खुदाई की गयी थी। १५ मई, १९६१ को नेवेली लिग्नाइट कार-पोरेशन ने उस मशीन का नियन्त्रण संभाला और इससे पूर्व काफी समय तक परीक्षण कर लिया। तब से अब तक मशीन संतोष जनक ढंग से कार्य कर रही है।

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों में भूतपूर्व सैनिक

†३५०. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अध्ययन दल की विभिन्न उद्योगों में भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता और अनुभव के उपयोग संबंधी सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) अध्ययन दल की उपसमिति की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब के भूतपूर्व सैनिक

†३५१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब के हरिजन भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये गत तीन वर्षों में किन क्षेत्रों में भूमि अलाट की गयी हैं और जहां इस प्रकार भूमि अलाट की गयी है उन स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन लोगों से इसके लिये कुछ राशि भी मांगी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई अदायगी हुई ;

(घ) क्या यह सत्य है कि उन्हें कर्जा दिया गया और पट्टा इत्यादि उनके नाम रजिस्टर नहीं किया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) गत तीन वर्षों में ४० एकड़ भूमि अफ़ज़लगढ़ में दी गयी है । यह स्थान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है । १९१ एकड़ भूमि पटियाला जिले के बनूर नामक स्थान पर दी गयी है । यह भूमि क्रमशः ४ और १३ हरिजन भूतपूर्व सैनिकों को अलाट की गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). किसी को केन्द्रीय सरकार ने कोई कर्जा नहीं दिया । विधि के समुचित उपबन्धों के अन्तर्गत अफ़ज़लगढ़ में बसने वालों को साथ कृषि के लिये पट्टे का कोई कागज नहीं लिखा गया । बनूर में बसने वालों से पट्टेदारी का कागज़ लिखवाने का काम राज्य सरकार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पुरातत्व सर्वेक्षण

†३५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब में पुराने मन्दिरों और ऐतिहासिक स्मारकों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है, उनके नाम क्या हैं और इसका विस्तार से क्या परिणाम रहा; और

(ग) ३१ मार्च, १९६१ तक कितनी राशि खर्च की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) गांव गांव में पुरानी चीजों के सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है ।

(ख) मई, १९६१ तक, गुरदासपुर जिले के १४८८ गांवों का सर्वेक्षण हो चुका है । बहुत से पुराने मकबरों, मस्जिदों, मजारों, मन्दिरों, गुरुद्वारों इत्यादि का पता चला है।

(ग) १७९५८ रुपये, २७ नये पैसे का खर्च मार्च १९६१ तक हुआ है ।

अस्पृश्यता निवारण

†३५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अस्पृश्यता निवारण तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये प्रथम और द्वितीय योजना काल के अन्तर्गत प्रत्येक बार कितनी धनराशि पंजाब राज्य की गैर-सरकारी संस्थाओं को दी गई है ;

(ख) क्या यह राशि इसी उद्देश्य के लिये खर्च कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(घ) इन संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार ने जो रुपया दिया है उसके लिए किस प्रकार का नियन्त्रण लगाया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) प्रथम और द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार ने पंजाब की किसी भी गैर-सरकारी संस्था की कोई सहायता नहीं की। पंजाब सरकार ने भी प्रथम योजना काल में किसी को कोई इस प्रकार की सहायता नहीं दी। द्वितीय योजना काल में दी गई सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संस्था का नाम	राशि (रुपयों में)	उद्देश्य
१९५७–५८ .	अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ	२,०००/-	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए
१९५९–६० .	पंजाब हरिजन सेवक संघ, जालन्धर	४,०००/-	अस्पृश्यता निवारण के प्रचारार्थ
१९६०–६१ .	तदैव	तदैव	तदैव

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कोई सहायता पंजाब में किसी भी गैर सरकारी संस्था को दी ही नहीं गई । जिन शर्तों पर भारत सरकार स्वयंसेवक संस्थाओं को सहायता देती है उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

पंजाब में हाल व आडिटोरियम

†३५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९६०–६१ में पंजाब में हॉल व ऑडिटोरियम बनाने के लिये सहायता प्राप्त करने का आवेदन पत्र देने वाली संस्थाओं की संख्या क्या है; और

(ख) इसी काल में जिन्हें सहायता दी गई उनके नाम क्या हैं और उन्हें कितनी कितनी राशि दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट, १, अनुबन्ध संख्या ४४]**

पंजाब में अनुसूचित आदिम जाति कृषक

†३५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९६०–६१ में पंजाब में अनुसूचित आदिम जाति कृषकों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है; और

(ख) इससे जिन कृषकों को लाभ पहुंचा उनकी संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ०.७८ लाख रुपये ।

(ख) ८१३ ।

मुरादपुर (काश्मीर) में तेल निक्षेप

†३५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर राज्य के मुरादपुर स्थान के निकट पेट्रोल के निक्षेपों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अभी हाल ही में कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है । मरी के पहाड़ों में तेल के 'सीपेज' का परीक्षण अवश्य किया गया था, परन्तु यह बड़ा साधारण था । १९६१-६२ के कार्यक्रम में मुरादपुर के क्षेत्र के सविस्तार परीक्षण का कार्य सम्मिलित किया गया है ।

केन्द्रीय अंग्रेजी संस्था, हैदराबाद

†३५७. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९६०–६१ में केन्द्रीय अंग्रेजी संस्था, हैदराबाद पर वास्तविक रूप में खर्च की गई राशि कितनी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस संस्था द्वारा १९६०-६१ में की गई गोष्ठियों और सम्मेलनों की संख्या क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) ४,१६,०३६.४६ रुपये।

(ख) कोई नहीं। ५ अप्रैल से १५ अप्रैल, १९६० तक स्कूल के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। संस्था के गवेषणा परियोजना के अंग के रूप में कुछ ऐसी सामग्री तैयार की गई है जो कि शिक्षकों के काम आ सकती है। इस सामग्री की सहायता से पाठ्यक्रमों के प्रयोग करने का कार्यक्रम भी हैदराबाद में १०-४-१९६० से ३-६-१९६० तक चलता रहा। यह कार्य आंध्र प्रदेश के जन शिक्षा निदेशक के सहयोग से चलता रहा। २४० मैट्रिक पास विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया।

विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†३५८. **श्री कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ से १९६०-६१ तक प्रत्येक वर्ष जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां दी गईं उनकी संख्या क्या है ;

(ख) कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी वास्तव में दी गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष इस दिशा में इस सारे काल में आने वाले आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५**]

केरल के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोचिंग क्लासें

†३५९. **श्री कुन्हन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए कोचिंग क्लासें चालू करने के लिये आर्थिक सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी राशि स्वीकृत की गई है।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खनन प्रशिक्षण विद्यालय

†३६०. **श्री कुन्हन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या करगली, गिरिडीह, कुरसिया तथा तालचेर के खनन प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है ; और

(ग) चुनने का ढंग क्या अपनाया गया है ?

†इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) १९६० में ४१
१९६१ में १५।

(ग) विज्ञापनों के उत्तर में जो लोग आवेदन पत्र देते हैं उनसे भेंट करके उम्मीदवारों को चुना जाता है। विज्ञापन महत्वपूर्ण अखबारों में दिये जाते हैं। एक निर्वाचन समिति भी है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के निर्देशक इस समिति के सभापति हैं, कुछ वरिष्ठ इंजीनियर और डाक्टर इसके सदस्य हैं। सामान्यतः समिति चार केन्द्रों में भेंट करती है, वे हैं : दिल्ली, नागपुर, बंगलौर और रांची।

महाराष्ट्र के लिये स्टीम कोल

†३६१. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९६१–६२ में महाराष्ट्र के उद्योगों के लिये अलाट किये गये स्टीम कोल की मात्रा क्या है ; और

(ख) क्या इस काल में संभरण बराबर होता रहा है ?

†इस्पात, खान और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). किसी भी राज्य के लिये अलग से स्टीम कोल का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। सभी प्रकार की कोयले की जो मात्रा प्रतिमास महाराष्ट्र में भेजी गयी उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(वैगनों में)

मास	कोटा	भेजा गया
अप्रैल, १९६१	८,२३३	६,५०७
मई, १९६१	८,२३३	७,२३३
जून, १९६१	८,२३३	६,३८२

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†३६२. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत दो वर्षों में महाराष्ट्र में तम्बाकू का कुल वार्षिक उत्पादन क्या रहा है ; और

(ख) इस काल में इससे कुल कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त किया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]

गांजा का तस्कर व्यापार

†३६३. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फरवरी १९६१ से जून १९६१ तक भारत में गांजे के तस्कर व्यापार के मामलों की संख्या क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस दिशा में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) क्या तस्कर माल जब्त कर लिया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ४३।

(ख) ५३ ।

(ग) तस्कर गांजा अदालत की आज्ञा से सम्बद्ध राज्य द्वारा जब्त कर ही लिया जाता है ।

मैसूर राज्य पर बकाया ऋण

†**३६४. श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को केन्द्रीय सरकार की मैसूर राज्य पर कर्जे की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की मैसूर राज्य की ओर ३१ मार्च, १९६१ तक कर्जों पर ली जाने वाली ब्याज की राशि कितनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लगभग ९०.६१ करोड़ रुपये ।

(ख) १९६०-६१ में १.५४ करोड़ रुपये ब्याज के रूप में थे जोकि इसी वर्ष राज्य सरकार ने अदा कर दिये थे ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†**३६५. श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये भर्ती के उद्देश्य से बनायी जाने वाली स्थायी समितियों तथा विशेष तदर्थ समितियों सहित प्रवर समितियों की संख्या क्या है ; और

(ख) जिन ऐसी समितियों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया, उनकी संख्या क्या है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) २४५ (१-४-६० से ३०-६-६१) ।

(ख) २६ परियोजना के उपमहाप्रबन्धक ७३ प्रवर समितियों के सभापति/सदस्य थे ।

पुनर्बेलन मिलें

†**३६६. श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलेट से सामान बनाने के लिये पुनर्बेलन मिल चालू करने के हेतु १९६१ में अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और वे किन किन क्षेत्रों में खोले जायेंगे ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) तथा (ख). नये पुनर्बेलन मिलों का क्षेत्र सीमित है अतः भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में जहां कि पुनर्बेलन मिलें कम हैं अथवा बिल्कुल नहीं हैं एक एक पुनर्बेलन मिल खोला जाये और इस मिल की क्षमता प्रतिवर्ष १५,००० टन से अधिक नहीं होगी। अतः इस निश्चय के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में निम्न क्षमता वाले एक एक पुनर्बेलन मिल खोलने की अनुज्ञप्ति दी गई है :—

राज्य	प्रतिवर्ष क्षमता
	टन
आसाम	११,४००
बिहार	१५,०००
गुजरात	१५,०००
केरल	१५,०००
मद्रास	१५,०००

जहां तक कि अन्य राज्यों का संबंध है, उनके प्रार्थनापत्र उन राज्यों के परामर्श के आधार पर विचाराधीन हैं ।

धुआं रहित कोयला संयंत्र

†३६७. { **श्री न० म० देव** :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में भारत सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल में कोई धुंआरहित कोयला संयंत्र लगाने का है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: तीसरी योजना के दौरान में सोफ्ट कोक के लिये लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन संयंत्र लगाने का विचार है। लेकिन इसके लिये संसाधन अभी तक उपलब्ध नहीं हैं जैसे कि अन्य प्रस्तावों के बारे में भी देखने को मिला है। इसलिये वर्तमान में इस स्थिति को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता कि पश्चिमी बंगाल में कोई संयंत्र लगाया जायेगा ।

भारत प्रशासन सेवा पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

†३६८. क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने भारत प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध उन शिकायतों की जांच करने के बारे में क्या कार्यवाही की है जो शिकायतें कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को भेजी थीं !

(ख) क्या पंजाब में किसी आई० सी० एस० पदाधिकारी के विरुद्ध कोई विधिक कार्य-बाही की जा रही है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) केन्द्रीय सरकार ने आई० ए० एस० पदाधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायतें राज्य सरकारों को भेजी थीं कि वे उन शिकायतों के बारे में जांच करें, इस संबंध में अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुख्यतः राज्य सरकारों का संबंध है। इन शिकायतों में जो बातें कही गई है उनके बारे में राज्य सरकारें या तो अपने राज्य भ्रष्टाचार विरोधी अभिकरणों के द्वारा अथवा अन्य विभागीय अभिकरणों के द्वारा जांच करायेंगी। इन जांचों के बाद यदि पदाधिकारी दोषी पाया गया तो या तो उस पर मुकदमा चलेगा अथवा उसके विरुद्ध विभागीय तौर पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जायेगी। अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम के नियम ४ के अधीन अनुशासनहीनता की कार्यवाही केवल उसी राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है जिस राज्य में कि वह पदाधिकारी उस समय कार्य कर रहा है जबकि वह घटना वहां हुई है। केन्द्रीय सरकार का प्रश्न तो तभी आता है जबकि उसे नौकरी से हटाना, सेवा से अलग करना अथवा सेवा से अनिवार्य रूप में अवकाश ग्रहण करना आदि की सजा दी जाये और ऐसा करना अनिवार्य हो।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य की पुलिस ने पांच मामलों की जांच की और इनमें से दो के विरुद्ध अदालत में मामला चल रहा है। इनमें से एक मामला तो भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा ४२/११४/१०६/१२०ख के अधीन है। जो २,००० वर्गगज भूमि के बेचने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। दूसरा मामला भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४०६/१२०ख के अधीन है जो कि राज्य अनाथालय की निधि में से ५,००० रुपये का गबन करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। अन्य तीन मामलों की जांच हो रही है।

हरिजन कल्याण

†३६९. **श्री कुन्हन** : क्या गृह-कार्य मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन कल्याण के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड द्वारा नियुक्त उपसमिति की कितनी सिफारिशें दिल्ली राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित की गई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बारे में क्या सुझाव दिये गये है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) उपरोक्त जानकारी मिल जाने पर ही यह प्रश्न उठता है।

पंजाब में विद्यार्थियों का दौरा

†३७०. { **श्री बलजीत सिंह** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में किन किन शैक्षिणक संस्थाओं को विद्यार्थियों के दौरे के लिये वर्ष १९६०-६१ में वितीय सहायता दी गई थी; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सहायता से जो दौरे किये गये उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों की छात्रवृत्तियां

†३७१. { **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुन्नी लाल : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पंजाब राज्य के राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शैक्षणिक वृत्ति और छात्रवृत्तियां देने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये पंजाब सरकार को वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं देने के लिए एक योजना बनाई थी और उसे भारत सरकार की अनुमति पाने के लिये मंत्रालय के पास भेजा था । भारत सरकार ने जहां तक कि मान्यता प्राप्त स्कूल तथा कालिजों के छात्रावासों में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने की बात है, इस योजना की क्रियान्विति के लिये स्वीकृति दे दी थी । और इस योजना के अधीन जहां तक कि किताबें देने अथवा शैक्षणिक वृत्ति देने की बात है यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को अपने अपने राज्यों में शैक्षणिक सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार ने राज्यीय सरकारों को प्रासकीय स्वीकृति दे दी थी और इसके अनुसार वे अपने अपने यहां ये योजनाएं लागू कर सकते थे लेकिन जहां तक कि केन्द्रीय अनुदान की बात है यह अनुदान तो राज्यों द्वारा व्यय कर लेने के पश्चात् उसके अगले वर्ष में केन्द्र द्वारा दिया जाता है जब कि सम्बन्धित राज्यों से इस बात की सूचना प्राप्त हो जाती है कि गत वर्ष में अमुक राज्य ने इस योजना के अधीन कितनी राशि व्यय की । चूंकि पंजाब राज्य सरकार की ओर से अभी यह सूचना नहीं मिली है कि उसने वर्ष १९६०-६१ में इस योजना के अधीन कितना व्यय किया अतः केन्द्रीय अनुदान अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है । इसी प्रकार १९६१-६२ का व्यय भी केन्द्रीय सरकार द्वारा उस वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद ही स्वीकार किया जायेगा और यह स्वीकृति तभी दी जायेगी जब कि सम्बन्धित राज्य सरकारों की ओर से यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि अमुक राज्य ने कितनी राशि व्यय की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब उच्चन्यायालय

†३७२. { **श्री बलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब उच्च न्यायालय ने १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६१ तक कितनी तथा किस प्रकार की लेख याचिकाओं का निपटारा किया ; और

(ख) कितनी लेख याचिकाएं अभी तक निलम्बित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक निपटायी गयी लेख-याचिकाओं की संख्या एवं उनकी प्रवृत्ति :

दीवानी लेख-याचिकायें

१. सेवा सम्बन्धी .	४८
२. औद्योगिक विवाद	१५०
३. पुनर्वास सम्बन्धी	३१९
४. चकबन्दी सम्बन्धी . .	२२६
५. विस्थापित व्यक्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम .	२२९
६. विविध	१३५
योग . .	११०७

फौजदारी लेख-याचिकायें . . .	२४

(ख) १-८-६१ को निलम्बित याचिकाओं की संख्या

दीवानी	२०२५
फौजदारी	५
योग . .	२०३०

पंजाब के लिये कोयला

†३७३. { **श्री बलजीत सिंह :**
श्री बी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१ में अब तक पंजाब को कुल कितना कोयला भेजा गया ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पंजाब के लिये जो कुल कोटा निर्धारित किया गया था वह सब भेजा जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). जनवरी १९६१ से जून १९६१ तक पंजाब के लिये ४८,४०० वैगन का कोटा है जिसमें से २८,२०० वैगन कोयला अभी तक भेजा गया है ।

(ग) संभरण की कमी का कारण यह है कि मुगलसराय के उधर उपभोक्ताओं की कुल मांग १९००० वैगन से भी अधिक की हो गयी जो कि द्वितीय योजना के अंत में रेलों से संभरण करने की आशा की जाती थी । लेकिन अब जुलाई से १९०० वैगन प्रतिदिन भेजने की अपेक्षा २१०० वैगन भेजना शुरू हो गया है इसलिये स्थिति कुछ सुधर जायेगी । अतः आशा है कि आगामी महीनों में संभरण कुछ बढ़ जायेगा ।

जनगणना

†३७४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की जनगणना करने वाले कर्मचारियों पर प्रत्येक राज्य में कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त जनगणकों की वेतन के आधार पर नियुक्ति की गई थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) राज्यवार व्यय बताने वाला वितरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) जी हां ।

तीसरी योजना में शैक्षणिक विकास कार्यक्रम योजना

†३७५. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के दौरान में विभिन्न शैक्षणिक विकास कार्यों के लिये उड़ीसा राज्य को अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये प्रत्येक योजना के हेतु कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) प्रत्येक योजना को अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) उड़ीसा राज्य के लिये तीसरी योजना में सम्मिलित सामान्य शिक्षा विकास योजनाओं के लिये १५.०५ करोड़ की रूप-रेखा स्वीकृत की गई है । सम्पूर्ण योजना काल के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता की मात्रा अभी तक नहीं जानी जा सकी है और क्योंकि यह मात्रा केन्द्र तथा राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा तीसरी योजना के १९६१–६२ के वर्ष के लिये विभिन्न योजनाओं के व्यय की रूपरेखा सम्बन्धी विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई ।]**

---

†**मूल अंग्रेजी में**

देखिये संख्या एल० टी० ३०८१/६१] जहां तक केन्द्रीय सरकार की सहायता का सवाल है योजना के सभी क्षेत्रों के लिये १६ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रत्येक कार्य पर कितना धन व्यय होगा यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है।

(ग) निर्धारित केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई राशि अग्रिम राशि के रूप में मासिक किश्तों में दी जा रही है। वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के अंत में अंतिम भुगतान का अनुमोदन करते समय इन किश्तों का समेकन कर दिया जायेगा।

उड़ीसा की शिक्षण संस्थाओं को सहायता

†**३७६. श्री कुम्भार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्रत्येक वर्ष में उड़ीसा राज्य की प्रत्येक शिक्षण संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना सहायता अनुदान दिया गया था तथा वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) इस सहायता अनुदान का उद्देश्य क्या था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०३२/६१]**

राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार

३७७. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन राज्य सरकारों ने अपनी सरकारी भाषा हिन्दी घोषित कर दी है वे भी अभी तक केन्द्र के साथ अपना पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में ही जारी रखे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी उनके साथ अपना पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में ही करती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के सम्बन्ध में कुछ निश्चित योजना बनायेगी ; और

(घ) यदि नहीं तो ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ज्यादातर अभी अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार होता है ; फिर भी हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर यथा-सम्भव हिन्दी में ही किया जाता है।

(ग) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को राजभाषा अपनाया है उनके साथ पत्र-व्यवहार में १९६३-६४ के अन्त तक यथा-सम्भव अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के प्रयोग का भी प्रबन्ध किया जाय।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी भाषायें

३७८. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के स्कूल ग्राफ फारेन लेंग्वेजेज़ में केवल दो या तीन ही एशियाई भाषायें पढ़ाई जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कुछ और एशियाई भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). विदेशी भाषाओं के स्कूल में जो दस भाषाएं सिखाई जाती हैं, उन में से ६ एशियाई भाषाएं हैं—अरबी, बर्मी, चीनी, जापानी, फारसी, और तिब्बती । इन भाषाओं का अध्यापन सरकार की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है । इस समय कोई ऐसा सुझाव विचाराधीन नहीं है, कि विदेशीय भाषाओं में वृद्धि की जाए, जिन के लिए स्कूल में सुविधाएं प्राप्य की जानी हों ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

३७९. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने अभी तक हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली की कितनी सूचियां विषयवार प्रकाशित की हैं;

(ख) क्या सरकार उन्हें एक कोष (कंसोलिडेटेड) के रूप में प्रकाशित करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वह कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क), (ख) और (ग). विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है ? **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९ ।]**

हिन्दी स्टेनोग्राफर

३८०. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ मार्च, १९६० और १ मार्च, १९६१ को विभिन्न मंत्रालयों में (मंत्रालयवार) और उनके अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों में कुल कितने हिन्दी स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट थे; और

(ख) इनकी कुल संख्या में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी स्टेनोग्राफरों का संग्रह

३८१. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले हिन्दी स्टेनोग्राफरों के लिये गृह कार्य मंत्रालय में कोई संग्रह (पूल) नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि यह बनाने का विचार है, तो यह कब तक बन जायेगा?

गृहकार्य-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख) और (ग). विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले हिन्दी आशुलेखकों के लिये गृह-कार्य मंत्रालय में कोई निकाय नहीं बनाया गया है। हिन्दी आशुलेखकों का पृथक वर्ग बनाने का इरादा नहीं है पर मौजूदा कर्मचारियों को हिन्दी में भी काम करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उड़ीसा में नगरपालिका के मेहतरों के लिये मकान

†३८२. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति के मेहतर परिवारों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं; और

(ख) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ये मकान बनाये गये हैं ;

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी गई है और मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में खुली नाट्य-शाला

†३८३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष १९५९–६० १९६०–६१ तथा १९६१–६२ के दौरान में अब तक खुली नाट्यशाला बनाने का कोई प्रस्ताव आया था;

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान में उड़ीसा के कितने ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की खुली नाट्यशालाएं खोली गई हैं; और

(ग) किस प्रकार की सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये प्रस्ताव आये थे। १९६१–६२ के लिये प्रस्ताव आने शेष हैं।

(ख) तथा (ग). उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में १० खुली नाट्यशालाएं खोलने के लिये कुल १५,००० रुपये की (प्रति नाट्यशाला १५०० रुपये) सहायता दी गई थी। इनमें से वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में प्रयेक वर्ष ५ नाट्यशालाएं खोलने का प्रस्ताव था।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में पुनर्बेलन उद्योग

†३८४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में उड़ीसा के छोटे पैमाने के पुनर्बेलन उद्योगों को कितनी बिलेट की आवश्यकता थी;

(ख) १९६१–६२ में अब तक बिलेट की कितनी मात्रा उड़ीसा को दी गई है; और

(ग) छोटे पैमाने के पुनर्वेलन उद्योगों को बिलेट न मिलने सम्बन्धी कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). छोटे पैमाने के पुनर्बेलन मिलों की स्थापना इसी शर्त पर हुई थी कि वे केवल स्थानीय स्क्रेप का ही प्रयोग करेंगे। इसलिये नियंत्रित संसाधनों के आधार पर दिये जाने वाले बिलेट अथवा स्क्रेप में आवंटन पाने का उन्हें कोई हक नहीं है।

१९६०–६१ में बिलेट का संभरण अपेक्षाकृत अधिक था और आशा है कि आगामी वर्षों में भी इसका संभरण अधिक होने की आशा है। इसका कारण यह था कि भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखाने पूरी तरह काम नहीं करते थे अतः जितना बिलेट उनके द्वारा प्रयोग किया जाना था उतना प्रयोग नहीं किया जा सका। यह अतिरिक्त संभरण अस्थायी था अतः विकास आयुक्त को १५,००० टन का तदर्थ कोटा दे दिया गया ताकि वह छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे पैमाने के पुनर्बेलन मिलों को इस बिलेट का आवंटन कर सके। मालूम हुआ है कि इसमें से ६०३ टन उड़ीसा की छोटी मिलों को दिया गया था। भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों द्वारा पूरा काम शुरू करने पर पुनर्वेलन मिलों को दिये जाने वाले बिलेट की मात्रा में कमी आजायेगी और वह घटकर प्रतिवर्ष ६०,००० टन रह जायेगा। अतः इसके बाद उन पुनर्बेलन मिलों को विलेट की कोई मात्रा नहीं दी जायेगी जिनकी स्थापना कि इस शर्त पर हुई है कि वे केवल स्थानीय प्राप्त बिलेट अथवा स्क्रेप का ही प्रयोग करेंगी और न वास्तव में उन बड़ी पुनर्बेलन मिलों को ही कोई बिलेट दिया जायेगा जिन्होंने बिलेट के प्रयोग के लिये अपनी इच्छा प्रकट की थी।

उड़ीसा में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

†३८५. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा के मामले में कुछ रियायतें देने के हेतु कुछ राशि दी है ;

(ख) यदि हां तो कितनी राशि दी है;

(ग) उड़ीसा राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) किस प्रकार की रियायतें दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख). भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को अपने यहां राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा के मामले में रियायतें देने सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करदी है और इस स्वीकृति के अनुसार वह सरकार १९५९-६० से अपनी योजनाएं लागू कर सकती है। वर्ष १९५६०-६१ के लिये भारत सरकार का अनुदान उसी समय दिया जायेगा जब कि उड़ीसा सरकार भारत सरकार को यह बता देती है कि उसने उस वर्ष कितनी राशि व्यय की थी। इसी प्रकार १९६१-६२ का अनुदान भी उड़ीसा सरकार को उस समय ही दिया जायेगा जबकि १९६२-६३ में वह सरकार को यह बता देती है कि गत वर्ष उन्होंने इस मद में कितनी राशि व्यय की थी।

(ग) तथा (घ). ऐसी विस्तृत जानकारी कि उड़ीसा राज्य के प्रत्येक जिले में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को कितनी कितनी रियायते दी गई थीं उड़ीसा राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं। यह जानकारी भारत सरकार के पास उसी समय आयेगी जब कि उड़ीसा सरकार भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करती है।

लाहौल और स्पीति

†३८६. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोली, दग्गी, हासी और लोहारों को जो कि हरिजन हैं, और जो लाहौल और स्पीति के अनुसूचित क्षेत्रों के आदि निवासी हैं अनुसूचित आदिम-जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्या वे उन्हीं आदिम जातीय परम्पराओं का चालन करते हैं तथा उसी प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पंजाब के लाहौल तथा स्पीति के उन लोगों को अनुसूचित आदिम जाति की सूची में सम्मलित करने का है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). जिन लोगों का उल्लेख प्रश्न में किया गया है उनके नाम पंजाब की अनुसूचित आदिम जाति की सूची में नहीं है। कोली तथा दग्गी के नाम पंजाब की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित हैं। हासी तथा लुहारों के नाम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की सूची में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। भारत सरकार के पास इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन नहीं आया है कि वे लोग भी आदिम जाति की भांति ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने भी इन लोगों का नाम अनुसूचित आदिम जाति सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश नहीं की है।

क्षेत्रीय पुलिस बल

†३८७. { **श्री प्र० गं० देव** :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पुलिस बल बनाने की योजना स्वीकार कर ली गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) तथा (ख). पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदों ने अपने अपने यहां मिले जुले पुलिस रक्षित बल बनाने की योजना स्वीकार कर ली है ।

केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् ने इस बारे में जो समिति नियुक्त की थी उसके प्रतिवेदन पर इस परिषद् की चौथी बैठक में विचार किया गया और परिषद् ने यह मामला और आगे जांच करने के लिये समिति के पास फिर भेज दिया है । समिति के प्रतिवेदन पर परिषद् की अगली बैठक में फिर विचार किया जायेगा ।

पश्चिमी क्षेत्र के लिये मिले जुले पुलिस रक्षित बल का प्रश्न पश्चिमी क्षेत्र परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ आयेगा ।

हिन्दी में नोटिंग

३८८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कितने ऐसे कार्यालय हैं जिन्होंने मार्च, १९६१ से फाइलों में हिन्दी में टिप्पण (नोटिंग) लिखने शुरु कर दिये हैं ;

(ख) यदि कोई नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त कार्यालयों में हिन्दी में टिप्पण और पत्रों के प्रारूप लिखने आरम्भ करने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). इस विषय में आदेश अभी हाल ही में जारी किये गये हैं और उनके स्पष्ट परिणाम की आशा इतनी जल्दी नहीं की जा सकती ।

इनामी बांडों के इनाम

†**३८९. श्री चुनी लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उन इनामों का क्या करना चाहती है जो कि बिक्री किये गये इनामी बोंडों के सावधिक नतीजों के बाद भी अनध्यर्थित[1] रहे गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : इनामों की राशि पर दावा करने की कोई सीमा नहीं रखी गयी है अतः अध्यर्थना करने तक वह रुपया रखा जायेगा अतः इसका किसी

प्राइज़ बांड के परिणाम हिन्दी में छापन

३९०. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राइज़ बांड के परिणाम केवल सरकारी गजटों और अंग्रेजी समाचारपत्रों में ही छापे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें हिन्दी में भी छपवाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Unclaimed

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । इनामी बांडों के परिणाम हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के प्रमुख समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन के रूप में छपवाये जाते हैं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

ईंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

†३९१. **श्री चुनी लाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कई विद्यार्थी कई दर्जन इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजी की संस्थाओं में एक साथ ही प्रवेश के लिये आवेदन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिससे कि एक विद्यार्थी को एक आवेदन पत्र से, उस संस्था में जगह मिल जाये जहां के लिये वह सर्वाधिक योग्य है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). सरकार को ज्ञात है कि कई विद्यार्थी एक साथ ही कई इंजीनियरिंग और टेक्नीकल संस्थाओं में प्रवेश के लिये आवेदन करते हैं । सरकार का मत यह है उक्त सुझाव के अनुसार कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है । ऐसी योजना बनाने का अर्थ प्रवेश का केन्द्रीकरण करना होगा जो अव्यवहारिक है ।

अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर कुछ समय पूर्व राज्य सरकारों तथा संस्थाओं से सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को क्षेत्रीय आधार पर आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहिये, इस परीक्षा में उम्मीदवार के नतीजे को प्रवेश के समय सभी परीक्षाओं ने मान्यता देनी चाहिये । यह सुझाव अभी राज्य सरकारों तथा विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं कियया गया है ।

चार उच्चतर टेक्नोलोजिकल संस्थाओं में प्रवेश के लिये इस वर्ष एक सामान्य परीक्षा ली गयी थी ।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये सेवा-गृह

†३९२. **श्री चुनी लाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए ऐसे दरिद्र, बूढ़े और अपंग व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनका अभी तक सेवा गृहों, अपांग गृहों में अथवा उनके बाहर पोषण किया जा रहा है ;

(ख) उनपर प्रति वर्ष कितनी धन राशि व्यय की जा रही है ; और

(ग) उन पराश्रित व्यक्तियों में से कितनों का पुनर्वास कर लिया गया है (जिनके पोषण के दायित्व से सरकार मुक्त हो गयी है) तथा उनका पुनर्वास किस प्रकार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति जिनका सेवा गृहों अपांगगृहों में पोषण किया जा रहा है . १०१४७

दान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या २७३७

(ख) वर्ष	राशि रुपयों में
१९५७–५८ .	६२४९५८०.०६
१९५८–५९ .	. ५५७४५१६.७२
१९५९–६० . .	. ४६४५५८०.६४

(ग) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात कारखानों में पटरियों का उत्पादन

†**३९३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहिले यह आशा की गयी थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारी पटरियों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कर लिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्र इनका संभरण करने में किस कारण असफल हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) देश के लिये आवश्यक पूरी पटरियों के सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की आशा नहीं की गयी थी । सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में केवल भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि वह प्रतिवर्ष ११०००० पटरियों का उत्पादन करे। यह आशा की गयी थी कि अनुमानित आवश्यकाता के अवशेष अंश का गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में उत्पादन किया जायेगा । तथापि रेलवे द्वारा पटरियों की मांग बहुत बढ़ गयी है ।

(ख) इस्पात संयंत्रों का लक्ष्य के अनुसार पटरियों का उत्पादन न करने का कारण यह है कि एक तो भिलाई में प्रारम्भ में कुछ दिक्कतें पैदा हो गयीं। तथा गैर सरकारी क्षेत्र में संयंत्रों के इस्पात उत्पादन में भी कमी हुई । इस कारण पटरियों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ।

अवैध सोना

†**३९४. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के मई, जून और जुलाई महीनों के दौरान देश में कुल कितना अवैध सोना पकड़ा गया ; और

(ख) यह सोना किन स्रोतों से पकड़ा गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लगभग २४५ किलोग्राम सोना जिसकी कीमत २७ लाख रुपये के लगभग है, ५ मई १९६१ से ३१ जुलाई १९६१ के बीच की अवधि में भूमि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन अधिकारियों द्वारा अवैध होने की संभावना से पकड़ा गया ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन मुख्य स्रोतों से यह सोना पकड़ा गया वह इस प्रकार है :

(१) विदेश जिसमें होंगकोंग, सिंगापुर, गोआ, पाकिस्तान, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और स्विजरलेंड शामिल हैं से आने वाले यात्रियों से ।

(२) विदेशों तथा रंगून और फारस की खाड़ी से आने वाले जहाजों से; और

(३) भारत के अन्दर स्थानों और व्यक्तियों से ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल के शिविर

†३६५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीमती के० शाहा, बीरभूमि द्वारा लिखे गये पत्र की ओर जो राष्ट्रीय सेना छात्र दल के द्वारा आयोजित समाज सेवा शिविर में विशेषत: महिला सैनिकों छात्र के साथ हुई घटनाओं के संबंध में था, तथा १ मई १९६१ के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ है, आकर्षित हुआ है, ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का विस्तृत विवरण क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी या किये जाने की विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की महिला सैनिकों ने १६ दिसम्बर से २६ दिसम्बर १९६० तक बीरभूमि में उस क्षेत्र में सेवा कार्य करने के उद्देश्य से बीरभूमि जिले के अहमदपुर में शिविर डाला। लड़कियों के शिविर के अहाते में कोई पुरुष अधिकारी नहीं था ।

महिला प्रशिक्षार्थियों को समाज सेवा के स्थान से निकटवर्ती गांवों में सरकारी गाड़ियों में ले जाया गया । किसी भी प्रशिक्षार्थी को किसी भी समय घूमने नहीं निकलने दिया गया, न कोई इस प्रकार गया ही ।

किसी भी शिविर अधिकारी अथवा सेना छात्र से संबंधित उच्च स्तरीय अधिकारी को किसी प्रशिक्षार्थी के दुर्व्यवहार या उनके द्वारा फलों या फस्लों को हानि पहुंचाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । वहां केलों के पेड़ों को छोड़ कर कोई फलों के पेड़ भी नहीं थे ।

२८ दिसम्बर १९६० को १५ लड़कियों का एक दल जो कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल की नहीं थी, कलकत्ता कालेज से एक महिला प्राफेसर के अधीन अहमदपुर आई। उन्होंने राष्ट्रीय सेना छात्र दल के अधिकारियों से यह प्रार्थना की कि उन्हें एक रात शिविर में ठहरने दिया जाये। उन्हें इस की अनुमति दे दी गयी क्यों कि उस क्षेत्र में कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था । ये लड़कियां जो कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल की नहीं थीं, जिन्हें केवल २८–२६ की रात्रि को शिविर में ठहरने की अनुमति दी गयी थी, २८ ता० की शाम को महिला प्राफेसर की अनुमति से सैर करने को निकलीं । उनके साथ राष्ट्रीय सेना छात्र दल का कोई अधिकारी नहीं था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एम० ई० एस० में अस्थायी पद

†३९६. { **श्री नाथ पाई :**
{ **श्री बलराज मधोक :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ८० प्रतिशत अस्थायी जगहों को स्थायी बनाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त सिद्धांत को कब से लागू किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने एम० ई० एस० के कर्मचारियों को १ अप्रैल १९५६ के स्थान में १ अप्रैल १९५९ से स्थायी करने का निश्चय किया है इसका यह परिणाम हुआ कि जिन कर्मचारियों ने ७ या ८ साल अस्थायी रूप में काम किया है और जो १ अप्रैल १९५९ के पूर्व सेवा निवृत हो गये हैं वे पूर्ण पेंशन लाभ पाने से वंचित हो जायेंगे ; और

(घ) तब से एम० ई० एस० के कितने अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी हां। यह आदेश जारी किये गये हैं कि वे संगठन और कार्यालय जो स्थायी प्रकार के हों, उनमें विभिन्न वर्गों के ८० प्रतिशत अस्थायी पद, जो कि स्थायी प्रकार का काम करते हों और जो १–४–१९५९ को पिछले तीन वर्ष से निरन्तर चल रहे हों, उन्हें स्थायी बना दिया जाये ।

(ख) १ अप्रैल १९५९ ।

(ग) जी हां । अस्थायी पदों को १–४–१९५९ से स्थायी बनाने का प्रस्ताव किया गया है ।

(घ) अभी तक कोई नहीं किया गया है । आशा है कि एम० ई० एस० में अतिरिक्त अस्थायी पदों की स्वीकृति बहुत शीघ्र जारी की जायेगी ।

प्रादेशिक सेना और रक्षित नौसेना

†३९७. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रदेशिक सेना और रक्षित नौसेना में प्रवेश पाने के आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) और (ख). अभी तक प्रादेशिक सेना और रक्षित नौसेना में प्रवेश की आवेदन पत्रों का प्राप्ति स्वीकार इस कारण नहीं भेजा कि इंटरव्यू या चुनाव के लिये अन्य बातें आवेदन पत्रों की प्राप्ति के तत्काल पश्चात आरम्भ हो जाती हैं । अब इस संबंध में अनुदेश जारी किये गये हैं कि इस प्रकार के सभी आवेदन पत्रों पर प्राप्ति स्वीकार भेजा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

असमर्थ विद्यार्थियों द्वारा काश्मीर की यात्रा

†३९८. महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या मई १९६१ में विद्यार्थियों तथा अपंग बालकों को काश्मीर भेजा गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा में कुल कितना व्यय किया गया और किस संगठन के द्वारा किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). जी हां। व्यवसायिक चिकित्सा संस्था नई दिल्ली, जो कि एक गैर सरकारी संस्था है उसने इस वर्ष गर्मियों में ३९ असमर्थ बालकों का एक दल काश्मीर भेजा। केन्द्रीय समाज सेवा बोर्ड ने संस्था को १५ बालकों, ३ सेवकों, २ अध्यापकों के व्यय के लिये काश्मीर में एक अवकाश शिविर की स्थापना के लिये १५५० रु० का अनुदान दिया था। यह अनुदान भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली की ओर से दिया गया। अवशेष बालकों का व्यय उनके अभिभावकों द्वारा पूरा किया गया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की जीवनियां

†३९९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां प्रकाशित करने के संबंध में राज्यों में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** राज्य सरकारें राज्य सूचियों का संकलन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

वायु सेना का नामांकन फार्म

†४००. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार ने भारतीय वायु सेना के नामांकन फार्म को विधि मंत्रालय के परामर्श से संशोधन करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) नामांकन पत्र पर संशोधन भारतीय वायुसेना के नियमों के परिवर्तन के आधार पर किया गया है। संसद ने भारतीय वायुसेना अधिनियम में कुछ संशोधन पारित किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों के लिए इमारतें

†४०१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन निदेशालय का अपने स्कूल की इमारत संबंधी कार्यक्रम अनुसूची से पीछे रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसमें शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ९३ इमारतों में से ६५ पूरी हो चुकी हैं। १२ इमारतों का निर्माण हो रहा है और १६ इमारतों के निर्माण का कार्य अभी आरम्भ होना बाकी है। कार्यक्रम में केवल इन १६ इमारतों के संबंध में ही विलम्ब हुआ है ।

(ख) और (ग). कठिनाई का कारण यह है कि उन क्षेत्रों में इमारतें तैयार करने का स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है। तथापि अब स्थान प्राप्त कर लिया गया है और प्रशासन द्वारा इमारतों के निर्माण की इजाजत दे दी गयी है ।

हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार

†४०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के एक ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश के आंतरिक भाग में सड़क निर्माण करने के निमित्त पत्थरों को ले जाने का ठेका दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये हुंडियों पर जालसाजी की और इस प्रकार १७००० रु० के स्थान पर २५०००० रु० अधिकारियों से प्राप्त कर लिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी या करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश में कई ठेकेदारों ने सड़क निर्माण का ठेका लिया है। यह आरोप लगाया गया है कि किसी वाहक ठेकेदार को दिये गये अकालन पत्रों पर जालसाजी की गयी और अन्य में गोड़गाड़ की गयी । यह मामला विचाराधीन है ।

भारतीय प्रतिलिप्यधिकार का पाकिस्तान में उल्लंघन

†४०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रकों के प्रतिलिप्यधिकार का पाकिस्तान में उल्लंघन रोकने के मामलों के संबंध में द्विपक्षीय समझौते के संबंध मे पाकिस्तान से हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के संबंध में पाकिस्तान के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

†४०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड संबंधी सिफारिशों की परीक्षा कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद् की क्रिकेट के संवर्द्धन के संबंध में अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करली हैं । तथा उन्होंने राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों इत्यादि से इन सिफारिशों को यथासंभव क्रियान्वित करने को कहा है ।

सायंकालीन कालेज

†४०५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सायंकालीन कालेजों के संचालन की वांछनीयता की जांच करने के निमित्त नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) समिति ने यह राय जाहिर की है कि सरकार की तीसरी योजना के अन्तर्गत कुछ चुने हुए कालेजों को सायंकालीन कालेज और डाक द्वारा शिक्षा देने के लिये सहायता देने की योजनाओं की प्रगति को देखते रहना उपयुक्त होगा ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समिति की सिफारिशें स्वीकार करली हैं और इस निश्चय पर पहुंची हैं कि समिति के लिये अपना काम जारी रखना आवश्यक नहीं है ।

कोलार की सोने की खानें

†४०६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से मैसूर सरकार द्वारा प्राप्त हुए कोलार की सोने की खानों को ले लिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लन्दन के एक बैंक में हैदराबाद का रुपया

†४०७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुन्नी लाल :
श्री पाणिग्रही : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ फरवरी १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के १० लाख पौंड के संबंध मे जो कि लंदन के वैस्टमिन्सटर बैंक में पड़े हुए हैं, उनकी वसूली की नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** स्थिति वही चली आ रही है जो कि २२ फरवरी १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या २४६ का उत्तर देने के समय थी ।

जनता कालेज जांच समिति

†४०८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जनता कालेजों के कार्य की जांच करने के लिये स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किन मुख्य नतीजों पर पहुंची है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं । यह समिति अभी अपना काम कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोहिन्द्रगढ़ का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†४०९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मोहिन्द्रगढ़ जिले का पूर्ण भूतत्वीय सर्वेक्षण करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय भारतीय जड़ी-बूटी संगठन

†४१०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परिषद् ने भारतीय जड़ी बटी संगठन की रचना की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि दी गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) इस संगठन के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं : (१) औषधीय एवं गन्ध वाले पौदों के क्षेत्र में भारत के विभिन्न संगठनों के कार्यों का समन्वय एवं उनका दिशानिर्देश करना (२) देश में इन पौदों के वर्तमान संसाधनों का विकास करना (३) वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण औषधियों और गंधवाले पौदों की बड़े पैमाने में कृषि करना (४) उच्च सक्रियता वाले विदेशी पौदों की खेती आरम्भ करना (५) इस उद्योग को वैज्ञानिक आधार पर लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना ।

(ग) वर्ष १९६१–६२ के लिये १०·१२ लाख रुपये दिये गये हैं ।

प्रशिक्षित तकनीकी अध्यापक

†**४११. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशिक्षित तकनीकी अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल की समाप्ति तक देश में पड़ने वाली प्रशिक्षित तकनीकी अध्यापकों की आवश्यकता पूरी करना सम्भव है ; और

(ग) इसके लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) (१) इंजीनियरिंग कालेजों में अध्यापन कार्य के लिये कुछ होनहार युवा स्नातकों के प्रशिक्षण का एक 'तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम' कार्यान्वित किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय १९२ अध्यापक-प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण चल रहा है । प्रस्ताव है कि चालू योजना काल में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये ८०० और उम्मीदवारों को दाखिल किया जाये ।

(२) अध्यापन वृत्ति की ओर अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये, केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी अध्यापकों के वेतन-क्रमों के सुधार की एक योजना मंजूर की है ।

(३) पोलीटेकनिक्स के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये देश भर में बड़े पैमाने पर सुविधायें जुटाई जायेंगी । इसकी ब्यौरेवार योजना तैयार की जा रही है ।

(४) विभिन्न विदेशी सहायता कार्यक्रमों और छात्र-वृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अनेक अध्यापक विदेशों में प्रशिक्षण पर पा रहे हैं ।

(ख) आशा है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अध्यापकों की आवश्यकता एक काफी हद तक पूरी हो जायेगी ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये १४३ लाख रुपयों की एक व्यवस्था की गई है ।

राज्यीय योजनाओं में अध्यापक प्रशिक्षण के अंशकालिक, अल्पकालीन और विशेष पाठ्यक्रमों के कार्यक्रमों के लिये कुल मिला कर १३१·६० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल पुस्तक न्यास

†४१२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
{ **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल पुस्तक न्यास के कार्यालय की इमारत के निर्माण और प्रेस की संस्थापना में आगे क्या प्रगति हुई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: इमारत की नींव डालने का काम शुरू हो गया है और उसकी संतोषजनक प्रगति हो रही है । प्रेस की संस्थापना पर तभी विचार किया जा सकता है जब इमारत की तीन मंजिलें तैयार हो जायें ।

असमर्थ बच्चों की शिक्षा

†४१३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में असमर्थ बच्चों की शिक्षा के विस्तार के लिये कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है; और

(ख) तृतीय योजना में इस कार्य के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]**

भारत में साम्प्रदायिक और भाषाई सामंजस्य

†४१४. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
{ **श्री चुनी लाल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्प्रदायिक और भाषाई संवादिता पैदा करने के लिये राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में एक संकल्प स्वीकार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संकल्प की परीक्षा की है ;

(ग) सरकार ने उसे किस सीमा तक स्वीकार किया है ; और

(घ) सरकार संकल्प के स्वीकृत अंश की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनवरी, १९६१ में हुए अपने ६६वें अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में एक संकल्प स्वीकृत किया था । उस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय ऐक्य समिति नियुक्त की गई थी और मई, १९६१ में दुर्गापुर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में उसके प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया गया था ।

(ख). से (घ) सरकार राष्ट्रीय ऐक्य समिति के बुनियादी दृष्टिकोण को स्वीकार करती है । मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में इस मामले में विचार किया गया था और राज्य सरकारों

†मूल अंग्रेजी में

को कई सुझाव दिये गये थे । मुख्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में इस पर आगे विचार किया जायेगा ।

सरकार धर्म, जाति, भाषा या सम्प्रदाय या किसी अन्य कारण से पैदा होने वाले साम्प्रदायिक और अलगाव के रुझानों को अधिक प्रभावशील ढंग से रोकने के लिये, अन्य उपायों के साथ-साथ, भारतीय दण्ड संहिता और लोक प्रतिनिधान अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधान प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ।

कोयला खानें

†४१५. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री मुरारका : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में जुलाई के अन्त तक कितनी छोटी-छोटी कोयला खानों को ऐच्छिक आधार पर एक-दूसरी में मिलाया गया ;

(ख) प्रति माह १०,००० टन से कम कोयला निकालने वाली कोयला खानों का कुल उत्पादन कितना है ; और

(ग) पिछले छः महीनों में कितनी कोयला खानें बन्द हुई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सात ।

(ख) लगभग १६.९ लाख मैट्रिक टन प्रति माह ।

(ग) कोई नहीं ।

हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये अन्य राज्यों के कालेजों में स्थान सुरक्षण

†४१६. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पशु-चिकित्सा, कृषि, ... और अन्य व्यावसायिक कालेजों में दाखिल करने के लिये किन-किन राज्यों में स्थान सुरक्षित करने की मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या दाखिले के लिये विद्यार्थियों को अपेक्षित नम्बरों के मामले में कोई रियायत दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) निम्नलिखित राज्यों ने अपने यहां के व्यावसायिक कालेजों में हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के दाखिले के लिये स्थान सुरक्षित करने की अनुमति दी है :—

१. चिकित्सा—पंजाब, राजस्थान, जम्मू तथा कश्मीर और दिल्ली ।

२. इंजीनियरिंग—पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ।

३. पशु-चिकित्सा—पंजाब, आसाम, मद्रास, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

४. कृषि---पंजाब और राजस्थान ।

५. वन---उत्तर प्रदेश ।

६. अन्य संस्थायें:---(१) हिमाचल प्रदेश का कल्याण विभाग इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिये उम्मीदवार भेजने का प्रबन्ध करता है :---

(१) टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज़, बम्बई (महाराष्ट्र) ।

(२) आल इंडिया इन्स्टीट्यट ऑफ सोशल वैलफेयर एण्ड बिजनैस मैनेजमेंट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) ।

(३) दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली ।

(२) हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिये 'ट्रेनिंग कालेज फॉर वीमेन', शिमला (पंजाब), में पांच, 'लेडी इर्विन कालेज,' दिल्ली में गृह-विज्ञान के लिये दो और 'फीजिकल ट्रेनिंग कॉलेज', पटियाला (पंजाब) में दो स्थान सुरक्षित रहते हैं। 'नॉदर्न रीजनल स्कूल ऑफ प्रिंटिंग टेकनॉलाजी', इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

(३) हिमाचल प्रदेशीय प्रादेशिक परिषद् का शिक्षा विभाग इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिये उम्मीदवार भेजने का प्रबन्ध करता है :---

(१) वाई० एम० सी० ए०, मद्रास (मद्रास) ।

(२) बी० एस० पी०, अमरावती (महाराष्ट्र) ।

(३) गवर्नमेंट आर्टस स्कूल, शिमला (पंजाब) ।

(४) इन्डस्ट्रियल स्कूल फॉर गर्ल्स, शिमला (पंजाब) ।

(५) नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, फागवारा (पंजाब) ।

(ख) और (ग) १. चिकित्सा---इस वर्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये पांच प्रतिशत नम्बरों की रियायत दी गई।

२. इंजीनियरिंग---मालूम नहीं ।

३. पशु-चिकित्सा---नहीं ।

४. कृषि---नहीं ।

५. वन---नहीं ।

६. अन्य संस्थायें---नहीं ।

बर्फीले क्षेत्रों में चुनाव

†४१७. **श्री हेम राज** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बर्फीले क्षेत्रों में भी, देश के शेष भागों के साथ ही, सामान्य निर्वाचन कराने की संभावना का पता लगाने में क्या प्रगति हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश के शेष भागों के साथ ही पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में सामान्य निर्वाचन कराना व्यावहारिक नहीं है। अगले सामान्य निर्वाचन का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है, पर निर्वाचन आयोग अस्थायी तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि देश के शेष भागों में मतदान के लिये सबसे अधिक सुविधाजनक समय फरवरी का अन्तिम सप्ताह रहेगा। आयोग बर्फीले क्षेत्रों में मतदान कराने के लिये अप्रैल में कुछ विशेष आयोजन करने का प्रयास कर रहा है।

निवास अधिनियम, १९५७

†४१८. **श्री हेम राज**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी नौकरी (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ४४ अधिनियम) किस वर्ष की किस तिथि को व्यपगत हो रहा है ;

(ख) क्या उस तिथि के बाद भी उसका कार्य-काल बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सरकारी नौकरी (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, १९५७ की धारा ३ और उसके अधीन बनाये गये नियम २१ मार्च, १९६४ से प्रभावी नहीं रहेंगे। अधिनियम की अन्य व्यवस्थायें अनिश्चित काल तक प्रभावी बनी रहेंगी।

(ख) और (ग). इस अवस्था पर प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से भिखमंगों का बड़ी संख्या में आना

†४१९. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पाकिस्तान सरकार द्वारा भिखमंगी को एक दण्डनीय अपराध घोषित करने के बाद से, वहां के भिखमंगे एक भारी संख्या में सीमा लांघ कर भारत में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने भिखमंगे आये हैं; और

(ग) उनको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले भिखमंगों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

†४२०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कितने तक की छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां ।

(ख) २७० छात्रवृत्तियां, जिनका कुल मूल्य २४,६०० रुपये होगा ।

पूना में महिला छात्रावास

†४२२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में श्रीमती कमला नेहरू के नाम पर एक महिला छात्रावास का निर्माण हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की लागत कितनी होगी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उसमें कुछ अंशदान कर रही है; और यदि हां, तो कितना ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**) : (क) हमें पूना में ऐसे किसी छात्रावास के निर्माण की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्लाटों का दिया जाना

४२३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें दिल्ली में २ अक्तूबर तक भूमि के प्लाट देने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका अधिकृत व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी हां । मुख्य आयुक्त ने यह वक्तव्य दिया था कि सरकार ने अक्तूबर, १९६१ के अन्त तक २००० प्लाट तैयार करने का प्रबन्ध कर लिया है । सफदरजंग हस्पताल के पीछे लगभग २७० एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है और विकास कार्य आरम्भ हो चुका है ।

दिल्ली के छात्रों को पब्लिक स्कूलों के लिये योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां

४२४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में दिल्ली से कितने छात्रों को पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के हेतु चुना गया; और

(ख) उन्हें छात्रवृत्तियों की कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) २८ ।

(ख) ८७,३४० रुपये ।

दिल्ली में धर्मार्थ छात्रवृत्तियां

४२५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शिक्षा संचालक द्वारा धर्मार्थ छात्रवृत्तियां दिये जाने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो ये किन लोगों को दी जाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां।

(ख) गरीब सरकारी कर्मचारियों के अनाथ बच्चों को ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अन्य स्थितियां समान रहने पर, काम करते समय मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।

दिल्ली के औद्योगिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां

४२६. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष १९६०–६१ में कितने विद्यार्थियों को औद्योगिक स्कूल की छात्रवृत्तियां दी गई;

(ख) कितनी राशि दी गई; और

(ग) इन छात्रवृत्तियों का स्वरूप क्या है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) ५०।

(ख) १२५० रुपये प्रति वर्ष।

(ग) ये छात्रवृत्तियां सरकारी औद्योगिक स्कूल, दरियागंज, दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद दी जाती हैं। ४० रुपये प्रतिवर्ष की २५ छात्रवृत्तियां और १० रुपये प्रति वर्ष की २५ छात्रवृत्तियां (२ महीने की गर्मियों की छुट्टियों को छोड़कर बाकी १० महीनों के लिए) उन विद्यार्थियों को दी जाती हैं जो स्कूल के क्रमशः मिडिल और प्राथमिक विभागों में पढ़ रहे हैं।

दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों को खुली छात्रवृत्तियां

४२७. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में दिल्ली प्रशासन ने स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को खुली छात्रवृत्तियां प्रदान कीं; और

(ख) ये छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी गईं और किस कक्षा के छात्रों के दी गईं?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

	मिडिल विभाग	उच्च माध्यमिक विभाग
नयी छात्रवृत्तियां	४०	१६
नवीकरण	८०	३२

(ख) ये छात्रवृत्तियां शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगितामूलक (कम्पीटीटिव) परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं, जिसमें मान्यता-प्राप्त स्कूलों की केवल पांचवीं और आठवीं कक्षा के वे विद्यार्थी वैठ सकते हैं जिन्होंने प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो।

छात्रवृत्तियां तीन वर्ष के लिए दी जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल

४२८. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कितने छात्र परीक्षा में बैठे;

(ग) और उनमें से कितने परीक्षा में सफल हुए; और

(घ) सफल परीक्षार्थियों का श्रेणीवार व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली) : (क) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का इस वर्ष का परीक्षा परिणाम ५६% है। यह विशेष संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

(ख) २६१५ ।

(ग) १४६७ ।

(घ) प्रथम श्रेणी—२६
द्वितीय श्रेणी —४१८
तृतीय श्रेणी—९६३ ।

दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

४२९. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सूपकार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस में लड़कियों के स्कूलों की कमी अनुभव की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने नये प्राथमिक स्कूल खोल कर और विद्यमान स्कूलों में नयी शाखाएं (सेक्शन) खोल कर स्कूल संबंधी सुविधाएं पर्याप्त रूप में बढ़ा दी हैं। स्कूल भवनों के निर्माण का विस्तृत कार्यक्रम भी आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सशस्त्र बल प्रधान कार्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती

†४३०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५-५९ वर्षों में सशस्त्र बलों ने लोअर डिवीजन क्लर्कों की नयी भर्ती बाहर से की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ये भर्तियां निचले स्तरों से क्लर्कों के स्थानांतरण के अतिरिक्त की गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये नयी भर्तियां इसलिये की गई थीं कि क्लर्कों की न्यूनता/अतिरिक्त समायोजन योजना के अन्तर्गत पर्याप्त क्लर्क नहीं मिल रहे थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) ऐसी भर्ती १९५५–५८ में की गई थी । १९५९ में ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई ।

(ख) और (ग). जी, हां ।

राझरा लौह अयस्क खान

†४३१. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राझरा लौह अयस्क खान के अधिकांश मजदूर झोंपड़ियों में रह रहे हैं ;

(ख) क्या उनकी झोंपड़ियों की दशा बड़ी दयनीय और रहने के लिये अनुपयुक्त है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके लिये मकान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं । केवल कुछ ही झोंपड़ियों में रह रहे हैं ।

(ख) और (ग). कुछ झोंपड़ियों की हालत खराब हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि रहन-सहन के योग्य न हों । राझरा खानों के अधिकांश मजदूर अस्थायी हैं और इसलिये अधिकांश अस्थायी मजदूरों के लिये स्थायी मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि खानों में जैसे ही हाथों के स्थान पर यंत्रों से काम शुरू हो जायेगा, वैसे ही अस्थायी मजदूरों की संख्या एकदम घट जायेगी । फिर भी, परियोजना–अधिकारियों की योजना है कि खानों के पूर्ण यंत्रीकरण के वाद भी रहने वाले स्थायी मजदूरों के लिये ७५० स्थायी क्वार्टर्स बनाये जायेंगे । उनमें से ३७० क्वार्टर बन भी चुके है और उनमें मजदूर रह रहे हैं । शेष क्वार्टरों का निर्माण चल रहा है । ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले मजदूरों के लिये झोंपड़ियां बनाने के लिये ठेकेदारों को झोंपड़ी बनाने की सामग्री दे दी गई है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निलम्बन

†४३२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० की हड़ताल में भाग लेने के आरोप पर कितने असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ;

(ख) उनके विरुद्ध स्पष्ट आरोप क्या थे ; और

(ग) उनमें से कितनों को काम पर वापस ले लिया गया है और कितनों को सेवा से पदच्युत/निकाला/सेवामुक्त किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ७१२ ।

(ख) सामान्यतया, निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप थे : अवैध घोषित हुई हड़ताल में हिस्सा लेना और ड्यूटी से गैर हाजिर रहना, हिंसा, अनुचित दबाव या अन्य घोर दुर्व्यवहार के काम करना ।

(ग) ६६७ को काम पर वापस ले लिया गया है और ४५ को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

४३३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की सभी इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) प्रथम धमन भट्टी के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) भिलाई कारखाने के निर्माण पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की सभी मुख्य इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ।

(ख) ५५० लाख रुपये (लगभग) (सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इत्यादि को मिला कर) ।

(ग) १९४९१·१ लाख रुपये (३ मई १९६१ तक) (सहायकों सहित) ।

विदेश जाने वाले छात्र

४३४. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में भारत से कितने विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गये ;

(ख) इन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों को राजकीय छात्रवृत्ति प्रदान की गई ;

(ग) वर्ष १९६०–६१ में विदेशी छात्रवृत्ति के लिए कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ;

(घ) उनमें से कितने प्रार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई ; और

(ङ) छात्रवृत्ति दिये जाने के नियम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नारनौल में स्मारक

४३५. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारनौल (पंजाब) में जो एक बहुत पुराना भवन है, वह क्या अकबर के दरबारी बीरबल का महल है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का, उस भवन की देख-रेख अपने हाथ में लेने का विचार है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) नारनौल में मुकुंदराय या बीरबल छाता नाम की एक पुरानी रहने की इमारत है लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि उसे बीरबल ने बनवाया था या वे उसमें रहते थे ।

(ख) जी, नहीं ।

प्रवाल द्वीपों के लिये योजना में बंटवारा

†४३६. { **श्री सा० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में लक्कद्वीप, मिनिकोय और अमीनद्वीप प्रबाल द्वीप समूह की दशा के सुधार के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) प्रथम और द्वितीय योजनाओं के दौरान आवंटित राशियों के मुकाबले वह कितनी हैं ; और

(ग) क्या मत्स्य क्षेत्रों और गहरे समुद्र की मछलीमारी के विकास के लिये विशेष तौर पर कोई राशि रखी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इन द्वीपों के लिये ९७.९६० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) प्रथम योजना में इन द्वीपों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । वे १९५६ में ही संघ क्षेत्र बने थे । इन द्वीपों की द्वितीय योजना में ७३.८५० लाख रुपयों की व्यवस्था थी ।

(ग) इन द्वीपों की तृतीय योजना के प्रारूप में मत्स्य क्षेत्रों के विकास के लिये १८·०० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

विज्ञान मंदिर

४३७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान मन्दिरों के कार्य के बारे में नियक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं उनमें से प्रत्येक पर अब तक क्या निश्चय किया गया है और कार्यवाही की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : राज्य सरकारों के अफसरों की एक बैठक नई दिल्ली में १९ और २० अगस्त १९६१ को बुलाई गई है । इसमें विज्ञान मंदिरों के भविष्य संबंधी ब्यौरों पर चर्चा होगी और साथ ही

†मूल अंग्रेजी में

निर्धारण समिति की सिफारिशों के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में किये गये फैसलों पर आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी चर्चा होगी ।

दिल्ली की सरकारी बस्तियों में मनोरंजन केन्द्र

४३८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या गृह-कार्य मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण करने की जो योजना स्वीकृत की गई थी उनमें से प्रत्येक के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : निम्नलिखित कालोनियों में एक-एक मनोरंजन केन्द्र बनाए जा चुके हैं—

१. चाणक्यपुरी
२. मोती बाग
३. लोदी कालोनी
४. लक्ष्मी बाई नगर
५. पण्डारा रोड
६. भारती नगर
७. रबिन्द्र नगर

निम्नलिखित कालोनियों में भी एक-एक पूर्व विरचित ढांचे भी बनाए गए हैं—

८. ब्लाक ८०, पंचकुई रोड
९. ब्लाक ८५, पंचकुई रोड
१०. ब्लाक ८५-ए, पंचकुई रोड
११. राजा बाजार

श्रीनिवासपुरी तथा मोती बाग २ में मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी है । कस्तूरबा नगर केन्द्र पर भी कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा, जब अनाधिकारी लोग उस जगह को खाली कर देंगे । उनको हटाने के लिये कार्यवाही ही जा रही है ।

जीवन बीमा निगम

४३९. श्री भक्त दर्शन : क्या **वित्त** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९६० से अब तक जीवन बीमा निगम की भारत व विदेशों में किन किन स्थानों पर शाखायें, समन्वयकारी कार्यालय और उप-कार्यालय स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) आगे के लिये इस संबंध में किस प्रकार का विस्तार कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

भारत में शाखा कार्यालय ६

दिल्ली (दो कार्यालय), लुधियाना शहर (द्वितीय), जयपुर शहर (द्वितीय), कलकता शहर (दो कार्यालय) और बम्बई (तीन नगर कार्यालय)।

उप-कार्यालय जिनका दर्जा ऊंचा करके उन्हें शाखा कार्यालय बना दिया गया है २५

चंडीगढ़, यमुनानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, फगवाड़ा, मोगा, धर्मशाला, इन्दौर शहर (द्वितीय), सुल्तानपुर, देवरिया, दुर्गापुर, मोतीहारी, ट्रिप्लिकेन, बंगलौर (द्वितीय), बंगलौर (तृतीय), हसन, कुडप्पा, रायचूर, मदुराई (द्वितीय), अमलापुरम, श्रीकाकुलम, नदियाद, नदेड, सांगली और रत्नगिरि।

उप-कार्यालय ४७

रेवाड़ी, चुरू, नागौर, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चितौड़गढ़, अम्बाला शहर, संगरूर, जगरांव, पानीपत, भिवानी, अनन्तनाग, बारामूला, जालन्धर छावनी, कपूरथला, जंडयालागुरु, मुक्तसर, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल, मन्दसौर, रायगढ़, बस्ती, बलिया, रीवा, आसनसोल, शहर, डाल्टनगंज, पटना शहर, मद्रास शहर, पांडीचेरी, तिरुवल्लूर, पोल्लांची, मंजेरी, ओट्टापलम्, अरियलूर, अनकापल्ली, तेनाली, नरसरापेट, रामचन्द्रपुरम्, विजयवाड़ा, कोचीन, पलाई, चेंगान्नूर, बीजापुर, बोरीवली, कल्याण, दभोई और चांदा।

विदेशों में

शाखा कार्यालय १

लन्दन।

(ख) १९६१ में इन कार्यालयों को खोलने की मंजूरी दी गयी :—

शाखा कार्यालय . .	७
उप-कार्यालयों का दर्जा ऊंचा करना .	३४
उप-कार्यालय	६४

उपर्युक्त कार्यालयों में से निगम ने २८ जलाई, १९६१ तक निम्नलिखित कार्यालय खोले हैं :

शाखा कार्यालय	७
उप-कार्यालय जिनका दर्जा ऊंचा करके शाखा कार्यालय बनाया गया	२५
उप-कार्यालय	४२

१९६१ में विदेशों में कोई कार्यालय खोले जाने की योजना नहीं है।

सीमा की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे

†४४०. **श्री अजित सिंह सरहदी : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सीमा की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली कार्यवाहियों,—जिनको दंडविधि संशोधन अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत अपराध घोषित किया गया है,—के विरुद्ध कोई मुकदमे चलाये गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां, और उनका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) दंड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बोखारो के निकट गैसयुक्त खानें

†४४१. **श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झारौडी में बोखारो के निकट तीन गैस-युक्त खानों को 'ब्रिटिश नेशनल कोयला बोर्ड' लेने के लिये तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). शायद जारांग-डीह खान का उल्लेख किया जा रहा है । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं कि इंगलैंड का नेशनल कोयला बोर्ड उसे अपने अधिकार में ले ले। सरकार की योजना यह है कि नेशनल कोयला बोर्ड, इंगलैंड के विशेषज्ञ कई वर्ष से परित्यक्त इन खानों की परीक्षा करके उनके पुनः खोलने और विकसित करने के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे । तब राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उस परियोजना-प्रतिवेदन पर विचार करेगा ।

महाराष्ट्र में तेल-निक्षेप

†४४२. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में तेल-निक्षेपों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उस क्षेत्र की भू-तत्वीय बनावट के कारण, उसे तेल निक्षेपों के लिये अनुकूल नहीं समझा गया ।

मनीपुर की थौबल तहसील में चक्रवात

†४४३. **श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की थौबल तहसील में २० मई, १९६१ को एक चक्रवात आने से अत्यधिक हानि पहुंची थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई और प्रभाव-ग्रस्त क्षेत्र की जनता को सहायता के रूप मे कितनी राशि दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) अनुमान है कि लगभग ६७,४५५ रुपये की हानि हुई थी। सहायता के लिये उपदान के रूप में ११,८१५ रुपये मंजूर किये गये हैं।

मनीपुर में प्राथमिक स्कूल

†४४४. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में एक समिति इस बात की जांच के लिये नियुक्त की गई थी कि क्या मनीपुर में प्राथमिक स्कूलों की भरमार से शिक्षा के वास्तविक हित और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने सरकार के सामने अपनी क्या उपपत्तियां रखी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) समिति का प्रन्विदन अभी नहीं मिला है।

आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

†४४५. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने १९६०–६१ से आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की लेखा-परीक्षा आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या इस नयी लेखा-परीक्षा के लिये एक विशेष शाखा बनाई गई है ; और

(ग) इस प्रकार की लेखा-परीक्षा में कितना समय लगेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, हां। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने १९६१–६२ से एक नियमित आधार पर आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से होने वाली आय और वापसी की लेखा-परीक्षा शुरू कर दी है। १९६०–६१ में तो एक परीक्षण के तौर पर ही लेखा-परीक्षा की गई थी। उस समय केवल कुछ ही आयकर आयुक्तों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संग्राहकों के लेखों की लेखापरीक्षा की गई थी।

(ख) इसके लिये अलग से कोई संगठन नहीं बनाया गया है। अभी इस समय तो यह काम उन महालेखापालों को ही सौंपा गया है जिनके लेखा-परीक्षा क्षेत्राधिकार में आयकर आयुक्त और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संग्राहक आते हैं।

(ग) इन दो विभागों की आय और वापसी की लेखा-परीक्षा नियमित आधार पर शुरू कर दी गई है। इस प्रकार अब लेखा-परीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया बनी रहेगी और बड़े-बड़े आयकर आयुक्तों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संग्राहकों के कार्यालयों में तो वर्ष भर लेखा-परीक्षा चलती रहेगी। प्रत्येक आयुक्त/संग्राहक के अधीन कार्यालयों की लेखा-परीक्षा में वहां काम के परिणाम के अनुसार समय लगेगा।

पूंजी निर्गम पर नियन्त्रण

†४४६. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजी निर्गम संबंधी सलाहकार समिति की हाल ही की बैठक में कुछ चर्चा के बाद, पूंजी निर्गम पर नियंत्रण के मामले में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंडमान द्वीप

†४४७. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान में बसाये गये परिवारों की कूल संख्या क्या है और विस्तार से ये भारत के किन किन राज्यों से लिये गये हैं;

(ख) क्या इस दिशा में प्रत्येक राज्य का कोई कोटा निर्धारित किया गया है ; यदि हां, तो वह विस्तार क्या है ; और

(ग) वहां बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से क्या सहायता दी गयी है और क्या यह सहायता देने में एक रूपता को कायम रखा गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). अंडमान में बसने वालों के सम्बन्ध में विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

भारत पेंशनर समाज

†४४८. **श्री विद्या चरण शुक्ल** :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह कार्य** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेन्शनर समाज की ओर से प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन की बातों का परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार के निर्णय क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) समुचित मामलों में पेंशन पाने वाले लोगों की सेवाओं का उपभोग किया जा सकता है। समाज की अन्य प्रस्थापनाओं को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं।

तीसरा वित्त आयोग

†४४९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वित्त आयोग ने किन किन राज्यों का दौरा कर लिया है और क्या आयोग को राज्यों और केन्द्र को बांटे जाने के लिये आयकर तथा सम्पदा कर के 'पूल' के बारे में कोई नया सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है और आयोग की इस के प्रति प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). पता चला है कि आयोग आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मैसूर, बिहार और पंजाब का दौरा कर चुका है। आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, अतः उस से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह समय से पूर्व ही अपना प्रतिवेदन बता दे और कह दे कि आयोग को क्या सुझाव प्राप्त हुये और उन के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

सोने का पकड़ा जाना

†४५०. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० च० शर्मा : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९६१ से जून १९६१ के अन्त तक जो सोना सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा वह कितनी कीमत का है ;

(ख) अब तक जिन तस्कर व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया है उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) ये तस्कर व्यापारी किन किन राष्ट्रों के थे ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सीमा शुल्क, भूमि शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने जनवरी से जून तक के ६ मास मे १५४,७३,००० रुपये का सोना पकड़ा है।

(ख) १६ व्यक्ति ।

(ग) ६ भारतीय, ४ अंग्रेज, २ फिलिपाइन के, १ गोवा निवासी, १ पाकिस्तानी, १ दुबई और १ कुवैती ।

कुसाम्बी में खुदाई

†४५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद विश्व विद्यालय द्वारा कुसाम्बी के स्थान पर खुदाई करवाई गई है, उस के परिणाम स्वरूप, कुसाम्बी के पुरातन राजाओं का एक पत्थर का महल मिला है;

(ख) यदि हां, तो खुदाई का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इतिहास को इस से क्या लाभ हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) १९६०—६१ में खुदाई के फलस्वरूप कुसाम्बी के पुरातन राजाओं का एक पत्थर का महल—दुर्ग खोजा गया है। यह यमुना के ऊपर स्थित है जो कि पुरानी नगर दीवार के दक्षिण पश्चिम में है, इस महल का क्षेत्रफल, १०१५×५०० फीट है। पत्थर की दीवार और अन्य बनावट ७०० ईसा पूर्व से लेकर ईसवी की प्रथम शताब्दी के बीच के दस कालों की है।

(ग) इस खोज से यह विचार दृढ़ हो गया है कि भारत की वस्तु कला का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। उस पर न पारसियों का और न ही हिन्द ग्रीक लोगों का कोई प्रभाव था।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले की ढुलाई

४५२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि ३१ मार्च, १९६१ को कोयला खदानों पर विशेष रूप से ग्रेड २ व ३ के कोयले की कितनी मात्रा थी और गत वर्ष इसी तिथि को यह मात्रा कम थी या अधिक;

(ख) क्या उपरोक्त ग्रेड के कोयले की मात्रा दिन प्रति दिन बढ़ रही है और वैगनों की कमी के कारण निम्न ग्रेड के कोयले की ढुलाई नहीं हुई है;

(ग) यदि कोयला खदानों के पास इस प्रकार पड़ा है तो कोयले की निकासी का लक्ष्य ऊंचा क्यों रखा जाता है; और

(घ) इस बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) निम्नलिखित आंकड़े कोयले खदानों के पास पड़े हुए कोयले के संचयों की स्थिति को बताते हैं:—

ग्रेड	मिलियन मीटरिक टनों में संचय	
	३१–३–१९६१ तथा	३१–३–१९६० को
ग्रेड—२	१.३५	१.००
ग्रेड—३	०.९९	०.८०

(ख) अन्य श्रेणियों की तरह कोयले की निम्न श्रेणियों के संचय कुछ समय से बढ़ रहे हैं, परन्तु यह कहना गलत है कि निम्न श्रेणियों के कोयले की बिल्कुल ढुलाई नहीं हुई है।

(ग) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के आंकन के आधार पर उत्पादन का लक्ष्य अग्रिम रूप में नियत किया जाता है। कोयला खदानों के पास पड़े हुए कोयले के संचयों में समय समय पर विभिन्न तथ्यों के कारण परिवर्तन होता रहता है और ऐसे संचयों के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करना ठीक नही होगा।

(घ) कोयले की ढुलाई में तेजी करने के लिए सरकार ने विभिन्न तरीके अपनाये हैं। उनमें से कुछ तरीके निम्नलिखित हैं:—

(१) जुलाई से बंगाल/बिहार क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग २०० वैगनों द्वारा रेल परिवहन की क्षमता में वृद्धि लाना।

(२) पूर्व समय में तटीय मार्ग द्वारा प्रतिमास लगभग १२ जहाजों से लेकर १४ जहाजों द्वारा की जाने वाली ढुलाई के स्थान पर वर्तमान समय में जैसे-जैसे जहाजों में ढुलाई के लिए अधिक स्थान प्राप्त होगा, प्रतिमास लगभग ३० जहाजों द्वारा कोयले की ढुलाई में वृद्धि करना।

(३) सड़कों द्वारा कोयले की ढुलाई का अधिक मात्रा में करना।

(४) पूरी और आधी माल गाड़ियों में कोयले की योजित ढुलाई को जारी करना।

(५) जहां पर सम्भव हो, सप्ताह के सातों दिनों में कोयले के लदान कार्य को जारी करना।

उड़ीसा में केन्द्रीय मन्त्रियों का आगमन

†४५३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, १९६१ में जो केन्द्रीय मंत्री उड़ीसा राज्य में गये उनके नाम क्या है;

(ख) इस बीच उन्होंने जो यात्रा भत्ता इत्यादि प्राप्त किया उसकी राशि क्या है; और

(ग) इस बीच उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने में कितनी राशि खर्च की गयी ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†४५४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में उड़ीसा के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ा दिये गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कुछ राशि दी है; और

(ग) कब से वेतन क्रम बढ़ाया गया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ग). प्राइमरी अध्यापकों के वेतनक्रम १–३–६१ से बढ़ा दिये गये है। इस क्रम में उनके वेतन निर्धारित हो जाने के बाद उन्हें ये वेतन मिल जायेंगे। गैर-सरकारी प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में इस दिशा में की गयी वेतन आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ख) राज्य योजना के सभी भागों को एक साथ केन्द्रीय सहायता देने की योजना वित्त मंत्रालय ने बनाई है।

उड़ीसा के चुनाव में अवैध मत

†४५५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में उड़ीसा में आम चुनाव से पहले हुए चुनावों में जिन मतदाताओं ने मतदान किया उनकी संख्या क्या है;

(ख) जो मत अवैध घोषित हुये उनकी जिलेवार संख्या क्या है; और

(ग) जिनमें मतदान सब से अधिक रहा वह क्षेत्र कौन से हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) उड़ीसा के हाल ही के मध्यावधि चुनाव में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग ३१,२६,२४५ है।

(ख) जिलेवार अवैध घोषित किये जाने वाले मतदाताओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

कोरापट	१२,८७०
गंजम	२३,०९३
फुलबनी	२,८४५
कालाहांडी	१७,०५६
बोलंगिर	१४,१६८
सम्बलपुर	१६,३०५
सुन्दरगढ़	१०,७९५
क्योंझर	५,२०८
धनकनाल	११,१३५
पुरी	१७,७७९
कटक	३६,०४५
बालासोर	१३,३११
मयूरभंज	१३,३५०

(ग) कटक जिले के बारम्बा चुनाव क्षेत्र में मतदान सब से अधिक हुआ। वह ६२.१५ प्रतिशत था।

तीसरा वित्त आयोग

†४५६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरा वित्त आयोग उड़ीसा के दौरे पर गया था;

(ख) यदि हां, तो उसे उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ; और

(ग) राष्ट्रपति शासन के समाप्त होते ही अब आयोग क्या पुनः उड़ीसा जायेगा ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आयोग एक स्वतन्त्र निगम है, यह अपना राज्यों में जाने का तथा अभ्यावेदन प्राप्त करने का कार्यक्रम भारत सरकार को नहीं बताती न ही उनसे सरकार यह अपेक्षा ही करती है।

सोने का तस्कर व्यापार

†४५७. { श्री आसार :
श्री चुनी लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के देवगढ़ पत्तन पर भारी मात्रा में तस्कर सोना पकड़ा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विस्तार से मामला क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां ; १४ अप्रैल, १९६१ के लगभग ४९, ९९० तोला (५,८३०७३·१६ ग्राम) विदेशी मोहर वाला सोना देवगढ़ पत्तन पर एक स्थानीय जहाज से सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा ।

(ग) इस दिशा में ९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिन्हें कि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया जांच चल रही है । विभागीय कार्यवाही करने तथा अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है

जीवन बीमा

†४५८. **श्री अचार** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारी बम्बई में लोगों से सम्पर्क स्थापित कर के घर घर से जीवन बीमा की पर्याप्तता के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार जो आंकड़े एकत्रित किये उनके आधार पर क्या परिणाम निकाले गये हैं ; और

(ग) क्या निगम का विचार इस आन्दोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में भी चालू करने का है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने के कारण कोई परिणाम नहीं निकाला गया ।

(ग) अभी नहीं, पर यह आन्दोलन समुचित क्षेत्र कर्मचारी उपलब्ध होने पर कुछ ऐसे नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किया जायेगा जहां खर्च अधिक नहीं होगा ।

आसाम की काटीगोरह निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव

†४५९. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काटीगोरह चुनाव क्षेत्र का चुनाव जुलाई १९६१ में निश्चित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो चुनाव को स्थगित क्यों किया गया था ; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

†**विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). मुख्य चुनाव अधिकरी आसाम की ओर से चुनाव आयोग को कहा गया था कि सामान्य हालतों में काटी गोरह चुनाव क्षेत्र में २ जुलाई को मतदान करवा लिया जाये । परन्तु इसके तुरन्त बाद विधान मंडल के चार

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों ने चुनाव आयोग को लिखा कि वर्षा और कृषि कार्यों के कारण उपचुनाव बहुत ही असुविधाजनक रहेगा। यह भी विचार था कि अब ग्राम चुनाव भी निकट भविष्य में हो रहे हैं। अतः सारी बातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह निर्णय किया कि श्री हेम चन्द्र चक्रवर्ती की मृत्यु से जो स्थान खाली हुआ है वहां उपचुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है ।

समुद्र द्वारा जाने वाला कोयला

†४६०. **श्री अरविन्द घोषाल : क्या इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के उद्योगपतियों ने समुद्र से कोयला ले जाने की योजना का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हां, कई औद्योगिक उपभोक्ताओं ने जिन्हें कोयला समुद्र से भेजे जाने की योजना थी, इसका विरोध किया है ।

(ख) यह विरोध इस लिए था कि ऐसा करने से कोयले पर खर्चा बढ़ जाता है । परन्तु यह भय दूर हो जायेगा क्योंकि कोयला ले जाने के रेल भाड़े तथा समुद्र भाड़े में जो अन्तर है उसे सरकार ने सहायता के रूप में देना स्वीकार कर लिया है ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान

†४६१. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जो अनुदान कलकत्ता विश्वविद्यालय को मिल रहा था वह बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) जी, नहीं । आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को अपने शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी थी । यह सहायता दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत थी। तीसरी योजना के आरम्भ होने पर विश्वविद्यालय ने भी अपने शिक्षकों को दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों वाला वेतन-क्रम देना स्वीकार कर लिया है । इस प्रयोजन के लिए आयोग ने ८० प्रतिशत सहायता देना स्वीकार कर लिया है । शर्त यह है कि २० प्रतिशत विश्वविद्यालय को या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा ।

खान तथा इंधन विभाग के अधिकारियों का मुअत्तिल किया जाना

†४६२. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान और इंधन विभाग के एक अधिकारी द्वारा रिश्वत लिये जाने के मामले की जांच इस बीच हो गयी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी को "कारण बताओ नोटिस" दिया गया था कि उसे क्यों न पदच्युत किया जाये । संघ लोक सेवा आयोग को भी परामर्श के लिए मामला भेजा गया है । इस परामर्श के प्राप्त होते ही सरकार अपना अन्तिम निर्णय कर देगी।

पूर्वता अधिपत्र[1]

†४६३. **श्री महन्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित पूर्वता अधिपत्र में भारत सरकार के केबिनट सचिव को राज्यों के केबिनट मंत्री तथा सेनाध्यक्षों से ऊपर स्थान मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) केबिनट सचिव का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । भारत सरकार के प्रशासन में उसका ऊंचा स्थान है । इसीलिए ऐसा ही ठीक समझा गया है कि पूर्वता अधिपत्र के मामले में उन्हें सभी अधिकारियों में महासचिव की भांति प्राथमिकता दी जाये ।

दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल

†४६४. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में पुलिस कांस्टेबलों तथा हेड कांस्टेबलों की संख्या क्या है ; और

(ख) इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में पुलिस कांस्टेबल

†४६५. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन में पुलिस कांस्टेबलों तथा हेडकांस्टेबलों की संख्या क्या है ; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सम्बद्ध जानकारी संबंधी विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Warrant of Precedence.

मनीपुर में पुलिस कांस्टेबल

†४६६. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत पुलिस कांस्टेबलों तथा हेडकांस्टेबलों की संख्या क्या है ; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). सम्बद्ध जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

१९६२ के आम चुनाव

†४६७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी आम चुनाव रविवारों को कराने की व्यवस्था कर रही है ताकि काम पर जाने वाले सभी लोग मतदान कर सकें ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मतदान वाले दिनों को सवेतन छुट्टी का दिन घोषित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो मतदाताओं को समुचित मतदान की सुविधायें प्रदान करने की दिशा में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) :** (क) आने वाले आम चुनाव का कार्य एक सप्ताह चलेगा, एक ही दिन में इसे कराने की व्यवस्था नहीं हो सकती।

(ख) और (ग). जैसा कि गत दो आम चुनावों में किया गया था, राज्य सरकारों से प्रार्थना की जायेगी कि वे रविवार के अतिरिक्त मतदान के अन्य दिनों को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दें और स्थानीय निकायों को भी ऐसा ही करने को कहा जाये। औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं से भी प्रार्थना की जायेगी कि यदि वे मतदान के दिन अपने संस्थानों को बन्द नहीं कर सकते तो अपने कर्मचारियों को मतदान के लिये समुचित मदद दें।

त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण

†४६८. **श्री दशरथ देव :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या हाल में त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम का पुनरीक्षण किया गया गये है ?

(ख) क्या कर्मचारी संघ द्वारा सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया है ! और

(ग) उनके अभ्यावेदन में कही गई बातों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां ।

(ग) त्रिपुरा कर्मचारी संघ (जो एक गैर-मान्यता-प्राप्त निकाय है) ने यह शिकायत की है कि हाल में किये गये पुनरीक्षण से केवल ऊंचे वेतन पाने वाले गजटेड अधिकारियों को लाभ होता है । परन्तु स्थिति यह है कि त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस प्रकार किया गया था कि वे यथासंभव पश्चिम बंगाल के समान पदों के अनुरूप हो जायें । यह सिद्धांत त्रिपुरा प्रशासन के अन्तर्गत समस्त श्रेणियों के पदों पर--तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों को सम्मिलित करके--लागू किया गया था । यह स्थिति कर्मचारियों को प्रत्येक विभाग में स्थापित स्टाफ कमेटियों की बैठकों में समझा दी गई थी । उन्हें यह सूचित किया गया था कि त्रिपुरा में वेतनक्रमों के पुनरीक्षण पर, पश्चिम बंगाल में वेतनक्रमों का विचाराधीन पुनरीक्षण हो जाने पर, अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

त्रिपुरा में तूफान

†४६९. **श्री दशरथ देव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में हाल में आये तूफान में कितने झोंपड़े क्षतिग्रस्त हुये;

(ख) कितनी सरकारी इमारतें और त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् की इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं;

(ग) कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या क्या सहायता कार्य किये गये ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) ४६,०९७ ।

(ख) क्रमशः ५९७ और २१५ ।

(ग) ९३,०१,०२७ रुपये ।

(घ) विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

रुद्रसागर का तेल

†४७०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में रुद्रसागर के कुआं संख्या १ की मरम्मत की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो रुद्रसागर में कितना तेल होने का अनुमान है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० डे० मालवीय) :** (क) इस कुएं के परीक्षण में, कुछ प्रतिशत रेत युक्त पानी के आते रहने के कारण, कतिपय प्रविधिक समस्यायें संबद्ध हैं । यह पानी सीमेंट के पलस्तर में छेद हो जाने के कारण आ रहा है और वह अभी भरा जाना है ।

(ख) रुद्रसागर क्षेत्र के तेल की मात्रा का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक कर्मचारियों को रविवार की तथा अन्य छुट्टियां

†४७१. **श्री रामगरीब : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट के रेल्स हैड ग्रुप सप्लाई डिपो और नम्बर १ आर्डिनेंस रेल हैड ग्रुप के असैनिक कर्मचारी प्रतिरक्षा संस्थापनों के अन्य असैनिक कर्मचारियों की तरह रविवार और अन्य छुट्टियां पाने के हकदार हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) हां, श्रीमान्, आपात स्थिति को छोड़कर जबकि उन्हें रविवार अथवा छुट्टी के दिन काम करने के लिये बुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रतिकरात्मक छुट्टियां दी जाती हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खोटे सिक्के

†४७२. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी खोटी अठन्नियां परिचालन में आ गई हैं;

(ख) इन सिक्कों के परिचालन के स्रोत का पता लगाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) ऐसे कितने सिक्के जब्त किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह बताना असंभव है कि किसी समय कितनी खोटी अठन्नियां परिचालन में होंगी क्योंकि खोटे सिक्के उस समय प्रकाश में आते हैं जब उनका पता लगता है। ऐसे जितने सिक्कों का पता लगा है उनकी संख्या अच्छी अठन्नियों की संख्या के अनुपात में नगण्य है।

(ख) जाली सिक्के बनाना एक हस्तक्षेप्य अपराध है और अपराधियों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने की कार्यवाही राज्य पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्ध के अनुसार की जाती है।

(ग) १९५९–६० में खजानों, रेलवे स्टेशनों आदि में पकड़ी और काटी गई अठन्नियों की संख्या १७७८७ थी जो उस वर्ष में परिचालित अठन्नियों का .००५ प्रतिशत है।

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

४७३. **श्री सरजू पाण्डेय : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सामान्य प्रशासन के आचार्य और उपाचार्य ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के उच्च पदाधिकारियों के भत्ते उनके वेतनों से अधिक हैं, और

(ग) सरकार उक्त खर्च घटाने के लिये क्या कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के संचालक या उपसंचालक ने ऐसा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु उपसंचालक (वरिष्ठ)

---

†मूल अंग्रेजी में

और अकादमी में सामाजिक प्रशासन के आचार्य ने "भारत सरकार के अधिकारियों की संख्या और प्रशासनिक व्यय में वृद्धि" शीर्षक से एक "पत्रक" संयुक्त रूप से लिखा है। यह पत्रक अकादमी की पत्रिका (अप्रैल १९६१ के वौल्यूम ६ संख्या २) में प्रकाशित हुआ है।

(ख) उक्त पत्रक में ऐसी कोई बात नहीं कही गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कैंटीन भण्डार विभाग (भारत) द्वारा रम की खरीद

४७४. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या १४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन भंडार विभाग (भारत) द्वारा दुगने मूल्य पर रम खरीदने के बारे में जांच प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से वि ार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). रम क्रय से सम्बन्धित इन्क्वायरी रिपोर्ट का निरीक्षण किया गया है, और फैसला किया गया है, कि रम के व्योरे के अनुरूप होने पर, चालू वर्ष में, हर खरीदे जाने वाले माल का नमूना चखने के पश्चात्, रम की राशि, कम से कम टेण्डर सिद्धान्त के अधीन प्राप्य की जाय। खरीदने के इस ढंग पर चलते हुए, प्राप्त अनुभव को सामने रखते हुये, इस पर समय समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

रम के पहले क्रयों के बारे में मामले की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है।

त्रिपुरा भू-रास्जव तथा भूमि सुधार अधिनियम

†४७५. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के भूमि सम्बन्धी परिमाणों से सम्बन्धित त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १८७ समस्त त्रिपुरा राज्य में लागू की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके अभी तक लागू न किए जाने के क्या विशेष कारण हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

भारत के लिये राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान परियोजनायें

†४७६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघीय विशेष निधि की सरकारी परिषद् ने भारत के लिये दो प्रशिक्षण सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान परियोजनायें मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रसंघ द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अभी तक राष्ट्रसंघीय विशेष निधि की प्रशासकीय परिषद् द्वारा १५ भारतीय परियोजनायें मंजूर की गई हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ग) उपकरण, विशेषज्ञ और अधिछात्रवृत्तियां।

प्रो० हाल्डेन की भारतीय नागरिकता

†४७७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० हाल्डेन को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह नागरिकता कब मंजूर की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) ११ मई, १९६१।

विदेशियों की गिरफ्तारी

†४७८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सियालदह सेक्शन के नैहाटी स्टेशन की रेलवे पुलिस द्वारा, अप्रैल, १९६१ के अंतिम दिनों में कुछ विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विदेशियों की संख्या कितनी है, वे किन किन देशों के हैं और क्या उनके पास पासपोर्ट थे ;

(ग) गिरफ्तारी के समय वे क्या कर रहे थे ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)** : (क) और (ख). जी हां, पांच जापानी राष्ट्रजन गिरफ्तार किए गए थे। उनके पास पासपोर्ट थे।

(ग) वे रेलवे अधिकारियों की पूर्व अनमति के बिना रेलवे लाइन और कंचरापाड़ा स्टेशन के फोटो ले रहे थे।

(घ) विदेशियों को गिरफ्तार किये जाने के बाद उसी दिन शाम को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और यह पता चला था कि वे एक जापानी सार्थ के सदस्य थे जिसने सियालदह-रानाघाट सेक्शन के विद्युतीकरण के लिये टेंडर दिया था। वे रेलवे लाइनों और कंचरापाड़ा स्टेशन के फोटो ले रहे थे जिससे उनका निकट अध्ययन किया जा सके और इस प्रकार उनका कार्य सदाशयपूर्ण था। परन्तु उनके कैमरे तथा फोटो खींची हुई फिल्में जब्त कर ली गईं।

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

†४७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रिफाईनेरीज़ के जनरल मैनेजर हाल में बरौनी के तेल शोधक कारखाने से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों की चर्चा करने के लिये मास्को गए थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो किन किन प्रश्नों की चर्चा की गई थी ; और

(ग) उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों की चर्चा की गई थी :

(१) उत्पादन के स्वरूप का पुनरीक्षण, विशेषकर जूट बैचिंग आयल को निकाल कर लुब्रीकेटिंग आयल को सम्मिलित करना ;

(२) रूसी संगठन द्वारा संभरण किये जाने वाले उपकरण / सामग्री के लिये पहुंचने का कार्यक्रम; और

(३) विदेशी मुद्रा की लागत का पुनरीक्षण ।

(ग) सोवियत अधिकारियों ने इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है ।

तेल का परिष्करण और विपणन

†४८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक कम्पनी को तेल के उत्पादन के अतिरिक्त परिष्करण और विपणन के अधिकार मंजूर करने का निर्णय किया है, यदि विदेशी सहयोगी नए उपक्रम में अल्प-संख्यक अंश स्वीकार करने के लिये सहमत हो जायें ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त शर्तों पर इन अधिकारों के प्रदान किये जाने के लिये कितनी प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) किन किन कम्पनियों से ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

आर्थिक प्रगति

†४८१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय किया है कि देश की आर्थिक प्रगति की प्राप्ति आय की असमानता और सम्पत्ति तथा शक्ति के एकत्रण की प्रवृत्तियों को बढ़ाए बिना की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के कारण राज्य के स्वामित्व के औद्योगिक ऋण एवं वित्तीय संस्थाओं से अपनी विनियोजन नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिये कहा गया है और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् और योजना आयोग ने इस पर जोर दिया है कि आर्थिक प्रगति की प्राप्ति आय की असमानता और सम्पत्ति तथा शक्ति के एकत्रण की प्रवृत्तियों को बढ़ाये बिना की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) शुरुआत में औद्योगिक वित्त निगम की विनियोजन नीति का पुनरीक्षण प्रारंभ किया गया है जो अभी जारी है ।

मंत्रियों के लिये यात्रा और दैनिक भत्ता नियम

†४८२. **श्री रामम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य निर्वाचन के अवसर पर मंत्रियों के निर्वाचन प्रचार के लिये अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिये दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता के नियमों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**) : (क) वर्तमान निदेशों के अन्तर्गत मंत्रियों को, उनके द्वारा निर्वाचन प्रचार के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए कोई यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब के स्कूलों और कालेजों में खेलने के मैदान

†४८३. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब राज्य को स्कूलों तथा कालेजों में खेल के मैदानों की व्यवस्था करने के लिये १९६१–६२ में अभी तक कोई राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उससे किन किन स्कूलों और कलेजों को लाभ हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का ० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान । शिक्षा संस्थाओं में खेलने के मैदानों की व्यवस्था करने की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य-क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

†४८४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का क्या प्रतिशत है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिशत १ जनवरी, १९६० को निम्न प्रकार था :

अनुसूचित जातियां	१२.१३ प्रतिशत
अनुसूचित आदिम जातियां	१.९४ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में स्मारक

४८५. { श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की देखभाल और मरम्मत के लिये १९६०-६१ के लिये आवण्टित कुल राशि काम में लाई जा चुकी है; और

(ख) उसी के लिये वर्ष १९६१-६२ के लिये कितनी राशि आवण्टित की गई है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) उसका अधिकांश भाग काम में लाया गया था ।

(ख) ५८.८४४ रुपये ।

हरिजनों को कानूनी सहायता

†४८६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हरिजन कल्याण बोर्ड द्वारा १९६०-६१ और १९६१-६२ में हरिजनों को कानूनी सहायता दिये जाने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) वह राशि किन मदों पर खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) १९६०-६१ . . ५,००० रुपये
१९६१-६२ . . . ..

(ख) एक अंश वकीलों की फीस पर ।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

†४८७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर और कांगड़ा जिलों मे अलग अलग कितने भूतपूर्व सैनिकों को खेती के लिए भूमि आवण्टित की गई है; और

(ख) उन्हें अभी तक दी गई अन्य वित्तीय सहायता किस प्रकार की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) आवश्यक सूचना नीचे दी गई है :

होशियारपुर	१६६
कांगड़ा	९

(ख) यह वित्तीय सहायता अधिवासियों को ट्रैक्टरों, बैलों, औजारों, कुओं/नलकूपों, मकानों और बस्ती के सामान्य विकास के लिए उपबन्ध के रूप मे दी गई है जो जलवायु, भूमि की प्रकृति, भूमि के विस्तार और अधिवासियों की किस्म के अनुसार भिन्न भिन्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†४८८. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री कुम्भार :
श्री बं० च० मल्लिक :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री तंगामणि : }

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने के लिये १९६१–६२ के लिए राज्य-वार कितना आवण्टन किया गया है; और

(ख) अभी तक कितनी राशि (राज्य-वार) दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८**]

हिमाचल प्रदेश में हत्यायें

†४८९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९६१ में अभी तक कितनी हत्यायें हुई हैं;

(ख) कितने मामलों में चालान किए गए हैं; और

(ग) उनमे से कितनों में लोगों को दण्डित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). १९६१ में (३० जून, १९६१ तक) हत्या के १४ मामलों की सूचना मिली है जिनमें से ७ में चालान किए गए हैं और वे न्यायालयों में विचाराधीन हैं। ६ के मामलों में जांच की जानी है और १ रद्द कर दिया गया है।

अधिवक्ता अधिनियम, १९६१

†४९०. **श्री कालिका सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) समस्त राज्यों में अधिवक्ताओं के रूप में पंजीबद्ध किये जाने के लिए समान स्टाम्प शुल्क रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस समय विभिन्न राज्यों में अधिवक्ताओं के रूप में पंजीबद्ध होने के लिये कितना स्टाम्प शुल्क है; और

(घ) अधिनियम में कल्पित निर्वाचन पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के परिच्छेद, १, २ और ७ को १६ अगस्त, १९६१ से लागू करने के लिये एक अधिसूचना ७ अगस्त, १९६१ को जारी की गई थी। अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार-काउन्सिलों और भारतीय बार-काउन्सिल की

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापना करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं । इस प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा ५७ के अन्तर्गत राज्य-बार-काउन्सिलों के निर्वाचन के लिए नियम बनायें और उच्चतम न्यायालय उस धारा के अन्तर्गत भारतीय बार-काउंसिल के निर्वाचन के लिये नियम बनाए । कुछ उच्च न्यायालय अपने नियम तैयार कर चुके हैं, जो अधिनियम के अध्याय ७, जिसमें धारा ५७ आती है, के १६ अगस्त, १९६१ को लागू होते ही प्रख्यापित कर दिये जायेंगे । अन्य उच्च न्यायालय उस धारा के अन्तर्गत नियम तैयार कर रहे है और उनसे उनके सम्बन्ध मे शीघ्रता करने की प्रार्थना की गई है । उच्चतम न्यायालय भी अधिनियम की धारा ५७ के अन्तर्गत भारतीय बार-काउंसिल के निर्वाचन के लिये नियम तैयार कर रहा है ।

(ख) इस मामले की जून, १९६० में श्रीनगर में हुए विधि मन्त्री सम्मेलन मे चर्चा की गई थी और सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि एक अधिवक्ता द्वारा पंजीबद्ध होने पर देय कुल फीस, अधिवक्ता विधेयक (अब अधिवक्ता अधिनियम, १९६१) के अन्तर्गत बार-काउंसिल को देय फीस को सम्मिलित करके, ५०० रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए । राज्य सरकारों से गत विधि मन्त्री सम्मेलन में किए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) आवश्यक जानकारी न्याय प्रशासन के सुधार पर विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन, जो सभा-पटल पर रखा जा चुका है और संसद् सदस्यों को भी बांटा गया था, के पृष्ठ ५७३ में दी गई है । प्रतिवेदन में से सम्बन्धित अंश यहां संलग्न किया जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]** राज्य सरकारों से नवीनतम सूचना मांगी गई थी । उत्तर केवल थोड़ी सी राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं । पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने सूचित किया है कि वे ७५० रुपए स्टाम्प शुल्क ले रही हैं । उड़ीसा सरकार ने कहा है कि वहां १० वर्षों से अधिक की प्रैक्टिस वालों से २५० रुपए स्टाम्प शुल्क और अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में ६२५ रुपए स्टाम्प शुल्क लिया जाता है ।

(घ) निर्वाचन पूरे करने के लिये उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक कदम अधिनियम की धारा ५७ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-काउंसिलों के निर्वाचन के नियमों के प्रख्यापन के पश्चात् उठाए जायेंगे ।

कपड़ा और सामान्य स्टोर्स सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय प्रतिरक्षा सम्मेलन

†४९१. **श्री कालिका सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा और सामान्य स्टोर्स सम्बन्धी सातवां राष्ट्रमण्डलीय प्रतिरक्षा सम्मेलन ब्रिटेन में रायल कामनवेल्थ 'सोसायटी में आरम्भ हुआ और २३ जून से १२ जुलाई, १९६१ तक इसमें चर्चा हुई ;

(ख) भारत से शिष्टमण्डल किस प्रकार चुना गया और उसने वार्ता में क्या भाग लिया; और

(ग) रायल सोसायटी के संरक्षण में ऐसे सम्मेलन में भाग लेने की क्या आवश्यकता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक वरिष्ठ प्रतिरक्षा वैज्ञानिक को, जो बड़ी प्रतिरक्षा अनुसन्धान प्रयोगशाला का मुख्य अधिकारी था, भारत से प्रतिनिधि के रूप में चुना गया । उसने विभिन्न प्रतिरक्षा अनुसन्धान और विकास संस्थानों द्वारा दिये गये कई प्रविधिक कागजात पेश किये ।

(ग) यह सम्मेलन बारी बारी से हर दो या तीन वर्षों में किसी एक राष्ट्रमण्डलीय देश में होता है । प्रतिरक्षा के हितों के प्रमुख विषयों से सम्बन्धों के अतिरिक्त इस सम्मेलन में अन्य राष्ट्र-

†मूल अंग्रेजी में

मण्डलीय देशों के प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ वार्ता करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। यह सम्मेलन रायल सोसायटी के संरक्षण में नहीं हुआ बल्कि कपड़ा और सामान्य स्टोर्स सम्बन्धी राष्ट्रमण्डल संयुक्त सेवा समिति के अधीन, जिसका भारत सदस्य है।

बाल अधिनियम[1], १९६०

†४९२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में बाल अधिनियम, १९६० के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ;

(ख) संसद् द्वारा पारित बाल अधिनियम की तरह भारत में किन राज्यों में अपने नियम हैं;

(ग) विशेष राज्य अधिनियमों के क्या नाम हैं और संक्षिप्त में उनमें क्या उपबन्ध हैं और उन राज्यों में उसकी कहां तक क्रियान्विति हुई है; और

(घ) समूचे भारत में बालकों के लिये एक सा नियम बनाने के लिये केन्द्र ने क्या पग उठाये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सम्बन्धित संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन भारत सरकार के परामर्श से आवश्यक नियम बना रहे हैं।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी, जो अभी इकट्ठी की जा रही है, यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(घ) इस पहलू पर भी विचार किया गया था परन्तु भारत के संविधान के सम्बन्धित उपबन्धों और राज्यों की भिन्न आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कार्य के लिये एक सा नियम बनाना न तो व्यवहार्य समझा गया और न ही यह सम्भव है।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†४९३. **श्री किस्तैया** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेकेदारों को अन्तिम रूप से भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) भुगतान के लये कुल कतनी रकम बकाया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) उन ठेकेदारों को अन्तिम रूप से भुगतान कर दिया गया है जिन्होंने ठेके की शर्तों के अनुसार अपना काम पूरा कर दिया है और जिनके खातों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

(ख) ठेकेदारों को भुगतान करने में कोई विलम्ब नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में बाढ़ पीड़ित

†४९४. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६१ में त्रिपुरा में बाढ़ से जान और माल की कितनी हानि हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Children's Act, 1960.

(ख) उनको क्या सहायता दी गयी ;

(ग) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने हाल की बाढ़ के पीड़ितों को सहायता देने के लिये सारभूत वित्तीय सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ;

(ङ) क्या भारत सरकार ने त्रिपुरा संघ राज्य-क्षेत्र को आवर्ती बाढ़ से बचाने के लिये कोई पग उठाये है ; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (च). सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

गांधीनगर में तेल

†४६५. { **श्री हेम राज** :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीनगर, गुजरात के कुएं संख्या १ में छिद्रण कार्य रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) जब इस कुएं में १४०५ मीटर तक छिद्रण हो चुका तो कीचड़ में तेल और गैस का कुछ आभास मिला । और नीचे लगभग १५०० मीटर की गहराई पर कीचड़ में तेल और गैस की मात्रा इतनी बढ़ गई कि कुएं पर नियंत्रण रखना और छिद्रण कार्य जारी रखना कठिन हो गया । १५८७ मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद स्थिति बड़ी कठिन हो गयी और आगे छिद्रण करने का कार्य रोकने का फैसला किया गया ।

आसाम में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति

†४६६. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में भाषा सम्बन्धी हाल के दंगों के दौरान रेलवे समेत केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को हुई क्षति कितनी रकम की हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

मद्रास नाट्य प्रदर्शन अधिनियम का दिल्ली पर लागू किया जाना

†४६७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, १९५४ को दिल्ली पर लागू करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में लागू नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम, १८७६ को निरसन करने और इसके स्थान पर मद्रास नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम, १९५४ को लागू करने का प्रस्ताव दिल्ली मंत्रणा समिति द्वारा अपनी २९ जून, १९६१ की बैठक में स्वीकार किया गया था परन्तु इस मामले में अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय और इसके संलग्न कार्यालय

†४९८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय और उसके संलग्न कार्यालयों में कुल कितने अनुभाग हैं और उनमें से कितने अनुभागों में हिन्दी जानने वाले लोग पर्याप्त संख्या में हैं ; और

(ख) ऐसे अनुभागों की संख्या क्या है जिन्हें टिप्पण तथा पत्रों के प्रारूप हिन्दी में प्रस्तुत करने की अनुमति है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

नियम पुस्तिकाओं और प्रपत्रों आदि का अनुवाद

४९९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री २० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी असांविधिक नियम पुस्तकों, प्रपत्रों और अन्य साहित्य का हिन्दी अनुवाद किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा असांविधिक नियम पुस्तिकाओं, फार्मों आदि का हिन्दी में जो अनुवाद किया जा रहा है, उसकी स्थिति १–८–६१ को इस प्रकार थी :—

(१)	उन नियम-पुस्तिकाओं (मैनुअल्स) की संख्या जिनका अनुवाद हो गया है और जांचा जा चुका है ।	८
(२)	उन नियम-पुस्तिकाओं (मैनुअल्स) की संख्या जिनका अनुवाद हो चुका है और जिन्हें जांचा जा रहा है ।	३८
(३)	उन फार्मों की संख्या जिनका अनुवाद किया जा चुका है	२७०
(४)	उन नियम पुस्तिकाओं (मैनुअल्स) की संख्या जिनका अनुवाद किया जा रहा है ।	१९

सरकारी संकल्प

५००. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गत तीन महीनों में कितने संकल्प प्रकाशित किये गये और उनमें से कितने संकल्प अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किये गये ; और

(ख) जो संकल्प हिन्दी में नहीं प्रकाशित किये गये उनका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) गत तीन महीनों मे ५२ संकल्प प्रकाशित किए गए। उनमें से २ संकल्प अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी प्रकाशित हुए।

(ख) सरकारी छापाखाने में हिन्दी छपाई के अभी काफी साधन नहीं हैं।

हिन्दी पुस्तकें

५०१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में मंत्रालय ने परीक्षा पद्धति में सुधार के बारे में कितनी पुस्तिकायें प्रकाशित कीं और उनमें से कितनी हिन्दी में प्रकाशित की गईं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : प्रकाशनों की कुल संख्या ८ थी और चूंकि ये प्रकाशन समस्त राज्यों की आवश्यकताओं के लिए थे, इसलिये ये सब अंग्रेजी में थे। परन्तु स्थानीय अधिकारियों को आदेश दे दिये गये है कि वे इन प्रकाशनों को स्थानीय आवश्यकतानुसार हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करा लें।

विदेशी मुद्रा की बचत

५०२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की बचत के लिए सरकार ने जनवरी, १९६१ से अब तक कितने ऐसे आवेदन पत्रों को नामंजूर किया है जो व्यापारिक प्रयोजन से विदेश यात्रा से सम्बन्धित थे ; और

(ख) इनमें मे कितने सरकारी व्यक्तियों के थे और कितने गैर-सरकारी व्यक्तियों के थे ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

भूसाबाग महल, लखनऊ

५०३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ में भूसाबाग महल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि इस महल को किसने बनवाया था और यह कब बना था ;

(ख) क्या इसकी देख भाल पर सरकार कुछ व्यय करती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना व्यय करती है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नही होता।

अल्प बचत योजना के अधीन प्राप्त धन राशि

५०४. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प बचत योजना के अधीन पिछले छः महीनों में सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) इस धन का उपयोग किन-किन कामों पर किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जनवरी से जून, १९६१ तक की छमाही में लगभग ५१.२८ करोड़ रुपये ।

(ख) दूसरे बाजार ऋणों की तरह छोटी बचतों से इकट्ठा हुई रकमें भी किसी खास काम के लिए अलग नहीं रखी जातीं, बल्कि सरकार के पूंजीगत खर्च के लिए उपलब्ध होती हैं ।

राज्य मूल्यांकन एककों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

५०५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर-अक्तूबर, १९६० में राज्य मूल्यांकन एककों के अफसरों का जो छ: सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, उसमें कितने राज्यों ने भाग लिया ; और

(ख) छ : राज्यों में मूल्यांकन एकक स्थापित करने का जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था उस पर कब तक अमल शुरू हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १२ राज्यों और ३ संघ क्षेत्रों ने ।

(ख) जैसे ही योजना का अन्तिम रूप से अनुमोदन हो जाएगा ।

आसाम की राजधानी को बदलना

†५०६. { **श्री सुगन्धि** :
श्री अगाड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की राज्य सरकार ने राजधानी को शिलांग से गोहाटी बदलने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या राजधानी के प्रस्तावित परिवर्तन के लिये संघीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता/अनुदान दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मंत्रियों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

†५०७. { **श्री सुगन्धि** :
श्री सरजू पांडेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) वर्ष १९६०–६१ में प्रधान मंत्री, राज्य-मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों समेत मंत्रिमंडल के मंत्रियों को उनके वेतन के अतिरिक्त कितना भत्ता और प्रतिकरात्मक भत्ता दिया गया और उसका क्या विवरण है ; और

(ख) वर्ष १९६०–६१ में प्रधान मंत्री, प्रत्येक राज्य-मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिव द्वारा कितना दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता लिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा घोषित लाभांश

†५०८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड ने, अपने अस्तित्व में आने के बाद से, कितना लाभांश घोषित किया है और उसी अवधि में उसने कितना रिज़र्व बनाया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : कम्पनी ने वर्ष १९४९–५० में प्रदत्त अंश पूंजी पर ३ प्रतिशत का लाभांश घोषित किया । तथापि, कुल मिलाकर ५,२५,००० रुपये की रकम का लाभांश नकद नहीं दिया गया परन्तु दो सरकारी शेयरहोल्डरों को अतिरिक्त शेयर जारी करने में इस्तेमाल किया गया ।

कम्पनी ने वर्ष १९५९–६० तक २,४५,८९,७५० रुपये का कुल रिज़र्व बनाया है ।

अंग्रेजी का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद

५०९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित अंग्रेज़ी के केन्द्रीय संस्थान में कितने प्रशिक्षार्थियों का प्रबन्ध है ;

(ख) वहां वर्ष में कितने पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं ; और

(ग) सरकार ने अब तक अनुदान के रूप में उस संस्थान को कितनी धनराशि दी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) प्रत्येक नियत पाठ्यक्रम के लिए ६० ।

(ख) चार चार महीने के दो नियत पाठ्यक्रम और लगभग छः सप्ताहों की अवधि का एक अल्पकालीन सेमिनार-सहित-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम ।

(ख) ३०-६-१९६१ तक १५,७८,००० रुपये ।

बहरों और विक्लांगों को छात्रवृत्तियां

५१०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहरे और विक्लांगों को छात्रवृत्तियां दिये जाने की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) १९६१–६२ में अब तक इस प्रकार की छात्रवृत्तियां कितने लोगों को दी जा चुकी हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी का प्रयोग

५११. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि मंत्रालय के उन अनुभागों में, जहां हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक हो, हिन्दी में काम शुरू किया जाये, ताकि हिन्दी सीखे हुए कर्मचारी हिन्दी न भूल जायें ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मंत्रालयों के किन-किन प्रभागों (डिवीजनों) के किन-किन अनुभागों (सेक्शनों) में अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) ये आदेश अभी हाल ही में जारी किये गये हैं और उनके स्पष्ट परिणाम की आशा इतनी जल्दी नहीं की जा सकती ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पुरातत्वीय खुदाइयां

†**५१२. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा की गई खुदाई से, इलाहाबाद से छ: मील की दूरी पर जमुना नदी के किनारे पर स्थित कौशम्बी वंश के पहले राजाओं का महल, एक पत्थर का छोटा किला, और एक पुराना चार दीवारी वाला नगर खोजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसने भारतीय इतिहास पर क्या प्रकाश डाला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी हां ।

(ख) इस खोज ने निश्चयात्मक तौर पर सिद्ध कर दिया है कि भारत में वास्तु स्थापत्य-कला फारस के लोगों या इन्डो-ग्रीक लोगों में से किसी के भी प्रभाव से नहीं अपितु स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी ।

रूरकेला पाइप संयंत्र में पाइपों का उत्पादन

†५१३. { **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :**
महाराजकुमार विजया आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९६१ में रूरकेला पाइप संयंत्र में बड़े व्यास के पाइपों का उत्पादन क्या था; और

(ख) क्या यह उत्पादन जून १९६१ के उत्पादन से बढ़ गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) ४८७ जिनका भार ३६६ टन है ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस से तेल

†५१४. { **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री तंगामणि : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९६१ से इंडियन आयल कंपनी के पास रूस से तेल का कोई जहाज आया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कैसे उपयोग किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). मैसर्स इंडियन आयल कम्पनी सीमित द्वारा दी गई सूचना के अनुसार १४२२२ मीट्रिक टन हाई डीजल तेल और ४०२७२ टन मिट्टी के तेल के पांच जहाज मई १९६१ से ३१ जुलाई १९६१ तक उनके काम आये हैं । इस माल को इंडियन आयल कंपनी सीमित के सामान्य विपणन साधनों अर्थात् सहकारी संस्थाओं व्यापारियों और सरकारी इंडेंट देने वालों को संभरण के द्वारा बेचा जा रहा है और बेचा जायेगा ?

विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिये जुर्माना

†५१५. { **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :**
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए श्री सै० अ० डांगे पर लगाये गये जुर्माने को कम करने के बारे में श्री डांगे की अपील पर फैसला कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

पेट्रोल की खपत में कमी के लिये युक्ति

†५१६. { **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :**
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी नयी युक्ति का आविष्कार किया गया है जो पैट्रोल आदि की खपत को कम कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा एवं गृह-कार्य मंत्रालयों ने इसकी जांच की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) सरकार को मालूम नहीं है कि कोई नयी युक्ति बनायी गयी है जो पैट्रोल की खपत को घटा सकती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में शरणार्थियों के लिये ऋण

†५१७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि त्रिपुरा के अर्ह शरणार्थी ऋण लेने वाले लोगों को ऋण देने के लिए २५ लाख रुपये मंजूर किये जावें और वह प्रस्ताव गृह-कार्य मंत्रालय के पास बहुत समय से निलम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई राशि को मंजूर करने में कितना समय लगेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). मंत्रालय से अभ्यावेदन किया गया था कि बहुत से शरणार्थियों को सहायता बन्द किये जाने से, जो छट गये थे और जो ऐसी सहायता के लिये अर्ह थे, असंतोष फैल रहा था और कुछ समय के लिए ये ऋण जारी किये जाने चाहियें। त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त को तथ्यों की सूचना देने के लिए कहा गया था और उसने सूचना दे दी है। मुख्य आयुक्त के प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

आसाम के कर्मचारियों के आचरण के बारे में जांच

†५२८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उनको कुछ वरिष्ठ अफसरों की सेवाएं प्रदान की जायें जो आसाम के कछार जिले में हुए दंगों में वहां के अफसरों के तथाकथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार की जांच करें;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने राज्य सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर ली है; और

(ग) कितने अफसरों की सेवाओं की मांग की गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उनकी पदालि के दो आई० ए० एस० अफसरों को लौटा दिया जाये क्योंकि राज्य में आकस्मिकता के सम्बन्ध में उनकी सेवाओं की जरूरत है। तदुपरांत उन्होंने इनमें से एक अफसर के बारे में अपनी प्रार्थना वापिस ले ली है और दूसरे अफसर के मामले पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

पलाई सैंट्रल बैंक के खातेदारों को अनुदान

†५१९. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सैंट्रल बैंक के शासकीय परिसमापक ने फिक्स्ड डिपाजिट खाते वालों को अधिमान्य भुगतान करना आरम्भ कर दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अभी तक बहुत से फिक्स्ड डिपाज़िट खाते वालों को भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शासकीय परिसमापक द्वारा ऐसे खातेदारों को यह भुगतान कब तक किये जाने की आशा की जाती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) शासकीय परिसमापक खातेदारों को, जिनमें फिक्स्ड डिपाज़िट खाते वाले भी शामिल हैं, अधिमान्य भुगतान कर रहा है। कुल ७६,६८६ खातेदारों में से २४ जुलाई, १९६१ तक भुगतान की सूचना ७०,२३२ खातेदारों को जारी की जा चुकी है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) उच्च न्यायालय ने अक्तूबर, १९६१ तक का समय खातेदारों को अधिमान्य भुगतान करने के लिए दिया है, जिन में फिक्स्ड डिपाज़िट खाते वाले भी शामिल हैं ।

पलाई सैंट्रल बैंक द्वारा प्रत्येक खातेदार को भुगतान

†**५२०. श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों को, जिनके पलाई सैंट्रल बैंक में फिक्स्ड डिपाज़िट और सेविंग्स बैंक दोनों खाते थे, प्रत्येक खाते में से २५० रुपये की राशि दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शासकीय परिसमापक द्वारा दोनों खातों वाले लोगों को भुगतान कब तक किये जाने की आशा की जाती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). शासकीय परिसमापक बैंक के सभी खातेदारों को अधिमान्य भुगतान कर रहा है, किन्तु किसी खातेदार को उसके खाते में अधिक से अधिक २५० रुपये मिल सकते हैं। न्यायालय ने १५ अक्तूबर १९६१ तक समय बढ़ा दिया है जिसके अन्दर ये भुगतान करने होंगे और आशा की जाती है कि उन खातों को छोड़ कर जिन के बारे में 'सेट आफ़' मांगा गया है या जिनके बारे में खातेदारों का पता नहीं लगाया जा सकता, अधिमान्य भुगतान उस तिथि तक पूरा कर दिया जायेगा ।

"लेडी चैटरलीज़ लवर"

†**५२१. श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० एच० लारेंस की पुस्तक "लेडी चैटरलीज़ लवर" समूचे भारत के लिए परिचालन से निषिद्ध कर दी गई है या केवल कुछ राज्यों में निषिद्ध है; और

(ख) समूचे देश या इसके कुछ भागों में इस पुस्तक के परिचालन पर प्रतिबन्ध लगाने के मूल कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). भारत सरकार का यह मत है कि "लेडी चैटरलीज़ लवर" का मूल संस्करण समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा १८(ग) के उपबंधों में आ जाता है, जो देश में किसी भी अश्लील पुस्तक के आने को रोकता है। इस पुस्तक का देश के किसी भी भाग में प्रवेश प्रतिबंधित है।

बन्दूकों का निर्माण

†५२२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश की फैक्टरियों में अब तक कितनी और कितनी प्रकार की बन्दूकें बनाई गई हैं; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी बन्दूकें बेची गयीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :

(क)	ब्रीच लोडिंग बन्दूक	१७४४
	मज़ल लोडिंग बन्दूक .	३७
(ख)	ब्रीच लोडिंग बन्दूक	१६०५
	मज़ल लोडिंग बन्दूक .	१७

अल्प बचत योजना के अन्तर्गत धन संचय

†५२३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६०-६१ में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि जमा की गयी है; और

(ख) उक्त अवधि में कमीशन के तौर पर एजेंटों को कितनी राशि दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) अनुमानतः ६.१० करोड़ रुपये।

(ख) अनुमानतः ४.५५ लाख रुपये।

पश्चिमी जर्मनी से छापेखाने का उपहार

†५२४. **डा० सामंत सिंहार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों की पुस्तकों को छापने के लिए पश्चिम जर्मनी द्वारा उपहार के तौर पर दिये गये छापेखाने को लगाने के लिए स्थान चुनने के लिए उन स्थानों की सूची तैयार की है जिनको पश्चिम जर्मनी के प्रविधिक मिशन को देखना है;

(ख) कौन से स्थान सूची में हैं; और

(ग) छापाखाना लगाने के पक्ष में प्रैस की क्या विशिष्ट जरूरतें और स्थान की सुविधायें आवश्यक है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी

(ग) इसके बारे में जर्मन विशेषज्ञों के प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल के परामर्श से फैसला करने की जरूरत होगी ।

धर्मनगर में खुराक की कमी

†५२५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचनपुर, धर्मनगर के पेचास्थल में खुराक की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं पैदा होता ।

बरौनी का तेलशोधक कारखाना

†५२६. { **श्री हेम बरुग्रा** :
श्री कालिका सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बरौनी में सरकारी क्षेत्र में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के संविदा पर हाल ही में इण्डियन रिफायनरीज़ लिमिटेड और सोवियत आरगेनाईज़ेशन, ताजप्रोमेक्सपोर्ट के बीच अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) संविदा की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:—

१. **उपकरण** : रूसी संस्था लागत-बीमा-भाड़ा कलकत्ता पत्तन पर कुल २५,५१५,००० रूबल के मूल्य के ३८०७५ मीटरिक टन उपकरण और पुर्जों का सम्भरण करेगी । उपकरण/सामान ५० : ५० के अनुपात में रूसी और भारतीय जहाजों में भेजा जायेगा । भारतीय जहाजों द्वारा लाये गये सामान का नौतल-पर्यन्त-निशुल्क माल का मूल्य लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से ७।। प्रतिशत कम होगी । देशीय उपकरण और सामग्री मिलने पर इन लागत में अनुमानतः कमी की जावेगी ।

२. **संभरण का लक्ष्य** : प्रतिवर्ष १० लाख टन तेल की क्षमता वाले परिष्करणी के प्रथम प्रावस्था के लिये जिसमें एक एटमोस्फीयरिक और वैक्यूम यूनिट, एक कोकिंग यूनिट और तापीय विद्युत् केन्द्र की प्रथम प्रावस्था शामिल है, उपकरणों का दिसम्बर, १९६१ से पूर्व सम्भरण किया जायेगा । प्रतिवर्ष १० लाख टन तेल के साफ करने के लिये परिष्करणी के दूसरे भाग के लिये, जिसमें एटमोस्फीयरिक यूनिट और वैक्यूम यूनिट, बिटूमेन यूनिट और तापीय विद्युत् केन्द्र का दूसरी प्रावस्था शामिल है, उपकरणों का जून, १९६२ तक सम्भरण किया जायेगा । तीसरे भाग के लिये, अर्थात् मिट्टी के तेल के यूनिट, और स्नेहन तेलों के उत्पादन के यूनिटों के लिये उपकरणों का सम्भरण जुलाई, १९६३ और अक्तूबर, १९६३ के बीच किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. प्रविधिक सहायता : परिष्करणी के निर्माण, स्थापना और चालू करने में प्रविधिक सहायता देने के लिये पर्याप्त संख्या में रूसी विशेषज्ञ और दुभाषिये भेजे जायेंगे।

४. भारतीय प्रविधिकों का प्रशिक्षण: तेल परिष्करणी के निर्माण चलाने और संधारण के रूप में पर्याप्त संख्या में भारतीय प्रशिक्षार्थियों को औद्योगिक/प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

५. भुगतान की शर्तें : संविदा के अधीन संभरित उपकरणों और रूसी विशेषज्ञों और दुभा-षियों के लिये भुगतान रूस सरकार द्वारा भारत सरकार को दिये गये ऋण में से चुकाया जायेगा।

गंगा के प्रदेशों में तेल की खोज

†**५२७. श्री हेम बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संघ सरकार से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गंगा के देशों में तेल की खोज कराने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भूतत्वीय तथा भूभौतिकीय सर्वेक्षण दलों ने पश्चिम बंगाल के कुछ भागों अर्थात् बर्दवान, जलापाईगुडी और कच-बिहार में सवक्षण किया है। अब तक एकत्रित आंकड़ों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण और अध्ययन करने के बाद और समन्वेषण कार्य करने पर विचार किया जायेगा।

उड़ीसा के स्कूलों अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्तियां

†**५२८. श्री बै० च० मलिक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को प्रति वर्ष १६ योग्यता छात्रवृत्तियां देने का हाल ही ही में फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के लिये कोई धनराशि मंजूर की जा चुकी है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) चयन को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद छात्रवृत्ति की रकम का वितरण किया जायेगा।

उड़ीसा के लिये सामान्य निर्वाचन

†**५२९. श्री बै० च० मलिक** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से लोक सभा के लिये तीसरा सामान्य निर्वाचन कब किया जायेगा; और

(ख) क्या उस बारे में समूचा खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) उड़ीसा में लोक-सभा के लिये सामान्य निर्वाचन अन्य राज्यों में सामान्य निर्वाचनों के साथ वर्ष १९६२ के आरम्भ में किये जायेंगे। सामान्य निर्वाचन के लिये वास्तविक तिथि अभी निश्चित नहीं की गयी है परन्तु निर्वाचन आयोग अस्थायी रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मतदान के लिये फरवरी, १९६२ का अन्तिम सप्ताह सर्वोत्तम रहेगा।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी में एच० एफ०—२४ विमान का निर्माण

†५३०. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० एफ०–२४ के सफलता से पूरा होने से सम्बन्धित श्रमिकों और हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी के अन्य व्यक्तियों को इनाम देने की घोषणा की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार इन इनामों में कुल कितने कर्मचारी आते हैं और क्या यह नकद इनाम श्रमिकों को चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, समान दर से दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) एच० एफ० -२४ के निर्माण से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों को ५० रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से और बाकियों को २० रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया। यह इनाम केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया गया जिनके वेतन ५०० रुपये प्रति मास से कम हैं।

इस इनाम से १६,९८३ श्रमिकों को लाभ हुआ जिनके श्रेणीवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

सुपरवाइजरी कर्मचारी .	१,७१६
गैर-सुपरवाइजरी कर्मचारी	
(क) कारखाना विभाग .	९,७५३
(ख) प्रशासन विभाग	५,५१४
कुल .	१६,९८३

आर्थिक विकास

†५३१. **श्री हेम बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष १९६० के लिये संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा बताये गये आंकड़ों की ओर आकृष्ट किया गया है कि पिछले दस वर्षों में आर्थिक विकास की भारत की दर अधिक कम-विकसित देशों की दर से कम रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हमारे आर्थिक विकास के इस पहलू की जांच की है और स्थिति को सुधारने के लिये कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित "विश्व आर्थिक सर्वेक्षण, १९६०" में भारत के मामले में अन्तिम वर्ष १९५७–५८ लिया गया है। उस वर्ष व्यापक रूप से सूखा पड़ने के कारण कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण राष्ट्रीय आय में पहले वर्ष की अपेक्षा १ प्रतिशत की कमी हो गयी। योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय (१९६०–६१ के मूल्य में) वर्ष १९५०–५१ में १०२.४ रुपये अबजास से बढ़ कर १९६०–६१ में १४५ रुपये अबजास हो गयी जिससे दस वर्षों में ४१.६ प्रतिशत अर्थात् औसतन ४.१६ प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है।

दूसरे, विश्व आर्थिक सर्वेक्षण १९६० में दिये गये राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से सामान्यतः कुल घरेलू उत्पादों में परिवर्तन का पता चलता है जबकि भारत के मामले में वे शुद्ध (नैट) आधार पर अर्थात् अवक्षयण घटा कर हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथापि सरकार आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने की आवश्यकता के प्रति सजग है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख ध्येय राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करना और आगामी योजना-कालों में विकास की इस दर को बढ़ाने के लिये तरीके अपनाना है।

आयुधकारखानों में गोडाउन कीपर

†५३३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में गोडाउन कीपर सुपरवाइज़र 'ख' श्रेणी में पदोन्नत किये जा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अप्रैल, १६५० से अप्रैल, १६६१ तक की अवधि में सुपरवाइज़र के रूप में कितने गोडाउन कीपरों को पदोन्नत किया गया; और

(घ) गोडाउन कीपरों के लिये पदोन्नति का और क्या मार्ग है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ६६।

(घ) गोडाउन कीपरों की पदोन्नति का अन्य मार्ग जूनियर गेटकीपरों की श्रेणी में पदोन्नति है।

विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा

†५३४. **श्री हेम बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च अध्ययन के लिये विदेशों को जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा देने के बारे में हाल के महीनों में कड़ाई कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). विदेशी मुद्रा की स्थिति बिगड़ने के कारण वैयक्तिक दौरों के लिये विदेशी मुद्रा देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने पड़े। जहां तक सम्भव है, शैक्षणिक कार्यों के लिये धन भेजने की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाता है। गैर-प्रविधिक विषयों के बारे में कुछ कड़ाई है और यदि आवेदनकर्ता के पास भारत में प्रथम श्रेणी में बी० ए० की डिग्री अथवा एम० ए० की डिग्री है, तो कला और विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा दी जाती है। कुछ अन्य विषय जैसे लेखापालन, सामान्य परिषेवा, और चलचित्र, जिनके लिये भारत में अधिक सुविधायें हैं, प्रतिबन्धित सूची में हैं। तथापि, जहां प्रवेश ३१-३-६१ से पूर्व प्राप्त कर लिया गया और जहां यदि ये प्रतिबन्ध न होते तो विदेशी मुद्रा दे दी जाती, वर्ष १६६१ में आरम्भ होने वाले पाठ्यक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा दी जावेगी।

उत्कल विश्वविद्यालय को ऋण और अनुदान

†५३५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के दौरान उत्कल विश्वविद्यालय को कुल कितनी धनराशि का ऋण और अनुदान दिया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख). क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में उत्कल विश्वविद्यालय को होस्टल के निर्माण के लिये कोई ऋण अथवा अनुदान दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क)

(१) अनुदान	३६,८५,०४५.२४	रुपये
(२) ऋण	७,५०,०००.००	रुपये

(ख) जी हां।

(ग). ७,५०,००० रुपये (ऋण)

सरायकेला और खर्सवान (बिहार) में जनगणना

†५३६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१ की जनगणना में बिहार में सरायकेला और खर्सवान में कुल कितने उडिया-भाषी व्यक्ति दर्ज किये गये ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** यह जानकारी वर्ष १९६३ तक उपलब्ध होगी जब गणना सूचियों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

केन्द्रीय सचिवालय

†५३७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मितव्ययता के तौर पर केन्द्रीय सचिवालय में नवीन भर्ती पर प्रतिबन्ध की अवधि को बढ़ाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो किस श्रेणी के पदों पर ;

(ग) क्या इससे भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती पर भी असर पड़ेगा ;

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार को सरकार के इस निर्णय के बारे में संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) यह निर्देश संभवत: पिछले वर्ष एक वर्ष के लिये भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध से है। इस बारे में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की एक प्रति १९ फरवरी, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या २४२ के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गयी थी। इस प्रतिबन्ध की अवधि वर्ष १९६१ के अन्त तक बढ़ा दी गयी है।

(ख) यह प्रतिबन्ध योजना योजनाओं और सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये अपेक्षित पदों को छोड़ कर सभी श्रेणियों के पदों पर लागू होता है परन्तु किसी मंत्रालय अथवा सम्बद्ध व अधीन

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यालियों में प्रशासनिक, कार्यकारी अथवा मंत्रालय सम्बन्धी पदों को योजना योजनाओं सम्बन्धी पद नहीं माना जाता ।

(ग). जी, नहीं।

(घ) यह प्रतिबन्ध विभिन्न संगठित सेवाओं अर्थात, अखिल भारतीय सेवाओं की पदाली में संख्या बनाये रखने के लिए प्रतीयोगी परीक्षाओं द्वारा सामान्य भर्ती पर लागू नहीं होता ।

(ङ). जी, नहीं ।

सामयिक श्रमिक

†५३८. **श्री तंगामणि :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिनांक २४ जनवरी, १९६१ के वित्त मंत्रालय के ओ० एम० संख्या एफ. ८ (२) ऐस्ट. (स्पेशल)/६० के पैरा ४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामयिक श्रमिकों में से नियमित संस्थानों के लिये नियुक्ति के लिये चुनाव के बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों का क्या ब्योरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) जारी किये गये आदेशों (गृह-कार्य मंत्रालय ओ० एम० संख्या ६/५२/६०—ऐस्ट(ए), दिनांक १६ फरवरी, १९६१) की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

कनाडा द्वारा डालर का अवमूल्यन

५३९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा की सरकार ने जून, १९६१ में डालर का अवमूल्यन कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका भारत की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा .

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) कनाडा के डालर की विनिमय-दर घटाने के लिए कनाडा की सरकार २१ जून १९६१ से कनाडा विनिमय निधि के साधनों का उपयोग कर रही है ।

(ख) भारत की वित्तीय स्थिति पर कनाडा के डालर के अवमूल्यन (डेप्रिसिएशन) का सिर्फ मामूली असर पड़ सकता है. क्योंकि जितना माल बाहर से मंगाया जाता है उसका लगभग ३ प्रतिशत ही कनाडा से मंगाया जाता है और जितना माल भारत से बाहर जाता है उसका लगभग २ प्रतिशत ही कनाडा जाता है । जहां तक भारतीय रुपये का सम्बन्ध है, कनाडा से भारत आने वाली चीजें सस्ती पड़ेंगी । और उस देश से मिले हुए ऋणों के मूल और ब्याज आदि के चुकाने में कम खर्च बैठेगा । लेकिन भारत से कनाडा भेजा जाने वाला माल कनाडा के डालरों में कुछ महंगा पड़ सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी प्रतिभूतियों का खोया जाना

†५४०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद के राज्य बैंक के एजेन्ट द्वारा कलकत्ता के रक्षित बैंक को भेजा गया एक पैकेट, जिसमें लगभग ५६ लाख रुपये के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां थीं, गुम हो गया ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). २० मई, १९६१ को भारत के राज्य बैंक की धनबाद शाखा द्वारा कलकत्ता में अपने स्थानीय हैड आफिस को भेजा गया रजिस्टर्ड और बीमा शुदा एक पैकेट जिसमें ५६ लाख रुपये के मूल्य के सरकारी प्रोमीसरी नोटों के नीचे के आधे हिस्से थे, रास्ते में गुम हो गया। डाक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। तथापि, अप्रेल, १९६१ में भेजे गये नोटों के ऊपर के आधे हिस्से ठीक मिल गये और क्यों कि भारत के राज्य बैंक द्वारा सम्बन्धित नोटों के डुप्लीकेट प्राप्त किये जा रहे हैं, बैंक को कोई हानि नहीं हुई है।

जोशीमठ के निकट विमान दुर्घटना

५४२. { **श्री राम सेवक यादव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ मई, १९६१ को जो विमान जोशीमठ के निकट गिरा था उसमें बैठे सभी लोग नहीं मरे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विमान द्वारा खाई में बिस्कुट और फल गिराये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या इन लोगों को बचाने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (ग). विमान में सवार ९ व्यक्तियों में से ५ का देहान्त हो गया था। शेष चार जीवित रहने वालों का उद्धार कर लिया गया है, इसलिये, उन के लिए विमान द्वारा, खाद्य पदार्थ गिराने की आवश्यकता नहीं।

विदेशियों की मूर्तियां हटाना

५४३. **श्री राम सेवक यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में लगी विदेशियों की मूर्त्तियों को हटाने के लिये सरकार को कोई योजना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). इस विषय में सरकार की सामान्य नीति प्रधान मंत्री ने १३ मई, १९५७ को अपने वक्तव्य में सदन के सामने स्पष्ट कर दी थी। संघ शासित क्षेत्रों में भी इसी नीति के अनुसार कार्य हो रहा है।

जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

५४४. श्री डामर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में जबलपुर विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश में उज्जैन के विक्रम विश्व-विद्यालय में कितने उप-कुलपतियों ने काम किया ; और

(ख) उनमें से कितने उप-कुलपति होने के साथ-साथ अन्य सरकारी पदों पर काम करते थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सेना के पदाधिकारियों के वेतन-क्रम

†५४५. श्री बलराज मधोक : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना के कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन क्रम १ अप्रैल, १९६० से लागू किये जाने थे जब कि जूनियर कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों के वेतन-स्तर १ जुलाई, १९५९ से लागू हैं ;

(ख) इस अन्तर के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों को १ अप्रैल, १९६० से भी पुनरीक्षित वेतन स्तर नहीं दिये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस बारे में अपने निर्णय को कार्यान्विद करने में शीघ्रता करेगी ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) पदाधिकारियों के वेतन-क्रम में मूलभूत सुधार किये गये हैं। ये निर्णय ग्रस्त धन को देखते हुए तदर्थ आधार पर था।

(ग) और (घ). (कुछ श्रेणियों को छोड़कर) सेवा पदाधिकारियों के वेतन-स्तर के पुनरीक्षण के बारे में सरकारी आदेश १२ जून, १९६१ को जारी किये गये थे और लेखा अधिकारी १ अप्रैल, १९६० से इन पदाधिकारियों के वेतन निर्धारित करने और इन पदाधिकारियों को बकाया का भुगतान करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में वेतन की बकाया का भुगतान कर दिया जायेगा। जिन श्रेणियों के पदाधिकारी उपरोक्त आदेशों में नहीं आते, उनके पुनरीक्षित वेतन-स्तर के बारे में यथासंभव शीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक स्विस राष्ट्रजन द्वारा तस्कर व्यापार

†५४६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ जुलाई, १९६१ को बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सोना और भारतीय करेंसी को चोरी छिपे लाने के लिये एक स्विस राष्ट्रजन को रोका ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). एक रोजर एन्टोयन जेन्टिना, जिसके पास स्विस पासपोर्ट था, १६ जुलाई, १९६१ को जेनेवा से एक इन्टरनेशनल विमान द्वारा सान्ताक्रुज़ हवाई अड्डे पर उतरा । बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा उसके सामान की जांच करने पर, उसको कमीज के नीचे एक विशेष प्रकार की बनी हुई जाकेट पहने पाया गया जिसमें लगभग १,८९,००० रुपये के मूल्य की लगभग १५.७५० किलोग्राम वज़न की सोने की ४५ छड़ें मिली हुई थी । उसके पास ५०० रुपये के मूल्य के भारतीय करेंसी नोट भी मिले । उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बम्बई के चीफ़ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया गया जिन्होंने उसको एक लाख रुपये की जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया । जांच जारी है ।

सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय

†५४७. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लक्ष्य के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियां नहीं बेची गयीं : और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, नहीं । द्वितीय योजना काल में केन्द्र और राज्यों द्वारा ७५३ करोड़ रुपये का मार्केट ऋण लिया गया जो योजना लक्ष्य से ५३ करोड़ रुपये अधिक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी ऋण

†५४८. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी ऋण जनता को आकर्षित नहीं करते क्योंकि भविष्य में इनका पूरा मूल्य नहीं मिलता ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऋण के मूल्य बनाये रख कर और भुगतान करके जनता को आकर्षित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, नहीं । सरकारी ऋण सामान्यत: अधिक होते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ राज्य-क्षेत्रों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा

†५४९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों तथा कुछ राज्यों में ११ वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—३०३३/६१**]

जाली डालर नोटों की छपाई

†५५०. { **श्री मो० ब० ठाकुर** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ व्यक्तियों को जाली डालर नोटों की कथित छपाई के लिए कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). बम्बई पुलिस ने ३० तथा ३१ जुलाई, १९६१ को दिल्ली में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था । दिल्ली के कुछ स्थानों की तलाशी लेने में दिल्ली पुलिस ने बम्बई पुलिस की सहायता की थी । तलाशी के फलस्वरूप डालर नोटों को बनाने के लिए आवश्यक हाथ से चलाई जाने वाली मशीन, एक प्रोसेस कैमरा, स्याही तथा ब्लाक मिले हैं । अग्रेतर जांच बम्बई पुलिस कर रही है ।

पूना में बाढ़-पीड़ितों के लिये मकान

†५५१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पूना के बाढ़ पीड़ितों के लिए मकान बनाने के सहायतार्थ राज्य सरकार को सैनिकों को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम पर कुल कितने सैनिक लगाये जायेंगे तथा सरकार कितना धन व्यय करेगी ; और

(ग) क्या बिहार अथवा केरल में भी कोई सैनिक भेजा गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: असैनिक अधिकारियों के अनुरोध पर पूना में सैनिकों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए १०० 'निसेन हट्स' बनाये हैं ।

(ख) इस काम पर लगाये गये सैनिकों की संख्या दिन प्रति दिन अलग अलग होती है । औसतन लगभग ४५० सैनिक प्रतिदिन लगाये जाते हैं । 'निसेन हट्स' बनाने तथा अन्य निर्माण सामग्री पर सरकार का लगभग तीन लाख रुपया व्यय हुआ । यह लागत तथा सैनिकों द्वारा किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया अन्य व्यय (जिसमें सैनिकों के वेतन तथा भत्ते शामिल नहीं हैं) राज्य सरकार से वसूल किये जायेंगे ।

(ग) जी नहीं । ऐसे कामों के लिये किसी भी राज्य से सैनिक सहायता का अनुरोध नहीं मिला है ।

गुजरात के लिए लोहे तथा नालीदार लोहे की चादरें

†५५२. **श्री मो० व० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकान बनाने के लिए आवश्यक लोहा तथा नालीदार चादरें गुजरात राज्य तथा भारत के अन्य कई स्थानों पर उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सामग्री खुले बाजार में किन मूल्यों पर बेची जाती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). देश में लोहा तथा इस्पात की उपलब्धता बढ़ जाने पर, मकान बनाने के लिए आवश्यक इस्पात आसानी से मिलने लगा है यद्यपि नालीदार चादरों की अभी भी कमी है । यह भी संभव है कि कुछ बदमाश व्यक्ति इनको नियंत्रित मूल्यों से अधिक पर बेचते हों ।

तम्बाकू की अनधिकृत खेती

†५५३. **श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत ६ महीनों में पंजाब के कांगड़ा, गुरदासपुर तथा रोहतक जिलों में तम्बाकू की अनधिकृत खेती के कुछ नये मामलों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा इनमें कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जिन पर जुर्माने हो चुके हैं अथवा सजायें हो चुकी हैं परन्तु फिर भी अपराध करते हैं तथा ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जनवरी से जून १९६१ तक कांगड़ा और रोहतक जिलों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम १९४४ के नियम १५ का उल्लंघन करके तम्बाकू की खेती का कोई मामला रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। परन्तु कथित अवधि में गुरदासपुर जिले में ऐसे पांच मामले रजिस्टर्ड किए गए हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इनमें बार बार अपराध करने वाले नहीं हैं ।

अधिक देर तक काम करने का भत्ता

†५५४. **श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १०.०० बजे सामान्य टाइम से पहले कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अधिक देर तक काम करने का भत्ता (लेट ड्यूटी अलाउंस) दिया

†मूल अंग्रेजी में

जाता था परन्तु १ जून, १९६१ से नये आदेशों के अधीन यह रियायत देना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान आदेशों में संशोधन करने का है तथा यदि हां, तो कब ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) निर्धारित काम के घंटों से अधिक काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अधिक देर तक काम करने का भत्ता दिया जाता था और नये आदेशों के बाद भी वह अधिक देर तक काम करने का भत्ता लेने के अधिकारी हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृषि विकास वित्त निगम

†**५५५. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से निकट भविष्य में कृषि विकास वित्त निगम बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य, कर्मचारी तथा आय के साधन क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). प्रस्ताव विचाराधीन है तथा कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

यमुना में नाव दुर्घटना

५५६. **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में २३ जुलाई को यमुना में जो नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें १७ व्यक्ति डूब गये थे उसके सिलसिले में दिल्ली प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उसका क्या परिणाम हुआ है ; और

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने उक्त नाव दुर्घटना की जांच करने के लिये एक अतिरिक्त जिलाधीश को प्रतिनियुक्त किया है। जांच का काम अभी आरम्भ ही हुआ है और इसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के विद्यार्थियों का छुट्टियों में भ्रमण

†५५७. **महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए छुट्टियों में भ्रमण का प्रबन्ध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली की नालियों में बालिका का शव

†५५८. **श्री रामजी वर्मा : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जुलाई, १९६१ को नई दिल्ली में निज़ामुद्दीन के निकट सूखी नाली में एक बालिका का शव पाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा पाई है ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों का पता लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मामला तैयार कर लिया गया है। संदेहास्पद दो व्यक्तियों में से एक ने अपना अपराध कबूल कर लिया है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में हड़ताल

†५५९. **श्री बें० च० मलिक : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जून, १९६१ से रूरकेला इस्पात संयंत्र के १००० कर्मचारी हड़ताल पर थे ;

(ख) हड़तालियों की शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) हड़तालियों की मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). १३ जून, १९६१ को ठेकेदार द्वारा दो मजदूरों की छंटनी कर दिए जाने के कारण विरोध में सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदार के लगभग १८६ मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी।

(ग) १८ जून, १९६१ को सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदार तथा मजदूरों के कार्मिक संघ के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अधीन ठेकेदार ने छंटनी किए गए दो मजदूरों को दिये गये छंटनी के नोटिस वापिस लेना स्वीकार कर लिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका से शस्त्रास्त्रों की खरीद

†५६०. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीका सरकार से शस्त्रास्त्रों की खरीद का समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते के ब्यौरे क्या हैं तथा अमरीका सरकार ने भारत को किस प्रकार के हथियार देना स्वीकार किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सचिवालय में सेक्शन आफिसरों के चुनाव की परीक्षा

†५६१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित अस्थाई सेक्शन आफ़िसरों में पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के असिस्टेंटों के चुनाव के लिए जून १९६० में की गई संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिस्पर्धा परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया गया था ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने कितने व्यक्तियों को सफल घोषित किया और विभागाधिकारियों में नियुक्ति की सिफारिश की;

(ग) क्या सफल हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों को नियुक्ति आदेश मिल गये है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा आवश्यक आदेश किस तिथि से जारी किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २४ अप्रैल, १९६१ तक ।

(ख) चवालीस ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंकलेश्वर में तेल

†५६२. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई २०, १९६१ को अंकलेश्वर के कूवां नं० १४ में तेल मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस कूवें के अनुमानित रिज़र्व क्या हैं; और

(ग) इस वर्ष के आरम्भ में अंकलेश्वर के इस क्षेत्र में इन कई कूवों में तेल के अनुमानित रिज़र्व क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक कूवें के रिज़र्व के अनुमान नहीं बनाये गये हैं।

(ग) अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल के रिज़र्व का निर्धारण करना तभी संभव हो सकेगा जब उत्पादन परीक्षण में कूवों में कुछ दिनों तक उत्पादन होता रहेगा।

पौलिटैक्नीक में विद्यार्थी

†५६३. { **महाराजकुमार विजय आनन्द** :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी पालीटैक्नीकों के विद्यार्थी अर्हता परीक्षा में ५० प्रतिशत नं० भी हासिल नहीं कर सके; और,

(ख) यदि हां, तो इस खराब नतीजे के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) १९६०–६१ में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पालीटैक्नीक में भरती किये गये अधिकांश विद्यार्थियों का अनुपात अर्हता परीक्षा में ५० प्रतिशत से कम नम्बर पाने वालों का था।

(ख) कारणों की खुलासा तौर पर जांच की जानी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ११४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८१ में प्रकाशित बीमा (संशोधन) नियम, १९६१।

(ख) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६७ में प्रकाशित बीमा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०२९/६१]

(२) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा १०१-क की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २४ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२०६ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०२९/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान तथा इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(३) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८०० में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०३५/६१]

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८०१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०३६/६१]

(तीन) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कोयले और कोक पर उत्पादन शुल्क की पुनरीक्षित दरें निश्चित करने वाली दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२९९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०३७/६१]

विधि आयोग का १८ वां प्रतिवेदन

†**विधि मंत्री (अ० कु० सेन)** : मैं धर्म परिवर्तन करने वालों का विवाह विच्छेद अधिनियम, १८८६ पर विधि आयोग के अट्ठारहवां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०३८/६१]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : मैं निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १९ के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट।

(दो) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक लेखे उन पर लेखा परीक्षित रिपोर्ट सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०३९/६१]

†मूल अंग्रेजी में

खनन पट्टे (शर्तों में रूप भेद) संशोधन नियम इत्यादि

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

१. खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों में रूप भेद) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० २८२९/६१]

२. खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण और विकास (पहला संशोधन) विधेयक, १९६१ नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९५१ मे प्रकाशित खनिज संरक्षण और विकास (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४०/६१]

३. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४१/६१]

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियमों इत्यादि में संशोधन

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधित करने वाली दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८९६/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

२ अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६०४ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील) संशोधन, नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८८ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (सेवा की शर्तें—शेष मामले) संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४२/६१]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) नियम इत्यादि

†**वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

१. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६१३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक २७ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० ३०४३/६१]

२. समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० संख्या ६०९ दिनांक २९ अप्रैल, १९६१

(ख) जी० एस० आर० संख्या ६१० दिनांक २९ अप्रैल, १९६१

(ग) जी० एस० आर० संख्या ६१२ दिनांक २९ अप्रैल, १९६१

(घ) जी० एस० आर० संख्या ६४३ दिनांक ६ मई, १९६१

(ङ) जी० एस० आर० संख्या ६४४ दिनांक ६ मई, १९६१

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) जी० एस० आर० संख्या ६७१ दिनांक १३ मई, १९६१

(छ) जी० एस० आर० संख्या ६७२ दिनांक १३ मई, १९६१

(ज) जी० एस० आर० संख्या ६९२ दिनांक २० मई, १९६१

(झ) जी० एस० आर० संख्या ६९३ दिनांक २० मई, १९६१

(ञ) जी० एस० आर० संख्या ६९४ दिनांक २० मई, १९६१

(ट) जी० एस० आर० संख्या ६९५ दिनांक २० मई, १९६१

(ठ) जी० एस० आर० संख्या ७३८ दिनांक ३ जून, १९६१

(ड) जी० एस० आर० संख्या ७५६ दिनांक १ जून, १९६१

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४४/६१]

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९७ की एक प्रति जिसमें दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८८ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४५/६१]

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० संख्या ६७३ दिनांक १३ मई, १९६१

(ख) जी० एस० आर० संख्या ६९० दिनांक २० मई, १९६१

(ग) जी० एस० आर० संख्या ७३६ दिनांक ३ जून, १९६१

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४६/६१]

(५) चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६०८ में प्रकाशित चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(६) चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५५ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४७/६१]

(७) दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ जुलाई, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३(३१)/५८—फिन (ई) की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०४८/६१]

(८) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १६५६ की धारा १३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकासी) नियम, १६५७ में और कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० संख्या ७६६ दिनांक १० जून, १६६१

(ख) जी० एस० आर० संख्या ७७० दिनांक १० जून, १६६१

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०४६/६१]

(९) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १६४६ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ मई, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०२ में प्रकाशित कोट्टयाम ओरियन्ट बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे स्टेट बैंक आफ़ ट्रावन्कोर में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५०/६१]

(ख) दिनांक १६ मई, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०३ में प्रकाशित बैंक आफ न्यू इण्डिया लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे स्टेट बैंक आफ ट्रावन्कोर में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५१/६१]

(ग) दिनांक १६ मई, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०४ में प्रकाशित सीसिया मिडलैंड बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५२/६१]

(घ) दिनांक १६ मई, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०५ में प्रकाशित वनडू बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५३/६१]

(ङ) दिनांक २३ मई, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२०३ में प्रकाशित बैंक आफ पूना लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे सांगली बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५४/६१]

(च) दिनांक ३१ मई, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२६१ में प्रकाशित भारत इन्डस्ट्रियल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे बैंक आफ महाराष्ट्र में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५५/६१]

(छ) दिनांक ३१ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२९२ में प्रकाशित पूना इन्वेस्टर्स बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे सांगली बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५६/६१]

(ज) दिनांक ३१ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२९३ में प्रकाशित बैंक आफ कोंकण लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे बैंक आफ महाराष्ट्र में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५७/६१]

(झ) दिनांक १२ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३६० में प्रकाशित वांकानेर बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे देवकरन नानजी बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०५८/६१]

चीनी की स्थिति और निर्यात के बारे में टिप्पण

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं चीनी की स्थिति और निर्यात के बारे में एक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३०५९/६१]

†**श्री खुशवक्त राय** : आपने मंत्री महोदय से कहा था कि वह सारी सूचना दें जो कि अनुपूरक प्रश्नों में पूछी गई थी। केवल प्रश्न के उत्तर में दी गई सूचना ही इसमें दी गई है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर होने वाली चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस पर होने वाली चर्चा के समय इन बातों को कह सकते हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : डा० राम सुभग सिंह ने अन्य देशों में उत्पादन मूल्य के बारे में जो कहा था उसके अतिरिक्त सारी सूचना दे दी गई है। हमारे पास इस बारे में आंकड़े नहीं हैं इसलिए यह सूचना नहीं दी जा सकती।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है—इसका असर गन्ना पैदा करने वाले लाखों व्यक्तियों पर पड़ता है। इस चर्चा का समय बढ़ाया जा सकेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा बैठने के लिए तैयार है तो ऐसा किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इस पर कल चर्चा हो जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर आज और कल एक घंटे चर्चा होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता सम्बन्धी विज्ञप्ति

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं विदेशी मुद्रा की स्थिति तथा भारत के विकास कार्यों के लिए सहायता देने में रुचि रखने वाली सरकारों तथा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मई-जून, १९६१ की बैठक के अन्त में जारी की गयी भारत को वित्तीय सहायता के बारे में विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के एक अनुपूरक प्रश्न द्वारा, श्री वें० प० नायर ने पूछा था कि व्यायाम, मनोरंजन और युवक-कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों में से व्यायाम, मनोरंजन और युवक-कल्याण का अलग कौनसे सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं।

मैंने उसके उत्तर में बताया था कि "अलग-अलग प्रतिनिधित्व नहीं होता। समिति में कुछ माननीय संसद् सदस्य हैं : श्री त्यागी, श्री अशोक मेहता, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और श्रीमती अम्मू स्वामीनाधन्। इन संसद् सदस्यों के अतिरिक्त, समिति में श्री जी० डी० सोंधी, श्री पी० एम० जोसेफ और श्री फैजी तथा अन्य हैं।"

परन्तु श्रीमती अम्मू स्वामीनाधन् अब संसद् सदस्या नहीं हैं, श्री फैजी ने अब समिति से त्याग पत्र दे दिया है और अब उनके स्थान पर श्री आर० के० कपूर, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता आ गये हैं।

समितियों के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : मैं, प्रतिरक्षा मंत्री की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रीय सेना छात्र दल (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित राष्ट्रीय सेना छात्र दल अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) के खण्ड (१) के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम और राष्ट्रीय सेना छात्र दल नियम, १९४८ के अन्य उपबन्धों के अधीन राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के अगले कार्य-काल के लिए उसके सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रीय सेना छात्र दल (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित राष्ट्रीय सेना छात्र दल अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) के खण्ड (१) के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम और राष्ट्रीय सेना छात्र दल नियम, १९४८ के अन्य उपबन्धों के अधीन राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के अगले कार्य-काल के लिए उसके सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के सदस्य वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक ३० मार्च, १९६१ के संकल्प संख्या एफ ११-७/६० सी० आई० के पैराग्राफ १ (एच) के अनुसरण में ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के अगले कार्य-काल के लिए उसके सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के सदस्य वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक ३० मार्च, १९६१ के संकल्प संख्या एफ ११-७/६१ सी०आई० के पैराग्राफ १ (एच) के अनुसरण में ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के अगले कार्य-काल के लिए उसके सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्रीमती आल्वा द्वारा ८ अगस्त, १९६१ को रखे गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष १९५९-६० के प्रतिवेदन पर, जो २४ अप्रैल, १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री तिम्मय्या भाषण जारी रखें।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इस प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की सही-सही सामाजिक आर्थिक दशा का चित्रण मिलता है। इससे स्पष्ट है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी, देश के सभी गांवों में अस्पृश्यता बनी हुई है। प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया कि अस्पृश्यता किन गांवों में अब नहीं रही है। अगले प्रतिवेदन में ऐसे गांवों की एक सूची सम्मिलित की जानी चाहिये। मैं जानता हूं कि उसमें काफी समय लग जायेगा, पर सरकार को अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिये। एक बड़ी खामी यह है कि ग्राम-स्तर कार्यकर्ताओं और ग्राम सेविकाओं को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उनको अस्पृश्यता-निवारण के प्रचार के लिये प्रशिक्षित नहीं किया जाता।

देश की आर्थिक प्रगति हुई है, परन्तु उन सामान्य योजनाओं से अनसूचित जातियों को कोई विशेष लाभ नहीं हो सका। सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिये कि सामान्य योजनाओं में भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तिम्मय्या]

अनसूचित जातियों के लिये कुछ राशि अलग रखी जाये । राज्य सरकारों से पूछा जाये कि कृषि के विकास के लिये कार्यान्वित की जाने वाली सामान्य योजना की राशि में से कितनी अनसूचित जातियों पर खर्च की गई । राज्य सरकारों को अपनी सभी सामान्य योजनाओं में कुछ राशि अनुसूचित जातियों के लिये रखनी चाहिये ।

राज्य सरकारों को, मेरे राज्य की तरह, कृषि योग्य ऊसर भूमि का एक निश्चित प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये अलग रखना चाहिये ।

आजकल पंचायतों का बड़ा जोर है, परन्तु अनुसूचित जातियों के लोग भोले भाले होते हैं, इसलिये हो सकता है कि पंचायतों में उनकी आवाज न सुनी जाये । इसलिये मैसूर की भांति, प्रत्येक राज्य को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि पंचायतें अपने बजट का कुछ प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये खर्च करें ।

यह बड़ा शुभ लक्षण है कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीरे-धीरे । भारतीय प्रशासकीय सेवा में अनुसूचित जातियों के शायद ३–४ ही लोग लिये गये होंगे । केन्द्रीय सरकार कहती है कि जब राज्य-सरकारें अनुसूचित जातियों के लोगों के नामों की सिफारिश करें तभी तो भारतीय प्रशासकीय सेवा में उनकी नियुक्ति की जा सकती है । लेकिन ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब केन्द्रीय सरकार ने राज्य की सिफारिशें नहीं मानी हैं । यह अन्याय है । गृह-कार्य मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिये ।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में एक निर्णय दिया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये चुनाव द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी स्थान सुरक्षित किये जाने चाहिये । संविधान की व्यवस्था भी स्पष्ट है कि यदि सरकारी सेवा में किसी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो उसे उचित सुरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इससे स्पष्ट है कि पदों का सुरक्षण संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं, अनकूल है ।

रेलवे मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित कर रहा है । लेकिन उसमें भी बड़ी चालें चली जा रही हैं । सबसे पहली तो यह कि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले पदों का क्षेत्र अधिकाधिक रूप से सीमित किया जा रहा है । दूसरी यह कि उच्चाधिकारियों को बताये बिना ही तदर्थ रूप से पदोन्नतियां कर दी जाती हैं । तीसरी चालबाजी यह होती है कि सुरक्षित पदों के लिये आने वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से सबसे जूनियर लोग चुने जाते हैं, इसलिये कि वे अगली पदोन्नति के योग्य बहुत बाद में बन सकें । यदि सीनियर लोग चुने जायें, तो वे शीघ्र ही अगली पदोन्नति के लिये उम्मीदवार बन जायेंगे और वे, जूनियर लोगों के मुकाबले, अधिक ऊंचे पदों तक जा सकेंगे । वे इस प्रकार संविधान की व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बहुत कुछ निष्प्रभावी बना देते हैं ।

इस प्रकार भारतीय समाज में सामाजिक एकता इत्यादि की गुहार तो मचाई जाती है, परन्तु अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को उनका उचित अधिकार नहीं दिया जाता । जब तक ऐसी हालत रहेगी, हमारे समाज में ऐक्य और दृढ़ता नहीं आ पायेगी । संविधान की व्यवस्था को कार्यान्वित करने की मांग करना स्वार्थपरता और साम्प्रदायिकता नहीं है । इसके विपरीत अनुसूचित जातियों को साम्प्रदायिकता का शिकार बनाया जा रहा है ।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के साथ न्याय किया जाये ।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : इस प्रतिवेदन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्यों ने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। राज्यों ने न तो विकास-कार्यों और न सेवाओं में ही उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर विचार किया है। आश्चर्य तो तब होता है जब कुछ माननीय सदस्य इस पर भी पूछते हैं कि हम लोगों को असल में शिकायत क्या है! शिकायत यह है कि देश उन्नति करता जा रहा है, पर हमारी दशा अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है।

खेद है कि श्री च० का० भट्टाचार्य ने समुदायों के आधार पर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों की गणना करने की मांग को साम्प्रदायिकता बताया है। मैं उनकी भ्रान्ति दूर करना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की समस्या साम्प्रदायिक नहीं, राष्ट्रीय है।

मैंने देश के लगभग सभी आदिम जाति क्षेत्रों का दौरा किया है। होता यह है कि उनके विकास के लिये दी जाने वाली राशि उन पर खर्च नहीं होती। भारत सरकार के सदाशय और संवैधानिक व्यवस्था के होते हुए, कुछ राज्यों के मन्त्री खुले आम कहते हैं कि नियुक्तियों में इन लोगों को सुरक्षण नहीं दिया जा सकता! वे कहते हैं कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते। अब यह तो अपनी अपनी राय की बात है। दक्षिण भारत और पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित आदिम जातियों की दशा सबसे अधिक दयनीय है।

कुछ राज्यों में आदिम जाति के ८० प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों को ८०–६० प्रतिशत ब्याज को दर पर रुपया उधार मिल पाता है। भूमि जुटाये बिना, उनका आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता।

कुछ अन्य राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को पहाड़ी न होने पर भी पहाड़ी कह कर पहाड़ी क्षेत्रों में ठेल दिया जाता है। दूसरे लोग उनकी भूमि पर अधिकार जमा लेते हैं।

सरकार जब देश के औद्योगीकरण के लिये ऐसे क्षेत्रों में नये उद्योग खड़े करती है, तो सरकार भी अनुसूचित जातियों के विस्थापित लोगों के पुनर्वास की बात नहीं सोचती।

कल श्री हंसदा ने आसाम की अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों का उल्लेख किया था। आसाम के चाय बागानों में काम करने पर, उन को अनुसूचित आदिम जाति के लोग नहीं माना जाता। कुछ घोषित आदिम जाति क्षेत्रों में ही उनको आदिम जातियां माना जाता है, उनसे बाहर जाने पर नहीं बाहर उनको पिछड़े वर्गों के लोग माना जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के १२ लाख, उड़ीसा के ६ लाख और आन्ध्र प्रदेश के ढाई लाख आदिम जातियों के लोगों को आदिम जातियों की श्रेणी से बाहर रखा जा रहा है। सरकार को ऐसी अनियमिततायें दूर करनी चाहियें, जिससे ये लोग भी अन्य अनुसूचित आदिम जातियों को मिली हुई सुविधाओं से लाभ उठा सकें।

संविधान ने किसी क्षेत्र विशेष को आदिम जाति क्षेत्र इसलिये घोषित किया था कि वहां उन लोगों को शोषण से बचाया जा सके। लेकिन ये अनियमिततायें संविधान का प्रयोजन पूरा नहीं होने देतीं।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण का भार गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। पर इस मंत्रालय के पास दूसरा काम भी बहुत ज्यादा है। इसलिये आवश्यकता यह है कि इसके लिये एक अलग मंत्रालय बनाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बसुमतारी]

देश स्वतंत्र होते समय, हमारे यहां पूरे देश में ५ प्रतिशत लोग ही साक्षर थे। अब साक्षर लोगों की संख्या ४० प्रतिशत हो गई है। परन्तु अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों में साक्षरता केवल २–३ प्रतिशत ही है। मैंने आसाम में देखा है कि अधिकांश छात्रवृत्तियां गैर आदिम जातियों के विद्यार्थियों को ही दी जाती हैं। इस पर भी हमसे पूछा जाता है कि हमें शिकायत क्या है।

संविधान की रचना के समय देश के सभी नेताओं ने आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों, इत्यादि को उन्नत बनाने के लिये दस वर्ष की अवधि निर्धारित की थी। परन्तु दस वर्ष में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

देश के सभी नेताओं को इस पर सम्मिलित रूप से सोचना चाहिये।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिड्यूल्ड कास्ट और आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज किस जिम्मेदारी के साथ हरिजनों की प्रगति के लिए कार्रवाई हो रही है इसका अन्दाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो सन् १९५९–६० की रिपोर्ट है उसको सन् १९६१ के अगस्त मास में यहां पेश किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हरिजनों की प्रगति में कितनी दिलचस्पी ली जा रही है। मेरी तो यह धारणा बन गयी है कि हरिजनों के काम को अब केवल रस्मिया तौर पर किया जाता है। जैसे हम कोई राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं उसी तरह वर्ष में एक बार हम इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाकर उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस गति से काम किया गया तो इस कांग्रेस सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

आज हमारे बहुत से भाइयों ने चर्चा की और हरिजनों की उन्नति के बारे में अपने विचार प्रकट किए। मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९४७ में जो दंगे हुए थे और देश में जो हालात पैदा हुए थे और जो रिफ्यूजीज का प्राबलम सामने आया था उसको सरकार ने ईमानदारी से समझा और उस समस्या को हल कर दिया। और मैं समझता हूं आज वह समस्या बाकी नहीं है। यह मैं मानता हूं कि हरिजनों की समस्या शरणार्थियों जैसी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारी सरकार इस समस्या का समाधान न कर सके। मैं समझता हूं कि इसमें कई कारण है। कोई प्लान के बगैर यह काम नहीं हो सकता। मैं देखता हूं कि लगातार सन् १९५२ से चाहे वे हरिजन हों या आदिवासी हों वे यह महसूस करते हैं और इसके लिए मांग करते आए हैं कि अगर इस समस्या का हल करना है तो इसके लिए अलग से एक मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन सदस्यों की मांग के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो पैसा राज्य सरकारों द्वारा हरिजनों की उन्नति के लिए खर्च करती है उसका अधिकतर भाग तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर ही खर्च हो जाता है। जो सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट है पहले तो उसका डाइरेक्टर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट डाइरेक्टर होता है, और उसके नीचे कितने ही अन्य कर्मचारी होते हैं और अगर उनके सारे दफ्तर और व्यवस्था का खर्चा मिलाकर के देखा जाये तो मैं समझता हूं कि जो रुपया सरकार खर्च करती है उसका एक

आना ही हरिजनों पर खर्च होता होगा। हालांकि सरकार बहुत पैसा खर्च करती है लेकिन वह सही तरीके से खर्च नहीं होता। बहुत सा पैसा बीच में खर्च हो जाता है।

जहां तक छात्रवृत्ति का सवाल है, पहले जो सेंटर से छात्रवृत्ति दी जाती थी तो सीधे हरिजनों को मिलती थी। लेकिन अब वह राज्य सरकारों द्वारा, बल्कि पंचायतों द्वारा दी जाती है। बहुत सी पंचायतों में ऐसे आदमी हैं जो हरिजनों से ईर्षा द्वेष रखते हैं और हरिजनों को बहुत कम पैसा देते हैं और बाकी पैसा दूसरे मदों में खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से वजीफों की हालत अच्छी नहीं है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

हरिजनों के आवास की समस्या है। आज तक हरिजन पशुओं की तरह रह रहे हैं। उनके गांवों में छोटे छोटे मकान हैं। अभी तक उनके मकानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सरकार उनको जो मकान बनाने के लिए सबसिडी देती है वह बहुत कम होती है। सरकार को चाहिये कि उनको मकान बना कर दे, गांवों में भी और शहरों में भी, उनको कम पैसा न देकर उनको ये मकान बनाने में कर्ज के रूप में दिये जाएं और उस कर्ज पर ब्याज न लिया जाए। मैं समझता हूं कि वे लोग आहिस्ता आहिस्ता इस कर्ज को भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता।

आज जो हरिजनों की कालोनीज बसायी जाती हैं वे शहरों से दूर होती हैं, मैं तो उनको अछूत बस्तियां कहता हूं। आज हमको लालच देकर शहरों की जमीन हमसे ले ली जाती है और हमको दूर बसा दिया जाता है। लेकिन जब तक हम अक्लवालों के पास नहीं रहेंगे तब तक किस तरह से हमारी स्त्रियों और बच्चों में शिक्षा और सभ्यता आ सकती है। जब हम बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो उनको देखेंगे और जैसे वे करते हैं वैसा हम भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता और हमको अलग बसाया जाता है।

इसी तरह से हरिजनों के उद्योग धन्धों का हाल है। मैं कई बार इसके बारे में कह चुका हूं। हमारी सरकार ने विलेज इंडस्ट्रीज़ की ओर ध्यान दिया है। लेकिन हमारा अनुभव है कि जब से सरकार के इस विभाग ने इस काम को अपने हाथ में लिया है तब से वे हरिजन जो अपने काम के मालिक थे अब नौकर और मजदूर रह गए हैं। हरिजनों के पास चमड़े का उद्योग था लेकिन उसमें अब अन्य लोग घुस गए हैं और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर उस धंधे से लाभ उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि स्वयं हरिजनों की ही कोआपरेटिव सोसाइटियां बनानी चाहिएं और सरकार उन पर अपना नियंत्रण रखे और जो लाभ हो वह श्रम करने वालों को मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता और दूसरे उससे फायदा उठाते हैं।

हमारी खेती की समस्या है। आज अवस्था यह है कि हरिजनों के पास जीवन निर्वाह के लिए खेती की जमीन नहीं है। अगर राज्य सरकारें ठीक तरह से काम करें तो इस दिशा में कुछ काम हो सकता है। राजस्थान में अन्य लोगों को दो मरबा तीन मरबा जमीन देते हैं लेकिन हरिजनों को ६ या ७ बीघा देते हैं और १२ या १५ बीघा से ज्यादा किसी को नहीं देते। आवश्यकता तो सब की एक समान है, फिर यह अन्तर क्यों किया जाता है। कपड़े की, खाने की और दूसरी आवश्यकताएं तो हरिजनों की भी वही हैं जो दूसरे लोगों की हैं लेकिन किसी को अधिक जमीन दी जाती है किसी को कम। अगर इस प्रकार का भेदभाव हरिजनों के साथ स्वतंत्र भारत में और विशेषकर कांग्रेस के शासन में होगा तो उनका कैसे कल्याण हो सकता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। भूतपूर्व राज्यों ने यह नियम बनाया था कि जो हरिजन आदि सैनिक राज्य की मिलिटरी से रिटायर हुए हों उनको जमीन दी जाए। जब मेरा ध्यान इस ओर गया तो मैं ने श्री कृष्ण मेनन साहब से और स्वर्गीय पंत जी से इस बारे में निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे लोगों

[श्री प० ला० बारूपाल]

की अर्जी दो । मैं ने अर्जियां दीं और उस पर चार पांच अन्य मेम्बर पार्लियामेंट ने हस्ताक्षर कर, सिफारिश करके वह अर्जियां राज्य सरकार के पास भेजी गयीं लेकिन दो तीन साल हो गए उस पर कोई अमल नहीं हुआ । बल्कि राज्य सलकार के अधिकारी लोग मुझ से गुस्से और हो गए । वह कहते हैं कि ऊपर से हुक्म ले आए लेकिन हम देखते हैं कि तुमको जमीन कैसे मिलती है । वह अर्जी जिस पर कि पंत जी और श्री कृष्ण मेनन साहब की सिफारिश थी और जिस पर पांच संसद् सदस्यों के हस्ताक्षर थे, सिफारिश थी, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है । राज्यों में यह हो रहा है । अगर यही स्थिति रही तो हरिजनों का कल्याण कैसे होगा ।

सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बना दिया है । लेकिन मैं देखता हूं कि कोई पार्लियामेंट का हिन्दू मेम्बर मेरे घर मेहमान के तौर पर खुशी से आना पसन्द नहीं करता । एक दफा श्री जगजीवन राम जी तो इस गरीब का घर देखने आए थे । मैं ने समझा कि अन्य लोग शायद इसलिए नहीं आते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है । इसलिए मैं ने कर्जा लेकर एक अच्छा सा मकान बनाया, लेकिन आज तक कोई कांग्रेसी मंत्री मेहमान के रूप में मेरे घर पर नहीं आया । वह बड़े बड़े सेठों के घरों में जा कर ठहर जाते हैं और या सरकिट हाउस में जाकर उतर जाते हैं लेकिन जो हरिजन संसद् सदस्य हैं उनके घर में मेहमान के रूप में भी नहीं जाते । जब कांग्रेस वालों का यह हाल है तो हम दूसरों के बारे में क्या कहें । इस तरह हमारी अस्पृश्यता की समस्या कैसे हल हो सकती है । हमारे विधान में अनटचेबिलिटी और छुआछूत को गैर कानूनी बताया गया है । लेकिन आज भी राजस्थान में जो कुएं तालाब हैं उन पर हरिजन को समानता से पानी भरने का अधिकार नहीं है । इन बातों के कारण आज गांवों में हरिजनों के कत्ल होते हैं । मगर किसी को कोई सजा नहीं की जाती । राजस्थान में इस तरह हरिजनों के १३ कत्ल हुए । पुलिस ने मामले चलाए लेकिन किसी को सजा नहीं हुई बताई । यह कितने दुःख की बात है कि हरिजनों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है लेकिन किसी को सजा तक नहीं होती । क्या इस प्रकार की चीजें कांग्रेस के राज्य में शोभा देती हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

आज इस देश के अन्दर जो गवर्नमेंट आई है उसने हरिजनों को संसद् में, विधान सभाओं में स्थान दिया है । इस कारण लालच के वशीभूत कुछ लोग हमारे पास आते हैं ।

तुलसी दास ने कहा है कि :

"सुर नर मुनि जन की यह रीती, स्वार्थ, लाभ करहिं सब प्रीती ।"

जब से मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हुआ हूं बहुत सी शिक्षित बहिनें हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हमको नौकरी नहीं मिलती इसलिए आप हमको शिड्यूल्ड कास्ट का सरटिफिकेट दे दें तो हमको नौकरी मिल जाएगी । मैं कह देता हूं कि यह तो असम्भव है । आज बेकारी है इसलिए ये बहिनें मेरे पास शिड्यूल्ड कास्ट का सरटिफिकेट लेने आती हैं । मैं ऐसी बहनों से निवेदन करूंगा कि वे जातिवाद के दलदल से निकलें और अन्तरजातीय विवाह करें तो मैं समझता हूं कि उनकी नौकरी की समस्या हल हो सकती है ।

मैं तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से यह निवेदन करूंगा कि सवर्ण जाति की ऐसी लड़कियों को जो कि जाति पांत के बन्धन तोड़ कर अन्तर्जातीय विवाह हरिजन भाइयों से करती हैं

उनको हरिजनों के समान अवश्य नौकरियों आदि में रिजर्वेशन पर स्थान दिया जाय। लेकिन यदि देखा जाय कि यह ऊंची जाति की लड़कियां महज नौकरियों की लालच में आकर जाति पांत का बन्धन तोड़ कर हरिजनों से विवाह कर लेती हैं और शादी करने के दो, चार महीने के बाद तलाक दे देती हैं तो मैं समझता हूं कि फिर उनको उन नौकरियों से हटा दिया जाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव बहुत लालची होता है और इसके कारण बहुत धोखाधड़ी चलती है। अगर नौकरी पाने की लालच में कोई ऊंची जाति की लड़की एक हरिजन से शादी कर लेती है और फिर थोड़े ही दिन बाद तलाक देकर उसको छोड़ देती है तो यह चीज निहायत नावाजिब है और मैं इसको कतई पसन्द नहीं करता। वैसे जहां तक अन्तर्जातीय शादियों का ताल्लुक है सरकार को और उसके बड़े बड़े अधिकारियों को उसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और हमारे मंत्री लोगों को ऐसी शादियों में शरीक होना चाहिए और इस जाति पांत के बन्धन को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारा भारत देश एक धर्मप्राण देश है और यहां पर अनेक जातियों के लोग रहते हैं और उनके भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं और उनके चलते साधारण आदमियों को उन बन्धनों को तोड़ कर बाहर निकलने में एक संकोच और हिचकिचाहट होती है और यह हमारे बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों आदि का कर्तव्य है कि इस चीज को जैसे भी हो प्रोत्साहन दें।

यह ठीक है कि आपने अस्पृश्यता निवारण के हेतु कानून बना दिया है लेकिन केवल कानून बना देने से ही यह कलंक हमारे देश से मिटने वाला नहीं है। उसके लिए हमें मनुष्यों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और आपस में सहयोग करने की भावना जागानी होगी। जितना काम प्रेम और भाईचारे से हो सकता है उतना कानून से नहीं हो सकता है। हमने कानून से पहले कई चीजें करवाने की कोशिश की लेकिन वहां पर झगड़े खड़े हो गये और लोगों में आपस में राग, द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो गई। कानून से हम कुएं से पानी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कानून से किसी की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। कानून से हम मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं मगर कानून से हम किसी के हृदय के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते। कानून से हम किसी कुर्सी पर भले ही बैठ सकते है लेकिन किसी के दिल के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। इसके लिए हम में नैतिकता चाहिए। सेवा भाव चाहिए और ईमानदारी चाहिए। जब तक देशवासियों के अन्दर यह चीजें नहीं आयेंगी तब तक इन सब बातों के लिए अर्थात् अस्पृश्यता निवारण के मार्ग में बहुत कठिनाइयां आयेंगी।

मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों की घरेलू इंडस्ट्रीज़ को पनपाया जाय और उनको सभी धन्धों में प्रोत्साहन दिया जाय। उनको सरकार ऋण दे और जो चीजें वे पैदा करें उनके बेचने के लिए सरकार बाजार में उचित व्यवस्था करे। अधिक से अधिक उनको इस बारे में सहूलियत दी जाय ऐसा होने पर ही हरिजनों का उत्थान हो सकेगा अन्यथा नहीं। राजनैतिक उत्थान तो इस सरकार ने हरिजनों का कर दिया है लेकिन हमें उनका सामाजिक उत्थान और आर्थिक उत्थान भी करना है।

हम देखते हैं कि हमारे हरिजन भाई मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं और विधान परिषदों के भी वे सदस्य हैं और ग्राम पंचायतों के भी कुछ हरिजन मेम्बर्स होते हैं। लेकिन यह १, २ परसेंट प्रतिनिधित्व मिलने से तो हरिजनों का उत्थान होने वाला नहीं है। अब पंचायतों में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार नामिनेट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट और असेम्बलीज के अन्दर रिजर्वेशन है उसी तरीके से उनके एरिया का भी रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि वहां से हरिजन चुन कर आ सकें। अब इसमें कोई आपत्ति नहीं अगर हरिजन हरिजन के खिलाफ भी लड़ें। जाहिर है जो उनमें योग्य होगा वह चुना जायेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में पंचायतों के अन्दर हरिजनों के लिये एक स्थान सुरक्षित हो।

[श्री प० ला० बारूपाल]

मैं आशा रखता हूं कि यह मैंने जो चंद एक सुझाव दिये हैं उन पर मंत्राणी महोदया अवश्य ध्यान देंगी और हरिजनों के उत्थान के वास्ते जो धीमी गति से कार्य हो रहा है उसमें तेजी लायेंगी।

यह खुशी की बात है कि श्री श्रीकान्त सरीखे पुरुष इस कमिशन के चेअरमैन हैं लेकिन वे भी लाचार हो जाते हैं क्योंकि उनकी भी तो लिमिटेशंस हैं। अब उनका काम तो सरकार को रिपोर्ट देना ही है और सिफारिशें करना है। इससे ज्यादा अधिकार तो उन्हें प्राप्त नहीं हैं लेकिन यह खुशी की बात है कि बजट की तरह यह रिपोर्ट लैप्स नहीं होती है। और हर साल इसके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि हमारी मंत्राणी महोदया इस समस्या के समाधान के लिए कुछ उठा न रखेंगी और मैंने इस सिलसिले में जो थोड़े से सुझाव उनकी सेवा में प्रस्तुत किये हैं उन पर ध्यान देंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण दस मिनट से अधिक समय न लें। श्री ईयाचरण।

†**श्री वें० ईयाचरण** (पालघाट) : अनुसूचित आदिम जाति तथा अनुसूचित जातियों के आयुक्त का यह नवां प्रतिवेदन है। आयुक्त ने अपने सभी प्रतिवेदनों में बड़े बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, परन्तु कोई नहीं जानता कि उनको कार्यान्वित किस सीमा तक किया गया है। केन्द्र को राज्य सरकारों से इस काम की प्रगति का ब्यौरा मंगाते रहना चाहिये।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को विशेष रूप से इसी काम के लिये बड़ी बड़ी राशियां आवंटित की गई थीं, परन्तु राज्यों ने उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया है। केन्द्र को जांच करनी चाहिये कि राज्यों को इसमें क्या कठिनाई है।

तृतीय योजना का आकार, द्वितीय योजना के मुकाबले ढाई गुना है, परन्तु अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये आवंटित राशि द्वितीय योजना के मुकाबले, ढाई गुनी नहीं है। द्वितीय योजना में इसके लिये २७.६६ करोड़ रुपये रखे गये थे और अब केवल ४० करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। केरल को अनुसूचित आदिम जातियों और जातियों के कल्याण के लिये इस बार पहले से केवल २०—३० प्रतिशत अधिक राशि की व्यवस्था की गई है।

यह तर्क ग़लत है कि सामान्य योजनाओं से भी अनुसूचित जातियां लाभान्वित होती हैं। सामान्य योजनाओं के लिये आवंटित राशि अनुसूचित जातियों के कल्याण-कार्यों पर खर्च नहीं की जाती। कृषि सम्बन्धी ऋणों की सुविधा का वे लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वे जमानतें नहीं दे पाते। इसलिये हरिजन कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत उनके लिये कृषीय ऋणों की पृथक व्यवस्था की जानी चाहिये।

इन पिछड़े हुए वर्गों के लोगों की सब से बड़ी आवश्यकता शिक्षा सुविधाओं की है।

योग्यता के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में से केवल १७ १।२ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित की गई हैं। परन्तु ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि इसमें से भी ऐसे कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिल पाती हैं। इसकी जांच की जानी चाहिये और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये अपेक्षित शिक्षा सम्बन्धी योग्यता कुछ कम ही रखी जानी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी चीज यह कि हरिजनों में भी कई शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। इसलिये कि वे मैट्रिक इत्यादि की परीक्षाओं में सफल नहीं हो सके। उनको प्रविधिक शिक्षा की सुविधायें मिलनी चाहिये।

सेवाओं में पद सुरक्षित करने की व्यवस्था तो की गई है, पर उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं होने दिया जाता। अनुसूचित जातियों के लोगों की राह में रोड़े अटकाये जाते हैं। गृह-कार्य मंत्रालय को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

अनुसूचित जातियों को आर्थिक उन्नति करने के लिये, उद्योग वगैरह खड़े करने में सहायता दी जानी चाहिये।

आजकल कुछ अन्य समुदाय भी अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिये। उससे समस्या और उलझ जायेगी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'थन्डान' समुदाय भी है। उसकी यही कोशिश है। गृह-कार्य मंत्री को इसकी पूरी तौर से जांच करानी चाहिये। उनको अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री गणपति राम (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है, वह प्रशंसनीय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन्ज़ की हैं, अगर सिर्फ़ उन्हीं को मान लिया जाये, तो देश के हरिजनों और दूसरी बैकवर्ड क्लासिज़ की सब समस्यायें हल हो जायें। मैंने देश के बहुत से पढ़े-लिखे लोगों को यह कहते सुना है कि जो सुझाव पार्लियामेंट हर साल स्वीकार करे और फिर भी उनको इम्प्लीमेंट न किया जाये, तो फिर यह मज़ाक नहीं तो और क्या है। आज कहा जाता है कि जब से अस्पृश्यता निवारण का कानून पास हो गया है, तब से देश में छुआछूत नहीं रह गई है। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों को भी यह कहते सुना है कि अब तो छुआछूत का कानून पास हो गया, अब छुआछूत देखने को नहीं मिलती। क्या मैं उन माननीय सदस्यगण से नम्रतापूर्वक यह पूछ सकता हूं कि क्या वे हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा गांव बता सकते हैं, जहां पर छुआछूत नहीं है ? आज क्या आप ईमानदारी के साथ कोई भी ऐसा गांव बता सकते हैं जहां पर छुआछूत न हो ? कहने के लिए कह दिया जाता है कि अब तो छुआछूत खत्म हो गई है, इसके बारे में कानून बना दिया गया है लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसका खात्मा अभी नहीं हुआ है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि इसमें कमी जरूर हुई है लेकिन यह खत्म नहीं हुई है। यह कह देना कि जिस दिन से कानून बन गया उसी दिन से छुआछूत खत्म हो गई, गलत बात है। उस दिन तक तो छुआछूत थी और उसी दिन से वह समाप्त हो गई, इसको कौन मान सकता है। इस तरह की चीज़ को कोई भी रिजनेबल माइंडिड आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। देहातों में अगर हम छुआछूत को पाते हैं तो शायद हमको तकलीफ कम होती है लेकिन जब हम पढ़े लिखे लोगों में छुआछूत की भावना को पाते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज जब हम आफिसेस में जाते हैं तो वहां पर भी इन लोगों के लिए अलग से सुराहियां, अलग से गिलास रखे हुए पाते हैं। सैंट्रल गवर्नमेंट के आफिसेस में या स्टेट गवर्नमेंट्स के आफिसिस में कहीं भी आप जा कर देखें ये चीज़ें आपको अलग से पड़ी हुई मिलेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस चीज़ को खत्म करने के लिए आपकी तरफ से कोई सर्क्युलर इशू किया गया है और अगर नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है ? पढ़े लिखे लोगों में जब इस तरह की भावना प्रबल हो तो यह इस बात की निशानी समझी जायेगी कि मर्ज़ घटने के बजाय बढ़ ही रहा है और छुआछूत की भावना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

[श्री गणपति राम]

मंदिर प्रवेश का भी प्रश्न उठता है । काशी विश्वनाथ मंदिर में हरिजनों के प्रवेश की बात बड़े जोरों से फैली थी । मैं क्या शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर से यह पूछ सकता हूं, मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि मंदिर प्रवेश के मामले में जो फंड हमारी सरकार ने मंजूर किया है, उसमें से कितना धन खर्च किया गया है और साथ ही साथ छूआछूत को कम करने के लिए जो धन रखा गया था उसमें से कितना खर्च किया गया है । मैंने देखा है कि इन कामों के लिए जितना धन यहां से स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता है वह खर्च नहीं हो पाता है और हर साल लैप्स होता है । अगर इस तरह से धन लैप्स हो जाता है तो क्यों इसकी रिपोर्ट उनसे नहीं मांगी जाती है और क्यों उनके खिलाफ कोई एकशन नहीं लिया जाता है ? मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप सख्त कदम उठायें ।

अब मैं भूमि समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इसको हल करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स पर है । साथ ही साथ हरिजनों की आर्थिक समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी उन पर है । हज़ारों एकड़ ऊसर, पड़ती और बंजर जमीन पड़ी हुई है लेकिन इसको हरिजनों को नहीं दिया जा रहा है । भूमि सुधार कानून पास हो जाने के बावजूद भी इस जमीन को उनमें नहीं बांटा गया है । यहां तक कि आचार्य विनोबा भावे को जो जमीन दान-स्वरूप मिली है उसमें से कुछ जमीन तो इन लोगों को दे दी गई है लेकिन इसकी एंट्री अभी तक भी कागज़ों में नहीं की गई है । उत्तर प्रदेश में और शायद दूसरे प्रदेशों में भी चकबन्दी हो रही है । चकबन्दी कानून में यह व्यवस्था है कि इनके बसने के लिए जमीन छोड़ी जाये, चारागाह के लिए जमीन छोड़ी जाये । लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि जहां हरिजनों का घर मौजूद है, आस पास की जमीन उनकी है, किन्तु चकबन्दी में उनके घर और जमीन दूसरों को दे दिये गये हैं और उनको ऐसी जमीन दे दी गई है कि जहां पर कभी काश्त नहीं होती थी । चकबन्दी करते वक्त अगर हरिजनों की आर्थिक समस्याओं को इस तरह से हल किया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि उनकी हालत अच्छी होने के बजाय खराब हो जायेगी । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाये ।

अब मैं उद्योग और व्यापार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन इसलिए बनाई जाती है कि छोटे मोटे उद्योग धंधों को पनपाया जाये और जो इन धंधों को शुरू करते हैं उनको लोन दिये जाते हैं, तकावी दी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय गृह-मंत्री महोदय ने क्या किसी भी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन से या किसी भी स्टेट सरकार से यह पूछा है कि हरिजनों को उद्योग धंधे चलाने के लिए कितना पैसा दिया गया है और अगर उनको कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ? क्यों उनके साथ इस तरह का डिसक्रिमिनेशन किया जाता है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं । जो शर्तें तकावी के लिए निर्धारित हैं उनमें हरिजनों को क्या कंसेशन दिया गया है, यह भी मैं आप से जानना चाहता हूं । मैं तो यही जानता हूं कि उनके लिए भी वही शर्तें हैं जो दूसरों के लिए हैं कि उनके पास जमीन हो या प्रापर्टी हो । अगर इस तरह की शर्तें उनके लिए भी रखी जायेंगी तो पंचवर्षीय योजनाओं में या कानूनों में आप उनको जो सहायता पहुंचाना चाहते हैं वह उन तक नहीं पहुंच सकेगी । मैं आप से जानना चाहता हूं कि अगर आपने उनके साथ इस तरह की सख्तियां कीं तो क्या उनके दिलों में आपके खिलाफ आग प्रज्वलित नहीं होगी ? अगर वह होती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

जहां तक लाइसेंस और परमिट देने की बात है, उसमें भी इनके साथ डिसक्रिमिनेशन किया जाता है । चाहे ट्रांस्पोर्ट का परमिट देने की बात हो या लाइसेंस देने की बात हो, वे हरिजनों को

नहीं दिये जाते हैं। आप अपने किसी भी विभाग से पूछिये, ट्रांस्पोर्ट विभाग से पूछिये, उद्योग विभाग से पूछिये, या किसी दूसरे विभाग से पूछिये कि इनको कितना कोटा दिया गया है, कितने परमिट दिये गये हैं, आपको पता चलेगा कि इनको बिल्कुल भी नहीं दिये गये हैं। इस तरह का उनके साथ डिसक्रिमिनेशन करके कैसे आप उनकी आर्थिक समस्याओं को साल्व कर सकते हैं ? मैं चाहता हूं कि आप ऐसे उदाहरण हमारे सामने, कंट्री के सामने पेश करें जिनसे पता चलता हो कि आप सचमुच में और सही तरीके से इनका उद्धार करना चाहते हैं।

हमारी सरकार पढ़ने के लिए फीस माफ करती है, मुफ्त किताबें देती है और उनको पढ़ने के लिए दूसरे तरीकों से प्रोत्साहन देती है। लेकिन मैंने देखा है कि स्कालरशिप वितरण का काम स्टेट गवर्नमेंट्स के सुपुर्द कर दिया गया है और इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैंने यह भी देखा है कि जिस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में शैड्यल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासिस को दी जाने वाली रकम में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। मैं कई वर्ष तक स्कालरशिप बोर्ड का मैम्बर रहा हूं और मैं विद्यार्थियों की तकलीफों को जानता हूं। बैकवर्ड क्लासिस के विद्यार्थियों को और खास तौर से हरिजनों को जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सैंट-पर-सैंट को स्कालरशिप दिये जाते हैं, वे उनको नहीं मिल पाते हैं। जिसको स्कालरशिप एलाट किया जाता है उसे छः छः और आठ आठ महीने तक पैसा नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी उदाहरण मुझे देखने को मिले हैं जिनको कि मैंने माननीय मंत्री जी और स्कालरशिप बोर्ड के सामने पेश किया है कि रुपया एलाट कर दिया गया है लेकिन उसको कालेज के प्रिंसिपल ने और टीचर्ज़ ने खा डाला है और वह विद्यार्थियों को नहीं मिला है। अगर किसी ने शिकायत की तो बैड रिमार्क्स दिये गये और उसको एग्जेमिनेशन में एपीयर नहीं होने दिया गया और उसके रास्ते में हर्डल्ज़ पैदा की गईं। अब उत्तर प्रदेश में यह कानून बना दिया गया है, यह सर्क्युलर भेज दिया गया है कि शैड्यूल्ड कास्ट के लड़कों की फीस लगा दी जाये। यह शायद इसलिए किया गया है कि हरिजनों की जितनी फीस माफ की जाती थी, वह रकम स्टेट सरकार कालेजों के प्रिंसिपलों को दे दिया करती थी और चूंकि कहीं कहीं प्रिंसिपलों और टीचरों ने यह बेईमानी शुरू कर दी कि हरिजनों के नाम पर गैर-हरिजनों की फीसें माफ कर दीं, इस वास्ते हरिजनों की फीस माफी का जो कानून है उसको ही खत्म कर दिया जाये। यह जो उन लोगों ने कमजोरी दिखाई या बेईमानी की, इसको फिर न होने देने के लिए यह तरीका ढूंढ निकाला गया है कि सभी हरिजन लड़कों की फीस जो माफ की जाती थी, वह ही खत्म कर दी जाये और उनसे फीस ली जानी शुरू कर दी जाये। इसका नतीजा यह होरहा है कि जो लड़के फीस माफ हो जाने की वजह से पढ़ लिया करते हैं, पंद्रह बीस रुपया जो उनको मिल जाया करते थे, उसकी वजह से पढ़ लिया करते थे, वे भी अब पढ़ने से वंचित हो गये हैं। अगर आप हरिजनों को उद्योग और व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं तो क्या उनको फ्री एजुकेशन भी देना आपके लिए मुश्किल हो गया है ? एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से मैं आपसे और इस पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उनको शिक्षा से भी वंचित करना चाहते हैं ?

यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन की रिपोर्ट पर जब बहस हो रही थी तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हायर एजुकेशन के मामले में यह रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि जिन लड़कों के मार्क्स कम हैं, उनको एडमिट न किया जाये। शैड्यूल्ड कास्ट और बैक्वर्ड क्लासिस के लड़के जिन पर सदियों से यह रेस्ट्रिक्शन लगी चली आ रही है कि वे पढ़ नहीं सकते हैं, क्या आज की सरकार भी आज के जमाने में उन पर भी इस किस्म की रेस्ट्रिक्शन लगा कर यह नहीं समझती है कि उन पर एक तरह से बैन लगाया जा रहा है कि वे आगे नहीं पढ़ सकते हैं ? अगर उनको आगे

[श्री गणपति राम]

पढ़ने नहीं दिया जाता है तो वे किस तरह से कम्पीटीशंज़ में बैठ सकेंगे ? और अगर वे कम्पीटीशंज़ में नहीं बैठ सकेंगे तो क्या उनके दिलों में आप बगावत पैदा करने का मसाला नहीं दे रहे हैं ? अगर इस तरह की चीज़ देश में होती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ? इस तरह की भावना पैदा होने का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए । वे लोग जोकि सदियों से पिछड़े हुए हैं समझते हैं कि आज की सरकार उनके लिए कुछ करना चाहती है और कुछ कर भी रही है लेकिन इस तरह की रेस्ट्रिक्शंज़ लगा कर आप उनकी इस भावना को ठेस पहुंचायेंगे और मैं चाहता हूं कि उन पर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन न लगाई जाये ।

नौकरियों में कोटे और रिजर्वेशन की बात भी को जाती है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि सेंटर या एस्टेट के किसी मिनिस्टर ने अपने ही विभाग में यह देखने का प्रयत्न किया है कि १८ परसेंट या १६ परसेंट या १२ परसेंट जो भी नौकरियां उनके लिये हैं, उनको दी गई हैं या नहीं दी गई हैं और अगर नहीं दी गई हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से उनके हिस्से की नौकरियां उनको देना चाहते हैं या आपकी नीयत में कुछ फर्क है । मैं चाहता हूं कि इस बारे में उदाहरण आप खुद पेश करें, माननीय गृह-मन्त्री जी खुद पेश करें और अपने ही डिपार्टमेंट में वे इन लोगों के साथ न्याय करें । मुझे पिछले साल का पता है कि आई० ए० एस० में शैड्यूल्ड कास्ट के दो सौ कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था और उनमें से सिर्फ दस ही लिए गए थे । इस तरह की चीज़ क्यों होती है, मैं नहीं समझ पाया हूं । एक तरफ कहा जाता है कि ड्यूली क्वालिफाइड कडीडेट्स नहीं मिलते हैं और दूसरी तरफ जहां दो सौ कैंडीडेट क्वालिफाई करते हैं और रिजवर्ड कोटा १८ या २७ होते हुए भी सिर्फ दस ही लिये जाते हैं । इस वास्ते यह कहना कि क्वालिफाइड कडीडेट्स इन लोगों में से नहीं मिलते हैं, बहाना नहीं तो और क्या है ? शैड्यूल्ड कास्ट लोगों के अन्दर पढ़े लिखे आदमियों की कमी नहीं है । अगर इनमें से आपको काबिल एडमिनिस्ट्रेटर मिल सकते हैं, काबिल कांस्टीट्यूशन मेकर मिल सकते हैं, रेल मिनिस्टर मिल सकते हैं, एम० एल० ए० मिल सकते हैं तो क्या एक मामूली चपड़ासी की जगह के लिए, कानूनगो की जगह के लिए, क्लास ३ पोस्ट के लिए या क्लास २ पोस्ट के लिए काबिल आदमी नहीं मिल सकते हैं ? अगर उनको काबिल बनाने की बात है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? काबिल बनाने के रास्ते उनके लिये खुले नहीं रक्खे गये । आज उन्हें काबिल बनाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है, होम मिनिस्ट्री के ऊपर है । आप उन लोगों को पढ़ने का मौका दें, ट्रेनिंग का मौका दें और काबिल बनायें । आज आई० ए० एस० की ट्रेनिंग के लिये इलाहाबाद में कोचिंग क्लासेज चलते हैं, लेकिन सुनने में आता है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है । कहीं पर होस्टलों में यह चीजें चलती हैं । उन लोगों के लिये खाना नहीं बनाया जाता, कहीं पर दूसरी तरह से छुआछूत चलता है । उनके बर्तनों को मांजने का काम कहार नहीं करते हैं । ब्राह्मण उनकी थाली नहीं छूना चाहते । मुझे वह जमाना याद आता है जब आज से २० वर्ष पहले बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में यह समस्यायें पैदा हुईं । जब भी हरिजन विद्यार्थियों के साथ वहां पर छूत-छात का बर्ताव किया गया था तो वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने वहां के ब्राह्मणों और कहारों को निकाल दिया । लेकिन आज मैं क्या देखता हूं कि इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है । जो आफिसर शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की कांफिडेंशल रिपोर्टस को खराब करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है । आज स्थिति यह है कि हरिजन लोगों को उनका ड्यू शेअर भी नहीं मिलता है । क्या मैं आप से पूछ सकता हूं कि क्या वजह है कि आज इन्द्र देव प्रसाद जैसे एक शेड्यूल्ड कास्ट्स के शाइनिंग कैन्डिडेट को, जो मैट्रिक पास करने के बाद अपनी मैरिट्स से एम०ए० पास करता है, पी०सी०एस० की परीक्षा पास करता है और यू० पी० की सर्विस में आता है, यहां पर उसे सेक्शन आफिसर का ग्रेड दिया जाता है ?

चूंकि उसे उसका ड्यू शेअर नहीं दिया गया इसलिये उसने उद्योग भवन से कूद कर आत्म हत्या कर डाली। इसी प्रकार एक उदाहरण मैं बनारस का दे सकता हूं। वहां पर एक जे० आर० सोलंकी, चीफ मार्केटिंग आफिसर है, उसका दोष इतना ही है कि वह ईमानदार है और वह चाहता है कि जो उसके सबार्डिनेट्स हैं वे घूस न लें। केवल उसकी ईमानदारी ही एक वजह है जिसके कारण उसके सबार्डिनेट्स उससे नाराज हैं। वे कहते हैं कि तुम नहीं लेते तो न लो, हम को क्यों मना करते हो ? उन लोगों ने ब्राह्मण चपरासियों को उकसा कर कहा कि उस को थप्पड़ मार दो। उस आदमी को आफिस में थप्पड़ मारा गया। आज इस तरह की बातें सभी जगह हो रही हैं। रेलवे सर्विस कमीशन में हो रही हैं, इलाहाबाद सर्विस कमीशन में हो रही हैं, मद्रास सर्विस कमीशन में हो रही हैं। आज यह सुनने में आता है कि जब तक शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट की जाति नहीं मालूम होती है और वह फर्स्ट क्लास आता है तब तक तो उसे प्रिफरेंस (वरीयता) दिया जाता है, लेकिन जैसे ही यह मालूम हो जाता है कि वह शेड्यूल्ड कास्ट का है वैसे ही इंटरव्यू में या वाइवा वोसी में उसके नम्बर काट लिये जाते हैं, हां दुर्भाग्य से अगर जानकारी नहीं मिल सकी और उसका सेलेक्शन हो गया तो बात दूसरी है। अगर इस तरह की बातें आजाद देश के अन्दर पढ़े लिखे लोगों में चलें तो इस को सोचा जाना चाहिये कि क्या यह देश के लिये मुनासिब होगा। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की चीजें देश के अन्दर चलें तो यह हमारे और आपके लिये बड़ी खतरनाक चीज होगी। हम और आप देश के जागरूक नागरिक की हैसियत से आज सरकार के आभारी हैं कि वह आज इतना कार्य कर रही है हरिजनों के लिये, लेकिन अगर आप देश से जातीयता और साम्प्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं तो देश के भीतर इस के पक्ष में भावनायें पैदा करें। हमेशा से देखा यह गया है कि जो मैंजारिटी वाले होते हैं वे माइनारिटी पर कम्यूनल होने का दोष लगाते हैं। अगर हम अपने हकूक की मांग करते हैं तो कह दिया जाता है कि हमारा माइण्ड कम्यूनल है। अगर इस तरह की भावनायें पैदा की जाती हैं तो मैं पूछता हूं कि उससे समस्या हल होगी या यह समस्या और बढ़ेगी ? इससे यह समस्या बढ़ेगी और उसकी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आयेगी। देश के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, जिम्मेदार सरकार की हैसियत से हमारा और आपका कर्तव्य है कि ईमानदारी बरतें जिससे कि देश में बढ़ता हुआ कम्युनलिज्म और पैरोक्यिलिज्म खत्म हो।

श्री पु० रामस्वामी : (महबूबनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट पर कुछ कहने की अनुमति दी है।

आज ट्राइब्ज में बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको डिनोटिफाइड ट्राइब्ज कहा जाता है। सही मानों में आन्ध्र प्रदेश में दो हिस्से हैं: आन्ध्र और तैलंगाना। आन्ध्र में येरक्कला, येनाधी, कुक्कली आदि ऐसी कई ट्राइबल कास्ट्स हैं जिनको नोटिफाइड ट्राइब्ज में मिला दिया गया है परन्तु तैलंगाना के हिस्से में उनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स नहीं माना जाता, उनको बैकवर्ड क्लासेज में ही गिना गया है। वहां पर कुछ और लोग भी हैं जिनको डिनोटिफाइड ट्राइब्ज में मिला दिया गया है जिनको पहले जरायम पेशा के नाम से कहा जाता था। उनमें से सुगाली, बन्जारी, गोंड आदि कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनकी जो परिस्थिति है उससे भी खराब उन लोगों की हालत है जिनको येरक्कला, येनाधी, कुक्कली आदि कहा जाता है और जिनको आन्ध्र में ट्राइबल्स में ट्रीट किया जाता है। मैं समझता हूं कि इन जातियों को तैलंगाना में भी डिनोटिफाइड ट्राइब्ज में शामिल करना मुनासिब होगा। जब डिप्टी होम मिनिस्टर साहब हैदराबाद आये थे तो मुझे उनको इन एरियाज में ले जाने का मौका मिला था। उन्होंने इन लोगों की खराब आर्थिक दशा को देखा और उनकी भी यही राय थी कि

[श्री पू० रामस्वा ी]

इन लोगों को डिनोटिफाइड ट्राइब्ज में शामिल करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि आन्ध्र प्रदेश में ही एक तरह के लोगों के लिये दो अलग अलग सिस्टम हों।

इतना ही नहीं, हरिजनों की हाउसिग के सिलसिले में भी इस तरह की चीजें चलती हैं। तैलंगाना में पहले खाली सब्सिडी ३२० रु० दी जाती थी जबकि आन्ध्र में २५० रु० सब्सिडी के दिये जाते थे, ५०० रु० लोन के रूप में दिये जाते थे। और उनका कन्ट्रिब्यूशन २५० रु० बंधा हुआ था और उनको १,००० रु० के मकान बनाने की सुविधा दी जाती थी। तैलंगाना में यह बात नहीं थी। जो सब्सिडी आन्ध्र में दी जाती है वही तैलंगाना में दी जानी चाहिये। मगर सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में जो कालोनीज़ एग्जिस्टेंस में आईं उनके लिये कुल ३२० रु० दिये गये। इन ३२० रु० में उनके मकान नहीं बन सकते थे और इसलिये वे मकान उसी तरह से बने हुए पड़े हैं और वह सब्सिडी उनके किसी भी काम नहीं आई। जितना कुछ उस समय बना लिया गया था उससे अधिक वे नहीं बना सके और जो हिस्सा बना था वह भी गिरने लगा।

हरिजनों के लिये एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पहले से भी कम हो गई हैं। इंडेपेंडेंस आने के पहले और आन्ध्र बननेके पहले यह जरूर है कि कुछ ही लोगों को स्कालरशिप्स वगैरह मिलते थे लेकिन फिर भी जिनको मिलते थे वे अपनी एजुकेशन कम्पलीट कर सकते थे। लेकिन आज इस तरह की चीजें मालूम हो रही हैं कि चूंकि मैट्रिकुलेट्स और अनक्वालिफाइड मैट्रिकुलेट्स को होस्टलों से निकाल दिया गया इसकी वजह से वे केवल थर्ड क्लास में ही पास हुए या कम नम्बर लाये। अगर उन लोगों को कुछ ज्यादा मदद दी जाती तो बेहतर होता। चूंकि उनको मदद नहीं दी गई इसलिये वे थर्ड क्लास में आये। उन को नाइन्थ के बाद घर वापस भेज दिया गया। होस्टलों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जिससे लोगों का उत्साह पढ़ने में बढ़ रहा हो। इसकी तरफ भी आपको तवज्जह करनी चाहिये। सेंट्रल गवर्नमेंट वास्तव में मदद तो करती है लेकिन यह नहीं देखती कि सही मानों में वह मदद उन लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। उस पर न लेजिस्लेचर में बहस होती है और न गवर्नमेंट आफिसर्स ही उस ओर अधिक ध्यान देते हैं। इस तरह के मामले पंचायतों और जिला परिषदों में जाते हैं, पंचायत समितियों में जाते हैं लेकिन वहां कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मामलों को समझते हैं? मैं समझता हूं कि बेहतर होता कि जो रिटायर्ड लोग हों वे इन समितियों में बैठा करें, वे सरपंच हों इन ग्राम पंचायतों के और जिला परिषदों के। ऐसे लोग ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में जाते हैं जिनको यह ज्ञान नहीं है कि कैसे हरिजनों की तरफ देखा जाय और अनटचेबिलिटी को दूर किया जाय। आज भी पंचायत राज में ग्राम पंचायतों की मीटिंगें होती हैं तो हरिजन नीचे बैठते हैं। यहां तक कि जो सिटीज़ के पास की पंचायत हैं उनमें भी यही हालत है। वहां पर भी वे लोग नीचे बैठते हैं और ऊंची जाति के लोग कुर्सियों पर बैठते हैं तथा पंचायत करते हैं।

गांवों में हरिजनों के लिए बावड़ी आदि बनाकर पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। जब गृहमंत्री जी हमारे यहां आए थे तो मैंने उनको दिखाया था कि हरिजनों को पीने के पानी की कितनी कठिनाई है। वे लोग पशुओं के पीने का पानी ले जाकर पीते हैं। और यह चीज कहीं दूर नहीं शहरों के पास ही हो रही है। वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं है। यह चीज बेगमपेट एअरपोर्ट के पास हो रही है। वहां बिजली नहीं है। हुकूमत को लिखते रहते हैं लेकिन कोई इन्तिजाम अभी तक नहीं हुआ है।

हमारे हरिजनों का मुख्य आधार भूमि है । पहले हरिजनों को कुछ जमीन इनाम के तौर पर मिली हुई थी उस पर वे काश्त करते थे । उसका पट्टा नहीं था । हरिजनों को दूसरी जमीन देने की बात कह कर उनसे वह जमीन ले ली गयी और दूसरे लोगों ने उसके पट्टे करा लिए । इसके अलावा ग्रेजिंग लैंड १० परसेंट छोड़ने का हमारे यहां कायदा है । लेकिन जिन बड़े लोगों की पटेल पटवारी के पास पहुंच है उन्होंने उसमें से काफी जमीन अपने नाम करवा ली है । जिन लोगों के पास सौ सौ एकड़ जमीन है उन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है । और हरिजनों के पास किसी तरह की भी जमीन नहीं है । मैं ने पहले भी इसके बारे में अपने भाषण में कहा था जब तक यह दस परसेंट जमीन हरिजनों को नहीं दी जाएगी तब तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा । पहले आन्ध्र राज्य में दस परसेंट जमीन ग्रेजिंग के लिए छोड़ने का नियम था लेकिन उसमें से बहुत सी जमीन और लोगों ने ले रखी है । मैं चाहता हूं कि हुकूमत इस पर गौर करे और कम से कम पांच परसेंट जमीन तो हरिजनों के लिए दे ।

बहुत सी जमीन जिसे मसूरा यानी फारेस्ट कहते हैं वह केवल नाम के लिए फारेस्ट है । उसके ऊपर लोग अपना धन्धा करते हैं और ब्लैक मारकेटिंग करते हैं और उसके कारण बहुत से बड़े बड़े लोग अपने एस्टेट्स बनाए बैठे हैं । अगर यह जमीन हरिजनों को दे दी जाए तो उनकी समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। इस तरह की कुछ जमीन को हरिजनों ने खेती लायक बनाकर उसमें खेती करना शुरू किया है । इससे उनकी रोटी की समस्या भी हल होती है और देश के लिए अनाज भी पैदा होता है । मगर इसके लिए उनसे फाइन और तावान लिया जाता है । एक एक एग्रीकल्चरिस्ट से दस दस पन्द्रह पन्द्रह और बीस बीस मर्तबा तावान लिया जा चुका है मगर उनके नाम पट्टा नहीं होता । बाद में इंटेरेस्टेड लोग उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उनके नाम में पट्टा कर दिया जाता है । इसलिए जब तक भूमि समस्या हल नहीं की जाएगी तब तक हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकेगा । ग्राम पंचायत उनके इंटरेस्ट को नहीं देखती । एक मर्तबा ग्राम पंचायत की शिकायत की गयी थी तो दूसरी बार वे ऐसे मेम्बरों को लाए हैं जो नीचे बैठते हैं । मुझे नहीं मालूम कि हमारी पंचायतें किस तरफ जा रही हैं । मुझे ऐसा लगता है कि हम हरिजनों की जो हालत है वह ऐसी होती चली जा रही है जैसी कि आजादी मिलने के पहले थी । आजकल अफसरों और कलक्टर के हाथ में कोई अधिकार नहीं है । जो सेंटर से हरिजनों के लिए ग्रांट होती उस पर चैक रखने का कुछ अधिकार कलक्टर को ही होना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि जिसको वह पहुंचना चाहिए उसको पहुंचा या नहीं । लेजिस्लेटर्स को इस चीज को डिसकस करना चाहिए । सेंटर को भी स्टेट में अपनी कुछ मैशिनरी रखनी चाहिए कि जो मालूम करे कि जिसके लिए सहायता दी गयी है उसको मिलती है या नहीं । अगर उसको नहीं पहुंचती है तो उसको पहुंचाने का प्रयत्न करे । अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हरिजनों की दशा नहीं सुधर सकती । इन हालात में हरिजनों की कोई तरक्की नहीं हो सकती ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : श्रीमान् जी, हर साल हमारे सामने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न आता है । ऐसा मालूम होता है कि हम इस काम को किसी सालाना जलसे या सैरिमनी के तौर पर कर रहे हैं । लेकिन कल से जो भाषण हो रहे हैं और अभी जो आन्ध्र के भाई ने बातें बतायी हैं उनको सुनकर बड़ा दुःख हुआ । जब हमने महात्मा गांधी के सामने इस मूवमेंट को शुरू किया था तो हमारा तर्ज दूसरा था, हमारी हिम्मतें दूसरी थीं । लेकिन महात्मा गांधी जिस काम को छोड़ गए थे उसको आज तक हम पूरा करने में सफल नहीं हो पाए हैं । मैं सोचती हूं कि वही महात्मा गांधी के चेले तो हम सब हैं । उनके साथ साथ आजादी की लड़ाई लड़के हम यहां आए हैं । लेकिन आज यह सामाजिक उन्नति हम नहीं कर पा रहे हैं । यह काम सिर्फ कानून से

[श्रीमती उमा नेहरू]

होने वाला नहीं है । यह काम तो समाज को ही करना होगा । इसके लिए हमको समाज की सारी मैंटेलिटी और साइकालोजी को बदलना होगा । आज हालत यह है कि हमारे समाज के आधे अंग पर फालिज गिरा हुआ है । जिनको हम हरिजन कहते हैं वही वह अंग है । अगर हमको उस अंग को ठीक करना है, अगर हमको हरिजनों को उठाना है तो हमको उनके साथ दूसरा बरताव करना होगा ।

हरिजन यहां आकर अपनी तकलीफें ब्यान करते हैं और मैं समझती हूं कि उनकी ये तकलीफें सही हैं । मैं खुद भी घूमती हूं और उनकी इन तकलीफों को देखती हूं । मैं क्या बताऊं कि किस तरह से यह जाति पांत की बीमारी हमारे देश में फैली हुई है और कितने झगड़े इसकी वजह से होते हैं । और तमाशा यह है कि जितने भी इलेक्शन होते हैं उतनी ही यह जाति पांत और ज्यादा पनपती जाती है । और यह खराबी केवल हरिजनों तक ही सीमित नहीं है । मैं देखती हूं कि कहीं ठाकुर ब्राह्मण एक दूसरे के खिलाफ हैं, कहीं कायस्थ और बनिए एक दूसरे के खिलाफ हैं । ये इस तरह की चीजें हैं जो एक मुल्क को बरबाद कर सकती हैं । हमारे सामने ये मुश्किलें हैं ।

अभी आन्ध्र के भाई वहां के हरिजनों की तकलीफें ब्यान कर रहे थे । मेरी समझ में नहीं आता कि आजकल के जमाने में जब कि कांग्रेस पार्टी का शासन है उनको इतनी मुसीबतें कैसे आ रही हैं । मैंने देखा है कि कई जगह हरिजनों को कुवों से पीने का पानी मिलता है, बहुत जगह नहीं भी मिलता, बहुत जगहें ऐसी भी हैं जहां हरिजनों के लिए अलग कुवें हैं । मैं देहात में जाती हूं तो देखती हूं कि और लोग एक जगह बैठते हैं तो हरिजनों को दूसरी जगह बिठाया जाता है । मैं हरिजनों के पास चली जाती हूं लेकिन जब मैं हरिजनों के पास से बैठ कर आती हूं तो जिस घर में मैं ठहरी होती हूं वे लोग कहते हैं कि तुम ने उनको छुआ है इसलिए स्नान करो । यह चीज आज भी हमारे सामने है ।

सरकार ने हरिजनों की उन्नति के लिए काफी धन खर्च किया है । उनको स्कालरशिप भी दिए जाते हैं । मैं खुद मसूरी गयी थी आई०ए० एस० कालिज देखने के लिए और यह देखने के लिए कि हरिजन लड़के वहां किस तरह तरक्की कर रहे हैं । ये सब चीजें हम कर रहे हैं । इतना होने के बाद भी हम देखते हैं कि हरिजनों की बहुत सी शिकायतें बनी हुई हैं जिनको हमारे भाई यहां बतलाते हैं । मैं देखती हूं कि इतना करने के बाद भी हम उनका कानफिडेंस नहीं प्राप्त कर सके हैं । जो हमने आज व्याख्यान सुने उनसे मालूम होता है कि हरिजनों का हमारे अन्दर कानफिडेंस नहीं है । यह काम कानून बनाने से नहीं हो सकता है । हमारे लिए सबसे पहली जरूरी चीज यह है कि हम हरिजनों में कानफिडेंस पैदा करें । हमको उनमें मिल कर रहना है और दिखाना है कि जो उनका दुःख है वह हमारा दुःख है और हमारा दुःख इनका दुःख है । यह चीज हमारे सामने है । लेकिन कल जैसा मेरी बहन ने कहा मैं भी कहती हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौडर्न दुनिया है और वह आगे बढ़ रही है और हम भी पीछे पीछे दुनिया के संग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कल जैसे हमारे सदन में भंगियों की चर्चा आई उनके द्वारा सिर पर मैला ढोने की बात आई, हमारे मर्द और औरत भंगी लोग अपने सिर पर पाखाना ढोयें तो यह एक जिल्लत की बात है । हमारे लिए इससे ज्यादा जिल्लत की बात और कोई नहीं हो सकती है कि हमारे देश में इंसानों द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी तक बन्द नहीं हुई है । इस को कतई बन्द होना चाहिये । आप किसी भी बाहर के मुल्क में चले जाइयें आपको पाखाना

तो क्या मिट्टी और कूड़ा करकट तक भी आदमी सिर पर उठाते हुए नहीं मिलेगा। मिट्टी वगैरह अपने कंधों पर वे उठाते हैं। हमारे देश में मिट्टी और कूड़ा करकट की कौन कहे मैला अपने सिर पर रख कर ढोते हैं और हम उन लोगों से जो कि हमारा मैला ढोते हैं उनसे परहेज करते हैं। हम अपने मैले से परहेज करते हैं लेकिन दूसरों के सिर पर अपना मैला चढ़ा कर ले जाते हैं। हमें यह चीज बदलनी है। इस बारे में हमारी होम मिनिस्ट्री, हैल्थ मिनिस्ट्री और प्लानिंग मिनिस्ट्री को मिल कर कार्य करना है और सिर पर इस मैले ढोने की लानत को बन्द करना है।

यह ठीक है कि आपने अस्पृश्यता निवारण के लिये कानून बनाये हैं और सरकार देखे कि उन पर ठीक से अमल हो लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि केवल कानून बना देने से ही यह काम होने वाला नहीं है। जब तक लोगों की मैंटेलिटी और साइकालिजी नहीं बदलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम सब ने महात्मा जी से वायदा किया था कि हम अछूतों को गले लगायेंगे और उनका उद्धार करेंगे। उनकी उंगली हमने पकड़ी थी और उनका हाथ पकड़ कर और उनको घसीट कर आगे लेजाने का वायदा हमने किया था। अभी वह वायदा हमारा अधूरा है। हमने उनके साथ मन्दिर में इकट्ठा खड़े होकर "शान्ताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशम्" पढ़ा था लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे हरिजन भाइयों की बुरी अवस्था है और वे यतीमों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इस सदन में पहले भी और कल से भी हरिजनों के उत्थान के हेतु एक के बाद एक व्याख्यान हुए हैं। मुझे और ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहना है कि जो यहां पर कहा जा रहा है कि हरिजनों को अगर इतने स्कालरशिप्स् दिये जायेंगे तो इनकी उन्नति हो जायगी और उनके वास्ते इतने स्कूल खोल दिये जायेंगे तो उनकी उन्नति हो जायगी, मेरा इसके लिये कहना यही है कि खाली इतना ही पर्याप्त न होगा बल्कि उनका उत्थान और उद्धार तभी संभव होगा जब देशवासियों की मैंटेलिटी और साइकालिजी बदलेगी। उसके बदले बगैर इनकी उन्नति नहीं हो सकती है और वह ऊपर नहीं उठ सकते हैं। आपको सारे समाज को बदलना है। इसके साथ ही इस काम को करने के लिए हम में एक मिशनरी स्प्रिट आनी चाहिए। उस मिशनरी जील को लेकर हमें आगे बढ़ना है। मिशनरी स्प्रिट को लेकर समाज के ऊपर हमें एक बहुत गहरा आपरेशन करना है। खाली लम्बी लम्बी बातें करते रहने से यह काम पूरा होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि यहां एक से एक डाक्टर और वैद्य लोग खड़े होकर हरिजनों का इलाज करने के नुस्खे बतलाते हैं, कोई कहता है कि उनको नौकरियां दो, कोई कहता है कि लैंडलेस को लैंड दो, ठीक हैं आप इनके लिए कानून बनायें लेकिन उनका सही इलाज तब तक पूरा नहीं हो पायेगा जब तक कि आप समाज नहीं बदलेंगे। आप मेहरबानी करके समाज को बदलने की तरफ बढ़िये। हम देखते हैं कि सही इलाज के अभाव में मर्ज खत्म नहीं हो रहा है और हालत कुछ ऐसी बनी है रही है कि **मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की**। इसलिए मैं फिर मिनिस्टर साहिबा से कहूंगी कि कानून बनाने के साथ साथ उनको लोगों की मैंटेलिटी और साइकालिजी को भी बदलना होगा। खाली कानून से यह काम होने वाला नहीं है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): मुझे यह कहने में गौरव है कि मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में अस्पृश्यता एक प्रकार से काफ़ी समाप्त हो गई है। वहां के लोगों की मनोवैज्ञानिक धारणायें भी बदल गई हैं।

अस्पृश्यता निवारण के लिये हमने विशेष उपाय किये हैं जिनका उल्लेख आपको इस प्रतिवेदन में भी मिलेगा। पश्चिमी बंगाल सरकार ने ज़िला पदाधिकारियों के नाम आदेश जारी किये थे कि वे ऐसे उपाय अपनायें जिससे कि बंगाल में अस्पृश्यता द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

बिलकुल ही समाप्त हो जाये । अस्पृश्यता की समस्या का सार हमारी भंगी सेवाओं में निहित है यदि हम इस समस्या का हल कर लें तो शेष की बहुत सी समस्या स्वतः हल हो जायेगी । इस बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं । पहला सुझाव यह है कि नगरपालिकाओं में गन्दा आदि उठाने के लिये प्रमापित साइज़ की हाथ से खींचने वाली गाड़ियों का प्रयोग होना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन है कि गृहकार्य मंत्रालय इस कार्य को अपने हाथ में ले और वह राज्य सरकारों से कहे कि वे अपने यहां इस प्रकार की गाड़ियां बनायें । इस बारे में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है ।

दूसरे राज्य सरकारों को पंजाब सरकार की भांति भंगियों की निर्वाह अवस्था सम्बन्धी जांच समितियां स्थापित करनी चाहियें । भंगियों की बस्तियों में हालत के सुधारने के बारे में कुछ किया जाना चाहिये । इस प्रयोजन से केन्द्र को तदर्थ अनुदान देने चाहियें ।

गन्दी बस्तियों की सफाई भी की जानी चाहिये । बड़े बड़े शहरों में तो यह संभव है क्योंकि उनकी नगरपालिकाओं के पास धन होता है और वे गन्दी बस्तियां हटा सकती हैं लेकिन छोटे छोटे नगरों तथा शहरों की बड़ी बुरी हालत है । उनके पास धन नहीं होता । इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कुछ कमियां हैं ।

मेरा निवेदन है कि आदिम जातियों की अवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते समय हमें उनके जीवन के ढंग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । उनके जीवन के चित्रमय आकार को बनाये रखना चाहिये । दंडकारण्य के आदिम जातियों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिये ।

बड़े बड़े शहरों की स्थिति सुधारने के लिये हमें विदेशी सहायता मिल रही है । मेरा सुझाव है कि उस विदेशी सहायता में से कुछ भाग भंगियों तथा भंगी बस्तियों की स्थिति सुधारने में भी व्यय किया जाये ।

अन्त में मेरा एक सुझाव और भी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को वे सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जिससे कि वे अच्छी तरह प्रतिस्पर्द्धा कर सकें । अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की भलाई के लिये कार्य क्षेत्र में कुछ सामाजिक संस्थाएं जैसे भारत सेवक समाज तथा सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि उन्हें केन्द्र तथा राज्यों से तदर्थ सहायता मिलनी चाहिये । इससे उन्हें काम करने के लिये और भी प्रेरणा मिलेगी ।

†**श्री इगनेस बेक** (लोहारदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : जहां तक अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों के कल्याण की बात है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है । मैं तो कहूंगा कि आज से ५ वर्ष पूर्व हम जहां थे अब भी वहीं हैं । अतः मेरा सुझाव है कि इन जातियों के कल्याण तथा विकास की ओर प्रभावी बनाने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में सम्पूर्ण व्यवस्था को सुधारना होगा । यद्यपि कुछ मामलों में हमें सफलता मिली है, पर अभी हमें बहुत कुछ करना शेष है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितना कार्य किया गया है,

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात की कसौटी यह नहीं हो सकती कि इस संबंध में कितना धन व्यय किया गया है। आदिवासियों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकेगा जब तक कि उनके लिये समुचित शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जायेगी। विद्यार्थियों को कई कई महीने तक छात्रवृत्तियां नहीं मिलती। इस मामले की छानबीन की जानी चाहिये। कुछ लोगों का सुझाव है कि इन जातियों के लिये बेसिक शिक्षा ठीक रहेगी मेरा विचार है कि यह बात सही नहीं है। आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उपाय किये जाने चाहियें। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमें कृषि योजनाओं का आयोजन अधिक अच्छी तरह करना चाहिये।

श्री साधूराम (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, शैड्यल्ड कास्ट कमिशनर साहब की रिपोर्ट पर जो बहस हो रही है उस पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कमिशनर साहब ने जो यह रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दी है, इसके लिये मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई नजर आती है। गवर्नमेंट ने भी जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की होसला अफजाई की है और उनके अपलिफ्ट के जो काम किये हैं, उनके लिये मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

महात्मा गांधी जो तरक्की इन पिछड़ी हुई जातियों की हुई देखना चाहते थे, वह अभी तक भी, तेरह चौदह वर्ष बीत जाने के बाद भी हुई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसका कारण मुझे यह दिखाई देता है कि हमारी गवर्नमेंट में इस तरह के काबिल अफसर नहीं हैं, जो इस तरफ ध्यान दे सकें। पंजाब में एक कहावत है कि हर एक के पास जुल्ली, गुल्ली और कुल्ली होनी चाहिये। इन तीनों चीजों का जो मसला है वह आज तक भी हल नहीं हो पाया है। सब से ज्यादा इन तीनों बातों में गिरी हुई जो अवस्था है वह इन पिछड़े हुये भाइयों की है। इनके लिये रोटी कपड़ा और मकान इन तीनों में से किसी भी समस्या को हल हल नहीं कर पाये हैं। इस काम में आज तक हमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिये।

तालीम का बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। इसके बारे में जो इंतिजाम किया गया है वह बहुत नाकिस है। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़कों को जो स्कालरशिप मिलते हैं, जब से यह काम सैंटर के हाथ से स्टेट्स के हाथों में चला गया है, इसका इंतिजाम भी खराब हो गया है। लेकिन पिछले साल जो शिकायत पार्लियामेंट में हुई, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई ठीक इन्तजाम नहीं किया और इस बार भी पार्लियामेंट के सारे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के मेम्बर्स यह कह रहे हैं कि स्कालर्शिप का इन्तजाम बहुत खराब हो गया है और वे ठीक वक्त पर नहीं मिलते या पूरे नहीं मिलते। इसलिये मैं कहता हूं कि इस मामले को सेंटर अपने हाथ में ले ले। मगर सेंटर ने आज तक इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया।

इसके बाद मकानों का मसला आता है। मकानों का जो मसला है शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का, वह बहुत बड़ा मसला है। इसके लिये जो रकम रक्खी जाती है वह बहुत थोड़ी होती है। इतनी थोड़ी रकम से उनके मकान नहीं बन सकते और उनको उस रकम का फायदा नहीं पहुंचता है। यह मैं नहीं कहता कि इसके लिये उनको ग्रांट नहीं मिलनी चाहिये। कुछ मेरे भाइयों का खयाल ऐसा भी है कि वह रकम नहीं मिलनी चाहिये। जो कुछ ग्रांट के तौर पर मिलता है या कर्जे के तौर पर मिलता है वह न मिले, मैं इसके हक में नहीं हूं। मगर यह जरूर है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिये कि जिन के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं उनको मकान दे, जिन के पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े दे और जिन के पास

[श्री साधू राम]

रोटी खाने का इन्तजाम नहीं है उनको वह रोटी देने का इन्तजाम करे। अगर हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का नारा लगाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को मकान के लिये कर्जा न दें। मैं तो समझता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और दूसरे जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिये एक अलग मिनिस्ट्री कायम होनी चाहिये, भले ही वह सेंटर में हो और स्टेटों में हो। दूसरे जो मिनिस्टर साहबान हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंटों को चलाते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वे इस काम की तरफ कुछ ध्यान दे सकें। आज मुल्क के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कराह रहा है, करोड़ों की तादाद में आज लोग रो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान न देना गवर्नमेंट की सब से बड़ी कमजोरी है। यह कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला तो है नहीं जिसको देखा न जा सके।

मैं समझता हूं कि इस वक्त सब से अहम जो मसला है वह जमीन के बटवारे का है। अगर देश में आजादी आने के बाद इस मुल्क के रहने वाले लोगों को १७ या १८ रु० मन अनाज मिलता है तो यह कौन सी बड़ाई की बात है कि कहा जाय कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया? कितने ही डैम बनाये गये, कितनी ही प्रोजैक्ट्स हम चला रहे हैं, लेकिन उन तमाम प्रोजेक्टों और तमाम डैमों को बनाने का फल कुछ भी नहीं निकला। जब तक खाने के लिये गरीब लोगों को सस्ता अनाज न मिल सके, उनके पहनने के लिये सस्ता कपड़ा न मिल सके, रहने के लिये सस्ते मकान नहीं मिल सकें, तब तक किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। इसके लिये यह जरूरी है कि जमीन का बटवारा किया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जमीन का बटवारा क्यों नहीं करवाती हैं। यहां पर बेहिसाब जमीन है, लेकिन लैंडलेस लोगों को जमीन नहीं दी जाती। जितनी पैदावार यहां पर होती है उसके हिसाब से यहां पर खाने वाले ज्यादा हैं और यही वजह है कि अनाज की कीमतें बढ़ती जाती हैं। आखिर इस चीज को क्यों नहीं किया जाता है? यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के मेम्बर जो करोड़ों लोगों के नुमाइन्दे हैं, जिस चीज को रखते हैं उसका असर नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि जो कुछ किया जा रहा है वह सब बेकार है। जो भी पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, जो लाखों लोगों के वोटों से चुन कर आये हैं, चाहे वे अपोजीशन के हों या गवर्नमेंट बेंचेज पर बैठने वाले हों, वे एक जबान से कहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। सरकार हमेशा यह कहती है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन कहीं कुछ होता नहीं, इसका मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल में जमीन का बटवारा जरूर होना चाहिये। जो भी सीलिंग मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट के जरिये, उसके अलावा जो भी फालतू जमीन बचती है उसको जल्द से जल्द जो लैंडलेस शेड्यल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं उनमें बांट दिया जाना चाहिये। उसके बाद लोगों के रहने के लिये मकानों का इन्तजाम होना चाहिये, तालीम को कम्पलसरी और फ्री होना चाहिये। यह सारी चीजें बहुत बड़ी नहीं हैं और गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इन पर ध्यान दे। मैंने देखा है कि पंजाब में लैंड का कंसालिडेशन हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं उनके लिये कंसोलिडेशन में कोई जमीन नहीं छोड़ी जा रही है। इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यजी आये हैं, उन रिफ्यूजियों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं और वह शिकायत करते हैं गवर्नमेंट से कि हम को मकान दो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि उनका कोई कलेम नहीं है और उनके लिये उसके पास जमीन नहीं है। ऐसी दशा बन गई है रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में। मैंने कई दफा अर्ज किया कि पंजाब में बहुत बुरी हालत हो रही है और रिफ्यूजी लोग घबरा रहे हैं। वे हिन्दुस्तान में रहने के लिये आ गये इसलिये इस देश के बाशिन्दे हैं, तो उनके लिये हिन्दुस्तान में रहने के लिये मकान क्यों

नहीं मिल सकते । आखिर इसका मतलब क्या होता है ? मैं समझता हूं कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री मिल कर इन बातों पर विचार करें कि उन लोगों को रहने के लिये मकान देना है या नहीं । अगर नहीं देना है तो वे इस आजादी को लेकर क्या चाटें जहां पर उनको रहने के लिये मकान भी नहीं मिल सकते । इसलिये जमीन की तकसीम होनी चाहिये और रहने के लिये मकान होने चाहियें । मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ हरिजनों को ही मकान दें, जिन के पास मकान नहीं हैं, उन सब को मकान दें ।

अब मैं एक छोटी सी चीज अर्ज कर देना चाहता हूं । इस बारे में आप से भी अर्ज करन चाहता हूं और होम मिनिस्ट्री से भी अपील करना चाहता हूं कि वह हरिजनों की प्राब्लमा को दुरुस्त करने के लिये कुछ वक्त जरूर निकाले । आज मुल्क की आबादी का चौथाई हिस्सा तकलीफ में पड़ा हुआ है । उनकी प्राब्लम को डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट में या दूसरी कमेटियों में कोई कोशिश नहीं होती । मैं समझता हूं कि यह सीधा सा काम है । इंडस्ट्रीज के काम में, तालीम के काम में, गवर्नमेंट का उन लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने का इरादा है उसे पूरा करना चाहिये । जो लोग हमारी गवर्नमेंट के भीतर हैं और इस चीज को इम्प्लिमेंट नहीं करना चाहते, चाहे वे स्टेट के आफिसर हों या सेंटर के आफिसर हों, उन को पूरी सजा दी जाय । इससे एक साइकालोजिकल एफेक्ट पड़ेगा कि वे लोग गवर्नमेंट के काम को ठीक तरह से चलायेंगे । अगर हम गांधी भक्त हैं तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और उसको सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स को हुक्म देना चाहिये कि जब वे किसी भी विजिट पर जायें तो हरिजन मोहल्लों में जाकर ठहरें ताकि उनको इस बात का ख्याल हो कि वे गांधी जी के कहने के मुताबिक चल रहे हैं । अगर वह इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि उनका बदलना मुश्किल है । अगर वह भी अंग्रेजी राज्य की तरह से काम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई साइकालोजिकल एफेक्ट नहीं पड़ेगा । और गरीब लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे तो हरिजनों पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा । अगर मिनिस्टर वहां जायेंगे तो उनको खाना खिलाना पड़ेगा

श्री साधू राम : खाना खिलाने में तो हमें खुशी होती है । उनको यह ख्याल तो होगा कि उनकी अनटचेबिलिटी दूर हो रही है ।

मैं अर्ज कर रहा था कि इन चीजों की तरफ जरूर ध्यान दिया जाय और इसके लिये एक सेपरेट मिनिस्ट्री कायम की जाय । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ पूरे जोर शोर से ध्यान दे ।

श्री अजित सिंह (भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का मश्कूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया । मैं सिर्फ एक बात कह कर खत्म कर दूंगा । और वह यह है कि सर्विसेज के बारे में गवर्नमेंट का सन् १९५६ में एक मैमोरेंडम निकला था, उस में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये मुलाजिमत के सम्बन्ध में जो टैकनिकल क्वालिफिकेशन्स दी गई थीं, उन में यह कहा गया था कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जगह के लिये अगर कोई हरिजन अर्जी दे और उस को टाइपराइटिंग न आती हो, तो भी उस को अप्वाइंटमेंट के लिये भेजा जाये । लेकिन आज कल अगर कोई आदमी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाता है तो उन को ही कार्ड दिया जाता है जो कि टाइपराइटिंग जानते हैं । इस तरह से जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उस के मुताबिक अमल नहीं हो रहा है यानी बहुत से हरिजन कैन्डिडेट्स को, जो कि टाइपराइटिंग नहीं जानते हैं, उन को एम्प्लायमेंट के लिये नहीं भेजा जा रहा है ।

[श्री अजित सिंह]

दूसरी बात यह है कि कुछ इधर तीसरी ग्रेड और चौथी ग्रेड की आसामियां जो रिजर्व रखी गयी है उनके लिये गवर्नमेंट ने बैन लगा रखी है, अभी उनको नहीं लिया जा रहा है। उधर हमारा रिजरवेशन बढ़ा रहे हैं। उसके लिये तो हम मश्कूर हैं। लेकिन जो तीसरी और चौथी ग्रेड की जगहें रिजर्व है उन पर भी लोगों को लिया जाना चाहिये। यही दो बातें मैं अर्ज करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान दें कि तीन चार दिन में ४५० आसामियां तीसरी और चौथी ग्रेड में ली जा रही हैं और जो मैमोरेंडम आपने निकला है उस पर अमल किया जाये तो रिजवेशन के हिसाब से हरिजनों को अपना कोटा मिल जायेगा। हरिजनों में पहले और दूसरे डिवीजन वालों की कमी नहीं है। लेकिन जो टाइपराइटिंग की टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखी गयी है....

उपाध्यक्ष महोदय : यह चीज मेरी समझ में नहीं आती कि वह कैसे हो सकता है कि एम्पलायर अगर टइपिस्ट मांगे तो एम्पलायमेंट एक्सचेंज बिला टाइप जानने वालों को भेज दे। एम्पलायर जिस तरह के आदमी चाहेगा एम्पलायमेंट एक्सचेंज तो वैसे ही आदमियों के नाम भेजेगा।

श्री अजित सिंह : उसमें यह शर्त है कि जो आदमी टाइपराइटिंग न जानते हों वे यह अंडरटेकिंग दें कि वे ६ महीने में टाइपराइटिंग सीख लेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** यह प्रतिवेदन नवां प्रतिवेदन है। सभी की यह शिकायत रहती है कि यह प्रतिवेदन बड़ी देर से प्रस्तुत किया जाता है। इस बार इसमें उतनी देर तो नहीं हुई है जितनी कि अब तक होती रही है। लेकिन मैं आश्वासन देती हूं कि अगले प्रतिवेदन को हम और भी जल्दी लाने का प्रत्यन करेंगे। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि प्रतिवेदन के आने के पश्चात् १५ दिन के भीतर इसे विचारार्थ सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। हम ऐसा ही प्रयत्न करेंगे कि यह १५ दिन के भीतर ही विचारार्थ आये। लेकिन हमारी भी कुछ कठिनाई हैं। हमें भी इस पर विचार करना होता है। एक अनौपचारिक समिति इस प्रतिवेदन पर विचार करती है।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों एवं पिछड़ी जातियों की भलाई की समस्या एक बड़ी समस्या है तथा सरकार इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सफलता का दावा नहीं करती। फिर यह बात भी सही है कि अकेली सरकार इस समस्या का हल नहीं कर सकती। सभी व्यक्ति मिल कर प्रयत्न करें तभी इसका समाधान हो सकता है।

हमें यह याद रखना चाहिये कि अस्पृश्यता निवारण भंगियों के काम के वर्तमान तरीके को बन्द करने तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये प्रत्येक व्यक्ति को भी काफी कुछ करना होगा। लोगों के मनोविज्ञान विशेषतः पुराने विचारों के लोगों के मनोविज्ञान में पर[illegible] आवश्यकता है।

हमारे यहां कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने के लिये हम गत १२ वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे रास्ते में [illegible]छ कठिनाइयां आई हैं जिन पर हम अभी तक सफलता नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

पा सके हैं। न केवल ऊंची जाति के लोगों के मनोविज्ञान में ही परिवर्तन की आवश्यकता है बल्कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के मनोविज्ञान में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज इन लोगों में भी काफी परिवर्तन आ गया है। उनमें भी प्रगति हो रही है।

कुछ माननीय सदस्यों की शिकायत है कि इन जातियों के अच्छे तथा योग्य व्यक्तियों को सेवा में नहीं लिया जाता। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगी कि यदि विभेद के कुछ मामले उनकी निगाह में हैं तो वे उन्हें सरकार के सामने लायें और सरकार उनकी छानबीन करेगी। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो हम उसमें परिवर्तन करने के लिये भी तैयार हैं।

मैं इस बात पर बल देती हूं कि इस प्रतिवेदन पर राज्य विधान सभाओं में विचार किया जाना चाहिये। क्योंकि बहुत सी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा ही क्रियान्वित की जाती हैं। उनके सामने इन योजनाओं को लागू करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं अतः ये समस्यायें वहीं तै करनी चाहियें। अतः यह उचित होगा कि राज्य सरकारें संगत प्रश्नों पर पूर्णतः विचार करें।

अस्पृश्यता कोई आज की चीज नहीं है बल्कि कई शताब्दियों से बराबर चली आ रही है। इसके निवारण के लिये बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र में महान कार्य किया है। हमें उनका अनुकरण करना चाहिये। उनके द्वारा सुझाये गये मार्ग पर कार्य करने से भले ही प्रगति ढीली हो लेकिन उसका परिणाम निश्चय ही अच्छा निकलेगा।

मलकानी रिपोर्ट तैयार हो रही है। हम इस प्रतिवेदन का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। ताकि सभी राज्यों को यह मिल सके। जहां कहीं हमने इस समिति की सिफारिशों को व्यावहारिक समझा है हमने उनके कार्यान्वित करने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिये हैं कि उनको शीघ्र ही लागू कर दिया जावे। गन्दा उठाने के काम को दूर करने के लिये केन्द्र द्वारा ५० से ७० प्रतिशत सहायता दी जाती है। किन्तु अन्ततोगत्वा यह कार्य स्थानीय नगरपालिकाओं का है। इस समिति की सिफारिशों एवं उसके द्वारा दिये गये सुझावों से पूर्ण लाभ उठाने का कार्य स्थानीय बोर्ड तथा विधान-सभाओं पर ही है। पंजाब ने इन जातियों की भलाई और गन्दा उठाने के काम को दूर करने के लिये अपने यहां समितियां बनाई हैं यह अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अन्य राज्य की अपने अपने यहां समितियों की स्थापना करेंगे।

यह सुझाव दिया गया है कि छावनी वाले क्षेत्रों में भंगियों को दस्ताने तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधायें भी दी जानी चाहियें। निश्चय ही यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया तो मैं समझती हूं कि धीरे धीरे सारे देश में यह सुझाव क्रियान्वित होने लगेगा।

यह सुझाव कि अनुसूचित जातीय-सूची प्रत्येक वर्ष कम होती जानी चाहिये, विचार के योग्य है। 'हरिजन' शब्द का प्रयोग बन्द होना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारे यहां एक अच्छे समाज की स्थापना हो तो यह आवश्यक है कि 'हरिजन' जैसे शब्दों का उपयोग किसी जाति के लिये नहीं किया जाना चाहिये। आज विज्ञान का युग है। हमें भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिये।

[श्रीमती आल्वा]

श्री बारूपाल ने अन्तर्जातीय विवाहों का सुझाव दिया है । मैं समझती हूं कि इस प्रकार के विवाहों को कोई रोक नहीं सकता । प्रश्न यह है कि इस प्रकार के विवाहों को प्रोत्साहन कौन दे ।

श्री गायकवाड़ ने कुटीर उद्योगों की बात उठाई है । कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में सहकारी प्रयत्न को प्रोत्साहन मिलना चाहिये । अगर इसमें कोई कठिनाई है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । हम आशा करते हैं कि क्रमशः बिचौलिया को बीच में से निकाल दिया जायेगा ।

श्री उइके ने दंडकारण्य में आदिम जाति के प्रति किये जाने वाले अत्याचार का उल्लेख किया है । हो सकता है कि वहां ऐसी कोई घटना हो गई हो । किन्तु यह मामला वहां की राज्य सरकार का है । जब इस प्रतिवेदन पर वहां की राज्य सभा में विचार किया जायेगा तो बहुत सी बातों का समाधान हो जायेगा । मैं तो कहूंगी कि उस क्षेत्र के आदिम जातीय व्यक्तियों की वास्तव में समृद्धि हुई है । आदिम जाति के लोगों को लगभग एक चौथाई कृषि योग्य भूमि दी गई है । प्रत्येक आदिम जातीय परिवार को वहां १३०० रुपये की सहायता विभिन्न कामों के लिये दी गई है । वहां आवागमन तथा परिवहन के साधनों का विकास हो रहा है । मलेरिया विरोधी काम हो रहा है । इसी प्रकार के और भी बहुत से काम हो रहे हैं जिनसे आदिम जातीय व्यक्तियों को लाभ पहुंच रहा है । भविष्य में भी उनको अधिक लाभ होने की संभावना है ।

जहां तक वनों के संरक्षण की बात है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । आदिम जातियों तथा वनों का संरक्षण का कार्य साथ साथ चलेगा ।

श्री गनपति राम : एक स्पष्टीकरण है। माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि शिक्षा, भूमि और लॉ एंड आर्डर ये सब विषय स्टेट गवर्नमेंन्ट्स के हाथ में हैं। जितने प्वाइंट्स हम लोगों ने रखे हैं और जो कमियां हम लोगों ने बताई हैं, उनके बारे में क्या सेंट्रल गवर्नमेंन्ट स्टेट गवर्नमेंट्स पर दबाव नहीं डाल सकती कि वे कमियां दूर की जावें ?

श्रीमती आल्वा : वह तो हम करते ही हैं। राज्य सरकारें पूर्णतः स्वतंत्र हैं और माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के वास्तविक कार्य क्या हैं ।

श्री बाल्मिकी ने एक मामले का उल्लेख किया है, उस मामले के संबंध में तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक उस मामले की सावधानी से जांच न कर ली जाये । जहां तक ऐसे गांवों की सूची तैयार करने का प्रश्न है जहां अस्पृश्यता नहीं है, मेरे विचार से ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा । निसंदेह ऐसे गांवों को मान्यता देने का विचार बहुत अच्छा है। तथापि किसी न किसी को हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करना होगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने धर्म-परिवर्तन के प्रश्न को उठाया है ; वस्तुतः अब सामहिक धर्म-परिवर्तन के दिन चले गये हैं। संविधान के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म-पालन और धर्म-परिवर्तन का अधिकार दिया गया है, अतः शास्त्री जी को उन व्यक्तियों की संख्या भी बतानी चाहियें थी जिनका धर्म-परिवर्तन किया गया । वस्तुतः किसी भी धर्म के नेता के

लिये किसी की गरीबी और दरिद्रता से लाभ उठाना और इस प्रकार अपनी संख्या वृद्धि करना बहुत अनुचित है। अतः हमें इस संबंध में सतर्क रहना चाहिये कि किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धर्म-परिवर्तन न किया जाये। तथा देश में अराष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार नहीं किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य ने इस संबंध में पिछले सत्र में आधे घंटे की चर्चा उठाई थी और उसका विस्तृत उत्तर दिया जा चुका था तथापि उन्होंने पुनः इस प्रश्न को उठाना उचित समझा।

जहां तक सहायक आयुक्तों के कार्यक्षेत्र का संबंध है, राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में पूरा अधिकार है। सहायक आयुक्त विशेष अध्ययन अधिकारियों तथा सम्पर्क अधिकारियों के रूप में काम कर सकते हैं तथापि उन्हें पर्यवेक्षण का अधिकार नहीं है। कोई सहायक आयुक्त बहुत अच्छा काम कर सकता है और कोई सहायक आयुक्त अपेक्षित कुशलता से काम नहीं कर सकता है। तथापि मैं आपको बता चुकी हूं कि सहायक आयुक्तों की भी अपनी अपनी सीमायें होती हैं।

अंत में शास्त्री जी ने एक ऐसी संस्था का नाम लिया जिसे केन्द्र या राज्य सरकार कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई। कुछ संस्थाओं को सीधे गृह-कार्य मंत्रालय से अनुदान मिलता है। तथापि ऐसी संस्थाओं को अखिल भारतीय प्रकार की होना चाहिये, मेरे विचार से जिस संस्था का उन्होंने नाम उल्लेख किया है वह अखिल भारतीय प्रकार की संस्थाओं की सूची में नहीं आती है। वस्तुतः केन्द्र तथा राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र पृथक-पृथक है यह बात भली भाति समझ लेनी चाहिये।

जहां तक पिछड़ी जातियों का सवाल है भारत सरकार की यह इच्छा है कि उनके द्वारा विहित मानदंड का इस संबंध में पालन किया जाये। मेरे विचार से शीघ्र ही किसी जाति के पिछड़ेपन को निश्चित करने के लिये आर्थिक मानदंड को ही अपनाना होगा।

हम राज्यों को समझा सकते हैं उन्हें निदेश नहीं दे सकते हैं। हमने यह बात राज्यों पर छोड़ दी है कि वे स्वयं ही किसी जाति के पिछड़ेपन का निश्चय कर।

अन्तिम दो भाषणकर्ताओं ने यह कहा था कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिय आवास संबंधी कठिनाई है। निस्संदेह हमारे द्वारा दी गयी सहायता से कुल जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। अतः यदि हम सहायता की राशि बढ़ा भी देवें तो भी और अधिकाधिक व्यक्तियों को सहायता की राशि की आवश्यकता होगी। अतः हमें अपने में आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता की भावना पैदा करनी चाहिये।

श्री दशरथ देव ने त्रिपुरा के आदिम जातियों की समस्या का उल्लेख किया है। निसंदेह हम आदि वासियों के कल्याण के लिये उस सीमा तक काय नहीं कर सके जिस सीमा तक हमने अनुसूचित जातियों के लिये कार्य किया है। त्रिपुरा के संबध में भी सरकारी स्तर में हम यथासंभव कार्य कर चुके हैं। वहां सलाहकार समिति, मंत्रणादातृ समिति और हरिजन तथा आदिम जाति कल्याण का केन्द्रीय बोर्ड मौजूद है। वे हमें वर्ष में दो बार अपने सुझाव भेजते हैं। हम उनके सुझावों की जांच कर उन्हें राज्यों को भेज देते हैं और जो सुझाव हमारे स्तर पर क्रियान्वित होते हैं उन्हें हम स्वयं क्रियान्वित करते हैं।

[श्रीमती आल्वा]

अब मैं शिक्षा के प्रश्न को लेती हूं। वस्तुतः योग्यता और साधन परीक्षाओं के प्रश्न में कुछ भ्रांति पैदा हो गयी है। वस्तुतः निकट भविष्य में एक समय ऐसा आयेगा जब कि सरकार अनसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियों का भार संभालने असमर्थ हो जायेगी क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जायेगी जबकि निधि में इस अनपात में वृद्धि नहीं हो सकती है। अतः इस प्रकार की परीक्षायें लेना अनिवार्य हो जायेगा। निसंदेह श्री गायकवाड़ तथा कुछ सदस्य यह सोच सकते है कि यह उनकी प्रगति में एक प्रकार का रोड़ा है, तथापि निकट भविष्य में साधन परीक्षायें लेनी ही होंगी और आगामी या उससे अगली योजना में हमें अनिवार्य शिक्षा फैलानी ही होगी। अतः हम धीरे-धीरे मुस्तैदी से तरक्की कर रहे हैं तथा लोगों को चाहिये कि वे स्थिति का सही अर्थो में मुकाबला करें।

जहां तक आय संबंधी प्रमाण पत्र देने का संबंध है इस संबंध में कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी। क्योंकि आय तथा शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र एकही साथ संलग्न रहेंगे। अतः जिस विलम्ब की वह आशंका करते हैं कि वह नहीं होने पायेगी।

माननीय सदस्यों का यह कथन है कि विलम्ब अब भी हो रहा है। निसंदेह इतनी बड़ी योजना में कुछ शिकायत और विलम्ब की गुंजायश रह सकती है तथापि मेरे विचार से स्थिति में पिछले वर्षों के मकाबले काफी सुधार हुआ है।

यह कहा गया है कि मकानों के निर्माण के लिये ऋण दिये जाने चाहियें। मेरे विचार से ऋण दिया जाना संभव नहीं है। सभी को ऋण देते जाना संभव नहीं होगा। अतः ऐसा नहीं किया जा सकता है।

सेवा के संबंध में जो कुछ भी संभव है वह किया जा रहा है। इनके लिये प्रतियोगी परीक्षाओं में कम उपयुक्तता, कम मार्क और एक चौथाई फीस विहित की गयी है। इतना, कुछ करने पर भी हम माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सके हैं। वे चाहते हैं कि हम इस सम्बन्ध में बहुत तेजी से आगे बढ़ें।

पिछले तीन वर्षों में भारतीय प्रशासन सेवा में जो लोग चुने गये थे उनकी तुलना में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। १६५६, १६६० और १६६१ में ५४, ७३ और ८७ व्यक्ति चुने गये जिनमें से अनुसूचित जातियों की संख्या क्रमशः २, २ और ६ है। हमें यह भी देखना होता है कि वे उम्मीदवार उन सभी रुकावटों का मुकाबला करने में समर्थ हों जो इस परीक्षा में सामने आती हैं। पहले लिखित परीक्षा होती है, तदन्तर इन्टरव्यू और स्वास्थ्य परीक्षा होती है, उन्हें इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होता है; मैं उनकी यह भ्रांति दूर कर देना चाहती हूं कि ये सब बातें उन्हें अनर्ह करने के लिये की जाती हैं। मेरे विचार से निकट भविष्य में ऐसा समय आ जायेगा जब कि खुली प्रतिद्वंदिता में भी सफल हो सकेंगे।

जहाँ तक विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण देने का संबंध है, हमने इलाहाबाद में यह कार्य शुरू किया था तथापि इसमें दिक्कतें पैदा हुईं और प्रश्नकाल में इस संबंध में चर्चा भी हुई।

वस्तुतः यह एक मानवीय प्रश्न है जो कि मानवीय भावनाओं एवं विचारों में परिवर्तन लाकर ही बदला जा सकता है। अतः मैं अब इस बात से सहमत नहीं हूं कि विद्यार्थियों

को अब भी कठिनाई हो रहीं है, अब उनके पास अपनी इमारत व अपनी सस्था है तथापि जितने विद्यार्थियों के लिये वहां स्थान है उतने विद्यार्थी वहां पर नहीं आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा था कि क्या सूची में से हटाये गये वर्गों के बालकों की देखभाल नहीं की जा रही है। उनकी देखभाल की जा रही है। दूसरी परियोजना में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में इसके लिये ८३ लाख रुपये की राशि रखी गयी है। उनके बालकों को छात्रवृत्तियां, दुपहर का खाना तथा किताबों के लिये अनुदान दिया जाता है। जहां तक विमुक्तिजाँतियों अर्थात् भूतपूर्व अपराधी जातियों का प्रश्न है वे अजीब प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उनको बाहर आने में कुछ समय लगेगा क्योंकि वे वर्षों से एक विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के आदी हैं। केवल यही बालक नहीं अपितु अनुसूचित जातियों के बालक भी भारत के विभिन्न भागों में पर्याप्त प्रगति कर रहे हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऐसे बालकों के लिये कुछ व्यवस्था की है हमें आशा है कि अन्य राज्यों में भी इनके लिये व्यवस्था होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह सलाह दी गई है कि वे कुशलता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को सेवा में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करे। तथापि यदि ये उपक्रम समवाय या निगम के रूप में चल रहे हैं तो सरकार उन्हें इस प्रकार स्पष्ट निदेश नहीं दे सकती है। मेरे विचार से टेक्नौलोजी के क्षेत्र में भी यह भावना पैदा हो गयी है कि इन लोगों को नियुक्त करना चाहिये। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पृष्ठ ३६ और उसके बाद के दो पृष्ठों की ओर दिलाना चाहती हूं जिनमें टैक्नीकल और शिक्षा संस्थाओं में उनके रक्षित स्थानों के संबंध में न केवल आंकड़े दिये गये हैं अपितु अन्य संगत जानकारी भी दी गयी है।

माननीय सदस्यों ने यह उचित ही कहा है कि यह प्रतिवेदन प्रति वर्ष रखा जाता है और प्रति वर्ष इस प्रतिवेदन पर चर्चा होती है। तथापि हमारी योजना की सफलता हमारे काम पर निर्भर करती है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम मनुष्यों के लिये कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में मानव को मानव बढ़ाने से बढ़ कर कोई अन्य चीज नहीं है।

श्री उइके (मंडला-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल मैं ने दण्डकारण्य स्कीम के बारे में एक प्वाइंट उठाया था। मैं ने कहा था कि जो एग्रीमेंट हुआ है बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और सैंट्रल गवर्नमेंट के बीच, उसमें यह दिया हुआ है कि एक एंथ्रोपोलोजिस्ट सीनियरमोस्ट एप्वाइंट किया जाएगा ट्राइबल वैलफेयर को देखने के लिए। यहां से बस्तर में जो गुडविल टीम गई थी, उसका एक मेम्बर बन कर मैं भी गया था। वहां जो स्थिति मैंने देखी उसके आधार पर मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि वहां अगर एंथ्रोपोलोजिस्ट एप्वाइंट हो गया होता और आदिवासियों के बीच में मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर काम किया जाता तो जो फायरिंग हुआ और १२ आदिवासी मारे गए वह फायरिंग भी न हुआ होता और ये बारह आदिवासी भी न मारे गए होते। आगे ऐसी कोई दुर्घटना न हो उस जिले के अन्दर या और किसी आदिवासी स्थान में, चार साल इस एग्रीमेंट को हुए बीत जाने के बाद भी अब क्या एंथ्रोपोलोजिस्ट एप्वाइंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा?

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १६५६–६० के प्रतिवेदन पर, जो २४ अप्रैल, १६६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १६५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे सभा के सम्मुख इस आयोग के कार्य का प्रतिवेदन रखते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है । यद्यपि मैं भारी और बड़े पैमाने के उद्योगों से संबंधित हूं, जिनमें वहुत भारी पूंजी लगायी जाती है, तथापि मैं इसे स्वीकार करूंगा कि छोटे पैमाने और ग्रामोद्योगों को देखने से बढ़ कर खुशी मुझे कभी नहीं होती है । इसे मैं किसी अन्धविश्वास या रुढ़िवादी भावना से नहीं कह रहा हूं अपितु जैसा कि सभी जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में खादी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक वन गयी थी, तथापि केवल इस कारण हमने खादी को महत्व प्रदान नहीं किया है । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि खादी वह उद्योग है जिसके चारों ओर ग्राम के समस्त उद्योग चक्कर लगाते हैं । बापू कहा करते थे कि खादी प्रगतिशील आयोजन और औद्योगिक लोकतंत्र के सामाजिक बीमे के समान है ।

वस्तुतः भारत के करोड़ों घरों के इस खादी और ग्रामोद्योगों का संगठन करना बहुत कठिन है । इसकी तुलना में एक मशीनी औजारों के कारखाने, इस्पात संयंत्र या भारी बिजली के कारखाने का संयंत्र करना कहीं सरल है ।

देश में खादी ग्रामोद्योग विकास आयोग के कार्य की बहुत आलोचना हुई है । तथापि मैं उनसे पूछता हूं कि विश्व मे ऐसा विकेन्द्रित उद्योग कहां है, जो भारत जैसे बड़े देश के कोने कोने में फैला हो और जिसका संचालन इतनी कुशलता पूर्वक हो रहा हो जैसा कि आयोग इस उद्योग का काम कर रही है । यह कहा गया है कि इन उद्योगों के निमिन दिये गये धन का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है । मैं जानता हूं कि हम दूसरे आर्थिक तथा सामाजिक उपक्रमों में कितनी रकम खर्च कर रहे हैं । उसको देखते हुए यह राशि समुद्र में एक बूंद की तरह है तथापि यह भारतीय जनता का देश की गरीब जनता के प्रति दायित्व है जिसकी संख्या कुल आबादी का ६० से ६५ प्रतिशत तक है । तथापि इतनी कम राशि की भी, जिसे हम उन लोगों को दे रहे हैं, जो इतनी योजनाओं के बावजूद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके हैं कुछ लोगों द्वारा आलोचना की जाती है । मैं खादी बोर्ड के सभी सदस्यों को जानता हूं वे लोग वर्षों से खादी के कार्य से संबंधित रहे हैं तथा उन्होंने तब से हुंडियां बेची हैं जब हम निरे बच्चे थे । वस्तुतः बोर्ड में इससे अधिक योग्य

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्ति नहीं लिये जा सकते थे । ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरणों में हमने वर्षों बैठ कर कार्य किया है । वे लोग सरलता और इनकी विशेषताओं के संबंध में विशेषज्ञ हैं । मेरा अनुभव है कि व्यय के संबंध में वे लोग बहुत सावधान और सतर्क रहते हैं । तथापि मैं सभा से यह कहते हुए क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि इतना होने पर भी कुछ दुर्बलतायें हो सकती हैं । तथापि इस दुर्बलता को दूर करने के लिये हमें सभा से रचनात्मक सुझावों तथा सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त इसके लिये देश की ४४ करोड़ जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी ।

तीसरी योजना भारी उद्योगों पर आधारित योजना है । वस्तुतः जहां तक देश के औद्योगीकरण का प्रश्न है देश का भविष्य तीसरी योजना पर निर्भर करेगा। अतः आवश्यकता यह है कि हम इस मामले में और भी सावधान रहें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के इन उद्योगों से जिनसे कि करोड़ों व्यक्तियों को जीविका प्राप्त होती है उपेक्षा न हो । अतः मैं पुरजोर यह बात कहना चाहता हूं कि तीसरी योजना में ग्रामीण औद्योगीकरण और खादी का कार्य देश के आर्थिक विकास का प्रकाशस्तम्भ बनेगा । यदि हम ग्रामोद्योग की जिनसे देश की करोड़ों जनता को जीविका मिलती है, उपेक्षा करेंगे तो हमारे सारे प्रयत्न विफल हो जायेंगे और हमारी वह क्रांति असफल हो जायेगी जो आज हमारे देश में हो रही है ।

मैं विस्तार में न जाते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आयोग ने १३ लाख से ऊपर लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है । जिससे उन्हें लाभ पहुंच रहा है । इससे भी अधिक संख्या उन लोगों की है जो अंशतः रोजगार प्राप्त कर रहे हैं । अम्बर चर्खे से लगभग ३ १/२ लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम काल की तुलना में हमने १२ से १५ गुणा अधिक खादी तैयार की है । ग्राम उद्योग क्षेत्र में भी इसका काफी अंशदान है । इस दिशा में उत्पादन प्रति व्यक्ति भी तुलनात्मक दृष्टि से कम नहीं है । राष्ट्रपिता की इच्छाओं, राष्ट्र और जनता के हितों की दृष्टि से ही मैं ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है । वैसे तो प्रस्तावित संशोधन कोई महत्वपूर्ण नहीं है । हम उन उद्योगों को जो काफी विकसित हो चुके हैं अपनी सूची निकाल देने के लिए तैयार हैं ।

उपसभापति पद का निर्माण किया जा रहा है । इसमें भी यही उद्देश्य है कि आयोग पूरे समय का प्रबन्धक बन सके और जो धन इसमें लगाया गया है उसका अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके । इसी भावना से ही यह सब कुछ किया जा रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : ५२ मद के अन्तर्गत संसद् केवल उन उद्योगों के बारे में विधान बनायेगी जिसे विधिपूर्वक जनहित मे घोषित किया जायेगा । इस दिशा में कोई विधि संसद् ने निर्माण नहीं की । बाकी उद्योग राज्यों की अनुसूची में आते हैं । अतः इस विधेयक पर सदन विचार नहीं कर सकता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह मूल विधेयक नहीं है । यह तो संशोधन विधेयक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसात) : यह मामला १९५६ में प्रस्तुत हुआ था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा ।

†**श्री तंगामणि** (मदुराई) : मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने केवल उन खंडों का ही उल्लेख किया है जिसके द्वारा कि मूल विधेयक का संशोधन किया जाना है । मेरा सुझाव यह है कि यदि यह अनुचित न हो तो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिवेदन को सविस्तार सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और संसद् की किसी समिति द्वारा इस पर सविस्तार विचार करना चाहिए । मेरा अनुभव यह है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में दोहरा काम हो रहा है । इस आयोग में कर्मचारियों की संख्या भी आवश्यकता से बहुत अधिक है ।

जहां अधिकारियों की आवश्यकता नहीं भी है वहां भी अधिकारी भर रखे हैं । उत्पादन की दिशा में भी आदमी बहुत अधिक भरे हुये हैं । और जो कुछ भी काम होता है उसे व्यापारिक ढंग से नहीं चलाया जाता । आंकड़े जो भी उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि हम बाजार में अपनी बनाई हुई चीजों को मुकाबले में नहीं बेच पा रहे हैं । आर्थिक सहायता देकर और कीमतों में कांट छांट करके ही उन्हें बाजार में बेचा जा रहा है ।

मूल अधिनियम के अन्तर्गत पहले १० उद्योग थे और १२ ग्रामोद्योग हैं । इन १२ उद्योगों पर १४.८० करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । इसमें से बहुत सी राशि ग्राम तेल, दालों और अनाजों पर खर्च की गई है । मेरा कहना है कि हथकरघे के कार्य को भी वही प्रोत्साहन मिलना चाहिये जो खादी उद्योग को मिल रहा है । यदि ऐसा किया गया तो निश्चित हथकरघा उद्योग को बहुत भारी सफलता प्राप्त होगी । उसका २५० करोड़ गज़ निर्माण करने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा । लोग भी हथकरघा की ओर अधिक आकृष्ट हो रहे हैं । महिलायें अधिकांश हथकरघा साड़ियों को बहुत पसन्द करती हैं ।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुये]

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि हमें यह बताया जाय कि आयोग के बिक्री केन्द्रों में कर्मचारियों को लगाया जाता है उन सेवायुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें वहीं हैं जो विभिन्न भंडारों में काम करने वाले व्यक्तियों की हैं । मेरी जानकारी के अनुसार उनसे अन्याय हो रहा है । उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

विधेयक का क्षेत्र सीमित है अतः मैं सामान्य बातों में नहीं जाना चाहता । परन्तु पता चला है कि आयोग का एक उपसभापति नियुक्त किया जा रहा है । धारा ५ में कहा गया है कि एक सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जायेगा । अब उपसभापति नियुक्त होगा, कल को एक कोषाध्यक्ष भी बना लिया जायेगा । फिर बोर्ड तो केवल एक ही व्यक्ति का रह जायेगा । मेरा मत तो यह है कि आयोग के लिये उपसभापति की नियुक्ति मुझे कुछ संगत नहीं लग रही । इसके लिये कोई समुचित कारण भी नहीं बताया जा रहा ।

खंड ८ में जो संशोधन किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है । परन्तु मेरा विचार है कि इस दिशा में बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है । हस्त उद्योगों के नाम से फजूल खर्ची चल रही है । मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार एक निधि से दूसरी निधि में धन हस्तान्तरण सम्बन्धी संशोधन के बारे में पूरी जानकारी सदन को दे । खादी की निधि में जो धन फालतू हो उसे ग्राम

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग निधि में हस्तान्तरण करने में मुझे तो कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती । साथ ही हमें पूरी आशा है कि सभा को आयोग को १९५९-६० के प्रतिवेदन पर विचार का अवसर मिलेगा तथा इस सम्बन्ध में संसद की एक समिति जांच पड़ताल करेगी ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : संशोधनों के बारे में मंत्री महोदय ने संक्षेप से बताया है । मेरा भी खादी के कार्य से बहुत गहरा सम्बन्ध है । मेरा विश्वास यह है कि खादी और ग्रामोद्योगों ने आशातीत कार्य किया है । इस दिशा में हमें एक बात स्मरण रखनी चाहिये कि यह उद्योग काफी बिखरा हुआ है । मेरा मत यह है कि अन्य उद्योगों के मुकाबले में खादी तथा ग्रामोद्योगों के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिये । इस दृष्टि से मेरा यह कहना है कि यह शिकायत नहीं की जानी चाहिये कि अन्य उद्योगों की तुलना में इस उद्योग में अधिक लोग काम करते हैं ।

उप सभापति नियुक्त किये जाना वाला संशोधन भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उपबन्ध है । मेरा इस दिशा में मत यह है कि यह बड़ा ही बुद्धिमत्ता पूर्ण उपबन्ध है । उपसभापति के नियुक्त हो जाने का काफी लाभ होगा । उपसभापति, सभापति के काम में हाथ बटायेगा और उसकी सहायता कर सकेगा । जिससे कार्य और अधिक सुचारु रूप से चलेगा ।

खादी और हथ करघा उद्योगों का मुकाबला नहीं किया जाना चाहिये । न ही खादी उद्योग को दी जाने वाली सहायता के प्रति शिकायत की जानी चाहिये । यह बात हमें समझ लेनी चाहिये कि जितनी क्षमता रोजगार सम्बन्धी खादी उद्योग में है उतनी हथकरघा उद्योग में नहीं है । विधेयक में जिन दो स्थायी वित्त समितियों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है, उनका हम स्वागत करते हैं । यह अच्छी बात है कि संशोधन विधेयक आयोग को ग्रामोद्योगों पर अधिक धन खर्च करने के अधिकार प्रदान कर देगा ।

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, मंत्री जी ने भावुकता से भरा हुआ जो भाषण दिया है, उसे सुन कर बड़ा आनन्द हुआ, किन्तु मेरा निवेदन है कि यह भाषण ९ अगस्त, १९६१ को नहीं, १ सितम्बर, १९५६ को दिया जाना चाहिये था, जब यह मूल विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था । इसमें सन्देह नहीं कि खादी के साथ हमारी भावनायें जुड़ी हुई हैं, लेकिन समय आ गया है जब हम आर्थिक प्रश्नों पर शुद्ध आर्थिक दृष्टि कोण से विचार करना प्रारम्भ करें । यह देखना चाहिये कि खादी कब तक सरकारी संरक्षण की बैसाखी के सहारे खड़ी रहेगी, कब तक हम उसे छूट दे कर और सहायता दे कर बाजार में लाने के प्रयत्न में सफल होंगे । अन्ततोगत्वा खादी के अर्थ-शास्त्र का ऐसा विकास करना होगा कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और सरकारी सहायता उस के जीवन का अभिन्न अंग न बन जाये । मुझे खेद है कि इस दिशा में जितना प्रयत्न होना चाहिये था, वह अभी तक नहीं किया गया है ।

जब मूल विधेयक में संशोधन की बात आई, तो मैं समझता था कि पिछले पांच वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्य-कलापों से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके प्रकाश में ऐसे संशोधन उपस्थित किये जायेंगे, जो व्यापक और दूरगामी होंगे, लेकिन मुझे यह देख कर खेद हुआ कि कुछ दिशाओं में यह संशोधन १९५६ के मूल विधेयक से भी पीछे जाता है । मैं १९५६ के वाद-विवाद को पढ़ रहा था । होना तो यह चाहिये था कि खादी और ग्रामोद्योगों के महत्वों को देखते हुए हम उन के अलग अलग कमीशन्ज़ की व्यवस्था करते, जो कि नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त मूल विधेयक में खादी और ग्रामोद्योग के लिये अलग अलग धन-राशि रखी गई और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

विधेयक प्रस्तुत करते समय श्री रेड्डी महोदय ने इस बात पर बल दिया था कि हम जान-बूझ कर खादी और ग्रामोद्योग के लिये अलग अलग फंड रख रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ये फंड मिलाये जायें, क्योंकि हम दोनों के विकास की समान व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन इस समय जो संशोधन रखा गया है, उसमें वे दोनों फंड मिलाये जा रहे हैं। मूल विधेयक में भी यह व्यवस्था थी कि अगर कमीशन चाहे, तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से एक फंड से दूसरे फंड के लिये रुपया ले कर खर्च कर सकता है, लेकिन अब यह अधिकार कमीशन को दिया जा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले आंकड़ें हम देखें। मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि खादी की कीमत पर ग्रामोद्योगों की उपेक्षा की जा रही है और अब अगर कमीशन को यह भी अधिकार दे दिया गया, तो फिर अधिकतर रुपया खादी पर खर्च होगा। इसमें मुझे संदेह नहीं है। रुपया खादी पर खर्च हो, इसका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन ग्रामोद्योगों के लिये जो धन-राशि निश्चित की जाती है, वह खर्च न हो और उसमें से अधिकतर रुपया खादी पर खर्च किया जाये, इस बात का मैं समर्थन नहीं कर सकता, और इसीलिये मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है कि दोनों फंड अलग अलग रहने चाहियें। जब केन्द्रीय सरकार कमीशन को इस बात की अनुमति दे सकती है कि एक फंड से दूसरे फंड के लिये रुपया ले लिया जाये, तो कमीशन को इस तरह का अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने ऐसे आंकड़े उपस्थित नहीं किये हैं कि जिन से इस संशोधन के औचित्य को सिद्ध किया जा सके। उन्होंने ऐसे मामले भी नहीं बताए हैं कि रुपया पड़ा रहा हो, रुपया खज़ाने में वापस चला गया हो और दूसरे मद में रुपये की कमी रही हो, लेकिन रुपया मिला नहीं, क्योंकि कमीशन खर्च नहीं कर सकता था। और केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने की कमीशन को सुध न रही। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में और भी जो तथ्य हैं उन पर प्रकाश डाला जाए।

एक वाइस-चेयरमैन महोदय नियुक्त किये जा रहे हैं। पिछले पांच सालों में उनकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई, क्यों नहीं की गई, हमें मालूम नहीं है। कौन सी नई आवश्यकता आ खड़ी हुई है कि इस पद का निर्माण करने की जरूरत महसूस हुई है? अगर उन्हें एग्जेक्टिव पावर्ज़ दी जानी हैं तो अभी तक वे एग्जेक्टिव पावर्ज़ किस के अधिकार में थीं, उनका उपयोग कौन करता था? क्या वाइस-चेयरमैन न होने से कोई कठिनाई पैदा हुई है? इस सम्बन्ध में भी इस सदन को अंधेरे में रखा गया है। क्या उनका वेतन होगा, कितना व्यय-भार बढ़ेगा, इस सम्बन्ध में भी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है।

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि इस कमीशन से कहा गया है कि अधिक से अधिक पांच सदस्य हो सकते हैं। एक फाइनेंशल एडवाइज़र भी नियुक्त किए जायेंगे केन्द्रीय सरकार की ओर से जो आर्थिक मामलों में कमीशन को परामर्श देंगे। और अब सुझांव रखा गया है कि दो फाइनेंशल स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई जाएंगी, एक खादी फंड के लिये, एक ग्रामोद्योग फंड के लिये। पांच सदस्यों में से दो कमेटियां बनेंगी। इन कमेटियों का रूप क्या होगा, क्या उन कमेटियों के सदस्य एक ही तरह के सदस्य नहीं होंगे और क्या पूरा पांच का कमीशन बैठ कर आर्थिक मामलों का निर्णय नहीं कर सकता है, ये सब विचारणीय बातें हैं। ये कमेटियां बनाने की कौन सी आवश्यकता थी? वैसे मैं उसका कोई बड़ा विरोधी नहीं हूं। आप कमेटियां बना सकते हैं। अगर उसकी आवश्यकता हो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। या तो हम कमीशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला करें ताकि कमेटियों में अलग अलग सदस्य निर्णय कर सकें नहीं तो अगर खादी की कमेटी में बैठ कर उन्हीं सदस्यों को निर्णय करना है जो

ग्रामोद्योग कमेटी में बैठ कर करेंगे तो उस सूरत में वे सब मिल कर कमिशन के रूप में ही इकट्ठे बैठ कर फैसला कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी कौन सी नितान्त आवश्यकता आ पड़ी है, इसे सदन के सामने स्पष्ट नहीं किया गया है।

मेरा यह निवेदन है कि जो भी संशोधन उपस्थित किये गये हैं, वे अनावश्यक प्रतीत होते हैं। इनके बगैर कमिशन के कार्य मे कोई बहुत बड़ी बाधा उठ खड़ी हुई है, इसका संकेत माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। होना यह चाहिये था कि पांच वर्षों के अनुभव के प्रकाश में खादी और ग्रामोद्योग कमिशन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का विचार करके और ग्रामोद्योग को अधिक बढ़ावा देने के लिये कमिशन के तन्त्र में, कमिशन के रंग ढंग में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहियें, इसका विचार करके व्यापक संशोधन से युक्त एक विधेयक संसद के सामने उपस्थित किया जाता। आज की स्थिति में जो भी संशोधन उपस्थित किये गये है, उनके महत्व को सदन के सामने स्पष्ट नहीं किया गया है। केवल स्वतंत्रता आन्दोलन का उल्लेख करके और उसमें खादी ने जो भाग अदा किया है, उसके सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों की भावना को स्पर्श करके अगर माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं तो मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। भावनाओं को जब स्पर्श किया जाता है तो तर्क एक ओर रह जाता है, आर्थिक तथ्य पिछड़ जाते है और भावनाओं के साथ सदस्य बह सकते हैं, सदन भी बह सकता है।

†**सभापति महोदय** : श्री वाजपेयी ने यह आपत्ति की थी कि ग्राम उद्योग राज्यों की अनुसूची में आते हैं। १९५६ में जब मूल विधेयक पारित किया गया था तो यह आपत्ति की गयी थी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ संसद द्वारा पारित किया गया था तो श्री श्रीनारायण दास ने आपत्ति की थी और औचित्य प्रश्न प्रस्तुत किया था, परन्तु उपाध्यक्ष ने उसे रद्द कर दिया था। अत: माननीय सदस्य के औचित्य प्रश्न मे भी कोई सार नहीं है।

†**श्री अ० च० गुह०** : खादी हमारे स्वतंत्रता के संग्राम की २५ वर्ष तक प्रेरणा और प्रतीक रही है। इस दिशा मे सरकार का नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वह खादी को प्रोत्साहन दे और ग्रामोद्योगों का विकास करे। इनकी प्रगति के लिये कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिये। इस लिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए जो सहायता दी जा रही है उसको हमें अन्यथा नहीं समझना चाहिए। इस मामले में शिकायत करने का कोई नैतिक आधार नहीं है। सामूहिक रूप में आयोग सेवा तथा बलिदान की भावना से ही कार्य कर रहा है। अम्बर चर्खे के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मै यह मानता हूं कि पुन: विचार करने की आवश्यकता है। मेरा इस दिशा में निवेदन है कि यह कार्यक्रम निरन्तर चलाना होगा ताकि मरम्मत का काम भी साथ साथ किया जा सके इस प्रकार करने से अम्बर चर्खा निष्क्रय नहीं होगा

भारत के ८५ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। उनका व्यवसाय केवल मात्र कृषि है। इसी से वे अपना जीवन और जीवन स्तर कायम रख सकते हैं। अत: ग्रामोद्योगों को चालू करने के लिए और उन्हें प्रगति की ओर ले जाने के लिए १५, २० करोड़ खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। इसको केवल आर्थिक दृष्टि से ही देखना ठीक नहीं है। आयोग ने इससे लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था की है। इन उद्योगों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को भी कुछ रोजगार मिल जाता है।

यह काम विभाग को न सौंप कर आयोग को इस लिये सौंपा गया है कि काम में अधिक शीघ्रता

†मूल अंग्रेजी में

हो सके और उसे अधिक अनौपचारिक ढंग से किया जा सके। मैं ने खुद देखा है कि एक गांव में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों के सोने के लिये चारपाइयां तक नहीं थीं। मैं ने केन्द्र के प्रधान कार्यालय में भी बात की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आयोग को अपने काम में कुछ तो लचकशीलता दिखानी चाहिये।

आयोग को ग्रामोद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। कम से कम स्थानीय रूप से सुलभ कच्चे माल का तो उपयोग किया जाना चाहिये। लेकिन आयोग सूची में उल्लिखित १०–१२ ग्रमोद्योगों के अतिरिक्त और किसी उद्योग की ओर ध्यान हीं नहीं देता। अब इस संशोधन विधेयक से एक बड़ा लाभ यह होगा कि आयोग सूची मे घटा-बढ़ी कर सकेगा।

दस्तकारी से संबंधित, खण्ड ८ की व्यवस्था अतिछादी है। मंत्रालय को प्रयास करना चाहिये कि इतने अधिक बोर्ड न रखे जायें। उनमें से कई ऐसे हैं जिनको आपस में मिलाकर एक किया जा सकता है। यह निगम घाटे में चल रहा है। इसको पहले वर्ष मे तीन लाख और दूसरे वर्ष में ढाई लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। रेशम बोर्ड को तो खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम के क्षेत्राधिकार में रखा ही जा सकता है।

गांधी जी मशीनों के विरुद्ध नहीं थे। उनका विरोध था मशीनों के द्वारा होने वाले शोषण से। इसलिये सरकार को इतना कठमुल्लापन नहीं दिखाना चाहिये कि कहीं भी मशीनों का प्रयोग किया ही न जाये। कुछ छोटी छोटी मशीनों प्रयोग करने से दस्तकारों की दक्षता काफी बढ़ सकती है। गांवों के बेरोजगार लोग इसका फायदा उठा सकते हैं।

और, यदि आप मशीनों को बिलकुल हाथ ही नहीं लगाना चाहते, तो फिर बिजली का प्रयोग भी मत कीजिए।

इस संशोधन में स्थायी वित्त समिति की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह गलत है कि समिति के सभी आयोग के होंगे। मूल अधिनियम में सभापति के कृत्यों का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक त्रुटि है। और फिर इतने अधिक निकाय बनाने से कोई लाभ नहीं है, जब तक कि उनके कृत्यों की एक स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जाती।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज): मुझे श्री बाजपेयी का भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका निर्वाचन क्षेत्र बलरामपुर है और वह गौंडा जिले की दशा भली भांति जानते हैं। मैं जानता हूं कि वहां बाढ़ों और सूखे के दिनों में केवल खादी ही जनता की जीविका का आधार होती है। फिर वह इस विधेयक का विरोध क्यों करते हैं।

खादी उद्योग जनता की देशभक्ति की भावना की उपज है। इसे प्रोत्साहन दे कर अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बनाना चाहिये।

मैं यह नहीं मानता कि खादी और ग्रामोद्योग बेरोजगारी की समस्या हल कर सकते हैं। तृतीय योजना में अन्त तक हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ हो जायेगी। हां, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग के जरिये कुछ बेरोजगारों को तो काम दिया जा सकेगा। इसी लिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी मे

साथ ही, खादी और ग्रामोद्योग के विक्रय-विभागों के कार्यकर्त्ताओं की दशा सुधारने की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। उनके वेतन क्रमों, काम के घण्टों और छुट्टियों, इत्यादि के नियमों में सुधार किया जाना चाहिये।

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरे माननीय मित्र, श्री गुहा, ने जो कुछ कहा है, मैं उससे बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं। मिनिस्टर साहब ने शुरू में बता दिया कि इस कमीशन ने गरीब लोगों को–– खास तौर पर उन लोगों को, जिनके यहां दस्तकारी नहीं पहुंच सकती––क्या फायदा पहुंचाया है। लेकिन इस मौके पर मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि खादी और चर्खे की जो स्कीम शुरू में चली थी, वह एम्पलायमेंट देने के लिये ही नहीं चली थी। स्थिति यह है कि १९२०–२१ में हमने ग्राम लोगों को यह समझाया था कि साठ सत्तर करोड़ रुपये का कपड़ा हम विलायत से मंगाते हैं––गवर्नमेंट की इनायत से, और मैं तो इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री को क्रेडिट दूंगा कि उसकी इनायत से, जहां १९२०–२१ में ६० करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर से यहां आता था, वहां उससे कहीं ज्यादा रुपये का कपड़ा हमारे यहां से बाहर जाता है। चूंकि उस समय हिन्दुस्तान का एक्सप्लायटेशन होता था। इसी लिये हमने उस वक्त चर्खे का प्रचार किया था और विलायती कपड़े का बायकाट किया था। गांधी जी का कहना था कि लोग अपने स्पेयर टाइम में अपने घर में चर्खा चलायें और अपने इस्तेमाल के लिये कपड़ा तैयार करें। वह खद्दर भंडार के ज्यादा माफिक नहीं थे। गांधी जी की विचारधारा खद्दर की दुकानें खोलने की नहीं थी। वह तो चाहते थे कि बड़े से बड़ा आदमी भी अपने घर में चर्खा काते और कपड़ा तैयार करके पहने, ताकि हर घर में सैल्फ-सफिशेंसी हो जाये। उनका मन्शा अंग्रेजों के द्वारा किये जा रहे हिन्दुस्तान के एक्सप्लायटेशन को रोकना था। लुई फिशर ने जब उन से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि "मैं मशीन के विरूद्ध नहीं हूं। मैं बिजली से चर्खा चलाये जाने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं इस शर्त पर उसको मान सकता हूं कि बिजली हर गरीब आदमी को एवेलेबल हो जाये"। मशीनी कपड़े की उसी वक्त तक मुखालफत थी, जब तक कि 'एक्सप्लायटेशन' का चांस था, इस बात का डर था कि कुछ आदमी फायदा उठायेंगे और बाकी 'एक्सप्लायट' होंगे। इसलिये वह कहते थे कि इसको आम तौर से घरेलू इंडस्ट्री के तौर पर चलाया जाये।

इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा एपरोच इस बारे में 'डाग्मैटिक' नहीं, बल्कि 'प्रैग्मैटिक" (व्यावहारिक) होना चाहिये। मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, मैं उससे तसल्ली रखता हूं। लेकिन मिनिस्टर साहब जिस आबो-हवा से आये हैं, जिस आबो-हवा में शुरू से पले हैं, वह अभी तक ऐसी गांधियन आबो-हवा रही है कि मुझे जरा मुश्किल नजर आता है कि उनकी तरफ का रहने वाला आदमी उस आबो-हवा से जरा भी हट जाये। मेरा कहना यह है कि वह खुद इंडस्ट्रीज के इंचार्ज हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देश में खोल रहे हैं। वह महसूस कर सकते हैं कि चार छः आने रोज पर गांव वालों की तसल्ली करा देना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि गांव वालों की चर्खे से तसल्ली नहीं होगी।

जहां तक इस कमीशन का ताल्लुक है, उसने काफी काम किया है और मेरे दिल में उसके लिये कोई नुक्ता-चीनी नहीं है। न ही म इस बिल की मुखालफत करना चाहता हूं। लेकिन मैं गवर्नमेंट की पालिसी पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं।

आपकी घानी की ही एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें एक आदमी तीन चार रुपया रोज कमा सकता है। जहां जहां घानी का काम चलता है वहां वहां उन लोगों ने सैल्फ-सफिशेंसी पैदा कर ली है और जो मिलें हैं आयल की उनके साथ भी वे अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन खद्दर की हालत यह नहीं है। हमारे रास्ते में मुश्किल की बात यह है कि हम हिन्दुस्तान की मिलों में बने

हुये कपड़े का बाईकाट नहीं कर सकते हैं और ना ही कह सकते हैं कि मिलों का बना हुआ कपड़ा न पहना जाये। हमने खुद मिलों को बढ़ावा दिया है, परमिट उनको दिये हैं, लाइसेंस दिये हैं, उनको मशीनरी इम्पोर्ट करने की इजाजत दी है। हम खादी के नाम पर यह नहीं कह सकते हैं कि मिलों का कपड़ा न पहना जाये। हम सिर्फ "आइडियोलाजी" के बेसिस पर कह सकते हैं कि गरीब आदमियों के सहारे के लिये आमतौर से खद्दर पहना जाये। और यह सही पालिसी भी है अगर हम यह कहते हैं कि इससे गरीबों को लाभ पहुंचता है तो यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर एतराज किया जाये या मिल के कपड़े से नफरत की जाये। ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कमिशन है इस कमिशन के सारे आउटलुक को आज बदलने की जरूरत है। विल्लेज को आप ऐसी इंडस्ट्री दें जिसमें काम करके वहां के लोगों की आमदनी कम से कम दो रुपया या तीन रुपया रोज हो सके। आज आपके शहरों में मामूली लूला लंगड़ा आदमी भी दो तीन रुपया रोज कमा लेता है। ऐसी हालत में क्या हमें यह चीज शोभा देती है कि गांव वालों को चार आने और छः आने पर ही ही तसल्ली दे दें। इससे हमें कभी भी तसल्ली नहीं हो सकती है। आज गांवों के अन्दर कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। मैं शाह साहब से कहना चाहता हूं कि शहर वालों को सौ सौ रुपया माहवार आमदनी हो जाये और गांव वालों को सिर्फ ३०–३५ रुपये ही हो और उनको कहा जाये कि तुम इस पर ही तसल्ली कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिये अगर आपका चर्खा वहां जाना है या और कोई इंडस्ट्री वहां जानी है तो उसको आप शौक से ले जायें लेकिन उसके साथ साथ बिजली से चलने वाले इंडस्ट्रीज भी ले जायें, छोटी छोटी मशीनें भी ले जायें, बड़ी बड़ी मशीनें भी ले जायें, वड़ी बड़ी मिलें भी ले जायें ताकि उनके जरिये से गांव वालों को भी कुछ न कुछ काम मिल सकें। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं वे रहनी चाहियें लेकिन बजाय इसके कि तमाम इंडस्ट्रीज़ को शहरों में 'कंसैंट्रेट' किया जाये, उनको गांवों में भी फैलाया जाना चाहिये ताकि वहां जो सरपलस लेबर पड़ी है और जिसके पास करने के लिये कोई काम नहीं है, उसको काम मिल सके। जो आपकी पालिसी है, वह बदलनी चाहिये।

इस कमिशन ने एक नई स्कीम निकाली है जिसका नाम है "नया मोड़"। इस नई स्कीम के बारे में पैमफलेट हमें बांटे गये हैं। स्कीम अच्छी है, गांधी जी की आइडयोलोजी के मुताबिक है। इस स्कीम का मकसद यह है कि एक एरिया में, एक हिस्से में सैल्फ-सफिशेंसी कम्पलीट हो जाये, यानी जो जुलाहा वहां कपड़ा बनाता है वह ज्यादा तर वहीं खप जाये। मैं समझता हूं कि यह जो "नया मोड़" की स्कीम है यह उनको तबाह कर रही है। इसकी वजह यह है कि जो वहां चीज पैदा होती है उसके दाम वहीं अच्छे नहीं मिल सकते हैं। हमें इजाजत होनी चाहिये कि शहर में अगर उस चीज के दाम अच्छे मिल सकते हैं तो वहां जाकर उसको बेच दें। अगर आप पाबन्दी लगा देंगे कि तुम्हारी मार्किट भी गांव वाली हो गई है तो उसके वहां पैसे अच्छे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वहां पर परचेजिंग पावर नहीं है। इस तरह से उनकी आमदनी खराब हो जायेगी। इस वास्ते यह मामला बहस तलब है कि यह जो नई स्कीम है यह वाकई में चालू करने लायक है या नहीं। मान लीजिये कि मैं वहां तेल बनाता हूं और उसको मैं पास में शहर जाकर नहीं बेच सकूंगा तो मुझे वहां उसके दाम कम मिलेंगे और यह मेरे लिये नुकसानदेह चीज होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह "नया मोड़" की जो स्कीम है यह किस किस्म की है, क्या इस पर भी आपने विचार किया है? सैल्फ सफिशेंसी जितनी हो सकती है, उतनी हो जाये, यह तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप मजबूर करते हैं किसी आदमी को कि तुमको वहीं अपनी बनाई हुई चीज को बेचना पड़ेगा और वहीं पर इसकी खपत होगी, तो उसका वह काम पनप नहीं सकेगा। वह तभी पनप सकता है जब उसको बेचने के लिये मार्किट खुली हुई हो। अगर वहीं पर उसको बेचना हो तो चाहे बड़ी दस्तकारी

हो या छोटी, चल नहीं सकती है। उस चीज को मार्किट करने की उसको पूरी छट होनी चाहिये। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस नई स्कीम पर फिर से विचार किया जाये। और पार्लियामेंट के कुछ मैम्बरों की इस बारे में सलाह ले ली जाये और सलाह लेने के बाद ही उसको अमल में लाया जाये, उसको इम्प्लेमेंट किया जाये। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर करने की कृपा करेंगे।

आपने मुल्क की इंडस्ट्रीज को जिस तरह से तरक्की दी है, वह चीज एक यादगार बन गई है और उस पर सभी को गर्व है। जहां आपने इनको इतना बढ़ावा दिया है, वहां जब मैं गांवों की ओर, देहातों की ओर देखता हूं तो मुझे शर्म आती है कि वह चीज देहातों में नहीं हो सकी है। देहातों में तो अकेली यही चीज है। उनको इसमें जो थोड़ा बहुत मिलता है उसकी मुखालिफत करना तो मुश्किल चीज है और यह अनपैट्रियोटिक भी होगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपकी एप्रोच प्रेगमैटिक एप्रोच होनी चाहिये।

आपके जो कार्यकर्त्ता हैं उनमें भी आप जरा नया मोड़ वाली बात लायें। आपके जो आर्गेनाइजर हैं वे तमाम दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता वगैरह बड़े शहरों से आते हैं, वहीं से लिये जाते हैं। शहरों के अलावा भी वे लिये जाने चाहियें। और इस मामले में लोकल सैल्फ सफिशेंसी हमें अचीव करनी चाहिये। गांवों में रहने वालों को ज्यादातर नौकरियां मिलनी चाहियें, आर्गेनाइज करने का काम भी उनके सुपुर्द होना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में माननीय मंत्री जी जरूर गौर करेंगे।

यह जो खादी इवैल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट है, इसके सफा ६७ पर पैरा १३१ में लिखा हुआ है कि ४० प्रतिशत अम्बर चर्खे बिलकुल बेकार पड़े हैं और ६० प्रतिशत दिन में तीन घंटे से अधिक नहीं चलते।

अम्बर चर्खे पर प्रति दिन चार घंटे काम करके ११० प्रभावी काम के दिनों का ही काम हो सकता है। इस प्रकार यदि ८ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से गणना की जाये तो एक अम्बर चर्खे से वर्ष भर में कुल ५५ जन-दिनों का काम निकलता है। इससे वर्ष में केवल ५३ रुपये मिल सकते हैं।

यदि वर्ष भर में केवल ५३ रुपये मिलते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकता। होना यह चाहिये कि व्यक्ति अम्बर चर्खे से होने वाली आय से अपनी जीविका चला सके। मेरा कहना यह है कि जितनी घरेलू दस्तकारियां आपने वहां चलाई हैं, वे सब ऐसी होनी चाहियें कि अगर वे उनमें पूरा समय लगा दें, आठ घंटे लगा दें तो उनको दो चार रुपये रोज की आमदनी हो सके। आठ घंटे लगाने पर भी पूरी आमदनी उनको नहीं हो सकती है। जो अम्बर चर्खे बांटे गये हैं उनमें से ४० परसेंट खाली पड़े हैं। इस तरह की बातें जरा तकलीफ देने वाली होती हैं क्योंकि काफी रुपया हम खर्च कर रहे हैं।

अभी हम खादी इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उसको पब्लिक एक्सचैक्कर के जरिये फीड कर रहे हैं। इस बात को मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से समझ लिया जाए। ४० परसेंट अम्बर चर्खे आइडल पड़े हुए हैं। इसके अलवा खद्दर के अन्दर हमने सन् १९५७ से १९६० तक १४ करोड़ रुपया रिबेट के तौर पर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी खादी तैयार हुई और जिसको हम ने शहरों में बेचा, उसमें पहनने वालों को हमने १४ करोड़ का रिबेट दिया यह रुपया टैक्स की शक्ल में वसूल किया गया था जो हमने खर्च किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो खादी की कीमत

थी उससे उसको चौदह करोड़ कम में हमने बेचा । इसका क्या मतलब हुआ कि खादी पहनने वालों को आप रुपये में छ: आना और पांच आना रिबेट दें। यह कब तक चलेगा ? पार्लियामेंट के अन्दर हम इकोनोमी की बात करते हैं। यही नहीं बल्कि हमारा देश मकरूज हो गया है। देश पर कर्जे का बहुत भार चढ़ गया है । उस कर्जे का सूद ही इतना है कि जो हमारा रेवेन्यू है, वह उसको अदा नहीं कर सकता है । हमारी नेशन मकरूज हो गई है । फ्यूचर प्रासपेरिटी के लिए हमने इसको मार्टगेज किया है । इसका मतलब यह है कि जब हमारी इकानोमी बढ़ेगी तो उसके जरिये से हम कर्जा भी उतार सकेंगे और आइंदा के लिए खुशहाल भी हो सकेंगे । इसी उम्मीद पर कोई भी कर्जा लिया जाता है । बिला वजह कोई नेशन ऐसा नहीं करती है । इस वास्ते यह जरूरी है कि जो रुपया है वह ऐसे काम में लगाया जाये जो काम की जल्दी से जल्दी आमदनी दे सके ताकि हम कर्जे को अदा भी कर सकें और चीजों का एसक्पोर्ट भी कर सकें और साथ ही साथ हमारी हालत भी अच्छी हो सके । इस इंडस्ट्री के अन्दर हम कर्जे के रुपये को ही करीब करीब एक तरह से बांटते हैं, सबसिडी के तौर पर और तब कहीं जा कर यह इंडस्ट्री चलती है । आप खयाल करें कि इस बीच में १४ करोड़ रुपया हमने सबसिडी के तौर पर दे दिया . . .

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : बेरोजगारी को खत्म करने में भी मदद की ।

श्री त्यागी : अगर बेरोजगारी को खत्म करने की ही बात है तो यह जो फायदा पहुंचाया गया है, शहर वालों को ही क्यों पहुंचाया गया है । यह जो १४ करोड़ रुपया दिया गया है यह खादी पहनने वालों को ही दिया गया है . . .

†श्री अ० चं० गुह : स्पिनर्ज को भी लाभ पहुंचा है ।

श्री त्यागी : उनको तो लाभ तब पहुंचता अगर उनको ज्यादा कीमत अदा की जाती और कपड़ा महंगा बेचा जाता, उसकी कीमतें बढ़ाई जातीं । उनको तब फायदा पहुंचता अगर उन्होंने जितना काम किया उससे ज्यादा उनको रुपया दिया जाता और बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा जाता । लेकिन उसको बढ़ी हुई कीमत पर हमने बेचा नहीं । बल्कि दूसरे आदमी को सस्ती बेच दिया। उसके बाद ६ करोड़ रुपया ट्रेनिंग के ऊपर खर्च हुआ। डेवलेपमेंट स्कीम पर १ करोड़ २२ लाख रुपया खर्च हुआ लेकिन इस ४६-४७ करोड़ के हिसाब में नेट इनवेस्टमेंट ५ करोड़ रुपये का है । इस इंडस्ट्री की खूबी यह है कि इसमें एक रैडिकल सी बात है । इस में साढ़े ५ करोड़ का टोटल इनवेस्टमेंट हुआ और ४० करोड़ इंडस्ट्री के आउट टर्न का मिला कर खर्चा हुआ । इस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए चाहे उसमें कितना भी सेंटीमेंट एटैच्ड हो और गांधी जी का नाम एटच्ड हो । जब हम मकरूज नेशन हैं तो ऐसी हालत में हम इस इंडस्ट्री को कब तक चलायेंगे । खादी कमिशन को एक मेनडेट यह मिलना चाहिये कि कुछ अर्से के बाद उनकी यूनिट सल्फ सिफशिंट हो जानी चाहि ताकि फिर वगैर रिबेट के वह चल सके। अगर खद्दर इस हिसाब से बेचा गया और उसमें करोड़ों रुपये का रिबेट बांटा गया तो मेरा खयाल है कि यह इंडस्ट्री चल नहीं सकेगी और यह नुकसान का काम होगा यह सैल्फ सफिशिंट नहीं है और इसमें तबाही आ जायेगी । मेरा कहना यह है कि इस इंडस्ट्री को हमको ज्यादा अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए । चर्खे को, खद्दर के काम को और जो इंडस्ट्री है-उसको भी ऐसे तरीके से चलना चाहिए जो रुपया लग रहा है

†मूल अंग्रेजी में

उसमें से अगर कुछ बचे नहीं तो कम से कम उसमें सैल्फ सफिशिएंसी तो इतनी आ जाये ताकि यह कमिशन जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस बात पर में खास तौर से जोर देना चाहता हूं ।

वैसे जहां तक बिल का ताल्लुक है उसमें जितने क्लाजेज हैं वह कमिशन के काम को आसान करने में मदद करते हैं इसलिए मैं उन तमाम क्लाजेज को सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस पालिसी के मामले पर बहस हो कि आया हम खद्दर को उसी पुराने तरीके से कंजरवेटिव और ऑर्थाडिक्स ढंग से देखेंगे या आजलकल के नये हालात की रोशनी में देखेंगे । जब एक तरफ बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तब यह कहां तक मुनासिब होगा कि हम इस खद्दर की इंडस्ट्री को उसी पुराने ढंग से चलायें ? इस इंडस्ट्री को अजाकल के नये हालात की रोशनी में ऐसा बनाया जाये ताकि गांव गौरव के साथ इस इंडस्ट्री को अपना सकें।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति महोदय, यह जो खादी ग्रामोद्योग संशोधन बिल सदन में प्रस्तुत हुआ है उसके अनुमोदन के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

क्लाज ८ में बताया गया है कि हैंडीक्राफ्टस की चीजें भी अब इम्पोरियम में रक्खी जायेंगी । यह ठीक बात की जा रही है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से इसकी व्याख्या थोड़ी मानूंगी कि हैंडीक्राफ्ट में कपड़े की भी चीजें हैं, रुमाल वगैरह हैं और दस्तकारी की भी कई चीजें हैं और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इसकी व्याख्या करें कि ऐसा न हो कि खादी कमिशन को बाद में कुछ दिक्कत आये क्योंकि लकड़ी, तांबा, कांसा, पीतल और अन्य बहुत सी ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें हैं जोकि इम्पोरियम में रखते थे । उसमें कुछ आडिट वालों की दिक्कत थी। अब यह जो संशोधन लाये हैं उसके द्वारा मुझे आशा है कि खादी कमिशन को बहुत आसानी हो जायेगी और वह चीजें वहां रह सकेंगी।

क्लाज ९ में यह कहा गया है कि कमिशन खादी या विलेज इंडस्ट्रीज के विकास के लिये गवर्नमेंट या किसी भी व्यक्ति से गिफ्ट्स, डोनेशंस या ग्रांट्स ले सकता है । ऐसी व्याख्या करने से बहुत फायदा होगा और ऐसा में अपने जाती अनुभव के आधार पर कहती हूं क्योंकि शुरू से मैं ने एक छोटी सी संस्था चलाई है और उसमें काफी काम किया है । मुझे उसमें काम करने और उसको चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं सारी दिक्कतें इस काम की जानती हूं। जनता कुछ दान देना चाहती है या गवर्नमेंट कोई ग्रांट देनी चाहती है तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं और इसलिए यह जो संशोधन आपने किया है यह स्वागत योग्य है और उसके द्वारा आपने कमिशन को बहुत आसानी दी है और उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। और आपका धन्यवाद करती हूं ।

तीसरा संशोधन खादी फंड के बारे में है । इसके बारे में हमारे श्री वाजपेयी ने कहा कि यह खादी और ग्रामोद्योग के फंड क्यों मिला दिये गये । अब पहले इनके एक न होने से और अलहदा अलहदा होने से बहुत सी दिक्कतें आती थीं और मैं श्री वाजपेयी से यह कहूंगी कि अगर वह इस काम में होते तो जो हमारी कठिनाइयां हैं उनको वह समझ सकते थे । हमारे १२ ग्रामोद्योग इंडस्ट्रीज हैं जैसे पिछड़े हुए इलाके में जा कर ग्रामोद्योग शुरू करना, कहीं तेल घानी का काम और कहीं धान की कुटाई और कहीं साबुन बनाने का धंधा तो कहीं पर चमड़े का काम शुरू करना होता है और मैं जानती हूं कि उनके रास्ते में कितनी दिक्कतें आती हैं। अपने देश की घरेलू दस्तकारियों की चीजों की और यहां के लोग आंख उठा कर देखना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उस जमाने में जबकि हमारे देश के अन्दर बाहर से

चीजें आती थीं तो लोग उन विदेशी चीजों को ही पसन्द करते थे और वह अपने देश की बनी हुई चीजें खरीदना पसन्द नहीं करते थे । यह खुशकिस्मती की बात है कि हमारी सरकार का ध्यान घरेलू दस्तकारियों को प्रोत्साहन देने की ओर गया है । लेकिन अभी भी उनके रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं । लोगों को घरेलू दस्तकारियों में काम करने के लिये तैयार करना होता है क्योंकि लोग तैयार नहीं होते हैं। इसके अलावा जो घरेलू चीजें बनें उनकी बिक्री की भी व्यवस्था होनी चाहिये और लोगों को अपने देश की घरेलू दस्तकारियों द्वारा बनी हुई चीजें ही खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है ।

इसमें सब से बड़ी दिक्कत यह थी कि जो हमारे ग्रामोद्योग की चीजें हैं उन में अगर कुछ फंड बच जाता था और खादी में ज्यादा खर्चा हो जाता था और खादी में पैसे की कमी पड़ जाती थी तो जरूरी रुपया एक्सेस फंड से भी कमी वाले फंड में ट्रांसफर नहीं हो पाता था लेकिन अब क्लाज १० के द्वारा यह दिक्कत हटा दी गई है । पहले इसके लिए सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती थी । कमिशन खुद इसको नहीं कर सकता था और जब सरकारी दफ्तरों में कागज जाते थे तो उसके फैसला होने में बहुत समय लग जाया करता था। इसलिए यह संशोधन स्वागत योग्य है । हम चाहते हैं कि इस काम में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और एक फंड दूसरे फंड में शामिल कर लिया जाये

हमें जो आपने इतनी आसानियां दी हैं उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । श्री त्यागी जी ने जो खादी के नये मोड़ के लिये कहा उसे मैं ने ध्यान से सुना । अब मैं यह तो दावा कदापि नहीं कर सकती कि मैं इसकी बात उनसे ज्यादा जानती हूं लेकिन १५ साल से ज्यादा समय मुझे भी इस लाइन में आये हुए हो गया है और मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि उन्होंने खादी में छूट का जो इतना विरोध किया वह क्यों किया? अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में इतनी खादी का उत्पादन हो रहा है और हम चाहते हैं कि सरकारी योजना के साथ हर एक विकास खंड मिल कर यह काम करें और खादी के वितरण और बिक्री की समुचित व्यवस्था हो । अब सवाल तो यह है कि जितनी खादी हम गांव में उत्पन्न करते हैं तो उसकी खपत गांवों में तो होती नहीं है क्योंकि गांव वाले उसको पसन्द नहीं करते हैं और वह शहरों में ला कर हमको बेचनी पड़ती है । उन्होंने खादी की बिक्री में छूट दिये जाने का विरोध किया। लेकिन अब किया क्या जाये ? अगर खादी में छूट न दी जाये तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं। वैसे तीन आने की छूट देने से कोई खास फायदा नहीं है लेकिन लोगों का दिमाग कुछ इस तरह का है कि जिस चीज में उनको छूट मिलती होगी उस चीज को वे खरीद लेते हैं। दरअसल तीन आने की छूट कोई खास चीज नहीं है । एक गज खादी बनाने में मैं समझती हूं कि क़रीब १३ आने खर्च हो जाते हैं जोकि किसान से ले कर रंगाई जाने वाले, कताई बुनाई वाले और धोबी इन सब की जेब में आता है । यह पैसा किसी बड़े धनवान की जेब में नहीं जाता है । उसमें जो दफ्तर बनाने के लिए खर्च होता है वह तीन आने रिबेट दे कर गवर्नमेंट उसको पूरा करती है । तीसरी योजना में कहा गया है कि खादी पर यह छूट कम कर दी जायेगी और मैं समझती हूं कि इससे दिक्कत पैदा होने वाली है । वैसे यह हम सब की दिली ख्वाहिश है कि खादी स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो और जो उसके अपने गुण हैं उनके बल पर वह स्वयं बिना सहारे के खड़ी हो सके। लेकिन उसकी बिक्री के वास्ते हमें उचित व्यवस्था करनी होगी । हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा कोई ऐसा बिल लाया जाये कि जिससे खादी को प्रोत्साहन मिले । मैं तो चाहती हूं कि सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के वहां पर भी यह खादी आवश्यकतानुसार अपनाई जाये।

हमारे माननीय मंत्री ने २ अक्तूबर को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा था कि सरकारी काम के लिए ६६५०६ लाख रुपये की खादी सन् १९५९-६० में मंत्रालयों ने खरीदी थी। अभी मैंने सन् ६०-६१ के कुछ आंकड़े देखे हैं उस से पता चलता है कि सब से ज्यादा खादी रेलवे मंत्रालय ने खरीदी है। डाक-तार विभाग ने भी काफ़ी खादी खरीदी है।

श्री त्यागी : क्या उन को भी रिबेट दिया गया ?

श्रीमती कृष्णा मेहता : रिबेट सब को मिलता है। यहां पर सरकार की एक जेब से पैसा निकल कर दूसरी जेब में चला गया। इसी लिये मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य इस में सहायता करें कि सरकार का हर एक मंत्रालय और विभाग खादी की खरीद करें। इस के साथ ही साथ खादी कमीशन से भी मेरी प्रार्थना है कि वह खादी के स्टैंडर्ड को ऐसा बनाये कि यूनि-फ़ार्म्ज़ के उपयुक्त कपड़ा तैयार हो। ऐसी खादी नहीं होनी चाहिए कि ढीली ढाली वर्दियां बनें, जो जल्दी फट जायें।

साथ ही मैं आपका ध्यान इस तरफ़ भी दिलाना चाहती हूं कि कमीशन के उत्तरी क्षेत्र में, जिस में काश्मीर भी है, वूलन खादी का बहुत उत्पादन हो रहा है। जहां तक पहाड़ी इलाकों का सम्बन्ध है, मैं शुरू से ही सोचती थी कि गांव वालों के लिये क्या काम शुरू किया जाये। बहुत विचार करने के बाद मुझे खादी का रास्ता नज़र आया। गत वर्ष मैं बड़ी दूर पहाड़ी इलाकों में गई, जहां किसानों के घरों में खड्डियां थीं, लेकिन ऊन नहीं थी। जब ऊन होती है, तो बाहर के व्यापारी उस को ले जाते थे। मैं ने इस सम्बन्ध में काम शुरू किया और मुझे खुशी है कि हज़ारों रुपये की खादी वहां बनी और गरीबों को काम मिला। मेरी प्रार्थना है कि उत्तरी क्षेत्र में जो वूलन खादी बन रही है, इसलिय सरकारी विभागों को उस की वर्दियां बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए और इस प्रकार उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस हाउस के माननीय सदस्य खादी को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। अब वह समय नहीं है कि जब यह समझा जाता था कि खादी किसी संस्था का काम है। अब तो देश की आर्थिक दशा का सुधार करने के लिये और गांवों का विकास करने के लिये खादी को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

त्यागी जी ने कहा कि गांवों के लोगों के लिये आठ दस आने रोज़ काफ़ी नहीं हैं और उस से उन लोगों की तसल्ली नहीं होगी। मैं इस बात को मानती हूं और मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन मैं उन से कहती हूं कि वह कोई ऐसा तरीका बतायें कि गांव वाला आठ दस आने के बजाय दो रुपये रोज़ कमाये। मेरा ख्याल है कि सरकार उन के सुझाव को मानने के लिये तैयार होगी।

श्री त्यागी : होज़री की छोटी मशीनें वहां लगवा दी जायें।

श्रीमती कृष्णा मेहता : सवाल यह है कि उन का प्रोडक्शन कहां जायगा। गांवों के लोग जो चर्खे के सिवा कोई बात नहीं समझते। वहां अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकेगी और जब इतना प्रोडक्शन होगा, तो हम उस को बाहर नहीं भेज सकेंगे। जब शहरों की बनी हुई चीज़ें बाहर नहीं जाती हैं और वापस करदी जाती हैं—अभी आगरा के जूते वापस कर दिये गये — तो गांवों के मौज़े आदि कैसे भेजे जा सकेंगे ?

अब अम्बर चर्खे में काफ़ी सुधार हुआ है और छः तकले वाला चर्खा बना है। मुझे उम्मीद है कि उस से गांव वाला दो तीन रुपये रोज़ कमा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह उस पर यह रोक अवश्य होनी चाहिये कि वह शहरों में न आये, वर्ना शहर वाले दो तीन रूपये के लिये उस को हड़प जायेंगे और गांवों वालों को कुछ नहीं मिलेगा।

मैं मे इस बारे में बहुत कुछ कहना था, लेकिन चूंकि समय कम है इस लिये मैं समाप्त करती हूं। आप ने जो समय दिया है, उस के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

†श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया, श्री बाजपेयी तक ने, जिन्होंने प्राविधिक और वैधानिक आधार पर आपत्ति प्रकट की है।

मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि खादी आयोग पूरी तौर से भावना पर ही निर्भय नहीं करता हालांकि भावना ही हमारे नित्य-प्रति के जीवन में सार पैदा करती है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। परन्तु हमारा विश्वास है कि इस देश की गरीबी का इलाज शुद्ध भावनात्मक नहीं, आर्थिक ही हो सकता है। और, आर्थिक भी ऐसा ठोस कि जो तथ्यों और यथार्थ पर आधारित हो। भारत सरकार और खादी आयोग ने, और राज्य खादी बोर्डों के सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है कि खादी और ग्रामोद्योगों का यंत्रीकरण किया जाना चाहिये।

परन्तु यंत्रीकरण का सबसे बुनियादी प्रश्न यह है कि हमने गांवों का कितना विद्युतीकरण अभी तक किया है। उसके बिना तो यंत्रीकरण नहीं होगा। अभी तक दो पंचवर्षीय योजनाओं में केवल २३,००० गांवों तक बिजली पहुंचाई गयी है। गांवों की कुल संख्या ५ १/२ या ५ लाख है। तृतीय योजना के अन्त तक भी ४०,००० से ४२,००० गांवों में ही बिजली पहुंच पायेगी। फिर भी जैसा श्री गुह जी ने कहा, हमें गांवों में बसने वाली, देश की ८०—८५ प्रतिशत गरीब जनता के लिये जीविका तो जुटानी पड़ेगी। और इसी आर्थिक उद्देश्य को सामने रख कर हम इन छ: बोर्डों के काम में सह-कार्य और समस्वरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल्यांकन समिति ने बिलकुल ठीक कहा था कि बहुत से अम्बर चर्खे बेकार पड़े हैं। इसलिये कि प्रारम्भिक अवस्था में एक बड़े पैमाने पर उनका बंटवारा हो गया था। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अब उनको वापस लिया जा रहा है और सक्रिय कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है।

छूटों और अनुदानों के सम्बन्ध में शिब्बनलाल जी ने समुचित उत्तर दे ही दिया है। यदि औद्योगीकरण का इतिहास देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत ही नहीं, संसार भर में हमेशा से सहजोर उद्योगों के मुकाबले कमजोर उद्योगों को संरक्षण मिलता रहा है। हमारे देश में भी हर उद्योग को कभी न कभी संरक्षण दिया ही गया है। प्रशुल्क बोर्ड का यही काम रहा है। अब वह प्रशुल्क आयोग बन गया है। औद्योगीकरण का इतिहास प्रशुल्क संरक्षणों का इतिहास रहा है।

इस लिये में चाहता हूं कि सभा इस खादी तथा ग्रामोद्योग को भी अपना आशीर्वाद दे। कमजोर उद्योगों के प्रति हम सभी का एक दायित्व होता है उसे निभाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिये मुझे इसके लिये "अनुसहाय्य" या "अनुदान" शब्द का प्रयोग अनुचित लगता है। चार पांच शताब्दियों से जो जन-उद्योग विकास नहीं कर पाये हैं, उनका विकास करना हमारा कर्त्तव्य ही है। हमारे जीवन काल में ही अभी कई पंचवर्षीय योजनायें आयेंगीं। सामाजिक विकास की यही प्रक्रिया है कि एक तरह के यंत्रों का स्थान दूसरी तरह के यंत्र लेते जाते हैं। उत्पादन के साधन इसी प्रक्रिया द्वारा सुदृढ़ बनते जाते हैं। पुरानी कम विकसित तकनीक का स्थान नई उन्नत तकनीक लेती जाती है। परन्तु यह सब एक दिन में तो नहीं होता। पुराने, कम विकसित यंत्रों को फेंक तो नहीं दिया जाता।

और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता से कोई संबंध नहीं। मैंने देश भर में घूम घूम कर देखा है। खादी और ग्रामोद्योग बिहार के लिये भी उतना ही प्रिय है, जितना कि गुजरात के लिये। वह केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, सभी राज्यों में समान रूप से लोकप्रिय है।

मैं अभी पिंजौर गया था अखिल भारतीय हथ-कुटाई कर्मचारी सम्मेलन में भाग लेने। इस सम्मेलन में एक कार्यकर्त्ता ने बड़े ही द्रावक ढंग से उनकी दशा का चित्रण किया था। गांवों

---

†मूल अंग्रेजी में

में और कोई ऐसा उद्योग है ही नहीं जो अनाथ, अपंग और विधवा स्त्रियों को जीविका का साधन जुटा सके। और जापान में तो मशीन द्वारा धान कूटने पर बिलकुल प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, क्योंकि हाथ से कूटे हुए चावल में ३–४ प्रतिशत अधिक पोषक तत्व रहते हैं।

†श्री मू० चं० जैन (कैथल) : भारत में ऐसा प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता ?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसी चीजों में समय लगता है। उनके लिये पहले उचित मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ता है। ऐसी चीजें थोपी नहीं जातीं। आशा है कि हम भी अपने देश में लोगों को समझा-बुझा सकेंगे ।

सभा ने तो सदा ही ग्रामोद्योगों को अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। परन्तु देश में कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं, जो समझते हैं कि हम केवल भावुकतावश ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि गांधी जी की विचारधारा को मानने के कारण ही हम कठमुल्लेपन से इन ग्रामोद्योगों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। वे इसमें कोई आर्थिक औचित्य नहीं देखते। परन्तु यह सिर से पैर तक ग़लत है ।

हम शुद्ध आर्थिक कारणों से ही ग्रामोद्योग को विकसित करना चाहते हैं और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं। हम खादी केन्द्रों और ग्रामोद्योग केन्द्रों की संख्या और उनकी उत्पादकता इसी दृष्टि से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

हम ग्रामोद्योगों के औजारों के अधुनिकीकरण और यंत्रीकरण के लिये एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीणों को उन्नत किस्म के औजार दिये जा सकें, जिनसे वे दो-तीन रुपये रोज तक कमा सकें। उस प्रतिष्ठान की शाखायें देश भर में फली होंगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि संसद् द्वारा स्वीकृत राशि के एक रुपये का भी दुरुपयोग नहीं होता।

कुछ माननीय सदस्यों की धारणा है कि पांच वर्ष में १४ करोड़ रुपये की छूट दी गई है। यह सही नहीं है। पांच वर्ष में ७ करोड़ रुपये की छूट दी गई है। और अम्बर चर्खे के खरीदारों को रियायत दी गई है, वह खादी विक्रय के संबंध में कोई अनुसहाय्य या अनुदान नहीं है। हम सभी ग्रामोद्योगों में, कई नये-नये किस्म के कौशल शुरू करना चाहते हैं। मैं श्रीमती कृष्णा मेहता को आश्वस्त करता हूं कि हम उनमें मिलों का तैयार किया हुआ कपड़ा या मिलों का कता हुआ कपड़ा शामिल नहीं करना चाहते। शामिल की जाने वाली दस्तकारी की चीजों में हाथ के बने खिलौने, बनारस में बनने वाले धातु के बर्तन, इत्यादि ही होंगे। इस संशोधन विधेयक में यही व्यवस्था की गई है कि दस्तकारी की ऐसी वस्तुओं को खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रदर्शन कक्षों में समुचित स्थान दिया जायेगा।

स्वामी रामानन्द तीर्थ ने सभापति और उपसभापति के प्रश्न की व्याख्या कर ही दी है। सभापति पर काम का भार अधिक न पड़े, इसीलिये कुछ सदस्यों को अधिक वैधानिक तथा कार्यपालक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सभापति की अवस्था का भी हमें ध्यान रखना चाहिये। हम चाहते हैं कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का काम अत्यधिक वेग से बढ़े और फले-फूले। सभा के सदस्यों कई बार मांग की है कि एक चमड़ा बोर्ड अलग से बनाया जाये। हम वह भी करने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम बोर्डों, आयोगों और प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ाने में विश्वास करते हैं। लेकिन यदि अनुभव के आधार पर, इस आयोग को सुदृढ़ता प्रदान के लिये और सभापति तथा उपसभापति का काम आसान बनाने के लिये यदि आवश्यक हो, तो हम उसमें हिचकेंगे नहीं। यह संशोधन इसीलिये रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

निधियों के संबंध में भी कुछ भ्रांति है। हम खादी निधि की राशि ग्रामोद्योगों पर, या ग्रामोद्योगों की राशि खादी उद्योगों पर व्यय नहीं करना चाहते। परन्तु मूल अधिनियम में निधि की कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि संसद् की मंजूरी के बाद भी किसी एक ऋण या निधि में से दूसरी के लिये तब तक राशि नहीं निकाली जा सकती थी, जब तक कि संसद् में संशोधन विधेयक पारित न किया जाये। अब हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि आयोग केन्द्रीय सरकार की अनुमति से किसी काम के लिये किसी निधि में से राशि निकाल सकेगा। हां, वह राशि सभा द्वारा मंजूर की गई कुल अनुदान या ऋण की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये।

इसलिये यह समझना गलत होगा कि किसी को बताये बिना ही, एकमद की राशि दूसरी मद पर व्यय करदी जायेगी। खादी आयोग के प्रति यह सभा सदा ही उदार रही है। और मैं ने भी उनको आश्वासन दिया है कि निधियों की कमी के कारण उनका कोई काम नहीं रुकेगा उनको रुपयों की कमी कभी नहीं पड़ेगी। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में कुछ कर्त्तव्यनिष्ठ कार्यकर्त्ता आगे बढ़ कर आयें और ग्रामोद्योग की मशाल को लेकर गांव-गांव में रोशनी फैला दें। तभी गांवों की जनता के लिये कृषि-उद्योगों और आधुनिक उन्नत उद्योगों द्वारा पर्याप्त जीविका जुटाई जा सकेगी।

मैं श्री त्यागी की बात से सहमत हूं। हमें इन ट्रान्जिस्टर रेडियो, साइकल के पुर्जों, घड़ियों-और सभी प्रकार के यंत्रीकृत उद्योगों को गांवों में पहुंचाना पड़ेगा लेकिन उसमें समय तो लगेगा ही वह तभी होगा कि जब गांवों में बिजली पहुंच जाये। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम इसके लिये भरसक प्रयत्नशील रहेंगे।

†**श्री तंगामणि :** इस विधेयक के खण्ड ९ में दान, इत्यादि के संबंध में व्यवस्था है। क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने दान और उपहार दिये हैं और वर्तमान व्यवस्थाओं के कारण हम उनको स्वीकार नहीं कर सके। नयी धारा १७ क में आयोग को शक्ति प्रदान की जा रही है कि वह सरकार या व्यक्तियों की ओर से दान या उपहार स्वीकार कर सकता है। क्या वर्तमान व्यवस्थायें उसमें बाधा बनती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। श्रीमती कृष्णा मेहता ने कहा है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रामोद्योगों के विकास के लिये दान दे सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें दान और उपहार मिलें। परन्तु वर्तमान अधिनियम के अनुसार, आयोग किसी दान या उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड २ से ८ तक पर कोई संशोधन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ८ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ६ (नयी धारा १७क को जोड़ना)

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

मैंने क्लाज ६ में जो अमेंडमेंट दिया है उस की मंशा यह है कि उस में जो "विलेज इंडस्ट्रीज" के शब्द हैं उन के बाद "आर हैन्डीक्राफ्ट्स" के शब्द जोड़ दिये जायें।

जो कुछ श्रीमती कृष्णा मेहता ने अपनी स्पीच में कहा था उस के मुताल्लिक अभी मिनिस्टर महोदय कुछ कह रहे थे। विलेज इंडस्ट्रीज क्या होंगी. उस में इस चीज को डिफाइन किया गया है। इस की व्याख्या भी की गई है और साथ ही खादी की भी। लेकिन हैन्डीक्राफ्ट्स की व्याख्या नहीं की गई। यहां पर उन्होंने कहा कि फलां फलां चीजें इस में रक्खी जायेंगी और फलां फलां चीजें वहिष्कृत कर दी जायेंगी। लेकिन इस में यह चीज नहीं है जिससे कि पता लग सके कि फलां चीज हैन्डीक्राफ्ट्स में शालिम है और फलां चीज शामिल नहीं है। आप ने खादी की शुद्धता को रखने के लिये उन को डिफाइन किया है, लेकिन जहां तक हैन्डीक्राफ्ट्स का ताल्लुक है, उस की शुद्धता को रखने के लिये आप ने कोई डेफिनेशन यहां पर नहीं रक्खी है। इस लिये मेरा खयाल है कि अगर आप हैन्डीक्राफ्ट्स को यहां पर रखते हैं तो उस के साथ ही हैन्डीक्राफ्ट की डेफिनिशन भी यहां रखनी चाहिये। जिस तरह से आप विलेज इंडस्ट्रीज को डेवेलप करने के लिये कोई काम करना चाहते हैं उसी तरह से हैन्डीक्राफ्ट के डेवेलपमेंट के लिये भी करना चाहिये, उस के एक्स्पैन्शन के लिये भी करना पड़ेगा। इस के लिये कोई न कोई प्राविजन होना चाहिये। इस लिये जो अमेंडमेंट मैंने दिया है वह यहां पर जरूरी है। इस लिये आप को इस को मंजूर करना चाहिये।

एक बात अभी श्री त्यागी ने कही कि जो हैंडलूम्स हैं उन का ज्यादातर ताल्लुक शहरों से है। लेकिन हमारे खादी कमिशन की जो कमी है वह यह है कि उन्होंने अपनी कार्रवाई को सिर्फ मैदानी इलाकों तक ही रक्खा है। जो इलाके ऐसे हैं जो कि स्नो बाउंड हैं वहां पर उस का ध्यान कम ही गया है, हालांकि वहां पर इस की सब से ज्यादा जरूरत है। अब तो तिब्बत भी आप के पास नहीं रहा है। उन की सिम्पैथी वहां के लोगों के साथ थी। दलाई लामा हमारे पास आ गये। उन लोगों की सिम्पैथी पहले उन के साथ थी, लाहोल, स्पीती, सिक्किम या लेह वालों की जो सिम्पैथी थी वह दलाई लामा के साथ थी। इन जगहों के लोग कहा करते थे कि हमारा जो ताल्लुक है वह तिब्बत से है। लेकिन अब वह बात नहीं रही। इन इलाकों में जो आप का कमिशन है वह नहीं पहुंचा है। मैंने कई दफा रिक्वेस्ट भी किया लेकिन वह नहीं गया। जाता तो उस को जरूर पता लगता।

एक बात और मेरी समझ में नहीं आई,। पंजाब के अन्दर कांगड़ा, शिमला और दोवेरा ब्लाक जो कि गुरदासपुर जिले में है और चम्बा के पास है, साथ ही हिमाचल प्रदेश है, वे ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स के लिहाज से जुदा जुदा जरूर रक्खे गये हैं, लेकिन जहां तक खादी के डेवेलपमेंट का ताल्लुक है, मैं नहीं समझ पाता कि पंजाब के हिलस्टेशन और हिमाचल प्रदेश को क्यों न एक यूनिट बना दिया जाये। एक यूनिट बना देने से सारे का सारा डेवेलपमेंट ईक्वल बेसिस पर हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेमराज]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अगर यह चीज कर दी जाय तो यह सारा इलाका जो गरीबी में पड़ा हुआ है वह एक दम से ऊपर उठ सकता है ।

इन शब्दों के साथ जो अमेंडमेंट मैं ने रक्खा है, मैं समझता हूं कि आप उसे मंजूर करेंगे और साथ ही जो दलीलें मैं ने रक्खी हैं उन पर भी गौर करेंगे ।

†**श्री मनुभाई शाह :** श्री हेमराज ने जो संशोधन रखा है वह बिक्री के लिये एम्पोरियम की स्थापना करने के बारे में है और इसका हथकरघा उद्योग की वस्तुओं के विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरे विचार से हथकरघा की और अधिक परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है । मेरे विचार से यह कार्य तो आयोग पर ही छोड़ देना चाहिये । क्योंकि मेरा विचार है कि इस आयोग के सदस्य इस बात के लिये काफ़ी जागरूक हैं कि वे एम्पोरियम तथा अन्य स्थानों पर बिक्री के लिये हथकरघा की केवल उन्हीं वस्तुओं को रखेंगे जो वास्तव में हथकरघा की ही बनी हुई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

†**श्री हेमराज ।** मैं इसे वापस लेता हूं ।

(संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** खंड १०.

श्री वाजपेयी : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**श्री आचार** (बंगलोर) : खंड ११ की धारा १९ (ख) में कुछ कमी है । धारा १९ ख की उपधारा (४) में कहा गया है कि न्यायाधिकरण का खर्चा आयोग द्वारा उठाया जायेगा । इसका अभिप्राय तो यह हुआ है कि न्यायाधिकरण खर्चा नहीं दिलायेगा । अतः इस बारे में मेरा एक संशोधन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार इस संशोधन को स्वीकार करना चाहती है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० से १४ और खंड १, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० से १४ और खण्ड १ अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा देश में चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा करेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आज प्रातःकाल ही हमें चीनी की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री महोदय की ओर से एक विवरण मिला है जिसमें चीनी की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया गया है। इस विवरण में सरकार ने जो आकड़े दिये हैं उसमें ६.७ लाख टन चीनी फालतू दिखाई गई है। मेरे विचार से यह लगभग ११.७ लाख टन होनी चाहिये थी। पहले भी चीनी के मूल्य, गन्ने के मूल्य आदि के बारे में सभा में चर्चा हो चुकी है। लेकिन उस समय हमने मंत्री महोदय के सभी आवश्वासनों पर विश्वास कर लिया था; वह भी इस आशा से कि दो तीन महीनों में स्थिति सुधर जायेगी। आज देश में चीनी अतिरिक्त है। एक जमाना था जब कि भूतपूर्व खाद्य मंत्री के ज़माने में चीनी की कमी थी। जब तक चीनी की खपत देश के भीतर बढ़ाई नहीं जायेगी तब तक इस फालतू चीनी का उत्सर्जन कठिन होगा। आजकल हमारे देश में चीनी की खपत २० लाख टन है। जहां तक कि चीनी के निर्यात की बात है वह तभी संभव है जब कि हम चीनी के उत्पादन लागत को कम कर दें। तभी हम दूसरे देशों से मुकाबला भी कर सकते हैं। अमरीका ने भारत की चीनी लेने का वचन दिया है। मैं जानता हूं कि उनके यहां चीनी की कमी नहीं है। इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण है। चूंकि क्यूबा ने उन्हें चीनी देने से इन्कार कर दिया है अतः वे भारत से चीनी ले रहे हैं।

आज हमारे देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन इसका मूल्य बढ़ रहा है। जब हमारे यहां कुल १९ लाख टन चीनी का उत्पादन होता था तो उस समय चीनी का मूल्य केवल १३ या १४ आने प्रति सेर था लेकिन अब ३० लाख टन का उत्पादन हो जाने के बावजूद इसका मूल्य १ रु० सेर से भी अधिक है। मेरा निवेदन है कि चीनी का मूल्य घटाया जाना चाहिये लेकिन साथ ही इससे गन्ना उत्पादकों को कोई हानि नहीं होने देनी चाहिये। मेरा विचार है कि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी ढांचा ही गलत है। यदि चीनी की उत्पादन लागत के ढांचे की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रविधिक समिति नियुक्त की जाये तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि केन्द्रीय सरकार ने चीनी का जो मूल्य निर्धारित किया है, या मालिक चीनी का जो मूल्य चाहते हैं वह ठीक नहीं है।

अब सवाल यह उठता है कि सरकार के पास जो चीनी का स्टाक है उसका वितरण किस प्रकार किया जाये। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि कारखानों के पास चीनी की मात्रा को कम करने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है और क्या सरकार चीनी के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटा लेगी। अन्त में मेरा निवेदन है कि गन्ना उत्पादकों के हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचाये बिना चीनी का मूल्य घटाया जाना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अपने देश में इतनी चीनी है तो उसका लाभ अपने देश के निर्धन उपभोक्ता को क्यों नहीं दिया जाता। बल्कि अमरीका को निर्यात करके उसको लाभ पहुंचाया जा रहा है।

†श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान जी इसका कारण मेरे विचार में यही है कि सरकार धनी लोगों, मिल मालिकों को ही लाभ पहुंचाना चाहती है। निर्यात करने के बहाने उन्हें सरकार से कुछ रियायतें मिल जायेंगी। मेरा अंत में यही निवेदन है कि मिल मालिकों के लाभ को कम किया जाना चाहिये। और लाभ कमाने वालों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये और चीनी के वितरण का कार्य केन्द्र को अपने हाथों में ले लेना चाहिये और इस बात का भी प्रबन्ध करना चाहिये कि उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा कर मिल मालिक अधिक लाभ न कमाने पायें। अगर ऐसा न किया गया तो देश में गड़बड़ी फैल जायेगी।

†श्री शि० ला० सक्सेना (महाराज गंज) : आज प्रातः हमें जो विवरण मिला है उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं क्योंकि ये आंकड़े चीनी मिल संघ द्वारा दिये गये हैं। चाहिये तो यह था कि सरकार योजना आयोग के द्वारा ये आंकड़े इकट्ठे कराती।

हमारे सामने आज दो समस्याएं हैं एक तो यह है कि यह अतिरिक्त मात्रा चीनी की क्यों है और दूसरी समस्या यह है कि चीनी की खपत किस प्रकार बढ़ाई जाये तथा किस प्रकार इसका निर्यात बढ़ाया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार चीनी पर से नियंत्रण हटा दे; क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसा करने से चीनी का फुटकर मूल्य कम हो जायगा और देश में चीनी की खपत भी तुरन्त ही ३ लाख टन बढ़ जायगी। आज गांवों में चीनी १ $^1/_4$ रु० सेर बिक रही है। इसका कारण यह है कि चीनी का आवागमन खुला हुआ नहीं है। अगर चीनी पर से सभी प्रकार का नियंत्रण हट जाता है तो चीनी सस्ती हो जायगी और मिल मालिक की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खंडसारी पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसे भी हटा देना चाहिये। इससे खंडसारी में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी का उपयोग होने लगेगा और गन्ना उत्पादकों की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। इस प्रकार चीनी के उत्पादन में कमी हो जायेगी और चीनी की अतिरिक्त मात्रा जमा नहीं होने पायेगी।

हमारी मांग है कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाये। प्रशुल्क आयोग ने वास्तव में मिलों का लाभ लगभग २७ प्रतिशत बढ़ा दिया है न कि केवल १२ प्रतिशत जैसा कि उन्होंने कहा था। यदि आयोग ने लाभ को घटा कर सीमा-स्तर पर कर दिया होता तो हम करोड़ों रुपये की बचत कर लेते। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों की मिलों की तुलना में बम्बई तथा मैसूर की मिलों को प्रति बोरी १२ रुपये अतिरिक्त लाभ हो रहा है, । दक्षिण भारत की मिलों को यह जो अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, यह सरकारी कोष में जाना चाहिये, जिससे निर्यात के घाटे को पूरा किया जाना चाहिये। चीनी के

---

†मूल अंग्रेजी में

कारखानों पर उत्पादन शुल्क के लिये एक अवसर्पण –क्रम होना चाहिये जैसा कि तेल की मिलों में होता है। तेल मिलों में ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी मिलें अधिक उत्पादन शुल्क देती हैं जब कि छोटी छोटी मिले अधिक उत्पादन शुल्क देती हैं। अगर उत्पादन शुल्क की दर इस प्रकार कर दी गई तो समानता आ जायेगी।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि खंडसारी तथा गुड़ के कुटीर उद्योगों की समृद्धि होनी चाहिये। और इस व्यवस्था में ही इस समस्या का निदान निहित है। साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि आप चीनी पर से नियंत्रण हटा दें।

†**श्री कमल नयन बजाज** (वर्धा): हमारे देश में चीनी फालतू है। यद्यपि चालू वर्ष में चीनी उद्योग ने कुछ अधिक लाभ कमाया है, पर इसका कारण यह नहीं है कि प्रशुल्क आयोग ने उसे कुछ अधिक लाभ दिया है। उत्पादन लागत भी बढ़ गई है। सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहन के आधार पर ही हमारे यहां चीनी का उत्पादन बढ़ा है।

फालतू चीनी की समस्या या तो निर्यात द्वारा या देश में खपत बढ़ाकर हल की जा सकती है। यदि वितरण पर लगे प्रतिबन्ध को कुछ ढीला कर दिया जाये तो देश में खपत बढ़ जायेगी। साथ ही मिलों के पास जो भंडार पड़ा है, वह भी बाजार में आ जायेगा। क्योंकि वितरण पर काफ़ी प्रतिबन्ध लगे हैं। जहां तक चीनी के निर्यात का प्रश्न है इस में जो भी त्याग करना पड़े, उसका बोझा सरकार मिलों तथा गन्ना उत्पादकों तीनों को मिलकर उठाना चाहिये। एक समिति नियुक्त की जा सकती है जो यह सुझाव दे कि होने वाले घाटे को किस किस अनुपात से किस किस पर डाला जाये। हमें आगामी ५ वर्षों या लगभग इतने ही समय के लिये अपनी नीति बनानी होगी ताकि हमारे देश में चीनी की उत्पादन लागत अन्य चीनी पैदा करने वाले देशों में चीनी की उत्पादन लागत की तुलना में उचित ठहरे। उत्पादन लागत को कम करने के लिये सुझाव देने के हेतु एक समिति नियुक्त की जा सकती है। जब चीनी की कमी थी तो सरकार ने बहुत लाभ कमाया; और जब चीनी फालतू है तो सरकार को कुछ घाटा उठाने के लिये तैयार रहना चाहिये। अफगानिस्तान को प्रतिवर्ष १०,००० से २५,००० टन तक चीनी का निर्यात किये जाने की काफ़ी गुंजाइश है। इस बारे में सरकार को समय पर कार्यवाही करनी चाहिये। और वह कार्यवाही दीर्घकालीन आधार पर हो।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस डिबेट में इस लिये भाग रहा हूं कि चूंकि कल मंत्री महोदय ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो किसानों को गन्ने का कम मूल्य दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी बात के लिये इस वक्त कोई कारण उपस्थित नहीं है। यदि मंत्री महोदय विश्लेषण करें किसानों के गन्ने के उत्पादन करने के खर्च का तो उन को पता चलेगा कि यदि किसी भी प्रकार से उन के मूल्य में कमी की गई तो उन के प्रति घोर अन्याय होगा।

श्री स० मो० बनर्जी: आप को वोट नहीं मिलेगा।

डा० राम सुभग सिंह: चुनाव में किसानों का वोट मिले या न मिले, लेकिन बनर्जी साहब से ज्यादा वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिलेगा, यह उनको चुनाव के समय मालूम हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य: यह तो आगे चल कर देखने की बात है।

श्री त्यागी: उन के वोटर गन्ना नहीं उगाते।

डा० राम सुभग सिंह: उन के वोटर तो मिलों में काम करते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभग सिंह]

किसान को, जो गन्ना पैदा करता है, खास कर उत्तर भारत में, उस के यहां करीब ४०० मन गन्ना प्रति एकड़ पैदा होता है ।

एक माननीय सदस्य : ३०० मन ।

डा० राम सुभग सिंह : अगर इस ३०० मन को बढ़ाकर ४०० मन भी मान लिया जाय, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो आज मूल्य के आधार पर उस को ६०० रु० मिलते हैं । उस गन्ने से ४० मन चीनी बनती है । ४० मन चीनी का दाम कम से कम १६०० रु० होता है । तो किसानों को जो मूल्य मिलता है और मिल वालों को जो मिलता है उस में कम से कम १,००० रु० का अन्तर प्रति एकड़ आता है । मैं इस को बिल्कुल नाजायज मानता हूं कि इतना मुनाफा मिल वाले कमायें । मिल के मुनाफे में यह कहा जा सकता है कि एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है । मैं इस चीज को भी अनर्थकारी मानता हूं कि कोई गवर्नमेंट इतनी जबर्दस्त एक्साइज ड्यूटी लगाये, चाहे कोई भी सरकार हो । क्योंकि सरकार को भी अपनी व्यवस्था के खर्च को कम से कम रखना चाहिये। जैसाकि किसानों को उपदेश दिया जाता है कि कम से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो, उसी तरह से सरकार को भी चाहिये कि वह अपनी व्यवस्था और अपनी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ाये और उस के लिये कम से कम खर्च करे ।

मंत्री जी ने बतलाया है कि हम १२०० करोड़ रु० की चीनी बाहर भेजेंगे । और उस पर करीब साढ़े पांच करोड़ रु० का घाटा हमें सहन करना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने कहा था कि हम क्यों न इस चीनी को यहीं बांट दें ? मुझे भी दहशत होती है इस चीज को देख कर । हमें एक चीज का पाठ पढ़ाया गया है कि फारेन एक्स्चेन्ज बड़ी कीमती चीज़ है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : इस साढ़े पांच करोड़ के घाटे में एक्साइज ड्यूटी का रिफंड शामिल नहीं है, वह भी हमें जोड़ना पड़ेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : फारेन एक्सचेन्ज ऐसी सोने की चिड़िया है, जिस के लिये हम देश का सत्यानाश कर दें, मैं इस को नहीं मानता हूं । फारेन एक्सचेन्ज आखिर है कौन चीज़ ? हम अपने एक साल के खर्चे को देखें बाहर जाने का । अध्यक्ष महोदय, आप भी अक्सर बाहर घूमते रहते हैं, आप को पता होगा कि जो लोग यहां से बाहर जाते हैं, बहुत बार उन के गये बिना ही अपनी एम्बैसीज और हाईकमिशन के जरिये से हमारे बहुतेरे काम हो सकते हैं। अभी यहां इंडिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में चर्चा की गई । हर साल कोई न कोई आदमी लन्दन में उस के सम्बन्ध में बात करने के लिये जाता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि फारेन एक्सचेन्ज पर अंकुश वहां होना चाहिये जहां पर हमारे नाजायज टूर विदेशों के होते हैं । देखने की बात है कि कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जिस के दर्जनों अफसर दिन रात बाहर नहीं घूमते रहते हैं । इस तरह से बाहर जाने को रोक कर एक्सपोर्ट करने में जो साढ़े पांच करोड़ का घाटा होता है, जिसमें कि श्री त्यागी कहते हैं कि वह बगैर एक्साइज ड्यूटी के रिफंड को शामिल किये हुए है, वह पूरा हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य : दूना हो जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : दूना तो ११ करोड़ रु० हो जाता है । अगर हम ११ करोड़ का घाटा उठाकर १२ करोड़ का फारेन एक्सचेन्ज अर्न करते हैं तो उस के लिये तो मैं यही समझता हूं कि हमारे बड़े बड़े कर्मचारियों और अफसरों के बाहर घूमने के सम्बन्ध में जितने नाजायज खर्च हो रहे हैं अगर

हम उसमें कुछ अंकुश लगायें तो कम से कम फारेन एक्सचेन्ज का चौथाई तो जरूर बच जायेगा। अगर इस चौथाई को मान लिया जाये तो और यह सवा ो करोड़ रुपया हम किसानों में बांट दें तो उससे उन को बड़ा लाभ हो। आज दिल्ली की जो हालत है उस से भी बदतर और जगहें हिन्दुस्तान में हैं जहां पर चीनी २।। रु० सेर बिकती है। अभी मैं लद्दाख गया था, वहां के कई गांवों में चीनी नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान और अपनी सरहद पर हम १५ रु० मन चीनी दे रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम यहां पर ४० रु० मन चीनी बेचें। इस लिये इस बात पर विचार करना चाहिये।

अभी हमारे श्री कमल नयन बजाज ने कहा कि मिलों को अपना खर्च कम करना चाहिये। मैं इस चीज को बिल्कुल जायज समझता हूं और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके कारण इस के खिलाफ आवाज उठाई जाय। किसी भी सरकार के लिये या किसी भी पार्टी के लिये इस बात का कहना गलत है कि ऐसा न किया जाय। अगर किसी मिल की ओर से या किसानों की ओर से कहा जाय कि फलानी चीज होनी चाहिये, और हम बगैर उस की छान बीन किये हुए वही नारा लगाने लगें तो इस के कोई माने नहीं हैं। अगर मिलों की ओर से, चाहे वह यू० पी० की हो या बिहार की या कहीं की भी, यह शोर मचता है कि उन को घाटा हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह घाटा हुआ कब? बारिश की बारातों में चीनी मिलना एक मुसीबत की चीज थी और खास कर १९५९ में नहीं ही मिलती थी। सन् १९६० में हालत कुछ सुधरी, लेकिन पिछले बजट सेशन के वक्त मिल मालिकों की एक मीटिंग हुई जिस में उन्होंने आवाज लगाई कि किसानों के गन्ने का दाम कम होना चाहिये, और तुरन्त ही चारों ओर से यही नारा लगने लगा कि हां उसे कम होना चाहिये, कम होना चाहिये। समझिये बात को। ५ या ६ लाख टन चीनी बाहर भेजनी है, अभी भेजी नहीं। इतने दिनों में सड़ कर बरबाद नहीं हो जायेगी। यह मैं मानता हूं कि बरसात में गलती है। अब यहां पर स्टोरेज का प्रश्न आता है। अगर पांच या छः लाख टन चीनी रखनी हो तो उस के लिये कहते थे कि हमारी स्टोरेज कैपसिटी नहीं है। अगर वह नहीं है तो उसके लिये भी कौन जबाब देह है? कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसका एक्सपैन्शन नहीं हुआ है? कौन ऐसा मिल मालिक है जिस की आमदनी नहीं बढ़ी है? उन्होंने उसी आमदनी से दूसरी फैक्ट्रीज खोली हैं।

एक माननीय सदस्य : कई कई खोली है।

डा० राम सुभग सिंह : हां, कई कई खोली हैं, तब क्यों आपत्ति की जाती है उन लोगों ने क्यों नहीं स्टोरेज की जगहें बनाई जिसमें कि वे ६ लाख टन चीनी को वर्ष या दो वर्ष रख सकें? दो वर्ष के बाद कहीं बरबाद होने का वक्त आ सकता है, लेकिन अगर हम किसानों की किसान की दृष्टि से देखें कि कौन सी चीज है जो उसके कास्ट आफ प्रोडक्शन को कम कर सकती है, तो ज्यादा फायदा हो सकता है। एक ओर जब हम किसान को दस मन गन्ने के लिये १५ रु० देते हैं तो चीनी का ज्यादा से ज्यादा दाम २० रु० मन हो सकता है। आप सवाया दाम रख सकते हैं और उसमे मुनाफा भी रक्खें, तो भी २० रु० मन हो सकता है। २५ परसेंट उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन, साथ में प्राफिट वगैरह सारी चीज शामिल कर ली जाय तो भी १८ रु० १२ आ० आता है। १$^1/_4$ रु० और भी जोड़ लें तो २० रु० हो गया, एकसाइज ड्यूटी भी रख लें तो हम २५ रु० तक रख सकते है। इस पर भी कोई घाटा नहीं होगा।

श्री कमल नयन बजाज : केन प्राइस क्या रखेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : केन की प्राइस मैं रखना चाहूंगा ७५ परसेंट। चीनी के दाम का ७५ परसेंट किसानों को मिले और उसके ३० परसेंट में ओनर या मिल मालिक अपना काम चलावें।

[डा० राम सुभाग सिंह]

चाहे जो भी ट्रांस्पोर्टेशन या डिस्ट्रीव्यूशन का चार्ज हो, लेकिन अगर कोई भी प्रासेसिंग इंडस्ट्री ५० परसेंट या ६० परसेंट रखना चाहे तो वह चीज हिन्दुस्तान के लिये आगे चल कर बड़ी खतरनाक होगी। मान लीजिये कि रुई का प्राइमरी प्रोड्यूसर किसान रुई पैदा करता है और उसको ५० परसेंट मिले और टैक्सटाइल इंडस्ट्री का हिस्सा और गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी अगर ५० परसेंट हो तो मेरी समझ में यह जायज नहीं होगा। जहां तक किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन का सवाल है, आप देखें कि फरटीलाइजर का दाम भी बढ़ा है, इर्रीगेशन का चार्ज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की नई गवर्नमेंट ने सिंचाई का चार्ज बढ़ा दिया है। ला एंड आर्डर की हालत यह है कि कोई किसान रात को अपने खेत की रखवाली नहीं कर सकता चाहे वहां सब स्वाहा ही हो जाये। अगर बैल बांधना है तो उसे रात में घर लाकर ताले मे बन्द करके रखना पड़ता है। लोहे का दाम पिछले दो तीन बरस में तिगुना बढ़ा है। अगर वह रहट चलाकर खेती करना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो आप देखें कि किसान के काम की सब चीजों का दाम बढ़ा है, उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन इसलिये बढ़ा है। मैं यह वोट के ख्याल से नहीं कहता कि किसान के गन्ने का दाम न घटाया जाये। आप कोई उचित प्रोपोरशन रख लीजिये। अगर आप इसको ५० परसेंट से नीचे लाने के लिये तैयार हों तो मैं अपने एरिया में जाकर किसान को कहने के लिये तैयार हूं कि तुम १० रुपया मन गन्ना दो। लेकिन मिल की एफीशेंसी देखनी चाहिये कि क्या मिल का प्रोडक्शन एफीशेंसी से हो रहा है, और जो सरकार के खर्च हों वे भी एफीशेंसी के साथ होने चाहियें। डिस्ट्रीव्यूशन के आंकड़े सक्सेना जी ने, श्री कमल नयन जी ने और बनर्जी साहब ने दिये हैं। मैं ऐसी कोई वजह नहीं देखता कि गन्ने का मूल्य घटाया जाये क्योंकि किसान का उत्पादन खर्च पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है यह सही है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछले वर्ष गन्ने के मूल्य को बढ़ा कर डेढ़ रुपया कर दिया। किया तो उन्होंने एक रुपया दस आना था लेकिन दो आना तो ट्रांस्पोर्टेशन में निकल जाता है, किसान को डेढ़ रुपया ही मिलता है।

यह कहा जाता है कि किसान ने गन्ने का एकरेज बढ़ाया है। मेरा तो सुझाव है कि इर्रीगेशन, एग्रीकल्चर और फूड इन तीनों विभागों को कोआरडिनेटेड ढंग से काम करना चाहिये। कहीं पर गन्ने के लिये सात आठ पानी देने पड़ते हैं कहीं पर चार पांच ही देने पड़ते हैं। जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां कम सिंचाई करनी होती है और जहां कम वर्षा होती है वहां ज्यादा पानी देने पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमें ज्यादा गन्ने की जरूरत नहीं है तो वह ज्यादा पानी न दे। लेकिन आज देश को गन्ने की ज्यादा जरूरत है। आप कंजम्शन के फिगर देखें तो आपको मालूम होगा कि अभी देश में पर कैपीटा कंजम्शन १३ पाउन्ड के करीब है जबकि हर एक आदमी को २३ पाउन्ड चाहिये। तो अभी इसको दुगना बढ़ाया जा सकता है। उस वक्त तक तो चीनी सरप्लस नहीं होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस के लिये प्लानिंग की जरूरत है और हमको अपने सामने क्राप का पैर्टन रखना चाहिये। यह स्वाभाविक है कि जहां आप नहर निकालेंगे या ट्यूब वैल बनावेंगे वहां किसान चाहेगा कि वह जौ और चने को छोड़ कर चावल या गन्ने की फसल बोये जिसके लिये ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और उसमें उसको पैसा भी ज्यादा मिलता है। किसान भी पैसा क्यों न चाहे जब कि और सब लोग ज्यादा पैसा पाने के उपाय में लगे हुये हैं। अगर इस स्थिति मे किसान ज्यादा पैसा चाहता है तो वह भी उसके लिये क्षम्य है।

अगर आप गन्ना नहीं चाहते हैं तो सात पानी मत दीजिये, किसान धान बोयेगा। अगर आप धान भी नहीं चाहते हैं तो एक पानी दीजिये किसान रबी की तरफ चला जायेगा। आपको किसान को एजकेट करना चाहिये। मेरा तो विचार है कि एग्रीकल्चर, फुड, इर्रीगेशन और कम्यु-

निटी डेवेलपमेंट इन सब विभागों में पूरा पूरा कोआरडिनेशन हो, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि एक ही आदमी इन सब विभागों को चलावे और पाटिल जी ही इन सव विभागों को चलावें। मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनके प्रयत्नों से हमको यह सरप्लस की स्थिति दिखायी दी है। सारे काम को कोआरडिनेटेड ढंग से करना होगा तब सफलता मिलेगी। किसानों को कम मूल्य देने की बात करने के पहले आपको मिल मालिकों को कहना होगा कि वह अपना कास्ट आफ प्रोडक्शन कम करें और कम मुनाफा लें और सरकार भी अपनी एफीशेंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावे।

†अध्यक्ष महोदय : चर्चा कल जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

† मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

बुधवार, ९ अगस्त, १९६१

१८ श्रावण १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३९३–४१३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६०	कांगो भारतीय सैनिक टुकड़ियां	३९३—९५
१६१	कोयले की ढुलाई	३९५—९८
१६२	दिल्ली में दो इंजीनियरिंग कालेज	३९८—४०२
१६३	योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	४०२–०३
१६४	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	४०३— ५
१६५	सूरत में तेल .	४०६
१६६	दिल्ली के लिये लेफ्टीनेंट गवर्नर .	४०६
१६७	रूरकेला बस्ती .	४०६— ९
१६८	आंध्र प्रदेश के लिये इस्पात संयंत्र .	४०९–४१०
१६९	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र .	४१०–११
१७०	साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध . .	४११—४१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४१३—५५९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७१	पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा .	४१३
१७२	पेट्रोलियम का आयात . . .	४१४
१७३	अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम .	४१४
१७४	पाकिस्तान से सुई गैस की खरीद . .	४१५
१७५	यांत्रिक पुर्जों की खरीद	४१५–१६
१७६	एशिया में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिये यूनेस्को योजना .	४१६
१७७	केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने के लिये आयोग	४१७–१८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या—जारी

१७८	चीनियों द्वारा वायु क्षेत्र का अतिक्रमण .	४१८–१९
१७९	आसाम में मुसलमानों की जनसंख्या .	४१९–२०
१८०	तेल की खराब पाइपलाइन . .	४२०
१८१	निवेली परियोजना .	४२०–२१
१८२	भिलाई इस्पात संयंत्र	४२१
१८३	कोयले की ढुलाई .	४२१–२२
१८४	मेकांग परियोजना .	४२२–२३
१८५	दिल्ली में भूमि . .	४२३–२४
१८६	गेहूं पर ऋण . . .	४२४
१८७	केरल में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज	४२५
१८८	सेना का एक ट्रक गिर जाने से मौतें	४२५
१८९	इल्युशिन विमान	४२५–२६
१९०	तरल सोना . . .	४२६
१९१	महिलाओं के लिये पालीटेक्नीक	४२६–२७
१९२	भारत को जापान से ऋण और अनुदान .	४२७
१९३	पुरातत्व विभाग का शताब्दि समारोह .	४२७
१९४	मुख्य राज्य निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन . .	४२७–२८
१९५	कालेजों में प्रवेश चाहने वाले दिल्ली के स्कूलों के छात्र .	४२८
१९६	विदेश जाने वाले भारतीय छात्र .	४२८–२९
१९७	भारत में चीनी	४२९–३०
१९८	पिछड़े वर्ग	४३०
१९९	भारत में चीनी राष्ट्रजन	४३०
२००	दिल्ली में अपराध	४३१
२०१	लौह अयस्क .	४३१–३२
२०२	निवेली परियोजना .	४३२
२०३	आसनसोल में सेना पदाधिकारी द्वारा आत्महत्या .	४३२–३३
२०४	मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। .	३३
२०५	विदेशियों की राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियां . .	४३३
२०६	गुजरात तेल शोधक कारखाना	४३४
२०७	सहकारी अनुसंधान संस्था . .	४३४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या—जारी

२०८	पेट्रोलियम सूचना विभाग	४३५
२०९	शिक्षित बेरोजगारों को सहायता	४३५–३६
२१०	तेल और प्राकृतिक गैस–आयोग के लापता नक्शे	४३६
२११	निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	४३६–३७
२१२	गुजरात में कोयले की कमी	४३७
२१३	नीलकंठ अभियान	४३८
२१४	बंगाल के मुख्य मंत्री का भाषा सूत्र	४३८
२१५	दिल्ली में पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम	४३८–३९
२१६	उड़ीसा में बाढ़ पीड़ितों कोन सहायता	४३९
२१७	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पेंशन नियम	४३९
२१८	१९६२ के आम चुनाव की तिथियां	४३९–४०
२१९	दिल्ली स्कूल में अध्यापिकायें	४४०
२२०	ब्रिटिश बैंक दर	४०–४१
२२१	विश्ववाल समारोह, मास्को	४४१
२२२	विलेट की कमी	४४१–४२
२२३	दिल्ली में भिखारी	४४२–४३
२२४	अंकलेश्वर तेल	४४३
२२५	सैनिकों के लिये आवास व्यवस्था	४४३
२२६	यात्री चैक	४४४
२२७	फ्लीट एयर आर्म बेस	४४४
२२८	भारतीय आर्थिक और भारतीय सांख्यिकीय सेवायें	४४५
२२९	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक की सहायता	४४५
२३०	महिलाओं के लिये दिल्ली में पोलीटेक्निक	४४५–४६
२३१	अन्तरिक्ष अनुसंधान	४४६
२३२	प्रविधिक विषयों की सस्ती पाठ्य पुस्तकें	४४६
२३३	अखिल भारतीय खनन परामर्श बोर्ड	४४७
२३४	बोकारो इस्पात कारखाना	४४७
२३५	दिल्ली में मुस्लिम सम्मेलन	४४८
२३६	फ्लाई सेंट्रल बैंक	४४८
२३७	तेल की पाइपलाइन	४४९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तार.कित
प्रश्न संख्या

२३८	आर्थिक विकास संस्था, दिल्ली .	४४९
२३९	इस्पात संयंत्रों का विस्तार .	४४९–५०
२४०	सी० ओ० डी०, दिल्ली कैंट . . .	४५०
२४१	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग . .	४५०
२४२	बोन मे भारतीय प्रशिक्षार्थी . .	४५ –५१
२४३	कोरबा कोयला खदान क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप .	४५१
२४४	टैक्नीकल संस्थाओं में प्रवेश	४५१–५२
२४५	भारत में ब्रिटेन का विनियोजन . .	४५२
२४६	कोजीकोड में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज	४५३
२४७	इस्पात संयंत्र	४५३–५४
२४८	बुनियादी स्कूलों के लिये पूरक पाठ्य सामग्री का निर्माण .	४५४
२४९	खमरिया आयुध कारखाना . .	४५४
२५०	सुपरसोनिक विमान	४५५
२५१	कैम्पटी में राष्ट्रीय सेनाछात्र शिविर . . .	४५६
२५२	भारत का पौंड पावना	४५६–५७
२५३	तेल प्रतिष्ठानों का पुनर्गठन . .	४५७
२५४	बोकारो इस्पात संयंत्र	४५७–५८
२५५	बर्मा आयल कम्पनी के साथ हुये समझौते के पश्चात् आसाम में खुदाई	४५८
२५६	लुधियाना के निकट विमान दुर्घटना . .	४५८
२५७	मदन मोहन मालवीय शताब्दी समारोह . .	४५८–५९
२५८	बड़ौदा तेल शोधक कारखाना . . .	४५९
२५९	राष्ट्र मंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन . .	४५९
२६०	जोधपुर के निकट जिप्सम की खानें . . .	४५९–६०
२६१	भारत सर्वेक्षण कार्यालय के संबंध मे जांच समिति . .	४६०
२६२	बर्मा आयल कम्पनी के साथ तेल की खोज के संबंध में समझौता	४६१–६२
२६३	सैनिक प्रशिक्षण स्कूल .	४६२–६३
२६४	इस्पात के लिये संगठन .	४६३
२६५	भारत में तैल उद्योग . . .	४६३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

२६६	भारत में पश्चिम जर्मनी का विनियोजन	४६४
२६७	धातु मिश्रित इस्पात	४६४
२६८	खम्भात क्षेत्र में तैल का निर्धारण	४६४–६५
२६९	टैंकों का निर्माण	४६५
२७०	ग्रासाम में हुये दंगों पर जांच ग्रायोग	४६५–६६
२७१	रैजीमेंटों के नाम रखना	४६६
२७२	भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के ग्रधि-कारी	४६६–६७
२७३	पर्वतीय राज्य की मांग	४६७–६८
२७४	इस्पात संयंत्रों के लिये टेक्नीकल कर्मचारी	४६८
२७५	देहरादून की पैट्रोलियम संस्था	४६८
२७६	रूरकेला इस्पात संयंत्र	४६९
२७७	ग्रशोधित तेल की खपत	४६९–७०
२७८	विश्वविद्यालय पंजीयन, एकक, दिल्ली	४७०
२७९	उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक	४७०
२८०	एयर इंडिया इन्टरनेशनल से विमानों की खरीद	४७१
२८१	पोलीटेक्नीक में प्रवेश	४७१
२८२	जम्मू के निकट ऐतिहासिक नगर	४७१-७२
२८३	सैनिक ट्रक दुर्घटना	४७२
२८४	विश्वविद्यालयों द्वारा पुरातत्वीय खुदाई	४७२
२८५	शाहजहांपुर (उ० प्र०) के निकट तेल	४७३

ग्रतारांकित
प्रश्न संख्या

३४४	तीसरी योजना के ग्रन्तर्गत ग्राई० ए० एस० पदाधिकारी	४७३–७४
३४५	ग्रायल इंडिया लिमिटेड	४७४
३४६	मैसर्ज सिंगरेनी कोलियरीज	४७४
३४७	ग्रंकलेश्वर तेल क्षेत्र	४७४–७५
३४८	द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रथम श्रेणी में पदोन्नति	४७५
३४९	७०० लिटर "बकट व्हील एक्सकेवेटर"	४७५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५०	उद्योगों में भतपूर्व सैनिक . .	४७६
३५१	पंजाब के भतपूर्व सैनिक . .	४७६
३५२	पंजाब में पुरातत्व सर्वेक्षण .	४७७
३५३	अस्पृश्यता निवारण	४७७–७८
३५४	पंजाब में हाल व आडिटोरियम . .	४७८
३५५	पंजाब में अनुसूचित आदिम जाति कृषक .	४७८
३५६	मुरादपुर (काश्मीर) में तेल निक्षेप . . .	४७८
३५७	केन्द्रीय अंग्रेजी संस्था, हैदराबाद	४७८–७९
३५८	विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां . . .	४७९
३५९	केरल के अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कौचिंग क्लासें .	४७९
३६०	खनन प्रशिक्षण विद्यालय .	४७९–८०
३६१	महाराष्ट्र के लिए स्टीम कोल . . .	४८०
३६२	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क .	४८०
३६३	गांजा का तस्कर व्यापार	४८०–८१
३६४	मैसूर राज्य पर बकाया ऋण	४८१
३६५	भिलाई इस्पात संयंत्र .	४८१
३६६	पुनर्वेलन मिलें	४८१–८२
३६७	धुंआ रहित कोयला संयंत्र	४८२
३६८	भारत प्रशासन सेवा पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	४८२–८३
३६९	हरिजन कल्याण .	४८३
३७०	पंजाब में विद्यार्थियों का दौरा .	४८३–८४
३७१	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	४८४
३७२	पंजाब उच्च न्यायालय	४८५
३७३	पंजाब के लिये कोयला	४८५–८६
३७४	जनगणना	४८६
३७५	तीसरी योजना में शैक्षणिक विकास कार्यक्रम योजना	४८६–८७
३७६	उड़ीसा की शिक्षा संस्थाओं को सहायता .	४८७
३७७	राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार .	४८७
३७८	विदेशी भाषायें	४८८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

३७९	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	४८८
३८०	हिन्दी स्टेनोग्राफर	४८८
३८१	हिन्दी स्टेनोग्राफरों का संग्रह	४८९
३८२	उड़ीसा में नगरपालिका के मेहतरों के लिये मकान	४८९
३८३	उड़ीसा में खुली नाट्यशाला	४८९
३८४	उड़ीसा में पुनर्वेलन उद्योग	४९०
३८५	उड़ीसा में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	४९०–९१
३८६	लाहौल और स्पीति	४९१
३८७	क्षेत्रीय पुलिस बल	४९१–९२
३८८	हिन्दी में नोटिंग	४९२
३८९	इनामी बांडों के इनाम	४९२
३९०	प्राइज बांड के परिणाम हिन्दी में छापना	४९२–९३
३९१	इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश	४९३
३९२	पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये सेवा-गृह	४९३–९४
३९३	इस्पात कारखानों में पटरियों का उत्पादन	४९४
३९४	अवैध सोना	४९४–९५
३९५	राष्ट्रीय सेना छात्र दल के शिविर	४९५
३९६	एम० ई० एस० में अस्थायी पद	४९६
३९७	प्रादेशिक सेना और रक्षित नौसेना	४९६
३९८	असमर्थ विद्यार्थियों द्वारा काश्मीर की यात्रा	४९७
३९९	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की जीवनियां	४९७
४००	वायु सेना का नामांकन फार्म	४९७
४०१	दिल्ली के स्कूलों के लिये इमारतें	४९८
४०२	हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार	४९८
४०३	भारतीय प्रतिलिप्याधिकार का पाकिस्तान में उल्लंघन	४९८
४०४	भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड	४९९
४०५	सायंकालीन कालेज	४९९
४०६	कोलार की सोने की खानें	४९९
४०७	लंदन के एक बैंक में हैदराबाद का रुपया	५००

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४०८	जनता कालेज जांच समिति . .	५००
४०९	मोहिन्द्रगढ़ का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	५००
४१०	केन्द्रीय भारतीय जड़ी-बूटी संगठन . . .	५००–०१
४११	प्रशिक्षित तकनीकी अध्यापक	५०१
४१२	बाल पुस्तक न्यास .	५०२
४१३	असमर्थ बच्चों की शिक्षा . . .	५०२
४१४	भारत में सामुदायिक और भाषाई सामंजस्य	५०२–३
४१५	कोयला खानें	५०३
४१६	हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये अन्य राज्यों के कालेजों में स्थान सुरक्षण . .	५०३–०४
४१७	बर्फीले क्षेत्रों में चुनाव . . .	५०४–०५
४१८	निवास अधिनियम, १९५७ . .	५०५
४१९	पाकिस्तान से भिखमंगों की बड़ी संख्या में आना . .	५०५
४२०	हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	५०५–०६
४२२	पूना में महिला छात्रावास . . .	५०६
४२३	प्लाटों का दिया जाना . . .	५०६
४२४	दिल्ली के छात्रों को पब्लिक स्कूलों के लिये योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां	५०६
४२५	दिल्ली में धर्मार्थ छात्रवृत्तियां . . .	५०६–०७
४२६	दिल्ली के औद्योगिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां .	५०७
४२७	दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों को खुली छात्रवृत्तियां	५०७
४२८	दिल्ली में सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल	५०८
४२९	दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा . . .	५०८
४३०	सशस्त्र बल प्रधान कार्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती	५०८–०९
४३१	राझरा लौह अयस्क खान	५०९
४३२	प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निलम्बन . . .	५०९–१०
४३३	भिलाई इस्पात संयंत्र	५१०
४३४	विदेश जाने वाले छात्र . .	५१०
४३५	नारनौल में स्मारक . . .	५१०–११
४३६	प्रवाल द्वीपों के लिये योजना में बंटवारा . . .	५११

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर— क्रमशः		
प्रतारांकित प्र.न संख्या		
४३७	विज्ञान मन्दिर	५११–१२
४३८	दिल्ली की सरकारी बस्तियों में मनोरंजन केन्द्र .	५१२
४३९	जीवन बीमा निगम	५१२–१३
४४०	सीमा की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे . .	५१३–१४
४४१	बोखारो के निकट गैस युक्त खानें	५१४
४४२	महाराष्ट्र में तेल निक्षेप .	५१४
४४३	मनीपुर की थोबल तहसील में चक्रवात .	५१४–१५
४४४	मनीपुर में प्राथमिक स्कूल .	५१५
४४५	आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	५१५
४४६	पूंजी निर्गम पर नियन्त्रण .	५१५–१६
४४७	अंडमान द्वीप	५१६
४४८	भारत पेंशनर समाज	५१६
४४९	तीसरा वित्त आयोग	५१६–१७
४५०	सोने का पकड़ा जाना	५१७
४५१	कुसाम्बी में खुदाई	५१७
४५२	कोयले की ढुलाई .	५१८–१९
४५३	उडीसा में केन्द्रीय मंत्रियों का आगमन .	५१९
४५४	उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक . .	५१९
४५५	उड़ीसा के चुनाव में अवैध मत .	५१९–२०
४५६	तीसरा वित्त आयोग .	५२०
४५७	सोने का तस्कर व्यापार . .	५२०–२१
४५८	जीवन बीमा	५२१
४५९	आसाम की काटीगोरह निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव . .	५२१–२२
४६०	समुद्र द्वारा जाने वाला कोयला .	५२२
४६१	कलकत्ता विश्वविद्यालय को सहायता . . .	५२२
४६२	खान और ईंधन विभाग के अधिकारियों का मुअत्तिल किया जाना	५२२–२३
४६३	पूर्वता अधिपत्र	५२३
४६४	दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल . .	५२३
४६५	हिमाचल प्रदेश प्रशासन में पुलिस कांस्टेबल .	५२३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४६६	मनीपुर में पुलिस के सिपाही .	५२४
४६७	१६६२ के ग्राम चुनाव . . .	५२४
४६८	त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण	५२४-२५
४६६	त्रिपुरा में तूफान	५२५
४७०	रुद्रसागर का तेल . .	५२५
४७१	असैनिक कर्मचारियों को रविवार की तथा अन्य छुट्टियां	५२६
४७२	खोटे सिक्के	५२६
४७३	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी .	५२६ २७
४७४	केंटीन भंडार विभाग (भारत) द्वारा रम की खरीद .	५२७
४७५	त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम	५२७
४७६	भारत के लिये राष्ट्रमंडलीय अनुसन्धान परियोजनायें	५२७-२८
४७७	प्रो० हाल्डेन की भारतीय नागरिकता	५२८
४७८	विदेशियों की गिरफ्तारी	५२८
४७६	बरौनी का तेल शोधक कारखाना	५२८-२६
४८०	तेल का परिष्करण और विपणन	५२६
४८१	आर्थिक प्रगति . .	५२६-३०
४८२	मंत्रियों के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता नियम	५३०
४८३	पंजाब के स्कूलों और कालेजों में खेल के मैदान .	५३०
४८४	सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	५३०
४८५	पंजाब में स्मारक	५३१
४८६	हरिजनों को कानूनी सहायता	५३१
४८७	पंजाब में भूतपूर्व सैनिक . .	५३१
४८८	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	५३२
४८६	हिमाचल प्रदेश में हत्यायें	५३२
४६०	अधिवक्ता अधिनियम, १६६१ .	५३२ ३३
४६१	कपड़ा और सामान्य स्टोर्स सम्बन्धी राष्ट्रमण्डलीय प्रतिरक्षा सम्मेलन	५३३-३४
४६२	बाल अधिनियम, १६६०	५३४
४६३	भिलाई इस्पात संयंत्र	५३४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४९४	त्रिपुरा में बाढ़--पीड़ित	५३४–३५
४९५	गांधीनगर में तेल . . .	५३५
४९६	आसाम में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति . .	५३५
४९७	मद्रास नाट्य प्रदर्शन अधिनियम का दिल्ली पर लागू किया जाना	५३५–३६
४९८	प्रतिरक्षा मंत्रालय और इसके संलग्न कार्यालय .	५३६
४९९	नियम पुस्तिकाओं और प्रपत्रों आदि का अनुवाद	५३६
५००	सरकारी संकल्प .	५३६–३७
५०१	हिन्दी पुस्तकें	५३७
५०२	विदेशी मुद्रा की बचत	५३७
५०३	मूसाबाग महल, लखनऊ . .	५३७
५०४	अल्प बचत योजना के अधीन प्राप्त धनराशि	५३७–३८
५०५	राज्य मूल्यांकन एककों के पदाधिकरियों का प्रशिक्षण . .	५३८
५०६	आसाम की राजधानी को बदलना .	५३८
५०७	मंत्रियों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता .	५३८–३९
५०८	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० घोषित लाभांश .	५३९
५०९	अंग्रेज़ी का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद .	५३९
५१०	बहरों और विकलांगों को छात्रवृत्तियां	५३९
५११	हिन्दी का प्रयोग . . .	५४०
५१२	इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पुरातत्वीय खुदाइयां .	५४०
५१३	रूरकेला पाइप संयंत्र में पाइपों का उत्पादन .	५४०
५१४	रूस से तेल . . .	४४१
५१५	विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिये जुर्माना .	५४१
५१६	पैट्रोल की खपत में कमी के लिये युक्ति . .	५४१–४२
५१७	त्रिपुरा में शरणार्थियों के लिये ऋण . .	५४२
५१८	आसाम के कर्मचारियों के आचरण के बारे में जांच . .	५४२
५१९	पलाई सेंट्रल बैंक के खातेदारों को भुगतान .	५४२–४३
५२०	पलाई सेंट्रल बैंक द्वारा प्रत्येक खातेदार को भुगतान	५४३
५२१	"लेडी चेटरलीज लवर"	५४३–४४
५२२	बन्दूकों का निर्माण	५४४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५२३	अल्प बचत योजना के अन्तर्गत धन संचय	५४४
५२४	पश्चिम जर्मनी से छापेखाने का उपहार	५४४–४५
५२५	धर्मनगर में खुराक की कमी	५४५
५२६	बरौनी का तेल शोधक कारखाना	५४५–४६
५२७	गंगा के प्रदेशों में तेल की खोज	५४६
५२८	उड़ीसा के स्कूल अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्तियां	५४६
५२९	उड़ीसा के लिये सामान्य निर्वाचन	५४६
५३०	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी में एच० एफ०-२४ का निर्माण	५४७
५३१	आर्थिक विकास	५४७–४८
५३३	आयुध कारखानों में गोडाउन कीपर	५४८
५३४	विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा	५४८
५३५	उत्कल विश्वविद्यालय को ऋण और अनुदान	५४८–४९
५३६	सरायकेला और खर्सवान बिहार में जनगणना	५४९
५३७	केन्द्रीय सचिवालय	५४९–५०
५३८	सामयिक श्रमिक	५५०
५३९	कनाडा द्वारा डालर का अवमूल्यन	५५०
५४०	सरकारी प्रतिभूतियों का खोया जाना	५५१
५४२	जोशीमठ के निकट विमान दुर्घटना	५५१
५४३	विदेशियों की मूर्तियां हटाना	५५१–५२
५४४	जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति	५५२
५४५	भारतीय सेना के पदाधिकारियों के वेतनक्रम	५५२
५४६	एक स्विस राष्ट्रजन तस्कर व्यापार	५५३
५४७	सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय	५५३
५४८	सरकारी ऋण	५५३
५४९	संघ राज्य-क्षेत्रों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा	५५४
५५०	जाली डालर नोटों की छपाई	५५४
५५१	पूना में बाढ़-पीड़ितों के लिए मकान	५५४–५५
५५२	गुजरात के लिए लोहे तथा नालीदार लोहे की चादरें	५५५
५५३	तम्बाकू की अनधिकृत खेती	५५५
५५४	अधिक देर तक काम करने का भत्ता	५५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५५५	कृषि विकास वित्त निगम	५५६
५५६	यमुना में नाव दुर्घटना	५५६
५५७	दिल्ली के विद्यार्थियों का छुट्टियों में भ्रमण	५५७
५५८	दिल्ली की नालियों में बालिका का शव	५५७
५५९	रूरकेला इस्पात संयंत्र में हड़ताल	५५७
५६०	अमरीका से शस्त्रास्त्रों की खरीद	५५८
५६१	केन्द्रीय सचिवालय में सेक्शन आफिसरों के चुनाव की परीक्षा	५५८
५६२	अंकलेश्वर में तेल	५५८--५९
५६३	पालीटेक्नीक में विद्यार्थी	५५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ५५९--६५

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :--

(१) बीमा एक्ट, १९३८ की धारा ११४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक १० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८१ में प्रकाशित बीमा (संशोधन) नियम, १९६१।

(ख) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६७ में प्रकाशित बीमा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(२) बीमा एक्ट, १९३८ की धारा १०१--क की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २४ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२०६ की एक प्रति ।

(३) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) एक्ट, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८०० में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६१ ।

(दो) अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८०१ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(तीन) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) एक्ट, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत कोयले और कोक पर उत्पादन शुल्क की पुनरीक्षित दर निश्चित करने वाली दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२९९ ।

(४) धर्म परिवर्तन करने वालों का विवाह-विच्छेद एक्ट, १८८६ पर विधि आयोग की अट्ठारहवीं रिपोर्ट की एक प्रति ।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था एक्ट, १९५६ की धीरा १९ के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट ।

(दो) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था एक्ट, १९५६ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक लेखे, उन पर लेखा परीक्षित रिपोर्ट सहित ।

(६) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) एक्ट, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(७) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) एक्ट, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण और विकास (पहला संशोधन) बिल, १९६१ नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण और विकास (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८० ।

(८) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कम्पनीज़ एक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई

विषय **पृष्ठ**

दिल्ली की वर्ष १६५६–६० की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखें और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त नियम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा :

(६) अखिल भारतीय सेवायें एक्ट, १६६१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ अप्रैल, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१८ की एक प्रति ।

(१०) अखिल भारतीय सेवायें एक्ट, १६५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक २६ अप्रैल, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६०४ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, १६६१ ।

(ख) दिनांक २० मई, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८८ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (सेवा की शर्तें—शेष मामले) संशोधन नियम, १६६१ ।

(११) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ अप्रैल, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६१३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, १६६१ ।

(ख) दिनांक २७ अप्रैल, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, १६६१ ।

(ग) दिनांक १ जुलाई, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नवां संशोधन) नियम, १६६१ ।

(१२) समुद्र सीमा शुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक एक्ट, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १६६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० संख्या ६०६ दिनांक २६ अप्रैल, १६६१

(ख) जी० एस० आर० संख्या ६१० दिनांक २६ अप्रैल, १६६१

(ग) जी० एस० आर० संख्या ६१२ दिनांक २६ अप्रैल, १६६१

विषय पृष्ठ

(घ) जी० एस० आर० संख्या ६४३ दिनांक ६ मई, १९६१

(ङ) जी० एस० आर० संख्या ६४४ दिनांक ६ मई, १९६१

(च) जी० एस० आर० संख्या ६७१ दिनांक १३ मई, १९६१

(छ) जी० एस० आर० संख्या ६७२ दिनांक १३ मई, १९६१

(ज) जी० एस० आर० संख्या ६९२ दिनांक २० मई, १९६१

(झ) जी० एस० आर० संख्या ६९३ दिनांक २० मई, १९६१

(ञ) जी० एस० आर० संख्या ६९४ दिनांक २० मई, १९६१

(ट) जी० एस० आर० संख्या ६९५ दिनांक २० मई, १९६१

(ठ) जी० एस० आर० संख्या ७३८ दिनांक ३ जून, १९६१

(ड) जी० एस० आर० संख्या ७५६ दिनांक, १ जून, १९६१

(१३) समुद्र सीमा शुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९७ की एक प्रति जिसमें दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८८ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(१४) समुद्र सीमा शुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(क) जी० एस० आर० संख्या ६७३ दिनांक १३ मई, १९६१

(ख) जी० एस० आर० संख्या ६९० दिनांक २० मई, १९६१

(ग) जी० एस० आर० संख्या ७३६ दिनांक ३ जून, १९६१

(१५) चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) एक्ट, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६०८ में प्रकाशित चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति।

(१६) चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन एक्ट, १९६१ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५५ की एक प्रति।

(१७) दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) एक्ट, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ जुलाई, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३ (३१)/५८-फिन (ई) की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

(१८) केन्द्रीय बिक्री कर एक्ट, १९५६ की धारा १३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकासी) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० संख्या ७६९ दिनांक १० जून, १९६१।

(ख) जी० एस० आर० संख्या ७७० दिनांक १० जून, १९६१।

(१९) बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०२ में प्रकाशित कोट्टायाम ओरियन्ट बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे स्टेट बैंक आफ ट्रावन्कोर में मिलाने की योजना।

(ख) दिनांक १६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०३ में प्रकाशित बैंक आफ न्यू इण्डिया लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे स्टेट बैंक आफ ट्रावन्कोर में मिलाने की योजना।

(ग) दिनांक १६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०४ में प्रकाशित सीसिया मिडलैंड बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

(घ) दिनांक १६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या ११०६ में प्रकाशित वनडू बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

(ङ) दिनांक २३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२०३ में प्रकाशित बैंक आफ पूना लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे सांगली बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

(च) दिनांक ३१ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२९१ में प्रकाशित भारत इण्डस्ट्रियल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे बैंक आफ महाराष्ट्र में मिलाने की योजना।

(छ) दिनांक २१ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२९२ में प्रकाशित पूना इन्वेस्टर्स बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे सांगली बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

विषय पृष्ठ

(ज) दिनांक ३१ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२९३ में प्रकाशित बैंक आफ कोंकण लिमिटेड के पुनर्निर्माण और इसे बैंक आफ महाराष्ट्र में मिलाने की योजना।

(झ) दिनांक १२ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३६० में प्रकाशित बांकानेर बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे देवकरन नानजी बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड में मिलाने की योजना।

(२०) चीनी की स्थिति और निर्यात के बारे में टिप्पण।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ५६५

पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ५६६

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता सम्बन्धी एक विज्ञप्ति सभा पटल पर रखे।

(२) शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली) ने शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के १८ अप्रैल, १९६१ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

समितियों के लिये निर्वाचन . . ५६६–६७

(१) प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक सभा अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक सभा अपने में से दो सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . ५६७—९४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के प्रस्ताव के बारे में चर्चा जारी रही। गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती वायलेट आल्वा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पारित ५६४—६१३

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा ६१३—१६

श्री स० मो० बनर्जी ने चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण पर चर्चा आरम्भ की। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार १० अगस्त, १६६१/१८ श्रावण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

१. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

(क) संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस निधियां) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

(ख) न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

(ग) नमक उप-कर (संशोधन) विधेयक

(घ) प्रसूति लाभ विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

२. चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात तथा मूल्य निर्धारण के बारे में अग्रेतर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—887 (Ai) LSD—5-9-61—125.